



हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध की निष्पादन लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन


संघ सरकार (सिविल)
2011-12 की प्रतिवेदन संख्या-19
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध की निष्पादन लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
2011-12 की प्रतिवेदन संख्या-19
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



विषय सूची

| | |
|--|-------|
| प्राक्कथन | (v) |
| कार्यकारी सारांश | (vii) |
| अध्याय—1 हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन संविदा— एक परिचय | 1 |
| 1.1 पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एण्ड पी) | 1 |
| 1.2 भारत मे पेट्रोलियम ई एण्ड पी मे निजी क्षेत्र की भागीदारी | 3 |
| 1.3 नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी) | 4 |
| 1.4 कानूनी रूपरेखा | 5 |
| 1.5 संगठनात्मक संरचना | 5 |
| 1.6 उत्पादन शेयरिंग संविदाओ को प्रदान करना (प्री—नेल्प / नेल्प) | 5 |
| 1.7 नेल्प के अन्तर्गत बोली का मूल्यांकन और आबंटन—एक अवलोकन | 6 |
| अध्याय 2—हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन अनुबंधो के लिए राजकोषीय और अनुबंध शासन प्रणाली | 9 |
| 2.1 भारत सरकार की गैर—कर आय | 9 |
| 2.2 पी.एस.सी के अतर्गत पेट्रोलियम लागत और पेट्रोलियम लाभ | 9 |
| 2.3 अन्य प्राप्तियाँ | 10 |
| 2.4 राजकोषीय शासन प्रणाली की तुलना | 11 |
| 2.5 उत्पादन सहभाजन अनुबंध (पी.एस.सी) | 13 |
| अध्याय —3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण | 19 |
| 3.1 एम.ओ.पी.एन. जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए आग्रह | 19 |
| 3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य | 19 |
| 3.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र | 20 |
| 3.4 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत | 21 |
| 3.5 संचालकों के दस्तावेजों को प्राप्त करने मे कठिनाइयां | 22 |
| 3.6 लेखापरीक्षा पद्धति | 23 |
| 3.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र की सीमायें | 24 |
| 3.8 संचालकों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर टिप्पणियां | 25 |
| 3.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना | 27 |
| अध्याय — 4 के जी—डब्ल्यू एन—98 / 3 खण्ड से संबंधित खोजे | 29 |
| 4.1 विहंगावलोकन | 29 |
| 4.2 खोज और मूल्यांकन गतिविधियां | 30 |

| | | |
|--|---|------------|
| 4.3 | डी 1 – डी 3 के लिए विकास कार्यकलाप | 61 |
| 4.4 | विकास/अधिप्राप्ति क्रियाकलाप (एम.ए.क्षेत्र) | 65 |
| 4.5 | खरीद कार्यकलाप (डी-1 डी-3 खोजें) | 76 |
| 4.6 | पी.एस.सी.-अनुबद्ध खरीद प्रक्रिया का उल्लंघनाख | 85 |
| 4.7 | लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में कमियाँ | 89 |
| 4.8 | एस.ए.पी प्रणाली तक अपूर्ण पहुँच | 90 |
| अध्याय 5 आर.जे.-ओ.एन.-90/1 खंड संबंधित निष्कर्ष | | 95 |
| 5.1 | विहंगावलोकन | 95 |
| 5.2 | अन्वेषण और मूल्यांकन गतिविधियाँ | 98 |
| 5.3 | खोज, वाणिज्यिकत खोज और विकास | 102 |
| 5.4 | खरीद संबंधी मुद्दे | 106 |
| 5.5 | लागत वसूली | 107 |
| अध्याय – 6 पन्ना-मुक्ता और मध्य व दक्षिण ताप्ती मैदानों के संबंध में निष्कर्ष | | 109 |
| 6.1 | विहंगावलोकन | 109 |
| 6.2 | रायल्टी | 114 |
| 6.3 | कच्चा तेल एवं गैस बिक्री | 118 |
| 6.4 | पन्ना-मुक्ता के संबंध में निष्कर्ष | 122 |
| 6.5 | मिड और साऊथ ताप्ती और आगे के क्षेत्र के संबंध में निष्कर्ष | 124 |
| 6.6 | पन्ना मुक्ता और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से सम्बन्धित अधिक व्यय और लागत वसूली के सामान्य मुद्दे | 128 |
| 6.7 | काल्पनिक आय कर | 130 |
| 6.8 | परित्याग लागत की अवधारण न करना | 130 |
| अध्याय – 7 अनुपालन एवं नियंत्रण मुद्दे | | 133 |
| 7.1 | डी.जी.एच. की भूमिका | 133 |
| 7.2 | अन्वेषण/मूल्यांकन के विषय | 135 |
| 7.3 | पी.एस.सी. के खोज की अधिसूचना तथा परीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों का गैर-अनुपालन | 137 |
| 7.4 | मूल्यांकन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने/समीक्षा करने में विलम्ब | 137 |
| 7.5 | विकास योजना का प्रस्तुतीकरण | 138 |
| 7.6 | प्रचालन व्यवस्था | 138 |
| 7.7 | प्रबन्ध समिति | 139 |
| 7.8 | आवधिक रिपोर्टिंग | 141 |
| 7.9 | वित्तीय मुद्दे | 141 |
| 7.10 | रॉयल्टी | 144 |
| 7.11 | पेट्रोलियम के माप | 145 |

| | |
|--|------------|
| 7.12 लेखा तथा लेखापरीक्षा | 145 |
| 7.13 कार्य योजना तथा बजट (डब्ल्यू.पी.एण्ड बी) | 147 |
| अध्याय 8 – निष्कर्ष एवं सामान्य सिफारिशें | 149 |
| 8.1 पी.एस.सी. का ढांचा | 149 |
| 8.2 भविष्य में पी.एस.सी. के लिये सिफारिशें | 151 |
| 8.3 बिड मूल्यांकन मानक | 151 |
| 8.4 वर्तमान पी.एस.सी. का प्रबन्धन | 152 |

परिशिष्ट

| | |
|--------------|-----|
| परिशिष्ट 3.1 | 157 |
| परिशिष्ट 4.1 | 164 |
| परिशिष्ट 4.2 | 172 |
| परिशिष्ट 4.3 | 173 |
| परिशिष्ट 4.4 | 176 |
| परिशिष्ट 4.5 | 178 |
| परिशिष्ट 5.1 | 184 |
| परिशिष्ट 5.2 | 187 |
| परिशिष्ट 5.3 | 188 |
| परिशिष्ट 7.1 | 191 |
| परिशिष्ट 7.2 | 193 |
| परिशिष्ट 7.3 | 194 |
| परिशिष्ट 7.4 | 195 |
| परिशिष्ट 7.5 | 197 |

शब्दावली

198

संक्षिताक्षरों की सूची

203



प्राक्कथन

1990 के दशक में अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही सरकार ने तेल व गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एं पी) क्षेत्र को विनियमित करने वाले ढाँचे को उदारवादी बनाने का निर्णय लिया जो कि पहले सरकारी क्षेत्र का एकल सुरक्षित क्षेत्र था। छोटे व मझौले आकार के अन्वेषित व उत्पादन करने वाले तेल क्षेत्रों के साथ—साथ कुछ अन्वेषणात्मक ब्लॉकों को 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में सौंपने के बाद, सरकार ने 1997 में नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (नैल्प) प्रतिपादित की और 1999 में इस नीति को अधिसूचित किया। इस नीति का उद्देश्य ई एं पी क्षेत्र में केवल निजी पूँजी को आकर्षित करना ही नहीं था परंतु इस क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय कम्पनियों की तकनीकी कुशलता व निपुणता का प्रवेश कराना भी था।

अन्तराष्ट्रीय ई एं पी कंपनियों के साथ संतुलित व प्रभावी साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार व निजी खिलाड़ियों के बीच हुए उत्पादन सहभागिता अनुबंध (पी.एस.सी) को संशोधित किया गया। ये अनुबंध इस ढंग से बनाए गए थे जिससे कि अन्वेषण का जोखिम जैसे कि तेल व प्राकृतिक गैस को खोजने की लागत, अन्वेषण की निश्चितता के बिना, निजी ठेकेदारों को वहन करनी थी। निजी ठेकेदार अन्वेषण हेतु पूँजीगत व्यय करते हैं इस तथ्य की निश्चितता के बिना कि तेल या गैस अन्वेषित होंगे या नहीं। जब हाइड्रोकार्बन अन्वेषित हो जाते हैं और वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य होते हैं, तो ठेकेदारों का तेल व गैस के विक्रय से उपार्जित आय स्त्रोतों पर प्रथम अधिकार होता है जब तक कि लागत की वसूली नहीं हो जाती। बची हुई राशि को “पैट्रोलियम लाभांश” कहा जाता है जो कि सरकार व ठेकेदारों के बीच बाँटी जाती है जिसमें प्रथम चरणों में ठेकेदार आमतौर पर ज्यादा हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनको अनुबंध लागत को वसूल करना होता है सरकार की आय के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि केवल तब होती है जब उत्पादन बड़े स्तर पर पहुँच जाता है और ठेकेदार ने अपनी पूँजी लागत वसूल कर ली होती है। नैल्प के अंतर्गत, सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों को बराबर माना जाता है।

नैल्प के अंतर्गत पी.एस.सी मॉडल के मूल में वर्तमान में जो सिद्धांत है उसमें विवेचित आधार निवेश गुणज (आई.एम) के अनुसार भारत सरकार और ठेकेदार के बीच लाभांश का बंटवारा होता है। तत्वतः यह ठेकेदार के संचित निवल नकद आवक के अन्वेषण व खोज की गतिविधियों पर हुए संचित खर्च के सापेक्ष सूचकांक होता है। पी.एस.सी के अंतर्गत यह उद्देश्य होता है कि आदर्श तौर पर प्रचालक अपनी व सरकारी आय को बढ़ाने के लिए अनुबंध लागतों को लाभांश उत्पादन के सभी स्तरों पर कम करने का प्रयास करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रचालक द्वारा प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय सरकार की आय के हिस्से को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित न करें, पी.एस.सी में प्रबंधन कमेटी (एम.सी) का प्रावधान है, जिसका अध्यक्ष भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिस पर क्षेत्रीय विकास योजना के साथ—साथ वार्षिक कार्य योजना तथा विकास और उत्पादन क्रियाओं के बजट का अनुमोदन करने की जिम्मेदारी है। हालांकि, ई एं पी गतिविधियों का कार्यवाहक नियंत्रण कार्यान्वयन कमेटी के पास होता है जो कि ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से बनी होती है।

यह लेखापरीक्षा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पी.एस.सी की विशेष लेखापरीक्षा के निवेदन के जवाब में की गई थी जो कि पैट्रोलियम लाभांश के रूप में बड़ी सरकारी हिस्सेदारी तथा कुछ ठेकेदारों द्वारा नैल्प के अंतर्गत दिए गए ब्लॉकों के विकास में हुए पूँजीगत व्यय के मामले के संदर्भ में करायी गई। हमने पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा डायरेक्टरेट जनरल ॲफ हाइड्रोकार्बन (डी.जी.एच) के अभिलेखों की जांच की जिसमें 2003–04 से 2007–08 तक की अवधि के 20 पी.एस.सी के नमूनों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, हमने चार ब्लॉकों/क्षेत्रों (के.जी.डी.डब्ल्यू.एन–98/3, आर जे–ओ एन–90/1, पन्ना मुक्ता और मध्य व दक्षिण ताप्ती) के प्रचालकों के अभिलेखों की अनुपूरक संवीक्षा की जिसमें दो साल की अवधि 2006–07 और 2007–08 को सम्मिलित किया गया था। हमारी लेखापरीक्षा में अनुपूरक संवीक्षा के लिए प्रचालकों के अभिलेखों को प्राप्त करने में कठिनाइयों से व्यवधान आया जिसका बाद में पैट्रोलियम और गैस मंत्रालय के सहयोग व सहायता से निराकरण हो गया।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट जो कि मार्च 2011 के अंत तक की अवधि की है जिसमें हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंधों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समुख प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

भारत में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के 1991 के फैसले से, जिसमें राष्ट्रीय तेल कम्पनियों जैसे कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा पहले से ही खोजे गए या आंशिक रूप से विकास किए गए तेल एवं गैस फील्डों के विकास में भागीदारी के लिए विदेशी एवं देशी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों को आमंत्रित करना है। इसके बाद छोटे और मध्यम विस्तार वाले अन्वेषित/उत्पादन करने वाले फील्ड के बीडिंग के तीन चक्र और "प्री एन.ई.एल.पी." अन्वेषणात्मक ब्लॉक के बीडिंग के छह चक्र हुए।

नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) की जी.ओ.आई द्वारा 1997 में घोषणा की गई और 1999 में अधिसूचित की गई जिसने भारत में हाईड्रोकार्बन ई एंड पी में लैंडमार्क प्रदर्शित किया। पहली बार, राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को ई एंड पी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों से, नामांकन के आधार पर प्राप्त करने के बदले, प्रतियोगी बीडिंग प्रक्रिया द्वारा, प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी। भारत सरकार और प्राइवेट ठेकेदारों के बीच "पैट्रोलियम लाभ" बांटने के लिए प्री टैक्स इन्वेस्टमेंट मल्टीपल को लाया गया। रॉयल्टी दरों की यथामूल्य के आधार पर मानकीकृत किया गया और सेस के साथ-साथ सिग्नेचर, अन्वेषण और उत्पादन बोनस को समाप्त कर दिया। एन.ई.एल.पी. के तहत अन्वेषण ब्लॉकों के अधिनिर्णय के आठ चक्र पूरे हो गए हैं, जबकि नवें चक्र के लिए निविदाओं की प्रस्तुति हाल ही में सम्पन्न हुई है।

भारत सरकार और प्राइवेट ठेकेदारों के बीच अनुबन्धित संबंधता भागीदारी का आधार उत्पादन भागीदारी अनुबन्ध (पी.एस.सी.) है। पी.एस.सी., सभी पार्टियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का खाता तैयार करती है अन्वेषण, विकास और उत्पादन के विभिन्न चरणों में अपनाये जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है और वित्तीय क्षेत्र (लागत वसूली लाभ हिस्सेदारी) को भी बताती है।

भारत सरकर का सी.ए.जी. को विशेष लेखापरीक्षा का निवेदन

नवम्बर 2007 में, सचिव, पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सी.ए.जी. को आठ ब्लॉकों के लिये पी.एस.सी. का विशेष आडिट का निवेदन किया, जिनका 2003–04 / 2004–05 तक नियमित आडिट पहले ही हो चुका था। पी.एन.जी. मंत्रालय ने यह निवेदन सरकार का बड़ा हिस्सा, रॉयल्टी और पैट्रोलियम लाभ के रूप में होने और कुछ ठेकेदारों द्वारा एन.ई.एल.पी. के तहत दिये गये विकास प्रोजेक्टों पर किये गये पूँजीगत व्यय के बारे में कुछ क्षेत्रों में चर्चा होने के कारण किया। हम पी.एन.जी. मंत्रालय के लेखापरीक्षा निवेदन को स्वीकार करते हुए, उन आठ ब्लॉकों में से जिनका पी.एन.जी. मंत्रालय ने विशेष लेखापरीक्षा का निवेदन किया था, प्रथम चरण में पाँच ब्लॉकों—पन्ना—मुक्ता ताप्ती, के.जी.—डी.डब्ल्यू. एन-98 / 3, हाजीरा और पी.वाई-3 —को समिलित किया जायेगा। हम यह भी समाविष्ट करते हैं कि हाईड्रोकार्बन पी.एस.सी. निष्पादन लेखापरीक्षा में अन्वेषित/प्री-एन.ई.एल.पी. उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध और एन.ई.इल.पी. पी.एस.सी. के उत्पादन के नमूने समिलित हैं।

(पैरा 3.1)

हाईड्रोकार्बन पी.एस.सी. निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य में यह सत्यापित करना था कि क्या:

- एम.ओ.पी.एन.जी. और महानिदेशालय हाईड्रोकार्बन (डी.जी.एच.) की प्रणालियां और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने एवं ब्लॉक के प्रचालकों और ठेकेदारों द्वारा पी.एस.सी. की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित एवं प्रभावी थी; और
- सरकार के राजस्व हितों (रॉयल्टी और भारत सरकार का पैट्रोलियम लाभांश का भाग) की उचित तरीके से रक्षा की गई थी और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी प्रणालियां थीं

पृथक ब्लॉकों/ठेकेदारों के परिचालन की हमारे द्वारा "निष्पादन लेखापरीक्षा किये जाने पर कुछ क्षेत्रों में सवाल उठाये गये। हम इस अवसर पर यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा क्षेत्र में पी.एन.जी. मंत्रालय और डी.जी.एच. सम्मिलित है न कि अलग—अलग ब्लॉक के प्राइवेट परिचालक। परिणामस्वरूप चयनित ब्लॉकों के परिचालकों के अभिलेख केवल पी.एन.जी. मंत्रालय और डी.जी.एच. के अभिलेखों की जाँच के केवल पूरक थे।

परिचालकों के अभिलेखों की जाँच का उद्देश्य यह सत्यापित करना था कि क्या पैट्रोलियम लाभ के रूप में सरकारी राजस्व (वर्तमान और भविष्य) और रॉयल्टी की गणना ठीक से की गई है और इसके राजस्व हितों को उचित रूप से सुरक्षित रखा गया था। इस बड़े उद्देश्य के लिये सत्यापित करने का आशय (परिचालकों के विनिर्दिष्ट अवधि के लेखाओं के अभिलेखों के आधार पर) था कि क्या:

- पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) परिचालन व्यय (ओपेक्स) एवं निवल नकद आय एवं उसके प्रत्येक मदें सही एवं विश्वसनीय ढंग से दर्शाये गये थे, और ये राशियां पर्याप्त दस्तावेजों के साथ समर्पित थी;
- कैपेक्स/ओपेक्स की प्रत्येक मदों के आँकड़े तर्कसंगत थे एवं मूल/संशोधित बजटों, योजनाओं, सम्भाव्यता रिपोर्टों या अन्य समान दस्तावेज के अनुपात में थे; और
- समानान्तर प्रमाण थे, जो कि खरीदे गये एवं उपलब्ध कराये गये सामान एवं सेवाओं की प्रमाणिकता संबंधी आश्वासन प्रदान करें।

(पैरा 3.2)

हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्र ने दोहरी पद्धति का सहारा लिया :

- निम्नलिखित संतुलित कवरेज को उपलब्ध कराने के लिए चयन किए गए 20 पी.एस.सी. के नमूने के संदर्भ में एम.ओ.पी.एन.जी. एवं डी.जी.एच. में रिकार्ड की जाँच (ए) अभितट एवं अपतट (छिछला एवं गहरे पानी) ब्लॉक (बी) संचालकों का एक क्रास समूह (सी) तेल खोज एवं गैस खोज के क्षेत्र में (डी) प्री—एन.ई.एल.पी. एवं एन.ई.एल.पी. और (ई) ई एवं पी के विभिन्न चरणों पर ब्लॉक – अन्वेषण के अंतर्गत, छोड़ दिये गये, खोज, उत्पादन इत्यादि, इसमें 2003–04 से 2007–08 तक की अवधि शामिल थी।
- 2006–07 और 2007–08 के दो वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए चार ब्लॉकों/क्षेत्रों (के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/3 पन्ना—मुक्ता, मध्य एवं दक्षिण ताप्ती और आर.जे.—ओ.एन.—90/1) के परिचालकों के अभिलेखों का पूरक परीक्षण।

(पैरा 3.3)

हमारी लेखापरीक्षा में, पूरक जाँच के लिए संचालकों के रिकार्ड को प्राप्त करने में कठिनाई के कारण रुकावट आई, जिसे बाद में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सक्रिय सहायता एवं सहयोग से सुलझाया गया।

(पैरा 3.5)

पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा अभिलेखों की प्रस्तुति

हमारे बारम्बार प्रयास के बावजूद, पन्ना मुक्ता ताप्ती संयुक्त उपक्रम (पी.एम.टी. जे.वी.—संयुक्त संचालकों बी.जी.ई.पी.आई.एल., आर.आई.एल, एवं ओ.एन.जी.सी.) ने प्रमुख एवं संबंधित रिकार्ड इस आधार पर मुहैया नहीं कराये कि इन रिकार्डों की जाँच हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, जो पी.एस.सी. प्रावधानों से संबंधित लेखा रिकार्डों तक सीमित थी। पी.एम.टी. जे.वी. ने हमारे अधिकांश प्राथमिक निरीक्षण टिप्पणी का इस आधार पर जवाब नहीं दिया कि इसमें उठाये गये मामले पी.एस.सी. में वर्णित लेखापरीक्षा अधिकारों के कार्यक्षेत्र के बाहर थे।

पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा ज़ाहिर किए गए विचारों से हम सहमत नहीं हैं। हमारे विचार से, लेखापरीक्षा दलों द्वारा माँगे गये अभिलेख (विशेषतया क्रय से संबंधित अभिलेख) पी.एस.सी. द्वारा पूर्णतया सम्मिलित किये गये थे और हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये रिकार्ड आवश्यक थे। फलस्वरूप, पन्ना—मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच अधूरी थी। यह मुद्दा जून और जुलाई 2011 में दुबारा उठाने के बाद उनमें से पायी गई जांचों में भी पी.एम.टी.—जे.वी. ने जुलाई 2011 में संबंधित रिकार्डों का कुछ भाग दिया और आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही संबंधित रिकार्ड देंगे। उनके द्वारा अभी दिये गये रिकार्ड व ऐसा रिकार्ड जिनका आश्वासन मिला था, को बाद में लिया जायेगा और उनमें मिली कमियों को तदनन्तर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाएगा।

(पैरा 3.7.1)

लेखापरीक्षा क्षेत्र पर आपरेटर द्वारा टिप्पणी

के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/3 ब्लाक के आपरेटर ने हमारे लेखापरीक्षा के क्षेत्र, सीमा और कवरेज को विभिन्न समय बिन्दुओं पर यह इंगित करते हुए चुनौती दी है कि सी.ए.जी. द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसकी पी.एस.सी. के तहत अनुमति नहीं थी। यह कहा गया कि पी.एस.सी. में ऐसा कुछ नहीं है जो आपरेटरों के संचालन, व्यवसायिक और तकनीकी निर्णयों की लेखापरीक्षा की अनुमति दे। इसके अलावा, एक प्रयास, जहां पर कि लेखापरीक्षक प्रचालक के स्थान पर काम करेगा तथा यह मूल्यांकन करने की कोशिश करेगा कि क्या आपरेटर द्वारा किया निर्णय—अपने अधिकृत परिचालन क्षेत्र के भीतर—कुछ अपरिभाषित मानदंडों के अनुसार या अधिकारी तंत्रीकरण द्वारा प्रक्रिया पालन, प्रक्रियाओं को बनाने का निर्णय और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग और वह भी बिना किसी लाभ के या ऐसी परियोजनाओं बिना किसी लाभ के या ऐसी परियोजनाओं को लागू करने की जबाबदेही, स्पष्ट रूप से पी.एस.सी. प्रावधानों से परे थी।

हम आपरेटरों के विचारों से सहमत नहीं हैं, हमारी राय में, हमारी जाँच पूरी तरह से पी.एस.सी. के प्रावधानों के साथ संगत थी। इसके अलावा, ठेकेदार की गतिविधियों और अन्य दस्तावेजों से संबंधित शुल्कों और क्रैडिटों का सत्यापन लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था और शुल्क और क्रैडिट का सत्यापन न केवल अनुबन्धों/व्यय वाउचरों की लेखा विवरणियों में व्ययों के गणितीय कुल और क्रैडिट पर व्यय/प्रभारों को ट्रेस करने तक सीमित नहीं है। इस प्रकार की क्रिया को ठेकेदार द्वारा पी.एस.सी. खातों में दर्शायी जा रही लागतों के सत्यापन तक विस्तारित किया जाएगा, जिसका सरकार के हिस्से पर और पैट्रोलियम लाभांश के निर्धारण पर कि यह सही तरह से निर्धारित किया गया है, आलोचनात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च की गई लागत का निर्धारण प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से जिससे लागत को कम कर सके (और अंततः, भारत सरकार का पेट्रोलियम लाभ के हिस्से को बढ़ाया जा सके)। ऐसा सत्यापन का अर्थ यह नहीं होता कि लेखापरीक्षक

ने प्रचालक के स्थान पर काम किया और जैसाकि आर.आई.एल. ने कहा कि ऐसे निर्णयों का मूल्यांकन सरकारी तंत्रीकरण की प्रक्रिया बनाने वालों के अनुसार है। हमारे उद्देश्य की पुष्टि यहीं तक सीमित है कि क्या भारत सरकार के राजस्व हितों को (भारत सरकार के पेट्रोलियम लाभांश के वर्तमान/भविष्य के हिस्से पर प्रभाव सम्मिलित हैं) ठीक से संरक्षित कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, हमारा ऐसा आशय नहीं था, न ही हमने आपरेटरों की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

लेखापरीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि उनसे हुई हमारी सभी पूछताछ और निष्कर्ष पी.एस.सी. तक सीमित हैं। हम पी.एस.सी. के निष्कर्ष की ओर अग्रणी किसी भी प्रक्रिया या नीति से संबंधित पहलुओं पर नहीं जाते। पी.एस.सी. को मनाते हुए हमने केवल अनुबंध के इकरारनामे पर हस्ताक्षरकर्ताओं के संविदात्मक दायित्वों की जाँच की है जैसे कि सरकार और प्राईवेट ठेकेदार। हमारे निष्कर्ष पूरी तरह से अनुबंध के “लिखित शब्द” को निर्दिष्ट रह रहे हैं।

अपने जवाबों में, पी.एन.जी. मंत्रालय (जुलाई 2011) सहमत हो गया कि सी.ए.जी. द्वारा की गई लेखापरीक्षा का क्षेत्र सामान्य लेखापरीक्षा मापदंडों के भीतर है और वित्तीय/लेखा लेखापरीक्षा में भी उन क्रियों और संसाधनों की समीक्षा का वर्णन है जिनका वित्तीय घटनाओं और उन पर नियंत्रणों में योगदान है।

(पैरा 3.8.1)

मुख्य निष्कर्ष

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 (आपरेटर : आर.आई.एल.)

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक जो आर.आई.एल. द्वारा संचालित है वर्ष 2000 में पहले एन.ई.एल.पी. दौर में सौंपा गया। इसमें भारत की सबसे बड़ी गैस खोजें (धीरुभाई-1 और धीरुभाई-3 गैस क्षेत्र) और एक बड़ा तेल क्षेत्र खोज (एम.ए. तेल क्षेत्र) भी सम्मिलित हैं। के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के संबंध में हमारे मुख्य निष्कर्ष और अनुशंसाएँ निम्नानुसार हैं :

क्षेत्र का त्याग न करना और पूरे अनुबंध क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में घोषित करना

हमने पाया कि ठेकेदार को पी.एस.सी. 4.1 और 4.2 अनुच्छेद के विरुद्ध चरण-I और चरण-II के अंत तक कुल अनुबंध क्षेत्र के प्रत्येक 25 प्रतिशत को त्यागे बिना दूसरे और तीसरे खोज चरणों में प्रवेश की अनुमति दी। बाद में, फरवरी, 2009 में भारत सरकार ने 7645 वर्ग किलोमीटर के पूरे अनुबन्ध क्षेत्र को ‘खोज क्षेत्र’ में प्रतिपादित करने की अनुमति भी जारी की। इस प्रकार ऑपरेटर क्षेत्र का त्याग करने से पूरी तरह बच गया।

पी.एस.सी. के अनुच्छेद 1.39 में “खोज क्षेत्र” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि “अनुबन्ध क्षेत्र का वह भाग जोकि खोज¹ और ऐसे भाग में एक कुंऐ या खोदे गये कुओं से प्राप्त परिणामों पर आधारित है, ठेकेदार का विचार है कि वहां पेट्रोलियम मौजूद है और वाणिज्यिक मात्राओं में पैदा किया जा रहा है” खोदे कुओं और सतह पर पेट्रोलियम वसूली जमा (जो केवल सफल कुओं की खुदाई के माध्यम से खोज की जा सकती है) की खोज से प्राप्त परिणामों से खोज क्षेत्र का चित्रण जटिलता से जुड़ा हुआ है। अन्वेषण के चरण-I के अन्त में, परिचालक ने सभी कुओं की खुदाई-केवल ब्लॉक के

¹ खोज को अनुच्छेद 1.38 में परिभाषित किया गया है कि पेट्रोलियम आपरेशनों के दौरान ढूँढ़ निकालने में, पेट्रोलियम जमा अस्तित्व को पहले नहीं जाना जा सकता, जिसे पारंपरिक पेट्रोलियम उद्योग परीक्षण तरीकों के आधार पर एक औसत दर्ज का प्रवाह सतह पर बरामद किया जा सकता है।

उत्तर-पश्चिम भाग में की। अप्रैल 2004 और फरवरी 2009 के बीच की घटनाओं के अनुक्रम स्पष्टरूप से दर्शाते हैं कि:

- डी.जी.एच. (मई 2004) आर.आई.एल. के प्रस्ताव से मूलरूप से सहमत नहीं था (अन्वेषण-प्रथम चरण से चरण-II में आगे बढ़ाने की तैयारी करते समय) अनुबन्ध क्षेत्र के किसी भी हिस्से को न छोड़ने (अन्वेषण चरण-I के अन्त में) और पी.एस.सी. संविदात्मक प्रावधानों में, चरण-I के अन्त में 25 प्रतिशत छोड़ने को दोहराया। (त्याग के विचार से "कम से कम "प्राथमिकता" क्षेत्रों की पहचान" करते हुए) डी.जी.एच. ने आगे बताया कि कोई भी मौजूद खोज को 'प्राथमिक क्षेत्र-I' से आगे नहीं बढ़ाया गया और न ही "प्राथमिक क्षेत्र-II" में कुँओं की खुदाई की गई और इसलिए पूरे ब्लॉक क्षेत्र को खोज क्षेत्र के लिए विचार करना सम्भव नहीं था।
- हालाँकि, अप्रैल/मई, 2005 के पास, डी.जी.एच. ने टिप्पणी करते समय स्वीकारा कि "जहाँ तक कि खोज की परिभाषा पी.एस.सी. में प्रदान की गई हैं, दो अलग-अलग धारणायें संभव नहीं हैं। डी.जी.एच. को लगा कि ब्लॉक के बाकी हिस्से में त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों की परिभाषा को फारस्ट ट्रैक के आधार पर अधिग्रहण करना और व्याख्या करना" विवेकपूर्ण होगा। बाद में, "त्याग क्षेत्र को उचित तरीके से निकाला जा सके"। इसी बीच, आर.आई.एल. बिना क्षेत्र त्यागे चरण-I से चरण-II में पहले ही चला गया और चरण-II से चरण-III के लिए फिर से किसी भी त्याग के बिना अपनी मंशा को अधिसूचित कर रहा था। अगस्त 2006 में, डी.जी.एच. ने पी.एन.जी. मंत्रालय को सूचित किया कि प्रबंधन समिति (एम.सी.) ने (डी.जी.एच. प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्षित) जुलाई, 2006 में ठेकेदारों को बिना क्षेत्र त्यागे, अलगे चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी। जबकि ब्लॉक क्षेत्र में "खोज की निरंतरता" अब तक के आंकड़े दर्शाते थे (अधिगृहीत भूकंपीय आंकड़ों के परिणामों के आधार पर आर.आई.एल. के प्रस्तुतीकरण के आधार पर)
- तत्पश्चात्, अगस्त 2006 से पी.एन.पी. मंत्रालय और डी.जी.एच. के बीच व्यापक पत्राचार रहा। पी.एन.जी. मंत्रालय ने प्रासंगिक सवाल उठाये कि क्या डी.जी.एच. को खोज विस्तार के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए कुँओं की कवरेज पूरे ब्लॉक पर थी, लेकिन इस पहलू को आगे बढ़ाने में विफल रहा।
- अप्रैल 2007 में, पी.एन.जी. मंत्रालय ने महसूस किया कि प्रस्ताव पर डी.जी.एच. से प्रमाणीकरण लेने के बाद विचार किया जा सकता था कि पूरे क्षेत्र के कुओं की उचित संख्या/3डी भूकंपीय द्वारा कवर किया गया था जिससे चैनलों की निरंतरता और खोज क्षेत्र की हद का प्रमाणीकरण हो। मई 2007 में, डी.जी.एच. ने पी.एन.जी. मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र में दे दिया।
- मई 2007 में भी, पी.एन.जी. मंत्रालय के आंतरिक नोट उनकी जागरूकता का संकेत करते हैं कि पूरे ब्लॉक को 3 डी भंकपीय आधार पर खोज क्षेत्र के रूप में, दिया गया, न कि कुँओं की खुदवाई के आधार पर, जोकि मुख्य रूप से ब्लॉक के एन.डब्ल्यू भाग तक ही सीमित था। तथापि, पी.एन.पी. मंत्रालय ने अब प्रस्तावित किया कि प्रस्तावित खोज क्षेत्र के आधार पर, परिचालक को कहे कि क्षेत्र का मूल्यांकन, मूल्यांकन संबंधित पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार करे। बाद में, तत्कालीन मंत्री, पी.एन.जी. द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद कि, क्या अनुसमर्थन की मांग का निर्णय पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुरूप था, मामले को अतिरिक्त सचिव, पी.एन.जी. की अध्यक्षता की समिति को भेजा। समिति ने ठेकेदार के दावों (फरवरी 2008) को स्वीकारा और फैसला (अप्रैल 2008) किया कि खोजों के मूल्यांकन की समयरेखा 11 जुलाई 2006 से शुरू होगा (अर्थात् ठेकेदार के दावों की एम.सी. की स्वीकृति)। अंततः जुलाई 2008 में मंत्री ने मंजूरी दी लेकिन, डी.जी.एच. को फरवरी 2009 में ही प्रेषित किया गया।

आर.आई.एल. के समय के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कि ठेकेदारों की राय में "पैट्रोलियम मौजूद की संभावना", "अनंबुध क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन संभाव्य था", "अंततः अतिरिक्त खोजपूर्ण कुँओं की खुदवाई की जरूरत पड़ी जिससे ब्लॉक के गहरे पानी वाले क्षेत्र में अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन के संभाव्य की स्थापना हो सके जिसके लिए वे अल्ट्रा डीपवॉटर रिंगों को किराये पर लेने के प्रयास कर रहे थे। स्पष्ट रूप से हाइड्रोजन की वास्तविक खोज की सम्भावना/सफलता को भ्रमित करने की कोशिश थी। ब्लॉक (अनिवार्य रूप से एस.डब्ल्यू. भाग जहाँ कोई खोज नहीं की गई) के गहरे पानी वाले क्षेत्र के लिए अल्ट्रा डीपवॉटर रिंगों को किराये पर लेने की उनकी मुश्किलों का खोज क्षेत्र और त्याग के अनुबंधीय प्रावधानों से कोई मेल नहीं था।

इस प्रकार, किसी क्षेत्र को न छोड़ने और सम्पूर्ण अनुबंधित क्षेत्र को "खोज क्षेत्र" के रूप में रखने के लिए आर.आई.एल. का अप्रैल 2004 का प्रस्ताव आर.आई.एल. व डी.जी.एच. के बीच पी.एस.सी. प्रावधानों के संदर्भ में त्यागने की कार्यवाही के बिना पत्राचार में ही समा गया। जबकि आर.आई.एल. को चरण से चरण चलने की इजाजत दी थी। अप्रैल/मई 2005 में डी.जी.एच. ने पूर्व आपत्तियाँ माफ कर दीं और अब परिचालक को सलाह/निर्देश दिये कि 3 डी भूकपीय आँकड़ों के बारे में जुलाई 2006 में डी.जी.एच. ने अपनी बारी पूरी की और ठेकेदारों के प्रस्तावों से सहमत हो गया (एम.सी. के द्वारा)। पी.एन.जी. मंत्रालय को पूरे क्षेत्र की अवधारणा के लिए एम.सी. के निर्णय में खामियों के बार में पता था, लेकिन उसे दूर करने के बजाय (पी.एस.सी. प्रावधानों के साथ पंक्ति में) उसने इस अवरोधन के लिए डी.जी.एच. के प्रमाणीकरण को स्वीकारने को चुना।

पी.एन.जी. मंत्रालय ने (जुलाई 2011) में डी.जी.एच. और पी.एन.जी. मंत्रालय द्वारा आपरेटर की राय की स्वीकृति के बारे में विस्तृत उत्तर दिया। हम तथापि ठेकेदार को पूरे ब्लॉक क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में रखने देने के उत्तर में जोकि पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था, के साथ सहमत नहीं है। पी.एन.जी. मंत्रालय का उत्तर और उस पर हमारे खंडन को अध्याय 4 में विस्तार से दिया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि पी.एन.जी. मंत्रालय को पी.एस.सी. प्रावधानों के तहत पूरे अनुबंध क्षेत्र का निर्धारण खोज क्षेत्र के रूप में करने की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, इसे 1 और 2 व्याख्यात्मक चरणों के निष्कर्ष के समय निर्धारित 25 प्रतिशत त्याग क्षेत्र चित्रित करना चाहिए और तत्पश्चात् "खोज क्षेत्र" का सही ढंग से चित्रण पी.एस.सी. में परिभाषित आधार पर होना चाहिए, जो तत्पश्चात होने वाली खोजों पर विचार किये बिना उस भाग में कुएं या खोदे हुए कुएं से जुड़ा हो।

(पैरा 4.2.1)

खोज सम्बन्धित मामले

पी.एस.सी. प्रावधान के उल्लंघन में, अक्टूबर 2002 एवं जुलाई 2008 के बीच 19 खोजों में से 13 मामलों में, संचालक ने, खोजों के आरभिक विवरण को एम.सी. एवं सरकार को लिखित में प्रस्तुत किए बिना, संभावित वणिज्यिकता की खोजों से संबंधित सीधी लिखित अधिसूचना जारी कर दी।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) की प्रारम्भ में प्रक्रिया एवं पद्धति पूर्णतः स्थापित नहीं थी, फिर भी, समय बीतने पर, कार्यविधि का अब विस्तार किया जा चुका था तथा पी.एस.सी. की आवश्यकता के अनुसार आगामी खोजों हेतु कड़ाई से पालन किया जा रहा था।

(पैरा 4.2.4)

डी1-डी3 गैस खोज

संचालक ने मई 2004 में एक 'आरभिक' विकास योजना (आई.डी.पी.) (2.4 बिलियन यू.एस. \$ के अनुमानित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से) प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2006 में आई.डी.पी. (ए.आई.डी.पी.) (5.2

बिलियन यू.एस. \$ अनुमानित कैपेक्स चरण-। के लिए एवं 3.6 बिलियन यू.एस. \$ चरण-॥ के लिए) के अनुपूरक के साथ अनुवर्तन किया गया। हमने पाया कि:-

- अधिकांश प्राप्ति गतिविधियां मई 2004 के अनुसूची के अनुसार देर से हुई थी, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि इस समय सीमा को पालन करने की संचालक की मंशा नहीं थी। इसके विपरीत, ए.आई.डी.पी. में मदों की गतिविधियों को ए.आई.डी.पी. के प्रस्तुति/अनुमोदन से पहले ही आरम्भ कर दिया गया था। स्पष्टतः संचालक की गतिविधियां आई.डी.पी. के बजाय ए.आई.डी.पी. द्वारा मार्गदर्शित थी।
- जैसा संचालक द्वारा इंगित किया गया, ए.आई.डी.पी. की एम.सी. अनुमोदन की उम्मीद में डी-१/डी-३ के समय पर विकास हेतु वैन्डरों से टाई-अप करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की गई। जबकि ऐसा विचार किया जा सकता था कि शायद ऐसा पूर्व अनुमोदन कार्य ठेकेदार के रिस्क एवं लागत पर था, वास्तव में यह ऐसे अनुमोदनों को सम्पन्न करने की सम्भावनाओं को बढ़ाती है।

चूंकि अनुमानों के अनुमोदन ने संचालक की लागत अनुमान की स्वीकृति शामिल नहीं है, उसके द्वारा लगाई गई लागत का वैधीकरण उचित विनियमों के माध्यम से वास्तविक लागत की लेखापरीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए व्यय भविष्य की लेखापरीक्षा में शामिल किये जाएंगे। ए.आई.डी.पी. के एकल मदों के सम्बन्ध में किया गया अधिकतर व्यय 2006-07 तथा 2007-08 में लेखापरीक्षा किया गया, तथा शेष 2008-09 से लेकर किये गये व्यय की लेखापरीक्षा भविष्य में की जायेगी।

(पैरा 4.3.1)

प्राप्ति सम्बन्धी गतिविधियां

हमने पाया कि, 2006-07 और 2007-08 के दौरान भुगतान से अत्याधिक प्राप्ति ठेके जिसमें हम यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके कि लागत उचित थी, इसका मुख्य कारण पर्याप्त प्रतियोगिता का अभाव-एकल वित्तीय निविदा पर कार्य प्रदान करना, कार्यक्षेत्र/मात्राएं/मानकों में मुख्य संशोधन, निविदा खुलने के उपरान्त का मूल्य, लागत वसूली के लिए निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव के साथ पर्याप्त अन्तर आदेश एवं भारत सरकार की वित्तीय आय थे, प्रकट हुआ।

विशेषतः एम.ए. तेलक्षेत्र के संबंध में, हमने पाया कि क्षेत्र विकास योजना (एफ.डी.पी.) एवं खनन पट्टा (एम.एल.) आवेदन पत्र की प्रस्तुति से बहुत पहले, अनुमोदन की बात तो दूर संचालक ने 2006 से ही विभिन्न महत्वपूर्ण मदों, जिसकी आवश्यकता विकास गतिविधियां/उत्पादन सुविधाओं के लिए थी, के आदेश थे। अकेर फलोटिंग प्रोडक्शन (ए.एफ.पी.) से फलोटिंग उत्पादन, भंडारण एवं विस्थापन (एफ.पी.एस.ओ.) जहाज के लिए 1.1 बिलियन यू.एस. \$ में 10 वर्ष के लिए किराया अनुबन्ध पर लिए जाने के लिए एकल वित्तीय निविदा में हमें गंभीर कमियां मिलीं।

(पैरा 4.4)

संचालकों के अभिलेखों की हमारी समीक्षा के दौरान, हमें ऐसे उदाहरण मिले, जहां अधिकांश संचालक पहले ही योग्यता प्राप्त थे। फिर भी जब तकनीकी बोलियां प्राप्त हुई, सभी संचालक (एक को छोड़कर) अस्वीकार कर दिये गए और ठेका एकल वित्तीय बोली पर दे दिया गया।

हमारी राय में, संचालकों को तकनीकी आधार पर ऐसी अयोग्यता, पूर्व योग्यता प्रक्रिया, तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु निविदाकर्ताओं की बैठकों के उपरान्त प्रतिस्पर्द्धा में को सीमित करती है जो पी.एस.सी. में दी गई प्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। बहुत से मामलों में इसके परिणमस्वरूप वित्तीय बोलियों में

कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी एवं अनुबंध एल वित्तीय बोली के आधार पर सौंपा गया। ऐसी परिस्थिति में एम.सी. की भूमिका के पत्र एवं भाव पूर्व योग्यता स्तर पर अमान्य किये गए हैं।

परिणामतः हमारी राय में प्राप्ति के मामलों में (प्रक्रिया 'सी' – उच्च मूल्य ठेके के अन्तर्गत) जहां पूर्व योग्यता प्राप्त बिड़र बाद में अयोग्य किये गए/विभिन्न तकनीकी एवं अन्य आधारों पर अप्रतिक्रियाशील घोषित किये गए और केवल एक वित्तीय बोली पर विचार किया गया संचालक को पूर्व योग्यता प्रक्रिया पुनः जारी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि और अधिक वैडर/पार्टी पूर्व योग्यता प्राप्त हैं। विकलपतः यदि संचालक एकल वित्तीय बोली पर विचार करना चाहता है तो मामला अनिवार्यतः एम.सी. (जी.ओ.आई प्रतिनिधियों सहित) को प्राप्ति प्रक्रिया में निर्धारित पी.एस.सी. से पूर्व छूट प्राप्त करने हेतु जी.ओ.आई. को वापिस भेजना चाहिए। आकस्मिक मामलों में प्रर्याप्त औचित्य सहित, एम.सी. की कार्योत्तर मंजूरी लेनी चाहिए।

इसी प्रकार, ठेका का विस्तार (ठेकों में पूर्व निर्धारित विस्तार अवधि से परे) पी.सी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यदि संचालक ऐसे ठेकों का विस्तार करना चाहता है तो मामला अनिवार्यतः एम.सी. को आवश्यक छूट हेतु, भेजना चाहिए।

(पैरा 4.6)

अतः हमने सिफारिश की कि के जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/3 के मामले में एम.ओ.पी.एन.जी. 10 विशेष ठेके जो एकल वित्तीय आधार पर दिये गये, (जिनमें से 8 अकरे ग्रुप कम्पनी को दिये गये) में सावधानी से गहन समीक्षा करें। इस सिफारिश में हम दूर तक भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि संचालक को सरकारी प्राप्ति प्रक्रियाओं का अनुपालन करना चाहिए, किर भी किसी वाणिज्यिक विवेकपूर्ण निजी अधिग्रहण में भी प्रतिस्पर्द्धा विकसित होनी चाहिए और परिणामतः अधिक प्रतिस्पर्द्धा मूल्य प्राप्त करने चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया लागत प्रभावी अधिग्रहण कके लिए ऐसे मामले अवगम्य नहीं हैं।

आर.जे.–ओ.एन.–90/1 ब्लॉक (संचालक : केर्यन एनर्जी)

यह ऑनलैण्ड ब्लॉक (मुख्यतः राजस्थान में) पूर्व एन.ई.एल.पी. अन्वेषणात्मक चरण के अंतर्गत 1995 में प्रदान किया गया था, और वर्तमान में केर्यन एनर्जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब इसके पास भारत के सबसे बड़ा ऑनलैण्ड तेल खोज हैं और महत्वपूर्ण गैस खोज भी हैं। कच्चा तेल के उच्च 'बहाद बिन्दु' के कारण गुजरात तट पर रोधन एवं तापन सुविधाओं के साथ 660 किलोमीटर तेल पाइप लाइन की आवश्यकता हो गयी। आर.जे.–ओ.एन.–90/1 ब्लॉक से संबंधित हमारा मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है:

- मूल्यांकन चरण के दौरान/बीच में 13 नई खोज की गई जिनका विकास चरण में पहले ही विकास क्षेत्र के रूप में वर्णन किया गया था। परिणामतः हमारी राय में मूल्यांकन/विकास चरण के दौरान वर्णित खोज/विकास क्षेत्र में नई खोज की घोषणा अन्वेषण गतिविधियों में अनियमित विस्तार को बताती है जो पी.एस.सी. के विनियमों के अनुसार नहीं है। इस से यह भी इंगित होता है कि खोज/विकास क्षेत्र का वर्णन सही रूप से नहीं था और अधिक क्षेत्र को शामिल किया गया।

(पैरा 5.2.3)

- संभावित वाणिज्यिक हित, मूल्यांकन कार्यक्रम, क्षेत्र विकास योजना की प्रस्तुति इत्यादि की अधिसूचना के लिए पी.एस.सी. प्रावधान से संबंधित उल्लंघन के उदाहरण थे।

(पैरा 5.3)

पन्ना—मुक्ता एवं मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र

पन्ना—मुक्ता एवं मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र अपतट बाघे बेसिन क्षेत्र में अपतट छिछली जल क्षेत्र हैं, जिसे ओ.एन.जी.सी. द्वारा आरम्भ में खोज एवं संचालन किया गया था। तदुपरान्त, 1994 में ये ओ.एन.जी.सी. के साथ एक समझौता जे.वी. के अंतर्गत निजी संचालकों के एक संघ को प्रदान किया गया।

जैसा कि पहले इंगित किया गया था, रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पी.एम.टी. जे.वी. के अभिलेखों की हमारी जांच तथा उनपर हमारे निष्कर्ष अधूरे हैं। हमें उपलब्ध किये गये सीमित रिकार्ड पर आधारित हमारे मुख्य निष्कर्ष निम्न हैं :

- गैस के कुआं के पोस्ट वैल हैड लागत के लिए मानदण्ड को अंतिम रूप देने में असफल होने के कारण सरकार को बहुत बड़ी क्षति (रायल्टी के रूप में) हुई, तथा उसके पश्चात गैस वैल हैड मूल्य बढ़ गये। पेस्ट वैल हैड लागत के लिए मानदण्ड की अधिसूचना भी अगस्त 2007 में जारी की गई तथा इसमें महत्वपूर्ण कमियां थीं।
- एम.ओ.पी.एन.जी. ने हमारे सभी विस्तृत प्राकृतिक गैस की वैल हैड लागत से संबंधित निष्कर्षों को स्वीकार किया और उनपर कार्यवाही करने हेतु सहमति जताई।

(पैरा 6.2.2)

- पूर्व निर्धारित गैस मूल्य फार्मूला के सम्बंध में 2005–08 के दौरान एम.ओ.पी.एन.जी. के नियम पालन करने में असफल रहे। पी.एस.सी. फार्मूला का पालन नहीं किया जाना अनुबंध की पुनीतता को बुरी तरह प्रभावित करता है(जिसको सभी पार्टियों द्वारा मेन्टेन किया जाता है) जो सभी अनुबन्धित पार्टियों के लम्बी अवधि परिपेक्ष्य से बहुत ही अवांछित है।

(पैरा 6.3.1)

- पी.एम.टी. जे.वी. ने मुक्ता क्षेत्र के संबंध में मुख्य कार्य की प्रतिबद्धता को पूर्ण नहीं किया, जोकि अविकसित रही (तेल एवं गैस उत्पादन की बहुत कम मात्रा से)। मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्र के संबंध में प्रतिबद्ध कार्य योजना अपूर्ण थी।

(पैरा 6.4.1 एवं 6.5.1)

अनुपालन एवं नियंत्रण मामले

अनुपालन एवं नियंत्रण मामलों में भी हमें कई कमियां मिली तथा एम.ओ.पी.एन.जी./ डी.जी.एच. द्वारा पी.एस.सी. प्रावधान में भी, खासकर इन मामलों में

- अन्वेषण क्षेत्र के रूप में के.जी.—ओ.एस.एन—2001/2 को समस्त ठेका क्षेत्र की अनियमित घोषणा;
- खोज एवं जांच रिपोर्ट की प्रस्तुति की अधिसूचना से संबंधित पी.एस.सी. प्रावधान का अनुपालन न होना;
- मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति/ समीक्षा में देरी;
- व्यक्तिगत ब्लॉक के लिए प्रबंध समिति के कार्य करने में कई कमियां; और
- अनुबंधित क्रमिक रिपोर्ट की समय पर प्रस्तुति में कमियां।

(पैरा 7.2, 7.3, 7.4, 7.7 एवं 7.8)

निष्कर्ष एवं सामान्य सिफारिशें

हमारी लेखापरीक्षा दर्शाती है कि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ हाइड्रोकार्बन ई एण्ड पी के प्रबन्धन में सुधार के लिये महत्वपूर्ण अवसर है।

पी.एस.सी. का ढांचा

पी.एस.सी. भारत सरकार और निजी ठेकदारों के बीच लाभ आंटने के लिये स्केल्ड फार्मूले के आधार पर स्थित है। यह एक क्रिटिकल पैरामीटर – निवेश गुणक (आई.एम.) पर आधारित है जो ई एण्ड पी परियोजना के कैपिटल इन्टेरेस्विव प्रकृति का अति आवश्यक सूचक है अर्थात् आय से सम्बन्धित अन्वेषण एवं विकास गतिविधियों पर कैपेक्स' की राशि है। लाभ की हिस्सेदारी की स्लैबों को इस प्रकार परिकल्पित किया गया है कि 'ज्यादा पूँजी गहन परियोजना (अर्थात् निचली आई एम.) "पैट्रोलियम लाभ" जी.ओ.आई. का कम हिस्सा (जो कम से कम 5 से 10 प्रतिशत हो)। इसके विपरीत, उच्चतर आई एम (अर्थात् आय के विपरीत पूँजी की तीव्रता में कमी), 'पैट्रोलियम लाभ' के लिये भारत सरकार का उच्चतर हिस्सा (जो 85 प्रतिशत ऊँचे हो सके)। तथापि, चलन में, निजी ठेकेदारों के पास पूँजीगत व्यय को कम करने और पूँजीगत व्यय को बढ़ाने का पर्याप्त प्रोत्साहन या फ्रंट एंड "पूँजीगत व्यय" के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है – ताकि नीचे के स्लैबों में आई एम को रोका जाये या उच्चतर स्लैबों के चलन में विलम्ब हो।

आई.एम. के आधार पर लाभ आबंटन फार्मूले का ढांचा (विशेषतः जब जी.ओ.आई का लाभ आबंटन हिस्सा आई.एम. स्लैब 2.5 या अधिक पर 28 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया) ऐसा है कि विशेष दृश्यलेखों में, पूँजीगत व्यय में बढ़त पर एक बिन्दु तक, विचार करने पर, परिणामस्वरूप ठेकेदारों का पैट्रोलियम लाभ का हिस्सा बढ़ गया जबकि कुल पैट्रोलियम लाभ में कमी आने के साथ-2 जी.ओ.आई. को पैट्रोलियम लाभ का हिस्सा घट गया। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत व्यय की पूर्व में लगी लागत (अर्थात् प्राथमिक चरण में अचानक बदलाव आने से) आई.एम. को घटा देती है तथा उच्च आई.एम. स्लैबों की गतिविधि को स्थगित कर देती है, इसके परिणामस्वरूप कैश फ्लो के आधार पर छूट से जी.ओ.आई के हिस्से में कमी आई, चूंकि वे स्लैब जिन में जी.ओ.आई का हिस्सा अधिक या पहले आने की बजाय बाद में आये।

ई एण्ड पी संचालनों का संचालन नियंत्रण अधिकांशतः निजी संचालकों के पास था तथा जी ओ आई की निरीक्षण संबंधी भूमिका, आवश्यक रूप से उसके प्रतिनिधियों हेतु, ब्लाक की प्रबन्धन कमेटी में प्रतिबंधित है (एम.ओ.पी.एन.जी. और / या डी.जी.एच. के माध्यम से) विशेषतः वार्षिक कार्य प्रोग्रामों और बजट एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अनुमोदन में, इसके साथ-साथ पी.एस.सी. में कुछ अनुमोदन कार्य हटा दिये गए।

अशोक चावला कमेटी रिपोर्ट

हम यह समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन पर अशोक चावला कमेटी की रिपोर्ट के निष्कर्ष भी आई.एम. के आधार पर लाभ आबंटन नियम के समान है। इस समिति में एम.ओ.पी.एन.जी. एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित थे अतः यह सुरक्षात्मक तरीके से माना जाता है कि इसके निष्कर्षों पर पूर्णरूप से विचार किया गया था। फिर भी, रिपोर्ट अभी पब्लिक के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने कहा है प्रक्रिया (एक संचालक को) "उसके निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है या पहले से उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा की जा सके कि सरकार का लाभ तेजी से बढ़ाना प्रारंभ करता है जहां पर नहीं पहुंचा है।"

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन-98/3 का उदाहरण देखते हुये कमेटी ने कहा कि "टैक्स पूर्व आई.एम. और ठेकेदार के पैट्रोलियम लाभ हिस्सेदारी के बीच में सम्बन्ध नाटकीय रूप से बदल जाता है। जब पूर्व

टैक्स आदि आई.एम 2.5 को पार करता है, साथ में सरकार का हिस्स 28 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो जाता है। इसको याद रखना फायदेमंद होता है कि यह सूची को संचालक द्वारा बिड़ किया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।"

इसके अतिरिक्त, कमेटी के अनुसार, "कुछ टैक्स पूर्व आई.एम. की उच्च हिस्सेदारी बिड़ को जीतने में मदद करेगी, यह समीक्षा के वित्तीय तरीके पर आश्रित होता है, परन्तु यह चिंता बढ़ता है कि इस प्रकार का मूल परिवर्तन किसी भी संचालक के द्वारा सभी निवेश और सम्भावित योजनाएं लागू करना सुरक्षित करने के लिए प्रदान करेगा ताकि सुनिश्चित हो कि बहुत मजबूत प्रोत्साहन के पूर्व टैक्स आई.एम. 2.5 के अन्दर ही रहे।"

यह रिपोर्ट साफतौर पर पैट्रोलियम लाभ की हिस्सेदारी में आई.एम. के नियम के आधार पर जोखिम, विशेषतः लाभ हिस्सेदारी में एक से दूसरे स्लैब में घटने बढ़ने के साथ इशारा करती है। हमारे विचार में एन.ई.एम.पी-VII से आई.एम. स्लैबों हेतु स्लाइडिंग स्केल में अनुरेखण करना इन जोखिमों को पूरी तरह नहीं बताता।

भ्रम से/ऊँची कीमत की खरीद के निर्णयों पर जी.ओ.आई. प्रतिनिधियों का निरीक्षण/नियंत्रण का दायरा भी बहुत सीमित है (पूर्व योग्यता प्राप्त 'बिड़रों' की सूची को पूर्व सूचना के लिये व्यापक प्रतिबन्धित किया गया) वास्तव में बंगला देश और भारत में पी एस सीज के अन्तर्गत खरीद प्रक्रिया के मिलान में पाया कि ऊँची कीमत की खरीदारियों के लिये प्रबन्धन कमेटी द्वारा बंगला देश पी एस सीस अनुमोदन मांग को छोड़कर (यू.एस. \$ 500,000 से उच्चतर प्रतिरूपित), अन्य शर्तें, समान हैं। तथापि यह शर्त भारतीय पी.एस.सी. से उसके अधिकतर प्रतिरूपों में आश्चर्यजनक रूप से सम्मिलित नहीं है।

हमारी लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी उदभासित है कि, एम.ओ.पी.एन.जी. एवं डी.जी.एच. प्रबंधन कमेटी एवं अन्य के माध्यम से ई एण्ड पी के प्रत्येक स्तर पर, अन्वेषण, विकास या उत्पादन जी.ओ.आई के वित्तीय हितों के, बचाने हेतु पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखाई। विशेष रूप से इस पर भी प्रर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार प्रत्येक प्रस्ताव/निर्णय का भारत सरकार के पैट्रोलियम लाभांश पर सम्भावित प्रभाव होगा। उनकी विफलताओं के अतिरिक्त, अन्य सैकड़ों पी एस सीज को अनुवीक्षण के लिए एम ओ पी एन जी/डी जी एच सहित पर्याप्त कुशल संसाधनों के प्रतिबन्धों को भी साथ ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकते। विपरीत रूप से, यह कल्पनातीत है कि निजी ठेकेदार अपने वित्तीय फायदों को बचाने में विफल होगा, और हर निवेश/परिचालन के प्रस्ताव को आंक कर देखता है कि क्या इससे उसे लागत वसूली और पैट्रोलियम लाभांश के ठेकेदार के हिस्से दोनों के रूप में राजस्व की वृद्धि होगी।

समान निष्कर्ष देते हुये जिन पर कि दो स्वतंत्र एजेन्सियां पहुंची हैं कि जी.ओ.आई. के हिस्से को सुरक्षित करने के लिए लाभ आबंटन क्रिया विधि (आई.एम. से सम्बन्धित) 1990 में बनायी गई, फार्मूला में संशोधन करने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं। पी.एस.सी. जो तब बनायी गई थी, उस समय पर जी.ओ.आई. के पास सीमित विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध थी। वास्तव में घटना घटित होने के बाद अब हमें ज्ञान हो गया है, इस मामले में निर्णय की पी.एस.सी. के लिए जरूरत है।

(पैरा 8.1)

भविष्य में पी.एस.सी. के लिये सिफारिशें

लाभ हिस्सेदारी तंत्र प्रणाली की कथित ताकत ठेकेदार और सरकार के बीच जोखिम बांटना है – यदि लाभ कम या नहीं होते हैं, दोनों पार्टीयों को मुश्किल होती है।

भविष्य की पी.एस.सी. हेतु हमने सिफारिश की है कि लाभ आबंटन फार्मूला के साथ आई.एम. का सम्बन्ध (यद्यपि एन.इ.एल.पी-VII से लीनियर स्लाइडिंग स्केल की प्रस्तावना सम्मिलित है) जी.ओ.आई. द्वारा हटा दिया गया। इसकी बजाय, बिड योग्य लाभ आबंटन प्रतिशतता केवल एक प्रतिशत होनी चाहिए। यह पूँजीगत व्यय की विषम मात्रा एवं समय हेतु प्रोत्साहन को कम कर देगा, परिणामतः पी.पी. में जी.ओ.आई. का हिस्सा बहुत कम होगा। इसके अतिरिक्त नियन्त्रण का थोड़ा सा हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित सीमा से उपर अत्यधिक उच्च मूल्य पर क्रय निर्णय, एम.सी. द्वारा अनुमोदन विशेष रूप से जी.ओ.आई. प्रतिनिधियों के अनुमोदन पर होना चाहिए। बंगला देश में संचालित पी.एस. सी. हेतु ऐसी क्रियाविधि पहले ही विद्यमान है।

(पैरा 8.2)

बिड मूल्यांकन मानक

बिड मूल्यांकन मानक, (बी.ई.सी.) वर्तमान में तकनीकी/वित्तीय योग्यता को महत्व देता है और दो बोली योग्य पैरामीटरों— वचनबद्ध अन्वेषणात्मक कार्य एवं वित्तीय पैकेज (रायल्टी + पैट्रोलियम लाभ का जी ओ आई शेयर)। वित्तीय पैकेज के विषय में, वर्तमान मूल्यांकन मॉडल, में सामान्यतः तेल रिज़र्वों एवं तेल की कीमतों के बहुल परिदृश्य के साथ साथ (प्रतीकात्मक ऊंचा, मध्यम व नीचा) परियोजित प्रोफाइल शामिल है।

विभिन्न बिडर्स के वित्तीय पैकेजों जिनके आधार पर पूर्वानुमान की गणनायें होती हैं, पूरी तरह परिकल्पित हैं। ऊँची गुणवत्ता वाले भूकम्पीय आंकड़ों, के अभाव में अकेली भेदन एवं अन्वेषणों की उपलब्धियां, तेल/गैस भण्डारण एवं उत्पादन प्रोफाइल्स के अनुमान जैसे प्रक्षिप्त पूँजी एवं परिचालन व्यय एवं कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस की कीमतें पूर्णतया अव्यवहारिक है। मूल्यांकन माडल सभी बिडरों पर एक रूप से लागू होता है। तथापि, जब चालू तरीका गुणज बोली के बिन्दुओं की अनुमति देता है (जैसे विभिन्न आई एम स्लैबों के लिये पी पी के विभिन्न जी.ओ.आई. शेयर्स), ये काल्पनिक मान्यताएं न केवल जीतने वाले बोलीदाता के महत्वपूर्ण अन्तर को बना सकती हैं, परन्तु अवास्तविक मान्यताओं को भी आगे बढ़ा सकती है कि पी पी का जी ओ आई का शेयर क्या होगा (उदाहरण के लिये, कब जी ओ आई का पी पी का शेयर उच्चतम आई एम स्लैब पर पहुँचेगा?)

परिणामस्वरूप, हम सिफारिश करते हैं कि बोलीदाताओं को केवल सिंगल पाइन्ट बिड की अनुमति होनी चाहिये, जिसका काल्पनिक मान्यताओं का सहारा लिये बिना सीधे मिलान हो सकता हो।

बोलीयोग्य अन्वेषणात्मक कार्य प्रोग्राम के सम्बन्ध में हम सामान्यतः सिवाय कुंऐ की गहराई के लिये दिये गये प्वाईटों की प्रणाली के, बिड मूल्यांकन प्रक्रिया से सहमत है। जैसा की अध्याय 4 में दर्शाया गया है (के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 के सम्बन्ध में), यह अविश्वसनीय एवं अव्यवहारिक विशुद्ध एवं विश्वसनीय भूकम्पीय आंकड़े के बिना बिड को ऊपर ले जाने के लिये कुंऐ की खुदाई कितनी गहरी होनी चाहिये, और तब सिवाय इसके कि इसमें भौगोलिक उद्देश्य निहित हैं, प्रतिबद्ध गहराई तक कुएं की खुदाई होगी, जबकि इसका मतलब पूँजी को खराब करना ही क्यों न हो।

परिणामस्वरूप, हम सिफारिश करते हैं कि भविष्य में, बिड मूल्यांकन मापदंड पर विचार करते समय, या तो कुएं की गहराई को महत्व न दिया जाए, या विकल्प के रूप में, कुएं की वचनबद्धताओं को दो खण्डों में श्रेणीबद्ध किया जाए निर्धारित गहराई कुओं के उपर और नीचे उदाहरण के लिये 1500 या 2000 मीटर और प्वाइंट उनके अनुसार दिये जायें।

(पैरा 8.3)

एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि वे वैकल्पिक फार्मूलों की खोज कर रहे हैं तथा सी.ए.जी. एवं अशोक चावला कमेटी के सुझावों पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा तथा गुण-दोष आधार पर अन्तिम विचार किया जाएगा।

वर्तमान पी.एस.सी. का प्रबन्धन

हाइड्रोकार्बन खोज के लिये ऊँचे परिदृश्यों के साथ ब्लॉकों का विशाल बहुमत विभिन्न एन ई एल पी. पूर्व/एन ई एल पी चक्रों के माध्यम से पहले ही प्रदान किया जा चुका है, और वर्तमान पी एस सी ढाँचे एवं नियमों के तहत कार्य पूर्ण करने के अतिरिक्त जी ओ आई के पास कोई विकल्प नहीं है।

विकास योजनायें एवं वार्षिक कार्य कार्यक्रम तथा बजट

यह कल्पनातीत है कि एक निजी संचालक/ठेकेदार पी एस सी के अधीन पैट्रोलियम परिचालन में बिना मूल्यांकन किये वृद्धि की शर्तों के साथ-साथ सम्पूर्ण रूप में इस तरह का निवेश जो उस के लिये राजस्व वृद्धि का परिणाम होगा, पैट्रोलियम लाभ का ठेकेदार का शेयर एवं कीमत की वसूली की शर्तों में निवेश करेगा। यह एम ओ पी एन जी एवं डी जी एच के लिये, जी ओ आई के वित्तीय हितों के विषय में, समान रूप के व्यवहार में आवश्यक है। परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं:

- विकास की योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन को केवल “तकनीकी सम्भाव्यता” से विचारणीय नहीं होना चाहिए अर्थात् भण्डारों में से तेल या गैस अच्छी तरह से कैसे निकाली जाये, किन्तु वित्तीय सम्भाव्यता से भी – केवल समग्र रूप से नहीं (अर्थात् परियोजना एन पी वी, वापसी की दरें आदि, क्या हैं) किन्तु विशेषतया जी ओ आई के विचार से (रायल्टी के प्रक्षेपण एवं पैट्रोलियम लाभ का जी ओ आई शेयर क्या हैं? इन राजस्वों में क्या जोखिम हैं। पूँजीगत व्यय भण्डार, भण्डारों की उत्पादकता, कीमतें आदि की बढ़ोतरी/कमियों को जी ओ आई के वित्तीय प्रभाव से कैसे लेंगे?)
- विकास योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन करते समय, डी जी एच एवं एम ओ पी एन जी सहित एम सी पर जी ओ आई के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जी ओ आई प्राप्ति एवं ठेकेदार प्राप्ति के विस्तृत एवं उचित रूप से वैध अनुमानों को इन योजनाओं के अनुमोदन स्तर पर अभिन्न भाग के रूप में लिया गया। जी.ओ.आई. प्राप्ति अर्थात् $\pm 15, 20$ या 25 प्रतिशत जैसा कि एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा समुचित समझा जाये हेतु एक उपयुक्त स्तर निर्धारित किया जा सकता था।
- ऐसी विकास योजनाओं का एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा अनुमोदन स्पष्ट अनुबन्ध पर होना चाहिए कि पूँजी एवं परिचालन व्यय एवं व्यय प्रतिबद्धता, उत्पादन की मात्रायें एवं अन्य घटकों में कोई बदलाव, जिसको गुणात्मक निवेश में घटने का प्रभाव पड़ता है एवं पैट्रोलियम लाभ के अनुबन्धित स्तर से परे जी ओ आई के हिस्से पर पड़ता है। विस्तृत तर्क संगति सहित, एम सी पर जी ओ आई के प्रतिनिधियों की पूर्व अनुमति के लिये अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- वार्षिक कार्य प्रोग्राम एवं बजट अनुमोदित विकास योजनाओं के अनुरूप होने चाहिए। कोई विचलन या परिवर्तन की तुलना में विकास योजना जो आई.एम. को कम करने एवं जी.ओ.आई. के अनुबन्धित स्तर से परे पैट्रोलियम लाभ के हिस्से को प्रभावित करते हों, एम.सी. की पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत करने चाहिए। इसी तरह से अनुमोदित कार्य प्रोग्राम एवं बजट में कोई

महत्वपूर्ण परिवर्तन भी अनुबन्धित स्तर से परे समरूप प्रभाव सहित पूर्वानुमति की शर्त पर होने चाहिए।

- कोई व्यय विकास योजनाओं तथा वार्षिक कार्य प्रोग्रामों एवं बजट के समग्र आधार से भिन्न हो, इसी तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों की शर्तें जो आई.एम. और अनुबन्धित स्तर से परे जी.ओ.आई. के पैट्रोलियम लाभ के हिस्से पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव डालता हो, एम.सी. पर जी.ओ.आई के प्रतिनिधियों की पूर्वानुमति के बिना कीमत वसूली के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाते हैं।

जबकि इन की कुछ सिफारिशें ठेकेदार द्वारा पैट्रोलियम परिचालन में, जैसे परिचालन के लचीलेपन को रोकना, किन्हीं परिस्थितियों के अधीन जी ओ आई के राजस्व हितों के बचाव के समस्त महत्वपूर्ण उद्देश्य को छोड़ा नहीं जा सकता है।

(पैरा 8.4.1)

क्रय गतिविधियाँ

पी एस सी में क्रय के तरीकों से सम्बन्धित प्रावधानों में क्रय प्रक्रियाओं पर जी ओ आई प्रतिनिधियों का पर्याप्त निरीक्षण/नियंत्रण नहीं दिया है। तथापि, दिये गए वर्तमान प्रावधानों से हम जी ओ आई के वित्तीय हित के लिये निम्नलिखित मापदण्डों की सिफारिश करते हैं:

- प्रभावशाली क्रय का उद्देश्य प्रभावी प्रतियोगिता के माध्यम से कीमतों को अनुकूलतम, निम्नतम आवश्यक नहीं, परिस्थिति में सुनिश्चित करना है। 'प्रतिक्रियात्मक' वित्तीय बोलियों की पर्याप्त संख्या प्रतीकात्मक तीन या अधिक प्रतिष्ठित विक्रेताओं से जो देय प्रक्रिया कर अनुसरण करने के बाद पूर्व-योग्य धोषित है, प्राप्त की जाती हैं, एवं विचारणीय हैं (यानि वापिस नहीं ली, जिसको तकनीकी एवं अन्य कारणों से अयोग्य, विचलन/गैर-उत्तरकारिता या अन्यथा विचार न किया गया है।), पर्याप्त प्रतियोगिता रूपी तनाव, ऊँची अनुकूलतम कीमतों पर प्रभावी क्रय की सम्भावना उत्पन्न करता है।
- तथापि, जब एकल प्रतिक्रियात्मक वित्तीय बोलियों के आधार पर ऊँची कीमत के ठेके दिये जाते हैं, हमारे विचार में, ये बिना प्रतियोगिता के दिये जाते हैं, प्रभावी रूप से नामांकन आधारित इस तरह के सभी मामलों में कार्य आदेश हेतु एम सी की पूर्व अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। आकस्मिक क्रय के लिये कार्योत्तर अनुमति के फैसलों पर समुचित औचित्य सहित विचार किया जाये। उसी प्रकार की व्यवस्था में, पोस्ट-प्राइसड बिड को बदलाव के क्षेत्र में, मात्रा में, कार्य, कीमतों, शर्तों आदि पर सभी क्रय निर्णय लागू होंगे।
- विस्तारों की पुनरावृति की प्रथा भी, वर्तमान में, उत्तरवर्ती महत्वपूर्ण परिवर्तन, विद्यमान ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में पी एस सी की वर्तमान क्रय व्यवस्थाओं में भी नहीं है, जिसको विस्तारण में नहीं दर्शाया जाता। ऊँचे मूल्य के ठेकेदारों के लिये अनुबन्धित विस्तारण से परे विस्तारण या क्षेत्र परिवर्तन, आकस्मिक मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन की व्यवस्थाओं सहित, एमसी की पूर्व अनुमोदन भी होना चाहिये।

(पैरा 8.4.2)

क्षेत्र का त्याग, और खोज का वर्णन एवं विकास क्षेत्र

पी एस सी की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना परिकल्पित है कि निजी ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के अन्दर ठेका क्षेत्र का सम्पूर्ण अन्वेषण करें, छूटे क्षेत्र जहां हाइड्रोकार्बन का भविष्य चरणबद्ध तरीके में खराब प्रतीत होता है सिर्फ उस क्षेत्र सुरक्षित रखा जाता है जहां हाईड्रोकार्बन खोजें हुई हैं। पुनः आबंटन के लिये छूटे क्षेत्र को प्रतियोगात्मक बिड प्रक्रिया द्वारा—अन्य सम्भावित बोलीदाताओं, जो हाइड्रोकार्बन की अग्रदर्शिता के अन्तर्गत (या तो तकनीकी और अन्य योग्यताओं या उनके जो रिस्क की प्रवृत्ति की शर्तों में) की शर्तों में कन्ट्रैक्ट होल्डरों से आशायें/दृष्टिकोण रखते हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया हो। इसलिये, हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं:

पी.एस.सी. में अनुबद्ध समय सीमा तथा सविंदा क्षेत्र के त्याग के लिए प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में ढील नहीं देना चाहिए और इन व्यवस्थाओं के साथ अनुपालन निरपवाद रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए।

आगे, भंडारण सीमाओं के उचित वर्णन, तथा अन्वेषी तथा मूल्यांकन कूपों की ड्रिलिंग घरा खोजों के अनुसार, खोज एवं विकास क्षेत्र का कड़ाई से पालन किये जाने चाहिए। ठेकेदारों द्वारा हाइड्रोकार्बन खोजों का प्रत्यास्थ (और गलत व्याख्या) द्वारा अत्याधिक विस्तृत खोज/विकास क्षेत्रों के वर्णन के प्रयासों का पुरजोर खण्डन होना चाहिए।

(पैरा 8.4.3)

अन्य पी एस सी प्रावधानों सहित अनुपालन

पी एस सी एक संविदात्मक प्रलेख है, प्रत्येक संविदात्मक शर्त का अनुपालन अत्याधिक महत्व रखती है। 'बृहत' और 'लघु' शर्तों के बीच अन्तर करना, और तथाकथित 'लघु' पी एस सी शर्त सहित अनुपालन के अनुवीक्षण की उपेक्षा करना अनुपयुक्त होगा।

हम सिफारिश करते हैं कि डी जी एच और जहां आवश्यक है एम ओ पी एन जी को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिये कि पी एस सी की सभी व्यवस्थाओं के साथ उपयुक्त प्रलेखित और एक समयबद्ध आधार पर पूर्णरूप से अनुपालन किया जानी चाहिए, और पी एस सी व्यवस्थाओं सहित अनुपालन न करने के लिये संचालकों के विरुद्ध पुनः समयबद्ध एवं समरूपता के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रयोजन के लिये, कुशल संसाधनों की पर्याप्त मात्रा के संबंध में डी जी एच आधारित संसाधन की मजबूती आवश्यक की जानी चाहिए।

डी जी एच को विकास के लिये एक व्यापक पी एस सी अनुवीक्षण तरीके पर भी विचार करना चाहिये, जो किसी ब्लाक/संविदा एक नज़र में पी एस सी प्रावधानों सहित अनुपालन के विवरणों को न केवल उपलब्ध करायेगा, बल्कि वेब और/या ई-मेल के माध्यम से रिटर्नस/प्रलेखों/सूचना, इलेक्ट्रैनिक रूप से फाइल करने के लिए संचालकों को योग्य करेगा। एक ऐसी आई.टी. पद्धति को विकसित करने (अनुरक्षण करने) की लागत जी.ओ.आई. के कुल पैट्रोलियम लाभ राजस्व, इसके साथ-साथ अधिक प्रभावी एवं सामयिक अनुवीक्षण के अनुपालन से सम्भावित प्राप्तियों (यद्यपि सही रूप से गणना योग्य नहीं है) की तुलना में कम होगा।

(पैरा 8.4.4)

डी.जी.एच. की भूमिका

हमारे विचार में, डी.जी.एच. की भूमिका एवं कार्य में सम्भावित विरोध सहित कार्यों के दो समूहों – एक ऊपरी नियामक कार्य एवं एक जी.ओ.आई. को तकनीकी सलाह देना सम्मिलित है। जबकि 1993 में (जब डी.जी.एच. बना) अनेक अर्थिक क्षेत्रों में नियामकों की भूमिका एवं स्थिति में पर्याप्त स्पष्टीकरण का अभाव था, क्षेत्रीय नियामकों की स्पष्ट स्वायतता (कार्यपालिका से) हेतु आवश्यकता अब अच्छी तरह से पहचान ली गई है।

परिणामतः, हम सिफारिश करते हैं कि डी.जी.एच. द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले कार्य स्पष्टरूप से चिन्हित होने चाहिए। तकनीकी सलाह एवं सम्बन्धित कार्य एम.ओ.पी.एन.जी. के पूर्णतः आधीन एक निकाय (एक सैल/सम्बंध कार्यालय/एम.ओ.पी.ए.जी. के अधीन अधीनस्थ कार्यालय या एम.ओ.पी.एन.जी. के अन्तर्गत एक अलग इकाई) के द्वारा किया जाना चाहिए। नियामक प्रकृति के कार्य (हाइड्रोकार्बन भण्डारों की समीक्षा एवं भण्डार प्रबन्धन, खोजों की घोषणा हेतु नियमों का बनाना, सुरक्षा एवं सम्बन्धित नियम बनाना तथा सुरक्षा निरीक्षण/लेखापरीक्षा करना आदि) जी.ओ.आई. के साथ हाथ से हाथ मिलाकर एक स्वायत निकाय द्वारा किये जाने चाहिए।

(पैरा 7.1)

एम.ओ.पी.एन.जी. ने आश्वासन दिया कि सी.ए.जी. द्वारा दिये गए निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही हेतु विचार किया जाएगा।

अध्याय—1 हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन संविदा— एक परिचय

1.1 पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एण्ड पी)

1.1.1 पृष्ठभूमि

हाइड्रोकार्बन तरल अवस्था में (अर्थात् कच्चा तेल) के साथ—साथ गैसीय अवस्था में (अर्थात् प्राकृतिक गैस) पैट्रोलियम मेंसमिलित होते हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में मुख्यतः या तो कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस शामिल है, इन क्षेत्रों में एसोसिएटेड प्राकृतिक गैस (कच्चे तेल के सघं उत्पादित प्राकृतिक गैस) के साथ—साथ कन्डेनसट (प्राकृतिक गैस से पृथक की गई तरल हाइड्रोकार्बन).

पैट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी) प्रचालन जिसे अपस्ट्रीम आप्रेशन¹ भी कहा जाता है, को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सकता है:—



1.1.2 पैट्रोलियम अन्वेषण

पैट्रोलियम की निकासी की प्रक्रिया का पहला चरण अन्वेषण है—पृथ्वी की सतह के नीचे तेल और गैस भंडार के लिए खोज। ऐसे भंडार (ऑनशोर) अथवा अपतट (ऑफशोर) हो सकते हैं। अन्वेषण के कई उप—चरण होते हैं।

¹डाउन स्ट्रीम प्रचालन में^a कच्चे तेल का परिष्करण और पैट्रोलियम और गैस के उत्पाद का विपणन शामिल है। मिड—स्ट्रीम प्रचालन (जो प्रायः डाउन स्ट्रीम प्रचालन के तहत शामिल है) में भंडारण, परिवहन और संचालन शामिल है।

चित्र 1.1 पैट्रोलियम अन्वेषण के चरण

प्रारंभिक सर्वेक्षण

- उन क्षेत्रों जहाँ हाइड्रोकार्बन होने की संभावना होती है, का हवाई, भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, स्थलाकृतिक और अन्य सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि उप सतह भूविज्ञान की बड़े पैमाने की विशेषताओं का पता लगाया जा सके।

भूकंपीय सर्वेक्षण

- संभाव्य क्षेत्रों की सूची सीमित करने के बाद विस्तृत भूकंपीय सर्वेक्षणों द्वारा उन संरचनाओं की पहचान की जाती है जहाँ पैट्रोलियम भंडारों की प्रबल संभावनायें हैं। यह परिलक्षित ध्वनि तंरगों की यात्रा का समय विभिन्न संघनताओं वाले (पत्थर) तत्वों के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा गहराई रूपांतर की प्रक्रिया का उपयोग करके आधारभूत संरचना की रूपरेखा तैयार की जाती है।
- आमतौर पर, भूकंपीय सर्वेक्षण में भूकम्पीय आंकड़ों का अधिग्रहण, आंकड़ों का कंप्यूटर आधारित प्रसंस्करण (मौजूदा आंकड़ों के सहित पुनः प्रक्रिया) और भूवैज्ञानिकों द्वारा इसकी व्याख्या शामिल है, जिससे उच्च संभावना के साथ तेल-भंडार (ए.पी.आई प्रक्रिया) की संरचना की पहचान की जाती है। भूकंपीय सर्वेक्षण विभिन्न प्रकार के हैं—दो आयामी (2डी), तीन आयामी (3डी) मानक/उच्च रिजोल्यूशन, 4डी/4सी आदि।

अन्वेषणपरक वैल

- एक खोज के पहचान और मूल्यांकन तथा तेल कंपनियों के चयन मानदंड से गुजरने के बाद, एक अन्वेषण तेल कुंआ की खुदाई की जाती है ताकि तेल व गैस की उपस्थिति या अनुपस्थिति निश्चयात्मक रूप से निर्धारित की जा सके।
- कुंआ सुखा भी हो सकता है, या इसके बदले हाइड्रोकार्बन (तेल और/या गैस) मिल सकते हैं और खोज क्षेत्र चिह्नित किया जाता है।

अन्वेषणपरक मूल्यांकन वैल

- एक बार जब अन्वेषणपरक वैल में तेल/गैस वाणिज्यिक स्थीकार्य मात्रा में मिल जाता है, तब इस वैल के चारों ओर रिजर्वायर मूल्यांकन वैल की खुदाई इस रिजर्वायर (मोटाई और पार्श्व हद) की रूप-रेखा और विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए की जाती है, ताकि प्राप्त किए जाने वाले तेल/गैस भंडार का एक अपेक्षाकृत सटीक अनुमान लगाया जा सके।

वाणिज्यिक खोज

- अगर हाइड्रोकार्बन की खोज वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य मात्रा में मानी जाती है, तो एक 'वाणिज्यिक खोज' (संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार) की धोषणा की जाती है और वाणिज्यिक खोज क्षेत्र चिह्नित किया जाता है।

1.1.3 विकास प्रचालन

संभावित दोहन के अगले चरण में उन क्षेत्रों का विकास किया जाता है, जहाँ हाइड्रोकार्बन की वाणिज्यिक खोज की गई है। इंजीनियरिंग, आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम की सबसे कुशल, लाभकारी और समय पर निकासी सुनिश्चित करने के लिए, सर्वप्रथम क्षेत्र विकास योजना बनाई जाती है।

अन्य पहलुओं के अतिरिक्त, विकास में निम्नलिखित पहलु शामिल होंगे,

- उत्पादन कुंआ की खुदाई (कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लिए);
- इंजेक्शन कुंआ की खुदाई (हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बनाए रखने के लिए या उत्पादन में तेजी लाने के लिए, जल या गैस प्रक्षेपित किए जाने के लिए);
- अपतटीय तेल और गैस उत्पादन संभालने के लिए अपतटीय प्लेटफार्मों और यंत्रों आदि की संस्थापना; और
- संग्रहण लाईन को बिछाना और सेपरेटर, टैकेज, पंप्स, कृत्रिम लिफ्ट की सुविधा की संस्थापना करना जिनकी जरूरत पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण, संचय और परिवहन के लिए है।

1.1.4 उत्पादन प्रचालन

उत्पादन प्रचालन विकसित क्षेत्र से उत्पादन आरंभ होने के बाद के प्रचालनों को शामिल करते हैं। इसमें आमतौर पर दूसरों के अलावा, निम्नलिखित शामिल है

- संचालन और मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव;
- वर्कओवर्स;
- कुंओं को बन्द करना और परित्याग करना;
- तेल रिकवरी में सुधार; तथा
- स्थान बहाली (पेट्रोलियम प्रचालनों की समाप्ति के बाद) आदि

1.2 भारत में पेट्रोलियम ई एण्ड पी में निजी क्षेत्र की भागीदारी

भारत में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन (ई.एंड पी.) के कारोबार में विदेशी और घरेलू निजी क्षेत्र की कम्पनियों को शामिल करने का प्रयास 1973 में ही शुरू हुआ तथा इसके बाद 1980 और 1986 के बीच बोली के तीन दौर आए जिसमें कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

1991 में, भारत सरकार ने विदेशी और घरेलू निजी क्षेत्र की कम्पनियों को खोजे जा चुके तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में और कुछ मामलों में राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एन.ओ.सी.) तेल और प्रकृतिक गैस निगम लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल) द्वारा आंशिक रूप से विकसित फील्ड में, भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 1993 में, सरकार ने अन्वेषणपरक ब्लॉकों के लिए वर्ष-दौर बोली की नीति की शुरूआत की। सब मिलाकर, कुल नौ दौर आयोजित किए गये।

- मध्यम आकार के खोजे जा चुके/उत्पादक क्षेत्रों के लिए एक दौर (1992);
- छोटे आकार के खोजे जा चुके क्षेत्रों के लिए दो दौर (1991 और 1993); और

- पूर्व (एन.ई.एल.पी.) अन्वेषणपरक ब्लॉकों के लिए छह दौर (1993 से 1995)²

1.3 नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.)

1997 में, सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी) की धोषणा की जिसके तहत एन.ओ.सी को ई एण्ड पी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ बोली प्रक्रिया पद्धति की बजाय नामांकन के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होती है। (एन.ई.एल.पी.) की मुख्य विशेषताएं जो 1999 में घोषित की गई थी का सारांश नीचे हैं:

| विशेषता | संक्षिप्त वर्णन |
|--|--|
| राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एन.ओ.सीज) के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं | एन.ओ.सी. को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नामांकन के आधार पर। निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी, एन.ओ.सीज द्वारा राज्य की भागीदारी अनिवार्य नहीं थी और ना ही राज्य का कोई 'कैरिड हित' ³ होगी। |
| अन्वेषण क्षेत्र की खुली उपलब्धता | अन्वेषण क्षेत्र की खुली उपलब्धता होगी, जिसका सीमांकन एक ग्रिड प्रणाली पर होगा जिससे सभी कम्पनियों ⁴ के लिए निरंतर अवसरों की सुविधा होगी। |
| पेट्रोलियम लाभ की शेयरिंग | पाई गई निवेश गुणज पर सरकार का हिस्सा पूर्व—कर पेट्रोलियम लाभ की शेयरिंग पर आधारित होगा। ठेकेदारों को पूरी लागत बसूली की अनुमति दी जाएगी। |
| विपणन स्वतंत्रता | ठेकेदारों को धरेलू बाजार में तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्रता होगी। |
| रॉयल्टी दरें | रॉयल्टी दरों को कच्चे तेल के लिए अभितटीय क्षेत्रों में 12.5 फीसदी के वैलहेड मूल्य और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 फीसदी तय किया गया, जबकि प्राकृतिक गैस के लिए 10 फीसदी की दर तय की गई थी। इसके अलावा, गहरे पानी और सीमांत क्षेत्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए, अपतटीय गहरे परनी के क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के बाद पहले 7 वर्षों के लिए रॉयल्टी को 50 फीसदी तक घटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सिग्नेचर, अन्वेषण या उत्पादन बोनस के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा, न ही कच्चे तेल पर कोई उपकर लगाया जाना होगा। |
| कर अवकाश | वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के सात साल तक कर अवकाश होगा और पेट्रोलियम संचालन के लिए आयातित माल के लिए आयात शुल्क में छूट होगी। |
| सचिवों की सशक्ति | सचिवों की एक सशक्त समिति जिसमें सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी., वित्त सचिव व कानून सचिव शामिल हैं, जहाँ आवश्यक हो बोली मूल्यांकन मानदण्डों पर |

²आम भाषा में, शब्द 'पूर्व नेत्य' का प्रयोग पूर्व नेत्य अन्वेषणपरक ब्लॉकों के दौर के लिए किया गया है।

³कैरिड हित: एक समझौता जिसमें एक पक्ष (आमतौर पर निजी साथी) अन्य पक्ष (आमतौर पर एन.ओ.सी.) के पूर्व उत्पादन लागत के एक हिस्से के लिए भुगतान करता है।

⁴ यह अभी शुरू नहीं हुआ है और खुली उपलब्धता आधार की तुलना में एक्रेज की अभी भी नीलामी की जा रही है।

| विशेषता | संक्षिप्त वर्णन |
|---------------|--|
| समिति (ईसीएस) | विचार करेगी, बोलीदाता के साथ मोलभाव करेगी और ब्लाकों को सौंपने के लिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) सिफारिशें देंगी। |

1.4 कानूनी रूपरेखा

तेल-क्षेत्रों (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 के तहत तेल क्षेत्रों का नियंत्रण और खनिज तेल-पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों का विकास मिलता है। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (पी.एन.जी नियम), जो तेल-क्षेत्रों (विनियम और विकास) अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए लाइसेंसों अन्वेषण और खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करता है। इन नियमों के तहत भारत सरकार के पास अपतटीय क्षेत्रों के लिए अन्वेषण लाइसेंस/खनन पट्टों के अनुदान का अधिकार है। जबकि राज्य सरकारों को भूमि क्षेत्रों के लिए ऐसा करने का अधिकार है।

पी.एन.जी नियमों का 5(2) नियम भारत सरकार को विशेष रूप से 'अतिरिक्त नियम प्रतिज्ञापन और शर्तों को समझौते में जो कि केन्द्र सरकार और लाइसेंसधारी या पट्टेदार के बीच होता' राज्य सरकार के परामर्श के बाद शामिल करने का अधिकार देता है, (जहाँ भूमि क्षेत्र शामिल है)। उत्पादन शेयरिंग संविदाओं (पी.एस.सी) पर भारत सरकार और ठेकेदारों के बीच हस्ताक्षर इसी नियम के तहत होते हैं।

1.5 संगठनात्मक संरचना

(विनियमन और विकास) की धारा 1948 के तहत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के साथ-साथ तेल क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी पैट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय में शामिल है। एम.ओ.पी.एन.जी की सहायता हाइड्रोकार्बन महनिदेशालय (डी.जी.एच.) द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1993 में पर्यावरण, सुरक्षा, तकनीकी व पैट्रोलियन गतिविधियों व आर्थिक पहलुओं के संतुलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के संसोधनों के मजबूत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

1.6 उत्पादन शेयरिंग संविदाओं को प्रदान करना (प्री-नेल्प/नेल्प)

विभिन्न राजकोषीय शासन के तहत प्रदान किए गए/हस्ताक्षर किए गए पी.एस.सी. की स्थिति निम्नानुसार है:

- अन्वेषित/उत्पादित क्षेत्र दौरे—29
- प्री'नेल्प अन्वेषण दौरे—28; और
- नेल्प दौरे (I to VIII)—235

विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.1 नेत्य से पहले ब्लॉकों को सौंपना

| दौरे | प्रस्ताव का वर्ष | क्षेत्रों/ब्लॉकों का प्रदान | अपतटीय ब्लॉकों का प्रदान | अभिटटीय ब्लॉकों का प्रदान | ब्लॉकों छोड़ना/परित्याग | ब्लॉकों का खनन पट्टों में परिवर्तन |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| अन्वेषित/उत्पादित क्षेत्र | 1991 से 1993 | 29 | 6 | 23 | 1 | एन/ए |
| 6 प्री-नेत्य अन्वेषण दौरे | 1993 से 1995 | 28 | 11 | 17 | 10 | 1 |

तालिका 1.2 -नेत्य के अन्तर्गत ब्लॉक सौंपना

| दौरे | प्रस्ताव का वर्ष | ब्लॉकों प्रदान का | प्रदान किए गए अपतटीय ब्लॉकों की संख्या | | अभिटटीय ब्लॉकों | ब्लॉकों छोड़ना/परित्याग का | खोजे |
|------------------------|------------------|-------------------|--|-----------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | गहरे पानी | उथले पानी | | | |
| पहला दौर | 1999 | 24 | 7 | 16 | 1 | 12 | 39 |
| दूसरा दौर | 2000 | 23 | 8 | 8 | 7 | 17 | 7 |
| तीसरा दौर | 2002 | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 15 |
| चौथा दौर | 2003 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| पाचवाँ दौर | 2005 | 20 | 6 | 2 | 12 | | 12 |
| छठा दौर | 2006 | 52 | 21 | 6 | 25 | | 2 |
| सातवाँ दौर | 2007 | 41 | 11 | 7 | 23 | | |
| आठवाँ दौर ^५ | 2009 | 32 | 8 | 11 | 13 | | |
| कुल | | 235 | 80 | 56 | 99 | 31 | 86 |

1.7 नेत्य के अन्तर्गत बोली का मूल्यांकन और आबंटन—एक अवलोकन

1.7.1 प्रक्रिया

नेत्य दौर के अंतर्गत अनुबंधों को प्रदान करने की प्रक्रिया मौटे तौर पर इस प्रकार है:

- डेटा पैकेज^६ और बेसिन जानकारी डॉकेट^७ की तैयारी;
- नेत्य दौर के प्रचार के लिए रोड शो;
- बोली दस्तावेज का प्रकाशन(जिसमें नोटिस आमंत्रण की पेशकश, बोली प्रारूप, मॉडल उत्पादन शेयरिंग संविदा (एम.पी.एस.सी), पैट्रोलियम टैक्स गाइड, साइट बहाली निधि योजना, सूचना डॉकेट के लिए मूल्य सूची, डेटा संकुल आदि शामिल है)
- ठेकेदार द्वारा बोली दस्तावेज और डेटा संकुल/बेसिन जानकारी डॉकेट का खरीद।
- बोलियों का प्रस्तुतीकरण, इसका मूल्यांकन, तथा ब्लॉक का आबंटन; और
- उत्पादन आबंटन अनुबंधों पर हस्ताक्षर (पी.एस.सी.)

^५नवे नेत्य दौर (2010 अक्टूबर में शुरू) के अंतर्गत, भारत सरकार ने 34 अन्वेषणपरक ब्लॉकों की पेशकश की (19 जमीनी, 8 गहरे पानी और 7 कम गहरे पानी) नेत्य दौर, जिसके लिए 28 मार्च 2011 तक बोलियों प्रस्तुती बंद हुई, जिसमें 34 ब्लॉकों में से 33 ब्लॉकों के लिए, जो प्रस्तावित थे कुल 74 बोलियाँ आईं।

^६डेटा संकुल में प्रत्येक ब्लॉक के लिए भूकम्पीय डेटा, नेविगेशन डेटा, प्रासांगिक नवरो, वेल अपिलेक्ष डेटा शामिल है।

^७बेसिक जानकारी डॉकेट एक पूरे बेसिन के लिए और डेटा संकुल की तुलना में कम विस्तृत होता है। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय भूविज्ञान, अन्वेषण गतिविधियों की स्थिति, संभावित हाइड्रोकार्बन और ब्लॉकों का संक्षिप्त लेखन शामिल होता है।

1.7.2 बोली मूल्यांकन मापदंड (बी. ई. सी.)

तकनीकी और वित्तीय क्षमता, प्रस्तावित अन्वेषणपरक कार्यक्रम, और राजकोषीय पैकेज की पेशकश के भारिता के आधार पर। बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है।

| क्षेत्र | बोली लगाने योग्य आवक |
|----------------------|--|
| तकनीकी क्षमता | <ul style="list-style-type: none"> कंपनियों/संयुक्त उद्यम के उत्पादन, तेल और गैस भड़ांर तथा क्षेत्र धारिता कंपनियों/संयुक्त उद्यम का तेल और गैस ईएण्डपी का प्रचालन का अनुभव |
| वित्तीय क्षमता | <ul style="list-style-type: none"> निवल मूल्य (नेटवर्थ) ऋण इक्विटी अनुपात पिछले तीन साल के लिए कर से पहले औसत लाभ |
| अन्वेषणपरक कार्यक्रम | <p>प्रत्येक अन्वेषणपरक चरण के लिए पृथकः</p> <ul style="list-style-type: none"> नई भूकंपीय डेटा की ए.पी.आई (2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण की लाइन किलोमीटर और / या 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के वर्ग किमी निर्दिष्ट); मौजूदा भूकंपीय डेटा का पुनःप्रसंस्करण; बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी मूल्यांकन; और अन्वेषणपरक खुदाई – अन्वेषणपरक कुएं (न्यूनतम धोषित उद्देश्य गहराई के साथ) |
| वित्तीय पैकेज | <ul style="list-style-type: none"> लागत वसूली के लिए आबंटित वार्षिक उत्पादन का प्रतिशत निवेश के पूर्व-कर गुणकों के निवेश निष्कर्ष के विभिन्न स्तरों पर पेट्रोलियम लाभ में ठेकेदार का हिस्सा। (रॉयल्टी प्राप्त भी सरकारी एन.पी.वी की गणना के लिए लिया जाता है) |

सटीक मापदंड और भारिता (प्रतिशत के संदर्भ में) नेल्प के विभिन्न दौर के बीच विविध है, जैसा कि नीचे संक्षेपित है।

तालिका 1.3 विविध नेल्प चरणों के बोली मूल्यांकन मापदण्ड की भारिताएँ

| मानक | I, II & III | IV और V | | VI | | VII | | VIII | | |
|--------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|--------------------|----|
| | | जमीन पर, उथले | गहरे पानी | जमीन पर, उथले | गहरे पानी | जमीन पर, उथले | गहरे पानी | जमीन पर | अन्य जमीन पर, उथले | |
| तकनीकी | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 |

| क्षमता | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| वित्तीय क्षमता | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| कार्य कार्यक्रम | 60 | 60 | 55 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 15 | 25 | 50 | 50 | 25 | |
| राजकोषीय पैकेज | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 55 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| कुल | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

योग्यता मापदंड में तकनीकी क्षमता⁸ के अन्तर्गत गैर शून्य स्कोर न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता का पुष्टिकरण; और चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाण पत्र कि अन्वेषण चरण के लिए निवल मूल्य एम.डब्ल्यू.पी. के बराबर या ज्यादा था, शामिल था।

राजकोषीय पैकेज के संबंध में निम्न मध्यम और उच्च भंडार के आकार और तेल/गैस की कीमतों के साथ नौ परिदृश्य, परिकल्पित थे। प्रत्येक नौ परिदृश्यों में, 10 प्रतिशत की छूट की दर का उपयोग करके, सरकारी एन.पी.वी. (नेट प्रैजेंट वैल्यू) से परियोजना के एन.पी.वी अनुपात की गणना की गई थी तथा बोलीदाता द्वारा अतिंम प्रस्तावित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक भारित औसत की गणना की गई थी। उच्चतम सरकारी एन.पी.वी. पेशकश करने वाले बोलीदाता को उच्चतम अंक दिये गये तथा अन्य बोलीदाताओं को अनुपातिक अंक प्राप्त हुए।

जैसाकि देखा गया है, बोली मानदंडों के हिस्से के रूप में अन्वेषण कार्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है ताकि नये राष्ट्रीय तेल और गैस संसाधानों की खोज के लिए बेहतर संभावनाओं के साथ आक्रमक अन्वेषण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा सके।

अन्वेषण कार्यक्रम, जिसमें भूकंपीय सर्वेक्षण के साथ अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग भी शामिल है को चरणबद्ध तरीके से स्पष्ट रूप से परिभाषित समय में करना होता है और इसी तरह अनुबंध क्षेत्र के कुछ भागों को चरणबद्ध तरीके से छोड़ना पड़ता है। अन्वेषण अवधि के अंत में, पूरा क्षेत्र (क्षेत्र जहां तेल और गैस की खोज की गई है या जहां विकसित किया जा रहा है, को छोड़कर) सरकार को लौटा देना चाहिए जो, इसे बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्य पर्टीयों को पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रमाणित तौर पर, यह विचार अन्वेषण स्केज के संचय/होर्डिंग को रोकने के लिए प्रस्तुत किया गया है।


⁸ जिसमें एक्रेज होलिंग प्रचालन अनुभव, प्रमाणित + संभावित (2 पी) रिजर्व की और औसत वार्षिक वृद्धि औसत वार्षिक उत्पादन शामिल है।

अध्याय 2—हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन अनुबंधो के लिए राजकोषीय और अनुबंध शासन प्रणाली

2.1 भारत सरकार की गैर-कर आय

पिछले 6 वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष 0802—पेट्रोलियम के तहत गैर-कर आय का विवरण नीचे दिखाया गया हैः—

चार्ट 2.1 भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राप्तियां



स्रोत : वित्त लेखों के आंकड़े 2005–06 से 2009–10 और पी.एन.जी. मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंकड़े 2010–11

2.2 पी.एस.सी के अतर्गत पेट्रोलियम लागत और पेट्रोलियम लाभ

पी.एस.सी की मुख्य विशेषता है कि ठेकेदार लाभ, की प्रतिशतता, जो भारत सरकार हाइड्रोकार्बन ब्लॉक से प्राप्त करती है, पर निविदा करते हैं। ठेकेदार आरंभिक अन्वेषण रिस्क का उत्तरदायित्व लेता है। यदि हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता है, या मात्रा कम होती है, तो किए गए खर्चों की वसूली के लिए जनित आय पर्याप्त नहीं हो सकता है, यह रिस्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाता है

एन.ई.एल.पी राजकोषीय शासन प्रणाली के अतर्गत तीन मुख्य मुद्दे हैं— लागत वसूली, पेट्रोलियम लाभ और इनवेस्टमेंट मल्टीपल, जिनका विवरण नीचे दिया गया है—

लागत वसूली

ठेकेदार लागत वसूली कारक पर निविदा करता है— अर्थात् आय का प्रतिशत जिसको वह एक वर्ष में, अन्वेषण, विकास और उत्पादन लागत की वसूली के लिए, लेने का हकदार है। यह प्रतिशतता 100 प्रतिशत तक हो सकती है। यदि ठेकेदार ज्यादा लागत वसूली कारक का निविदा करता है तो लागत की वसूली जल्दी हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में, निविदा मूल्यांकन में, उसका राजकोषीय पैकेज अपेक्षाकृत अनाकर्षक होता वार्षिक आय से वसूली लायक लागत की राशि को पेट्रोलियम लागत कहा गया है।

पेट्रोलियम लाभ

वसूली योग्य लागत (पेट्रोलियम लागत) को आय से घटाने के बाद, बचे हुए पेट्रोलियम लाभ को सरकार और ठेकेदार के बीच में बॉटा जाता है। पहले वर्ष का पेट्रोलियम लाभ का सहभाजन, जोकि प्रीटेक्स इनवेस्टमेंट मल्टीपल (आई.एम) से सम्बद्ध है, एक निविदा योग्य पैरामीटर है, और इसका मूल्यांकन राजकोषीय पैकेज के अंग के रूप में होता है।

इनवेस्टमेंट मल्टीपल

प्री टैक्स इनवेस्टमेंट मल्टीपल संचयी निवल नकद आय⁹ और संचयी अन्वेषण और विकास लागत का अनुपात है। आई.एम.एल जितना कम होगा, परियोजना उतना ज्यादा कैपिटल-इनटेंसिव होगा। उनके निविदा के अंग के रूप में, ठेकेदारों को भारत सरकार के भाग का, विभिन्न आई.एम स्लैब उदाहरण के लिए 1.5 से कम, 1.5 से 2.0 से कम इत्यादि, पर विशेष विवरण देना होता है। सामान्यतः ठेकेदार कम आई.एम स्लैब के लिए भारत सरकार के कम हिस्सेदारी का निविदा करते हैं और आई.एम 3.5 और अधिक (अर्थात् जहाँ निवल नकद आय, पूँजीगत व्यय की तुलना में अधिकतम है) के लिए अधिकतम भारत सरकार की हिस्सेदारी। इसी तरह, चूंकि प्रारम्भिक वर्षों में पूँजीगत व्यय सामान्यता ज्यादा होगा और समय के साथ कम होता जाएगा, आई.एम समय के साथ वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ते जाना सम्भावित है।

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रीटैक्स आई.एम (एन.इ.एल.पी के अंतर्गत) के बदले अन्वेषित फील्ड के लिए पहले वाले राजकोषीय शासन प्रणाली या प्री-एन.इ.एल.पी अन्वेषण फील्ड पोस्टटैक्स आई.एम या पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिट्टन (पी.टी.आर.आर) शामिल था।

2.3 अन्य प्राप्तियाँ

रॉयल्टी/डेड रेंट

रॉयल्टी ठेकेदार/अनुज्ञापितारी¹⁰द्वारा देय है या तो निश्चित दर पर (अन्वेषित फील्ड/प्री एन.इ.एल.पी अन्वेषणात्मक ब्लॉक से उत्पादित तेल के लिए) या उत्पादित तेल/गैस के 'वैलहेड' मूल्य के प्रतिशत के रूप में। अपतट (आफँसोर)ब्लॉक के लिए रॉयल्टी भारत सरकार को प्राप्त होती है जबकि अभितट (ऑनसोर) ब्लॉक के लिए रॉयल्टी राज्य सरकारों को प्राप्त होती है।

जहाँ रॉयल्टी नहीं लगायी जानी है (सामान्यतः जब कोई तेल/गैस उत्पादन नहीं हुआ है) खनन लीज द्वारा आवृत्त क्षेत्र पर डेड रेंट देय है।

उपकर (सैस)

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत देशी कच्चे तेल पर देय है। एन.इ.एल.पी से पहले पी.एस.सी के अंतर्गत फील्ड से

⁹ निवल नकद आय = पेट्रोलियम लागत + ठेकेदार का भाग लाभ पेट्रोलियम में (पिछले वर्ष के आई.एम के आधार पर) + आकस्मिक आय-उत्पादन लागत-रॉयल्टी

¹⁰ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 के अन्तर्गत खनन लीज धारण करने वाले इंस्टीटी

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.इ.एल)

उत्पादित कच्चे तेल पर सैस 900 रुपये प्रति टन तक सीमित था। एन.इ.एल.पी के तहत पी.एस.सी सैस लगाने का कोई प्रावधान नहीं था।

ठेकेदार को अन्वेषण क्रियाविधियों को प्रारम्भ करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.इ.एल) प्राप्त करना होता है:

- अपतट ब्लॉक के लिए केन्द्र सरकार से, और
- ऑनलैंड ब्लॉक के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से (केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति से)

पी.इ.एल शुल्क जो अन्वेषण अवधि के दौरान लगाया जाता है, जिसमें शामिल है, रुपये 4,00,000 का एक प्रतिभूति जमा, रुपये 1,00,000 का एक आरम्भिक शुल्क और एक वार्षिक अग्रिम लाइसेंस शुल्क जो पाँच वर्षों में रु. 200 से रु. 4000 प्रति वर्ग किमी तक बढ़ जाता।

खनन लीज (एम.एल.)¹¹

पेट्रोलियम निकालने के लिए, ठेकेदार को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार पी.एन.जी नियम के अन्तर्गत खनन लीज प्राप्त करना होता है। खनन लीज में फीस, में रुपये 8,00,000 का एक प्रतिभूति जमा, रुपये 2,00,000 का एक आरम्भिक शुल्क और डेड रेंट या रॉयल्टी, (जो भी ज्यादा हो)

2.4 राजकोषीय शासन प्रणाली की तुलना

अन्वेषित फील्ड (उदाहरणार्थ पन्ना—मुक्ता और ताप्ति) प्री एन.इ.एल.पी. अन्वेषणात्मक ब्लॉक (उदाहरणार्थ आर.जे.ओ.एन.—90 / 1); और एन.इ.एल.पी. (उदाहरणार्थ के.जी.—डी—6) के राजकोषीय शासन प्रणाली मुख्य मुद्दों की तुलना का सारांश नीचे दिया गया है।

तालिका 2.1 अन्वेषण फील्ड, प्री, एन.इ.एल.पी. अन्वेषित ब्लाक्स एवं एन.इ.एल.पी. ब्लाक्स के लिए राजकोषीय शासन प्रणाली की तुलना

| | अन्वेषित फील्ड | प्री एन.इ.एल.पी अन्वेषणात्मक ब्लॉक | एन.इ.एल.पी ब्लॉक |
|----------------------------------|---|---|------------------|
| पेट्रोलियम लाभ के सहभाजन का आधार | पोस्ट—टैक्स इनवेस्टमेंट मल्टीपल (आई.एम) या पोस्ट—टैक्स वसूल की दर ऑफ रिटर्न (पी.टी.आर.आर) | निविदा योग्य प्री टैक्स इनवेस्टमेंट मल्टीपल (आई.एम) | |
| पेट्रोलियम लागत की | 100 प्रतिशत लागत वसूली | 100 प्रतिशत तक निविदायोग्य लागत | |

¹¹ पी.एम.एल. के संदर्भ में भी (पेट्रोलियम खनन लीज)

| | अन्वेषित फील्ड | प्री एन.ई.एल.पी अन्वेषणात्मक ब्लॉक | एन.ई.एल.पी ब्लॉक |
|--|---|---|--|
| वसूली | वसूली कारक (सी.आर.एफ) | | |
| रॉयल्टी/उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व | पी.एस.सी. के सभी संघटक सहभागी हित के अनुसार | एन.ओ.सी पर 100 प्रतिशत उत्तरदायित्व सहभागी हित का ध्यान रखते हुए | सहभागी हित के अनुसार पी.एस.सी के सभी संघटक |
| रॉयल्टी की दरें | कच्चे तेल के लिए ₹.481/एम.टी; गैस के वैलहेड मूल्य का @ 10 प्रतिशत | गैस के वैलहेड मूल्य का 10 प्रतिशत; कच्चे तेल के लिए ऑनलैंड क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत, और अपतट क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत; गहरेपानी क्षेत्रों के लिए—वाणिज्यिक उत्पादन के पहले सात वर्षों में लागू दर का 50 प्रतिशत | |
| उपकर की दरें | कच्चे तेल के लिए ₹.900/- एम.टी | कोई उपकर उद्ग्राहय नहीं | |
| कर संरचना | भारतीय कम्पनियों के लिए आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट आयकर की देय दर | पहले 7 वर्षों ¹² के लिए गहरेपानी क्षेत्रों के सम्बन्ध में आय कर अवकाश है लेकिन न्युनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी) लागू है। | अन्वेषण और ड्रीलिंग संचालन पर हुए सारे खर्च का 100 प्रतिशत कटौती लागू है। इसके साथ ही अन्य अनुबंधों के असफल अन्वेषण लागत की 100 प्रतिशत कटौती की जा सकती है। |
| उत्पाद शुल्क | हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा जारी अनिवार्य प्रमाणपत्र (ई.सी) के आधार पर पेट्रोलियम संचालन के आयतित सभी उपकरण उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। | | |
| तेल/गैस का विपणन | 100 प्रतिशत तेल एवं गैस उत्पादन खरीद पर भारत सरकार का पहला अधिकार | देशी बाजार में कच्चे तेल/अन्वेषित गैस के विपणन की स्वतंत्रता। | |
| एन.ओ.सी का कैरिड हित (एन.ओ.सी द्वारा | निरंक | वणिज्यिक अन्वेषण पर 30 प्रतिशत | निरंक |

¹²वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि सात साल का अवकाश केवल तेल उत्पादन के लिए है (न कि गैस उत्पादन के लिए)

| | अन्वेषित फील्ड | प्री एन.ई.एल.पी अन्वेषणात्मक ब्लॉक | एन.ई.एल.पी ब्लॉक |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| बिना भुगतान किए) | | लागू करना | |
| सहभाजन हित एन.ओ.सी द्वारा | मध्यम आकार वाले फील्ड के लिए 40 प्रतिशत तक और छोटे आकार वाले फील्ड के लिए निरंक | 40 प्रतिशत तक | 'लेवल प्लेइंग फील्ड' पर एन.ओ.सी को क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्द्धा करना; एन.ओ.सी के लिए कोई सहभागी हित सुरक्षित नहीं |

2.5 उत्पादन सहभाजन अनुबंध (पी.एस.सी)

विशिष्ट फील्ड/ब्लॉक के लिए भारत सरकार और ठेकेदारों के बीच उत्पादन सहभाजन अनुबंध, पैट्रोलियम संचालन, लागत वसूली, लाभ सहभाजन और अन्य आयामों के लिए अनुबंधिय आधार देता है। ज्यादातर पी.एस.सी में, सहभागी हित के परिवर्ती अंश के साथ कई अनुबंधी पार्टी हैं, एक पार्टी (सामान्यतः अधिकांश पी आई वाली पार्टी) को 'संचालक' नामित किया गया है।

पैट्रोलियम संचालन के लिए ठेकेदार के संघटकों को "संचालित करार"¹³ में जाना पड़ता है। इस करार में ये अन्य बातें दी जानी चाहिए:

- ठेकेदार की नियुक्ति, स्तीफा, निष्कासन और जिम्मेदारियां।
- संचालन समिति की स्थापना (ओ.सी.)¹⁴ जिसमें कम्पनियों के प्रतिनिधियों की सहमत संख्या के प्रतिनिधि संचालक के प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्षता;
- संचालन समिति के कार्य (पी.एस.सी. प्रावधान के सम्बन्ध में) निर्णय लेने की प्रक्रिया बार बार बैठकों के लिए स्थान और
- लागत अंशदान, चूक, सोल जोखिम, पैट्रोलियम का निस्तारण और संचालित करार की टीमों के बीच बांटना।

इन पी.ए.सी. के सार अन्वेषित फील्ड, प्री—एन.ई.एल.पी. अन्वेषणात्मक ब्लाक एवं एन.ई.एल.पी. ब्लाक और विभिन्न एन.ई.एल.पी. चरणों के बीच बहुत अधिक अंतर है। हरेक एन.ई.एल.पी. राऊंड के लिए उत्पादन

¹³ पन्ना—मुक्ता और ताप्ति पी.एस.सी. में "सयुक्त परिचालन करार" के रूप में पारिभाषिक शब्द

¹⁴ पन्ना—मुक्ता और ताप्ति पी.एस.सी. में "परिचालन बोर्ड" (ओ.बी) के रूप में पारिभाषिक शब्द

शेयरिंग ठेका (एम.पी.एस.सी.) तैयार किया गया। एन.ई.एल.पी., पी.एस.सी. के मुख्य बिन्दु का सारांश नीचे दिया गया है :

तालिका 2.2 एन.ई.एल.पी., पी.एस.सी. के मुख्य बिंदु

| पहलू | पी.एस.सी प्रावधान |
|---------------------|--|
| अन्वेषण अवधि और चरण | <ul style="list-style-type: none"> गहरे पानी क्षेत्रों और सीमान्त क्षेत्रों की अन्वेषण अवधि में तीन चरण हैं जो अधिकतम 7 वर्ष के अन्दर करने हैं, समय अवधि 8 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है (पहला चरण 4 वर्ष तक हो सकता है) प्रत्येक अन्वेषणीय चरण के लिए ठेकेदार को अपनी निविदा में आवश्यक रूप से यह वायदा करना होगा कि कम से कम कार्य योजना (एम.डब्लू.पी) के अनुसार चरणबद्ध अवधि में शुरू के सर्वे के अनुसार कार्य होना (घनत्व और भू रसायन सर्वे आदि) भूकम्पी योजना और अन्वेषणीय कुओं के सम्बन्ध में (गहराई उद्देश्य सहित) यदि कार्य कम से कम कार्य योजना के अनुसार पूरा नहीं होता है तो ठेकेदार समान लागत पर वायदे के अनुसार कार्य का अतिरिक्त विकल्प लेना होगा। यदि कार्य योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं होता है तो ठेकेदार दूसरे चरण में कार्य नहीं करेगा। पहले अन्वेषणीय चरण के बाद ठेकेदार 75 प्रतिशत क्षेत्र रोककर रख सकता है (विकसित और अन्वेषणीय क्षेत्र सहित) जबकि दूसरे अन्वेषणीय चरण में वह करार के क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत¹⁵ तक रोक कर रख सकता है और तीसरे अन्वेषणीय चरण के बाद वह केवल अन्वेषण और विकास क्षेत्र को। |
| अन्वेषण और विकास | <ul style="list-style-type: none"> एक बार हाइड्रोकार्बन अन्वेषित हो जाता है तो ठेकेदार को सरकार और प्रबंधन समिति को सूचित करना चाहिए, अन्वेषणीय जांच की पहचान करके कि यह सम्भावित वाणिज्यिक हित में है तो प्रबन्धक समिति को 60 दिन के भीतर सूचित करना चाहिए। यदि अन्वेषण सम्भावित वाणिज्यिक हित में है तो ठेकेदार को 120 दिन¹⁶ में प्रस्तुत करना चाहिए, यह पहचान करने के लिए कि अन्वेषण विणिज्यिक अन्वेषण है और रेखा विकास क्षेत्र भी है के लिए प्रस्तावित मूल्य निर्धारण योजना (एक कार्य योजना और बजट के |

¹⁵ यदि अन्वेषण क्षेत्र और विकास 75/50 प्रतिशत से अधिक बढ़ता है तो ठेकेदार आगे के लिए क्षेत्र को रोककर रख सकता है।

¹⁶ नान एसोसिएटेड नेचुरल गैस (एन.ए.एन.जी.) के मिलने के मामले में एक वर्ष

साथ)।

- कच्चे तेल के अन्वेषण मेंठेकेदार द्वारा प्रबन्धक समिति को सूचना 30 माह¹⁷ के अन्दर देनी चाहिए कि वह वणिज्यिक अन्वेषण माना जाए या नहीं।
- 200 दिन¹⁸ के अन्दर वणिज्यिक अन्वेषण घोषित होने पर ठेकेदार को एक व्यापक विकास योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें भण्डार के लक्षण सामने आने चाहिए और उस स्थान में अनुमानित भण्डार की सूचना दे, सम्भावित उत्पादन आकार और दूरगामी उत्पादन दर, आकार और दूरगामी उत्पादन दर, बाहरी उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करनी थी और कुऐ बोरिंग करने थे और विकास और उत्पादन लागत का अनुमान लगाना था।
- विकास योजना प्रस्तुत होने पर ठेकेदार को भी प्रस्तावित विकास क्षेत्र की पैट्रोलियम खनन लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। लीज 5 वर्ष की बढ़ोतरी के साथ 20 वर्ष होगी (प्राकृतिक गैस के मामले में 10 वर्ष)

प्राकृतिक गैस (विशेष प्रावधान)

- आवश्यकता से अधिक सहभागी प्राकृतिक गैस के लिए, यदि ठेकेदार इसे काम में नहीं लेता है तो सरकार इसे मुफ्त में ले सकती है।
- बिना सहभागी प्राकृतिक गैस (एन.ए.एन.जी.) के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक अन्वेषण प्रस्ताव, एम.सी. ठेकेदार के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
- ❖ एन.ए.एन.जी. के घरेलू बाजार में वाणिज्यिक विकास या वाणिज्यिक उपयोग के संदर्भ में; और
- ❖ गैस उपयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति, महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए एन.ए.एन.जी का लाना कार्यक्रमों की श्रृंखला में आवश्यक था।
- प्राकृतिक गैस का मूल्यांकन प्रतिस्पर्धात्मक हाथों के आधार पर समान शर्तों के अन्तर्गत समान बिक्री क्षेत्रों में दीर्घकालीन बिक्री के लिए करना होगा। फोरमूला या आधार जिस पर कीमत निर्धारण होगा सरकार द्वारा अनुमोदित होगी, जो प्रचलित नीति के अनुसार लिया जायेगा, यदि कोई है प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पर बेचे गये तरल ईंधन के किसी लिंक सहित।

अच्छा

अन्तर्राष्ट्रीय

पी.एस.सी. ने जी.आई.पी.आई.पी. को अन्य बातों के साथ ऐसे परिभाषित

¹⁷ एन.ए.एन.जी. फाइन्ड के मामले में तीन वर्ष

¹⁸ एन.ए.एन.जी. फाइन्ड के मामले के एक वर्ष

| | |
|--|--|
| पहलू | पी.एस.सी प्रावधान |
| पैट्रोलियम अभ्यास (जी.आई.पी.आई.पी.) उद्योग | <p>किया है "वे अभ्यास और तरीके, पैट्रोलियम अनुसंधान में जो स्तर, प्रक्रिया सामान्यतः मान्य है और उनका बुद्धिमान, परिश्रमी, प्रशिक्षित और अनुभवी संचालकों द्वारा अनुपालन किया जाता है, विकास और उत्पादन संचालकों और जो निश्चित समय पर प्रश्न, उचित निर्णय के कार्य में और उन तथ्यों के प्रकाश में जाना गया जिस समय निर्णय लिया गया था। अभ्यास स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्भावित वांछित परिणाम और उद्देश्य जो पूरे किये जाने थे। उनके तरीके, मानक, प्रक्रिया और सुरक्षा, नियमन जैसा भी मामला हो पालन करने थे, मुहैया भी कराये गये फिर भी अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम अभ्यास उद्योग विशेष रूप से अन्य सभी के लिए अनुकूलतम वातावरण सीमित करना नहीं चाहा गया, लेकिन उचित वर्णक्रम और बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास तरीके, मानक, प्रक्रिया और सुरक्षा नियमन। परिणाम यह है कि पार्टी द्वारा प्रश्न उठाया गया है जी.आई.पी.आई.पी. को किन परिस्थितियों में संघटक बनाया गया है, इसके लिए प्रबन्धक समिति को सहमत होना होगा और उसमें विफल होने पर सरकार द्वारा निर्णय लेना होगा कि डी.जी.एच. परिणाम और संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची के बीच हो, जैसा डी.जी.एच. की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हो, और इसका निर्णय बाध्यकारी होगा, फिर भी किसी मामले में एक पार्टी पहले से योजना कार्यक्रम अभ्यास, प्रक्रिया आदि का अनुमोदन या सहमति प्रदान कर चुकी हो, तब इस संदर्भ में जी.आई.पी.आई.पी. के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।"</p> |
| प्रबन्धन समिति | <p>फिर भी जी.आई.पी.आई.पी. दस्तावेज नहीं है, पैट्रोलियम उद्योग में दस्तावेजों का भाग या मानक किसी अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान/घटक द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। एम.ओ.पी.एन.जी. / डी.जी.एच. के साथ हमारे द्वारा पूछताछ करने पर भी विद्यमान जी.आई.पी.आई.पी. मानक वर्गीकृत दर्शाये गये।</p> <p>एन.ई.एल.पी., पी.एस.सी. के अन्तर्गत जी.आई.पी.आई.पी. की परिभाषा संकेत करती है कि कोन से संघटक अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम उद्योग निश्चित परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं जो एम.सी. द्वारा किये गये सहमति की शर्तों के अनुरूप हैं; उनके असफल होने पर डी.जी.एच. के परिणाम और सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय होता है। स्पष्ट रूप से जी.आई.पी.आई.पी. स्पष्ट, असंदिग्ध, और स्वयं में गोल्ड मानक प्रयास नहीं हैं लेकिन उचित निर्णय संचालकों द्वारा किया गया।</p> <p>प्रबन्धन समिति (एम.सी.) भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक पी.एस.सी. के लिए दो प्रतिनिधि रखेंगी जिसमें प्रत्येक के लिए एक ठेकेदार¹⁹ द्वारा बनाई गयी कम्पनी की तरफ से होगा और भारत सरकार का प्रतिनिधि अध्यक्ष</p> |

¹⁹ यदि ठेकेदार केवल एक कम्पनी गठित करता है तो एम.सी. में उनके दो सदस्य होंगे।

होगा। यदि निर्णय एकमत नहीं है तो निर्णयों को सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा वोटिंग के जरिये बहुमत (70 प्रतिशत या अधिक) द्वारा एकमत होना होगा। एम.सी. में कार्यों समीक्षा/सलाह और अनुमति के लिए दो भाग हैं।

समीक्षा/सलाहकारी कार्य :

- ❖ वार्षिक कार्य योजनाएं और अन्वेषण प्रचालनों के लिए बजट
- ❖ त्याग और समर्पण के लिए प्रस्ताव
- ❖ मूल्य निर्धारण योजना के लिए प्रस्ताव
- ❖ वाणिज्यिक अन्वेषण/अन्वेषण की घोषणा
- ❖ प्रत्येक कुंऐ के लिए वास्तविक गहराई

अनुमोदित कार्य :

- ❖ विकास और उत्पाद संचालनों के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं और बजट
- ❖ प्रस्तावित विकास योजनाएँ; विकास क्षेत्र का निश्चय करना।
- ❖ वार्षिक योजना की मात्रा
- ❖ अन्वेषण खण्ड का विस्तार
- ❖ अन्वेषण खुदाई को भूवैज्ञानिक स्थिति का सामना होने पर परित्याग कर देना।

भारत सरकार की भूमिका

- पर्यवेक्षण अवधि मूल्य निर्धारण योजना के लिए 30 माह²⁰ विस्तार किया गया।
- निरस्तीरणकरण के बाद एम.सी. द्वारा विकास योजना को अनुमोदित किया गया।
- ठेकेदार द्वारा हिस्सेदार के हित के अनुसार आबंटन और स्थानान्तरण को मंजूरी दी गयी।

लेखे और लेखापरीक्षा

- वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा एक स्वतन्त्र सी.ए. फर्म द्वारा करायी जायेगी। लेखापरीक्षक की नियुक्ति और लेखापरीक्षा का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए एम.सी. के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी
- और भारत सरकार को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के दस्तावेजों के लेखों की लेखापरीक्षा करे, वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के अंदर।
- ❖ यह लेखापरीक्षा या तो अपने प्रतिनिधियों द्वारा या प्रशिक्षित चार्टेड एकाउटेन्ट की फर्म जोकि प्रसिद्ध सलाहकार फर्म हो, द्वारा करायी

²⁰ एन.ए.एन.जी. अन्वेषण के मामले में तीन वर्ष

जाये।

- ❖ कोई भी लेखापरीक्षा अपवाद ठेकेदार के लिए 120 दिन के अन्दर लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए जिसका ठेकेदार 120 दिन के अन्दर जवाब देगा।
- ❖ लेखापरीक्षा के फलस्वरूप सहमत समायोजन 30 दिन के अन्दर सरकार को ले लेने चाहिए। दावा की गई राशि ठेकेदार द्वारा मान्य नहीं राशि को एसक्रो एकाउन्ट²¹ में जमा की जायेगी, और उसे एकमात्र विशेषज्ञ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अपूर्ण निर्णय में रखा जायेगा।

उत्पादन हिस्सा अनुबंध विस्तृत और संक्षिप्त तंत्र/प्रक्रिया के भारत सरकार के हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के प्रक्रियायें/तंत्र जरूरी नहीं होंगे यदि सरकारी हिस्सा रायल्टी के रूप में होगा, होगी, जो गैस और तेल के उत्पादन की मात्रा और/लागत से लिंक होगी। इस प्रकार की स्थिति में सरकारी विन्तायें तेल और गैस उत्पादन और उनकी मात्रा की लागत के आश्वासन प्राप्त करने तक सीमित रहेगी। फिर भी, लाभ हिस्सा तंत्र अनिवार्य रूप से चाहता है कि विस्तृत नियंत्रण और प्रक्रियायें सुनिश्चित करे कि सरकारी वित्तीय स्वार्थ सही प्रकार से संरक्षित हो रहे हैं।

²¹ एसक्रो एकाउन्ट में राशि जमा करने से संबंधित प्रावधान एन.ई.एल.पी-IV से और आगे से लागू हुए।

अध्याय –3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.1 एम.ओ.पी.एन. जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए आग्रह

नवम्बर 2007 में सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. ने भारत के सीएजी से पी.एस.सी.के. 8 ब्लॉकों (अर्थात्—रव्वा, पन्ना मुक्ता, ताप्ती, केजी—डीडब्ल्यूएन—98/3—आरजे—ओएन—90/1, हजीरा, केजी—ओएसएन—2001/3 और पीवाई—3) की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए आग्रह किया जब कि इसकी नियमित लेखापरीक्षा 2003–04/2004–05 तक की जा चुकी थी। एमओपीएनजी ने यह प्रार्थना रायल्टी और पेट्रोलियम लाभ के रूप में सरकार के बड़े दावे के सन्दर्भ में, और पूंजीगत व्यय जो कि कुछ ठेकेदारों द्वारा एनईएलपी के अन्तर्गत दी गयी विकास योजनाओं में किया जा रहा था के बारे में कुछ लोगों ने चिंता जताई।

मार्च 2008 में एम.ओ.पी.एन.जी की लेखापरीक्षा की प्रार्थना से यह दर्शाते हुए हम सहमत हुए कि हम पहले चरण में आठ ब्लॉकों में से जिसके लिए विशेष लेखापरीक्षा के लिए एम.ओ.पी.एन.जी द्वारा प्रार्थना की गयी थी पांच ब्लॉकों पन्ना मुक्ता, ताप्ती, केडी—डीडब्ल्यूएन—98/3, हजीरा और पीवाई—3, को पूरा करेंगे (लेखापरीक्षा में साथ छोड़े गये तीन ब्लॉकों को भी अगले चरणों में पूरा करेंगे)। हमने प्री—एनईएलपीपीएससीएस और एनईएलपी पीएससीएस²² की खोज के नमूना को शामिल करते हुए (जिसके लिए एक प्रविष्टि सम्मेलन नवम्बर 2007 में तत्कालीन सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी के साथ) एमओपीएनजी की लेखापरीक्षा की प्रार्थना में हाइड्रोकार्बन पीएससीएस की निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल किया।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हाइड्रोकार्बन पी.एस.सी की निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्यों में यह जॉच करना था कि :

- एम.ओ.पी.एन.जी और डी.जी.एच, की प्रक्रिया एवं प्रद्वति में ब्लॉक के संचालकों/ठेकेदारों द्वारा किये गये निरीक्षण और किये गये कार्य को सुनिश्चित करना कि वह पी.एस.सी. के नियम के अनुसार पर्याप्त एवं प्रभावी थे।
- सरकार के राजस्व हित (रोयल्टी और जी.ओ.आई. का पेट्रोलियम लाभ के हिस्से सहित) को सही तरह से सुरक्षित, पर्याप्त और प्रभावी तंत्र के रूप में इस कार्य के लिए रखा जा रहा था।

अलग—2 ब्लॉकों और संचालन/उन पर ठेकेदारों/संचालकों के क्रियाकलाप की हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा करने में कुछ जगहों पर चिंताये जातायी गई। हम इस अवसर पर स्पष्ट करते हैं कि हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी.एन.जी) और महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) शामिल था न कि अलग—2 ब्लॉकों के प्राइवेट संचालक।

फलस्वरूप, एम.ओ.पी.एन.जी और डीजीएच के दस्तावेजों की जॉच के पूरक के रूप में कुछ ब्लॉकों के संचालकों के दस्तावेजों की भी जॉच की गयी।

संचालकों के दस्तावेजों की जॉच करने का प्रयोजन यह था कि पेट्रोलियम लाभ के सरकारी राजस्व के रूप में (वर्तमान और भविष्य)²³ और रायल्टी सही प्रकार से आकंतित हो रही थी और राजस्व, हित को सही तरह से संरक्षित किया जा रहा था। इस बड़े उद्देश्य हेतु हम सत्यापित करना चाहते थे (संचालकों के विशिष्ट लेखांकन अवधियों के दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर) कि

²² मूलरूप में चयनित 22 पीएससीएस का एक नमूना, इसके बाद इसे कुछ संसोधित किया।

²³ वसूलने की लागत भारत सरकार के भविष्य के पेट्रोलियम लाभ असर डाल सकती है।

- पूंजीगत व्यय (केपेक्स)²⁴, संचालन व्यय (ओपेक्स) और निवल नगद और उसकी अलग-2 मदों को सही, और विश्वसनीयता से प्रकट किया जा रहा था और यह राशि पर्याप्त दस्तावेजों के साथ थी।
- केपेक्स/ओपेक्स की पृथक मदों के आंकड़े उचित थे और मूल/संशोधित बजट, योजना, संभाव्यता रिपोर्ट और दूसरे समान दस्तावेजों के आनुषंगिक थे और,
- ऐसे बहुत से सामान्तर सबूत, जो कि सामान एवं सेवा लेने व देने की प्रामाणिकता के बारे में आश्वासन देते हैं।

3.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र में दोहरा दृष्टिकोण सम्मिलित किया गया :

- एमओपीएनजी एवं डीजीएच के 20 पी.एस.सी. के नमूने जो कि संतुलित कवरेज (ए) अभिट और अपतट (उथला और गहरा पानी) ब्लॉक (बी) संचालकों का एक समूह (सी) तेल खोज और गैस खोज के साथ का क्षेत्र (डी) प्री एन.ई.एल.पी और एन.ई.एल.पी और (ई) ई एण्ड पी के अलग-अलग चरणों के ब्लॉक अन्वेषण के अन्तर्गत, छोड़े हुए, खोज उत्पादन आदि, इसमें 2003-04 से 2007-08 का समय शामिल किया गया।
- चार ब्लॉकों/क्षेत्रों (केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3, पन्ना मुक्ता, मिड और साऊथ ताप्ती और आरजे-ओएन-90/1) के संचालकों दस्तावेजों की पूरक जाँच दो साल की अवधि 2006-07 और 2007-08 को शामिल करते हुए की।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये ब्लॉक निम्नलिखित हैं; विस्तृत जानकारी (संक्षिप्त में) अनुलग्न -3.1 में दी गई हैं :

तालिका-3.1 – लेखापरीक्षा समीक्षा में चयनित ब्लॉक

| क्र.म | अनुबंध करने वाली पार्टी | संचालक | बेसिन | ब्लॉक/क्षेत्र | प्रायः एन.ई.एल.पी/एन.ई.एल.पी | उथला/गहरा पानी/ जमीन पर | स्थिति |
|-------|--|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | बी.जी.ई.पी.आई.एल.,ओ.एन.जी.सी और आर.आई.एल | बी.जी.ई.पी.आई.एल | मुम्बई अपतट | पन्ना/मुक्ता | मध्यम आकार | उथला पानी | उत्पादक |
| 2 | बी.जी.ई.पी.आई.एल., और ओ.एन.जी.सी | बी.जी.ई.पी.आई.एल | मुम्बई अपतट | मध्य और दक्षिणताप्ती | मध्यम आकार | उथला पानी | उत्पादक |
| 3 | सी.ई.आई.एल, और सी.ई.एच.एल और ओ.एन.जी.सी | सी.ई.आई.एल | बाडमेर (राजस्थान) | आर.जे-ओ.एन-90/1 | प्राय एन.ई.एल.पी | जमीन पर | उत्पादक |
| 4 | आर.आई.एल और एन.आई.के.ओ | आर.आई.एल | कृष्णा गोदावरी | के.जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 | एन.ई.एल.पी-1 | गहरा पानी | विकास/उत्पादक |
| 5 | जी.एस.पी.सी और गेल | जी.एस.पी.सी | केम्बे | सी.बी-ओ.एन.एन-2000/1 | एन.ई.एल.पी-II | जमीन पर | उत्पादक |
| 6 | ओ.एन.जी.सी | ओ.एन.जी.सी | काबेरी अपतट | सी.वाइ-ओ.एस.एन-2000/1 | एन.ई.एल.पी-II | उथला पानी | छोड़ दिया |
| 7 | ओ.एन.जी.सी | ओ.एन.जी.सी | प्रानहिटा | पी.जी-ओ.एन. | एन.ई.एल.पी-III | जमीन पर | अन्वेषण |

²⁴ अर्थात् पी.ए.सी प्रावधानों के अन्तर्गत विचारे गये निवेश खर्च निवेश गुणक की गणना हेतु।

| क्र.म | अनुबंध करने वाली पार्टी | संचालक | वेसिन | ब्लॉक/क्षेत्र | प्रायः एन.ई.एल. पी/एन.ई.एल.पी | उथला/गहरा पानी/ जमीन पर | स्थिति |
|-------|---|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | गोदावरी | एन-2001/1 | | | |
| 8 | आर.आई.एल और एच.ई.पी. आई | आर.आई.एल | कृष्णा गोदावरी | के.जी-ओ.एस. एन-2001/2 | एन.ई.एल.पी-III | उथला पानी | अन्वेषण |
| 9 | ओ.आई.एल और ओ.एन.जी. सी | ओ.आई.एल | राजस्थान | आर.जे-ओ.एन. एन-2002/1 | एन.ई.एल.पी-IV | जमीन पर | अन्वेषण |
| 10 | आर.आई.एल और एच.ई.पी. आई | आर.आई.एल | उत्तर पूर्वी तट | एन.ई.सी-डी. डब्ल्यू एन-2002/1 | एन.ई.एल.पी-IV | गहरा पानी | अन्वेषण |
| 11 | आर.आई.एल | आर.आई.एल | केरला कोकंन | के.के- डी.डब्ल्यू एन-2003/1 | एन.ई.एल.पी-IV | गहरा पानी | अन्वेषण |
| 12 | पेट्रोगैस, गेल, एच.पी.सी.एल, जी.एस.पी.सी और आई.ओ.सी | पेट्रोगैस | मुम्बई आफ | एम.बी-ओ.एस. एन-2004/2 | एन.ई.एल.पी-VI | उथला पानी | अन्वेषण |
| 13 | आर.आई.एल | आर.आई.एल | महानदी एन.ई. सी अपतट | एम.एन- डी. डब्ल्यू एन-2004/3 | एन.ई.एल.पी-VI | गहरा पानी | अन्वेषण |
| 14 | सी.ई.आई.एल. टाटा पेट्रोडाइन और ओ.एन.जी. सी | सी.ई.आई.एल | केम्बे अपतट | सी.बी-ओ.एस-2 लक्ष्मी | प्रायः एन.ई.एल. पी | अपतट | उत्पादक |
| 15 | सी.ई.आई.एल. टाटा पेट्रोडाइन और ओ.एन.जी. सी | सी.ई.आई.एल | केम्बे अपतट | सी.बी-ओ.एस-2 गौरी ²⁵ | प्रायः एन.ई.एल. पी | अपतट | उत्पादक |
| 16 | आर.आई.एल, टी.आई.ओ एल और ओ.ओ.एच. एल | आर.आई.एल | केम्बे | सी.बी-ओ. एन/1 | प्रायः एन.ई.एल.पी | जमीन पर | अन्वेषण |
| 17 | | एस्सार आइल | मुम्बई अपतट | रत्ना आर सीरीज | छोटा साइज | अपतट | पी.एस.सी हस्ताक्षरित नहीं |
| 18 | निको और जी. एस.पी.सी.एल | निको | केम्बे | हजीरा | छोटा साइज | जमीन पर | उत्पादक |
| 19 | ओ.एन.जी.सी और गेल | ओ.एन.जी.सी | केरला कोकन | के.के-डी डब्ल्यू एन-2002/2 | एन.ई.एल.पी- II | गहरा पानी | छोड़ दिया |
| 20 | ओ.एन.जी.सी और आई.ओ.सी | ओ.एन.जी.सी | मुम्बई अपतट | एम.बी-डी डब्ल्यू एन-2000/1 | एन.ई.एल.पी- II | गहरा पानी | छोड़ दिया |
| 21 | आर.आई.एल | आर.आई.एल | मुम्बई अपतट | एम.बी-ओ.एस. एन-97/3 | एन.ई.एल.पी- I | उथला पानी | छोड़ दिया |

3.4 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा मापदंड के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार थे

- तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948
- पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस नियम, 1959;

²⁵ सीबी-ओएस-2 लक्ष्मी और सीबी-ओएस-2 गौरी, एकल पीएससी में शामिल लेकिन दो अलग फील्डों में, फलस्वरूप टोटल 20 पीएससी में लेकिन 21 फील्ड्स हमारे लेखापरीक्षा के अन्तर्गत।

- नये अन्वेषण लाइसेन्स नीति (एन.ई.एल.पी) और एम.ओ.पी.एन.जी के सहायक अनुदेश;
- निविदा दस्तावेज जैसे—निविदा मूल्यांकन मापदंड (बी.ई.सी), नोटिस आमंत्रण प्रस्ताव (एन.आई.ओ.एस) और मोडल उत्पादन साझा अनुबंध (एम.पी.एस.सी.एस) विभिन्न एन.ई.एल.पी चक्रों के लिए और
- चयनित ब्लाकों के लिए हस्ताक्षरित उत्पादन साझा अनुबंध (पी.एस.सी.एस)

3.5 संचालकों के दस्तावेजों को प्राप्त करने में कठिनाइयां

संचालकों के दस्तावेजों को प्राप्त करने में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयासों में रुकावट आयी, जुलाई 2008 में पन्ना मुक्ता और ताप्ती क्षेत्र (पी.एम.टी संयुक्त उपक्रम) के दस्तावेजों के संबंध में यह कठिनाई शुरू हुई एम.ओ.पी.एन.जी के साथ पत्राचार के बावजूद (एम.ओ.पी.एन.जी के द्वारा संचालकों को आदेश भेजने के बाद) और इसके साथ-2 एम.ओ.पी.एन.जी और संचालकों के बीच बातचीत करने पर भी बहुत समय तक इस कठिनाई का समाधान नहीं कर सके।

लेखापरीक्षा प्रावधान उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) पर – एक सारांश

पीएससी के अनुच्छेद 25.4 और 25.5 बतलाते हैं कि:

- लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा ठेकेदार की ओर से योग्य एवं स्वंत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म जो कि भारत में पंजीकृत एवं ठेकेदार द्वारा चयनित एवं एमसी द्वारा अनुमोदित हो, द्वारा करानी होगी और लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपि जी.ओ.आई को प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।
- जी.ओ.आई. को भी ठेकेदार के पेट्रोलियम संचालन के लेखा दस्तावेजों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार होगा जैसा लेखा पद्धति में दिया गया है और इस लेखापरीक्षा के लिए, ठेकेदार सभी रिकार्ड, लेखा दस्तावेज और दूसरे कागजात एवं सूचना जो भी लेखा परीक्षकों को चाहिए उपलब्ध करायेगा।

इसके अतिरिक्त धारा 1.9 – सरकार के लेखापरीक्षा और जांच अधिकार–पीएससी की लेखा पद्धति में दी गयी अन्य बातों के साथ-2 बताती है कि:

- जी.आई.ओ. को सभी लागत, खर्च, व्यय, प्राप्ति एवं आय का जैसे ठेकेदारों की लेखा किताबें, दस्तावेज, इनवाइस, केश वाउचर, डेविट नोट्स, मूल्य सूची और पेट्रोलियम संचालन से संबंधित सभी दस्तावेजों की संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों (या अधिक अवधि के लिए अपवादिक स्थिति में जरूरत होने पर) के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा एवं जांच करने का अधिकार है।
- जी.ओ.आई अपने प्रतिनिधियों द्वारा या मान्यता प्राप्त चार्डरट एकाउन्टेट की फर्म से जो भारत में पंजीकृत हो या प्रसिद्ध सलाहाकार फर्म हो से लेखापरीक्षा करा सकता है।
- जी.ओ.आई या उनके लेखा परीक्षक को लेखापरीक्षा करने के लिए अनुबन्ध के अन्तर्गत ठेकेदार के सभी कार्यकलापों से संबंधित सभी शुल्क और क्रेडिट्स सभी लेखों की किताबों, लेखा इन्द्राज, सामानों के दस्तावेज और स्टोरस वाऊचर, पेरौल, इनवाइस और अन्य दस्तावेज पत्र व्यवहार और दस्तावेज लेखापरीक्षा हेतु खर्च एवं जमा को सत्यापन हेतु जरूरी हो को जांचने एवं सत्यापन करने का अधिकार होगा।
- लेखापरीक्षा अपवाद को जारी करने, जवाब देने और हल करने हेतु प्रक्रिया भी दी गयी है।

अन्ततः अगस्त 2009 में सीएजी ने इस मामले को तत्कालीन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पीएनजी) मंत्री के साथ संचालकों के दस्तावेजों को शीघ्र प्राप्त कराने हेतु उठाया जिसके जवाब में तत्कालीन पी.एन.जी. मंत्री, ने दस्तावेज दिलाने हेतु आश्वासन दिया। हम इसके लिए आभारी हैं।

फलस्वरूप, सितम्बर 2009 में, संचालकों के पुराने सालों के (2006–07 तक) दस्तावेज प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों के कारण, हमने संशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण सुझाया जिसमें हमने संचालक के चार ब्लॉकों (पन्ना मुक्ता मिड और साउथ, ताप्ती, केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 और आरजे–जोएन–90/1) के दो साल 2006–07 से 2007–08 (पुराने सालों के दस्तावेजों के साथ वर्तमान साल के लेनदेनों को समावद्ध करते हुए) के दस्तावेजों को देने को कहा। हमने संचालकों के दस्तावेजों की जाँच की गुंजाइश और हद भी स्पष्ट की और संचालकों से प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों की प्रारम्भिक सूची भी बतलाई।

इसके बाद एमओपीएनजी के साथ पत्राचार और बातचीत की, और एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा इस मामले पर संचालकों को 27 नवम्बर 2009 को फिर से हमारे द्वारा प्रारम्भ में मांगे गये दस्तावेजों की प्रार्थना पर अन्ततः दस्तावेज देने के आदेश दिये और संचालकों के साथ प्रवेश/प्रारम्भिक मीटिंग की। फलस्वरूप संचालकों के चार ब्लॉकों के दस्तावेजों की क्षेत्रीय जाँच जनवरी और मई 2010 के बीच की गई।

3.6 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा दलों द्वारा दस्तावेजों की क्षेत्रीय जाँच में लेखापरीक्षा मांग पत्र और प्रारम्भिक टिप्पणी ज्ञापन (पी.ओ.एम.एस) / लेखापरीक्षा ज्ञापन (एएमएस), एम.ओ.पी.एन.जी. के साथ–साथ संचालकों को भी जारी किए गए। उनके दस्तावेजों की जाँच के दौरान एम.ओ.पी.एन.जी./डीजीएच के साथ–साथ संचालकों के साथ लेखापरीक्षा के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई। जून 2011 में एम.ओ.पी.एन.जी. और संचालकों के दो प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर जिन पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था परस्पर बातचीत की गई।

इसके बाद, मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एम.ओ.पी.एन.जी. को जून 2011 में उत्तर टिप्पणी की प्रार्थना के साथ जारी किया गया। फलस्वरूप, जारी किए गए मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक समापन सम्मेलन जुलाई 2011 में एम.ओ.पी.एन.जी./डीजीएच और 4 ब्लॉकों (पन्ना मुक्ता, ताप्ती, केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 और आरजे–ओएन90/1) के संचालकों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विचार विमर्श करने हेतु हुआ। इस समापन सम्मेलन में दो ब्लॉकों (केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 और आरजे–ओएन90/1) के संचालकों के प्रतिनिधियों ने विस्तृत प्रदर्शन अपनी स्थिति और बहुत से बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए दिखाया। समापन सम्मेलन में एक अलग सेसन एम.ओ.पी.एन.जी./डीजीएच के साथ हुआ एम.ओ.पी.एन.जी./डीजीएच की भूमिका/कार्यकलापों के जो मसौदा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शामिल था।

एमओपीएनजी ने मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर एक विस्तृत उत्तर बनाया और इसके साथ कुछ संचालकों की टिप्पणियों के सहित उत्तर को भेजा।

एम.ओ.पी.एन.जी. के उत्तर/टिप्पणी के साथ–2 समापन सम्मेलन के संचालकों के द्वारा दिए गए उत्तर को जहाँ तक सम्भव था, विचार कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया।

एम.ओ.पी.एन.जी./डीजीएच और संचालकों के दस्तावेजों की जाँच के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन और दो ब्लॉकों (आरआईएल और केअर्न एनर्जी, संबंधित केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 और आरजे–ओएन–90/1) के संचालकों के द्वारा किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं।

3.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र की सीमायें

3.7.1 पीएमटी संयुक्त उपक्रम द्वारा दस्तावेजों का प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और कार्यक्षेत्रों को पूरा करने के लिए पन्ना मुक्ता और ताप्ती ब्लॉकों के जॉच के दौरान पन्ना मुक्ता, ताप्ती संयुक्त उपक्रम (पीएमटी जेवी) द्वारा संचालित, हमने खरीद आदेश अनुबंध देने के पहले और बाद के दस्तावेज (जैसे –निविदा दस्तावेज, खरीद आदेश, परिवर्तन आदेश, आपूर्ति फाइल्स और अनुबंध) दो मुख्य विकास योजनाओं के यह ब्लॉक जैसे–ईपीओडी (बढ़ायी गयी विकास योजना) पन्ना मुक्ता और एनआरपीओडी के लिए (नई संसोधित विकास योजना) मिड और साउथ ताप्ती के लिए और अन्य पूरक दस्तावेज, ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्सन इन्डिया लिमिटेड (पीजीईपीआईएल) से पीएमटी जेवी के लिए एक संयुक्त संचालक जो कि रिकार्ड और दस्तावेज हमारी जॉच के लिए देने के लिए पहचान किए गए थे पार्टनर, से सभी दस्तावेज मांगें।

फिर भी, बीजीईपीआईएल ने बहुत सा संबंधित रिकार्ड, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये इस आधार पर कि सरकारी लेखापरीक्षा पी.एस.सी. के अनुच्छेद 1.9 के अनुलग्न 'सी' के अन्तर्गत है और यह जेवी के लेखा दस्तावेजों तक ही सीमित है। हम पीएमटी जेवी ने जो विचार व्यक्त किए उनसे सहमत नहीं हैं हमारे विचार में लेखापरीक्षा दल ने जो दस्तावेज मांगे थे (केवल विशेष आपूर्ति से संबंधित दस्तावेज) वह पीएससी के लेखा पद्धति के अनुच्छेद 1.9 के अन्तर्गत आते थे और इस तरह के दस्तावेजों को प्राप्त करना हमारी लेखापरीक्षा की जॉच के लिए जरूरी था।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों के उपलब्ध न होने के साथ–साथ पीएमटी जेवी ने अधिक तर हमारी प्रारम्भिक लेखापरीक्षा आपत्ति ज्ञापनों के जबाब इस आधार पर नहीं दिए कि यह उठाए गए मामले पीएससी में दिए गए लेखा अधिकारों से बाहर थे।

फलस्वरूप, हमारी पन्ना मुक्ता और ताप्ती ब्लॉकों के वर्ष 2006–07 और 2007–08 की जॉच में निकाले गए निष्कर्ष जो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए पूरे नहीं हैं क्योंकि कारण हमारे नियंत्रण के बाहर है। हम भी खर्चों की विश्वसनीयता पर ध्यान देने में असमर्थ थे जो पीएमटी जेवी द्वारा वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान किए गए थे।

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र, सीमायों पर आधारित मसौदा प्रतिवेदन जो एमओपीएनजी, डीजीएच को भेजा गया और दुबारा पीएमटी जेवी (22 जून 2011) को रिकार्ड, जो मांगा गया था, देने को कहा। समापन सम्मेलन (12 जुलाई 2011) के दौरान, पीएमटी जेवी ने पीएससी के अनुच्छेद 26.8 के अन्तर्गत दस्तावेज (जी.ओ.आई. के निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज) देने की पेशकश की न कि अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत (जी.ओ.आई. के लेखारीक्षा अधिकारों को पूरा करता है), यदि जी.ओ.आई. अनुच्छेद 26.8 के अन्तर्गत यह प्रार्थना करें। फिर भी, एमओपीएनजी और सीएजी के प्रतिनिधि, पीएमटी जेवी की पेशकश से सहमत नहीं हुए और पीएससी के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत मांगे गए रिकार्ड/दस्तावेजों को देने के लिए दबाव डालते रहे।

इसके बाद, 14 जुलाई 2011 को पीएमटी जेवी ने कहा कि वे लेखापरीक्षा दल को मांगे गए रिकार्ड/दस्तावेज जो आसानी से उपलब्ध होंगे, किसी भी हालात में अगले सात दिन के अन्दर यथाशीघ्र प्रस्तुत कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे लेखापरीक्षा दल द्वारा मांगे गए कुछ अलग दस्तावेज भी देने के लिए तैयार हैं। फिर भी, उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में रिकार्ड अर्थात् वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए पीएससी के अनुच्छेदों के अन्तर्गत वित्तीय लेखापरीक्षा विचार के संबंध में स्थिति बिना किसी पक्षपात के होगी।

20 जुलाई 2011 को पीएमटी जेवी ने लेखापरीक्षा दल द्वारा मांगे गए कुछ संबंधित रिकार्ड/दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद (22 जुलाई 2011) पीएमटी जेवी ने एनआरपीओडी/ईपीओडी योजना से संबंधित 10 सेवा अनुबंध (लागत निविदा छोड़कर) प्रस्तुत किए और आश्वासन दिया कि बचा हुआ रिकार्ड/दस्तावेज शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे।

हमने पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा 20/22 जुलाई 2011 को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ-2 पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा दिए गए आश्वासन को माना। तथापि दस्तावेजों, जिनसे संबंधित निष्कर्ष जो इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने थे, की समय पर स्पष्ट जांच नहीं की जा सकी।

पीएमटी जेवी द्वारा दिए गए दस्तावेज, इसके साथ-साथ वह भी दस्तावेज जिनके लिए आश्वासन मिला था, संचालक (पीएमटी जेवी) के दस्तावेजों की जांच के आने वाले सालों में पूरा कर लिया जायेगा, और उनके निष्कर्षों को बाद की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाएगा।

3.7.2 अन्य संचालकों द्वारा दस्तावेजों की प्रस्तुति

आर.आई.एल ने केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 को ने सभी दस्तावेज, जो लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए थे, प्रस्तुत किए, निम्न को छोड़कर :

- वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (संचालकों के दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित अवधि) में हुए लेन-देन/भुगतान का भविष्य के वर्षों के आगे संयोजन;
- एसएपी, आइटी सिस्टम पर पूरा लेखा डाटा (दोनों खर्चों के साथ जैसे—जमा पक्ष एवं खर्चों पक्ष के लेनदेन/लाइन आइटम्स) जो अध्याय-4 में वर्णित किए गए हैं।

आर जे ओ एन-90/1 ब्लाक (केर्नर्न इनर्जी) के संचालकों से मांगे गये दस्तावेजों के बारे में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में, संचालक ने दस्तावेजों का एक उद्धरण जो कि हमारी लेखापरीक्षा से बाहर के समय से संबंधित या हमारे द्वारा दस्तावेजों की जांच के दौरान उठाये गये तथ्यों को स्पष्टतय समझाने के लिये प्रस्तुत किये।

3.8 संचालकों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर टिप्पणियां

3.8.1 के जी डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लाक

के जी डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लाक के संचालक (आर आई एल) ने समय-समय पर हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, सीमा और विस्तार को लेखापरीक्षा की क्षेत्रीय जांच के दौरान, समापन सम्मेलन के प्रस्तुतीकरण में और एम ओ पी एन जी द्वारा लिखित उत्तर में भी चुनौती दी संचालक के अनुसार,

- लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पी एस सी के लेखा पद्धति की धारा 1.9 के साथ अनुच्छेद 25.5 के द्वारा सीमित था। लेखापरीक्षा के अधिकार लेखा पद्धति की धारा 1.9 के अंतर्गत खर्चों और जमा (खर्चों की सत्यता) के प्रलेखों और रिकार्ड की जांच तक सीमित थे।
- सरकार द्वारा निर्मुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन लेखापरीक्षा करने के लिए दो साल के भीतर वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित करना था। वर्ष 2006–07 के लिये लेखापरीक्षा अधिकार, भारत सरकार द्वारा पहले ही इस्तेमाल किये गये। एम ओ पी एन जी (नवंबर 2009) ने लेखापरीक्षा, लेखा पद्धति की धारा 1.9 के अंतर्गत होने की पुष्टि की थी।
- एम ओ पी एन जी की सूचना के बावजूद सी ए जी ने 'निष्पादन लेखापरीक्षा' की थी जिसे पी एस सी के अंतर्गत अनुमति नहीं थी चूंकि :

- ❖ सभी परिचालन और तकनीकी मामले मैनेजमेंट कमेटी (एम सी) की सीमा के अंतर्गत आते हैं और शासित, विनियमित और मापित थे और जी आई पी आई पी (गुड इन्टरनेशनल पैट्रोलियम इन्डस्ट्रीज प्रैविट्सीज के द्वारा)
- ❖ लेखापरीक्षक जी आई पी आई पी से सुपरिचित नहीं थे।
- ❖ लेखापरीक्षा खर्चों और जमा के सत्यापन तक सीमित थी। जी आई पी आई पी न कि लेखापरीक्षा पी एस सी में निष्पादन का माप था।
- पी एस सी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपरेटर के संचालन व वाणिज्यिक और तकनीकी निर्णय की लेखापरीक्षा की अनुमति दे।
- एक लेखापरीक्षा उद्देश्य से संबंध (केपेक्स/ओपेक्स के पृथक मद के आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि के लिए) या तो एम सी या क्षेत्रों में जहां विज्ञापनों में या तकनीकी निर्णय में आपरेटर के फैसले के लिए छोड़ दिया गया, में आपरेटर के ज्ञान के निर्णयों की समीक्षा का पालन पी एस सी की शर्तों के साथ असंगत थे।
- एक अभ्यास में जहां लेखापरीक्षक अपने को संचालक की जगह खड़े होकर मूल्यांकन का प्रयास करें कि संचालक द्वारा दिये गये निर्णय, अपने संचालन के अधिग्रहित क्षेत्र में—अपरिभाषित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार नौकरशाही निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा पूरे किये जाते हैं और बिना किसी के तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ लिये या इस तरह की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही, लिये पी एस सी के प्रावधानों के बाहर था।
- पी.एस.सी. में सोने का मानक निर्धारण अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम उद्योग प्रैविट्स (जी.आई.पी.आई.पी.) थी तथा जी.आई.पी.आई.पी. में इसके संदर्भ का अभाव लेखापरीक्षा में उल्लेखनीय था।

हम लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र, सीमा और विस्तार के बारे में संचालकों के विचारों से सहमत नहीं हैं।

- हमारा एक मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य—सत्यापन करना था कि सरकार का राजस्व हित (भारत सरकार पैट्रोलियम लाभ का हिस्सा और रायल्टी सहित) सही प्रकार से संरक्षित हो रहा था और इस कार्य के लिये केपेक्स/ओपेक्स के पृथक मद के आंकड़े सही (और मूल/संशोधित बजट, योजनाओं, संभाव्या रिपोर्ट या दूसरे समान दस्तावेजों) और सहवर्ती सबूत जो कि सामान एवं सेवा लेने व देने का आश्वासन देंगे। हमारे विचार में पी एस सी के अनुच्छेद 25 के और पूरे पी एस सी के लेखा पद्धति की धारा 1.9 से पूरी तरह से मेल खाते हैं।
- खर्चों एवं जमा का सत्यापन, ठेकेदारों के क्रियाकलापों से संबंधित और दूसरे दस्तावेज जो कि लेखापरीक्षा एवं सत्यापन हेतु जरूरी थे जो कि जमा एवं खर्चों के केवल गणितीय टोटल तक ही सीमित नहीं थे और जमा और खर्च/व्यय ठेकेदारों के अनुबंध/व्यय वाउचरों के लेखा विवरण से। इस प्रकार के अभ्यास सत्यापन हेतु यहां तक बढ़ा दिये गये कि ठेकेदार द्वारा पी एस सी लेखों में दिखाई जा रही लागत जो कि पैट्रोलियम लाभ में जी.ओ.आई. के हिस्से को नाजुक रूप से प्रभावित करेगी, और सही तरह से नियत किया गया और सामान एवं सेवा की आपूर्ति हेतु विशेषतयः खर्च निर्धारित प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया द्वारा किये गये जो कि खर्चों को कम करेगा (और वह अनन्तः पैट्रोलियम लाभ में जी.ओ.आई. के हिस्से को बढ़ायेगा)। इस प्रकार का सत्यापन लेखापरीक्षक के संचालक का स्थान लेने के तुल्य नहीं है और इस प्रकार के फैसलों का नौकरशाही के फैसले लेने की प्रक्रिया की तरह होगा।

- हमारा उद्देश्य सत्यापन तक सीमित है कि जी.ओ.आई. का राजस्व हित (जी.ओ.आई. का पैट्रोलियम लाभ में हिस्सा वर्तमान/भविष्य के प्रभाव सहित) सही प्रकार से संरक्षित हो रहा है। जैसा पहले कहा था, कि हमने संचालकों के क्रिया कलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा नहीं की।
- लेखापरीक्षा स्थिरता से भी बल देना चाहता है कि हमारी सभी पूछताछ और निष्कर्ष पी एस सी तक सीमित है। हम ऐसी किसी प्रक्रिया और नीति से संबंधित मामलों में नहीं जाना चाहते जो कि पी एस सी के निष्कर्षों को प्रभावित करें। जैसा पी एस सी में दिया गया है वैसा ही लिया गया हमने केवल ठेके संबंधित अनुबन्धीय दायित्वों अनुबंधों की जांच की है जैसे सरकारी और प्राइवेट ठेकेदार। हमारे निष्कर्ष सारे अनुबंध के “लिखित शब्द” से मार्गदर्शित हैं।
- जी आई पी आई के स्वर्णमानक के बारे में हम पहले ही इंगित कर चुके हैं कि इस प्रकार की संहिताबद्ध दस्तावेज या किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पैट्रोलियम उद्योग के संगठन द्वारा लाया गया मानकों का सेट नहीं था। बजाय सुस्पष्ट ‘स्वर्ण मानक’ को बताये, जी आई पी आई के केवल संचालकों द्वारा किया गया “उचित निर्णय” को बतलाता है जबकि संचालकों द्वारा व्यवसायिक निर्णय करने के लिए प्रश्न नहीं किये जा रहे थे हमने स्पष्ट किया कि हम खर्चों और कम आपूर्ति एवं उससे संबंधित निर्णयों की जांच करने का अधिकार रखते हैं, जो जी.ओ.आई के पैट्रोलियम लाभ के प्रभाव को दिखाता है।
- तेल और गैस एवं उत्पादन (ई एंड पी) के अन्वेशण की लेखापरीक्षा करने में सी ए जी की संस्था की कुशलता के बारे में चुनौती देना अनुचित होगा। यह संस्था भारत की सबसे बड़ी ई एंड पी कम्पनी, ओ एन जी सी लिमिटेड के साथ-2 आयल इंडिया लिमिटेड की कई दशकों से लेखापरीक्षा कर रही है। हमारी संस्था की सामूहिक लेखापरीक्षा की कुशलता पी एस सी हाइड्रोकार्बन की जांच की चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

अपने उत्तर में, एम ओ पी एन जी (जुलाई 2011) ने स्वीकार किया कि सी ए जी द्वारा की गई लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र लेखापरीक्षा के सामान्य मापदण्ड और वित्तीय/लेखाओं की लेखापरीक्षा को दर्शाते हुए गतिविधियों और संसाधनों को वित्तीय घटनाओं और उन पर नियंत्रण के लिये योगदान की समीक्षा की परिकल्पना की गयी है।

3.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों को निम्न भागों में बांटा गया है :

- अध्याय 4 से 6 चार ब्लाकों-केजी-डी डब्लू एन-98/3, आर जे-ओ एन 90/1 और पन्ना-मुक्ता/ताप्ती की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है।

अध्याय 4, 5 और 6 में निष्कर्ष केजी-डी डब्लू एन-98/3, आर जे-ओ एन 90/1 और पन्ना-मुक्ता ताप्ती ब्लाक/क्षेत्र से संबंधित यह दोनों ही निष्कर्ष एम ओ पी एन जी/डी जी एच के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा और इन ब्लाकों/क्षेत्रों के संचालकों के दस्तावेजों की जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर, शामिल है।

- अध्याय-7 सामान्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष (दूसरे ब्लाक/क्षेत्र से संबंधित) उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध की शर्तों के अनुपालन से संबंधित और एम ओ पी एन जी और डी जी एच के पर्याप्त और प्रभावशाली अनुवीक्षण और नियंत्रण से संबंधित है।
- अध्याय 8— निष्कर्ष एवं सामान्य सिफारिशों से संबंधित है।



4.1 विहंगावलोकन

के जी-डब्ल्यू एन-98/3 गहरे पानी का खण्ड (जोकि जी-डी 6 नाम से भी निर्दिष्ट है) 7645 वर्ग कि.मी. के संपर्क क्षेत्र सहित सन् 2000 के चक्र में सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) के समूह एन ई एल पी को दिया गया था। 'आपरेटर और निको रिसोर्स लिमिटेड (निको) का भागीदारी हित 90:10 के अनुपात में था। पी एस सी पर अप्रैल 2000 में हस्ताक्षर किए गए। खण्ड को 'गहरे पानी खण्ड' के रूप में वर्गीकृत किया है— पानी की गहराई एन डब्ल्यू में 400 मी. से एस.ई. 2700 मी. तक है। कुल 19 खोजे (धीरुभाई-1,2,3,4,5,6,7,8,16,18,19,22,23,26,29,30,31, 34 और 42) सन् 2002 और 2008 के बीच खण्ड में की गयी जिसमें से 18 गैस खोजे हैं और एक तेल खोज है।

धीरुभाई-1 और धीरुभाई-3 (डी 1-डी 3) पर गैस की विशाल मात्रा में खोज के बाद वाणिज्यिक खोज की घोषणा की गई (डी-1 अप्रैल 2003 व डी 3 मार्च 2004 में) और डी 1-डी 3 विकास क्षेत्र जो कि 339.41 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है (जो कुल खण्ड क्षेत्र का 4.5 प्रतिशत है) चित्रित किया गया था। मई 2004 में इन दोनों खोजों से, 5.3 टी.सी.एफ. के संभावित गैस भण्डार सहित 40 एम एस सी एम डी की उत्पादन दर गैस के वितरण हेतु एक प्रारंभिक विकास योजना (आई डी पी) प्रस्तुत की गयी थी: इसमें कुल 2.39 बिलियन अमरीकी डालर के पूँजीगत व्यय को लगाकर 34 तेल उत्पादक कुएं परिकल्पित किये गये (व्यय की मुख्य मद्दें विकसित किये जाये जा रहे कुएं – 944 मिलियन अमरीकी डालर एवं उत्पादन सुविधायें 1.35 बिलियन अमरीकी डालर)। परिचालन व्यय 62 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष सोचा गया था। आई डी पी 5 नवंबर 2004 को एम सी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

यद्यपि, अक्तूबर 2006 में आर आई एल ने आई डी पी को 80 एम एस सी एम डी की दर से गैस उत्पादित करने के लिए एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया जिसमें गैस के संभावित भंडार की मात्रा भी बढ़कर 11.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थी, इस पर प्रारंभिक विकास हेतु 5.2 बिलियन अमेरिकी डालर के कैपेक्स से फेस 2008–09 तक 22 उत्पादक तेल कुओं की परिकल्पना की गयी थी (जिसके मुख्य भाग हैं तेल कुओं का विकास-1.16 बिलियन अमेरिकी डालर और उत्पादन सुविधा-3.74 बिलियन अमेरिकी डालर) बाद में नवम्बर 2006 में, आर आई एल ने तकनीकी बैठकों/डी जी एच के पत्र व्यवहार के पश्चात एक संशोधित प्रस्ताव 5.2 बिलियन अमेरिकी डालर फेस-1 और 3.6 बिलियन अमेरिकी डालर फेस-1। अर्थात् कुल 8.8 बिलियन अमेरिकी डालर 50 उत्पादन करने वाले कुओं के लिये प्रस्तुत किया गया था। ए आई डी पी 12 दिसंबर 2006 को एम सी द्वारा अनुमोदित की गयी थी।

इसके साथ, एक डी ओ सी D26 (एम ऐ तेल क्षेत्र) 49.71 वर्ग कि.मी. विकसित क्षेत्र के साथ अधिसूचित किया गया था। एक अलग से विकास योजना एम ऐ तेल खोज के लिए अगस्त 2007 में 2.23 बिलियन अमेरिकी डालर की पूँजीगत लागत सहित प्रस्तुत की थी और जो अप्रैल 2008 में अनुमोदित हुई। सितंबर 2008 में एम ऐ तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन आरंभ किया गया था, जबकि डी 1 –डी 3 से अप्रैल 2009 में गैस उत्पादन शुरू किया गया था।

अनुलग्नक 4.1 में के जी-डी डब्ल्यू एन-90/3 की व्यक्तिगत खोजों का सार दिखाया गया है।

इस गहरे पानी की परियोजना का मुख्य लक्षण है 450 कि.मी की पाइप लाइन एवं अम्बलिकल बिछाना। हम इस विश्वस्तरीय महान नूतन गहरे पानी की तेल/गैर संबंधी बुनियादी सुविधा को भारत में एक रिकार्ड समय में बनाने के परिचालक के प्रयत्नों की सराहना करते हैं।

4.2 खोज और मूल्यांकन गतिविधियाँ

4.2.1 क्षेत्र का गैर-त्यागना और समस्त ठेका क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में घोषित करना

पी एस सी के 4.1 और 4.2 अनुच्छेद में क्षेत्र को चरणबद्ध रूप से छोड़ने का निर्धारण किया है, जिसमें ठेकेदार को एक्सप्लोरेशन फेस-। और एक्सप्लोरेशन-फेस-॥ के बाद नये एक्सप्लोरेशन में प्रवेश से पहले ठेका क्षेत्र का अधिकतम 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत (विकास क्षेत्रों और खोज को सम्मिलित करते हुये)²⁶ के प्रतिधारण की अनुमति देता है। एक्सप्लोरेशन अवधि की समाप्ति पर, ठेकेदार को केवल खोज और विकास क्षेत्रों के प्रतिधारण की अनुमति दी गई है।

के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 समस्त के ठेका क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में डी जी एच और एम ओ पी एन जी द्वारा स्वीकृत पी एस सी की शर्तों के अनुसार नहीं

हमने पाया कि पी एस सी प्रावधानों के विपरीत, ठेकेदार को फेस-। और फेस-॥ प्रत्येक की समाप्ति पर कुल ठेको का 25 प्रतिशत छोड़ बिना दूसरे और तीसरे एक्सप्लोरेशन फैसों में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी। बाद में फरवरी 2009 में भारत सरकार ने भी समस्त ठेका 7645 वर्ग कि मी क्षेत्र को खोज क्षेत्र' के रूप में मानने के लिये अनुमोदन देते हुए अवगत कराया था, इस प्रकार आपरेटर पूरी तरीके से क्षेत्र के त्याग से बचने योग्य बना रहा।

के जी-डी डब्ल्यू एन 98/3 के 'ठेका क्षेत्र को समस्त खोज क्षेत्र' के रूप के अनुमोदन संबंधित घटनाओं के कालक्रम को नीचे दिया गया है।

तालिका 4.1-समस्त ठेका क्षेत्र की खोज क्षेत्र के रूप में घोषणा करना और त्याग न करने से संबंधित घटनाओं का कालक्रम

| दिनांक | घटना | लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ |
|----------------|--|--|
| 21 अप्रैल 04 | पी एस सी के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार डी जी एच ने आर आई एल को सूचित किया था, कि आपरेटर भारत सरकार को कम से कम तीस दिनों से पहले, संबंधित फेस के समाप्त होने पर नोटिस देगा कि वह या तो अगले एक्सप्लोरेशन फेस के लिये कार्रवाई करेगा या समस्त ठेका क्षेत्र को छोड़ देगा है (किसी भी विकास क्षेत्र और किसी भी खोज क्षेत्र के अलावा), और किसी भी तरह की वाणिज्यिक खोज के संबंध में विकास और उत्पादन कार्य को करना है। तदनुसार डी जी एच ने आर आई एल से अनुरोध किया था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये 6 मई 2004 से पहले एक एम.सी. की बैठक बुलाये। | |
| 29 अप्रैल 2004 | आर.आई.एल. ने डी.जी.एच. को सूचित किया था कि: | <ul style="list-style-type: none"> • दस एक्सप्लोरेटरी कुओं को खण्ड में ड्रिलिंग किया जा चुका था, जिस पर आधारित आठ खोजों को अधिसूचित किया गया था। डी-1, डी-2 और डी-3 |

²⁶ यदि खोज और विकास क्षेत्र ठेका क्षेत्र के 75 प्रतिशत/50 प्रतिशत से अधिक होता है तो ठेकेदार समस्त विकास और खोज क्षेत्र का प्रतिधारण कर सकते हैं।

के व्यवसायिकताओं का डी जी एच द्वारा अनुमोदन किया गया था और डी-1 एवं डी-3 विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, जिसे एम सी अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

- संभवानाओं और जटिलताओं की प्रकृति की जांच करने के बाद आपरेटर का विश्वास था कि इस खण्ड में ज्यादा संभावनाये थी, जो कि एक व्यापक एक्सप्लोरेशन के लायक था, और पी एस सी के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, दूसरे एक्सप्लोरेशन फेज में बढ़ने का इरादा अधिसूचित करने के इरादा पहले एक्सप्लोरेशन फेस 6 जून 2004 को समाप्त होने के पश्चात किया।
- आर आई एल ने भी प्रस्तुत किया था कि वह निम्नलिखित कारणों से पी एस सी के अनुच्छेद 4 के तहत क्षेत्र को छोड़ने के लिये खण्डों में किसी भी क्षेत्र की पहचान करने की स्थिति में नहीं था:
- समस्त खण्ड क्षेत्र में 2001 के दौरान 2 डी सर्वे किया गया था और इस पर आधारित भावी सुरागों की पहचान की जा चुकी थी जो कि पूरे ब्लाक क्षेत्र में फैली हुई थी। कुछ भावी सुराग 3 डी सर्वे द्वारा भी शामिल किये गए थे जिसके बाद एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की गई थी। तबतक ड्रिल किये गये कुओं में हाइड्रोकार्बन पाया गया था।
- इस खण्ड में अब तक 2 डी और 3 डी कवरेज पर आधारित, आर आई एल सभी खण्डों में फैले हुये अनेक स्वतंत्र चैनलों का मानचित्र बनाने में समर्थ था। चैनल दोनों पार्श्व और उर्ध्व रूप से विभिन्न आर्किटेक्चर और निरंतता को प्रदर्शित करता था।
- आर आई एल ने अभी हाल में खण्डों में अतिरिक्त 3 डी का 3165 वर्ग कि.मी. भूकंपीय डाटा का अधिग्रहण पूर्ण किया था। डाटा को प्रसंस्करण करने के लिये आस्ट्रेलिया भेजा जा चुका था। पूर्ण डाटा दस्तावेज जिसमें 4987 वर्ग कि.मी. शामिल था का प्रसंस्करण होना था जो कि लगभग पांच छ: महीनों में तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त आर आई एल तब तक विभिन्न लाग, कौर डेटा, डी एस टी (ड्रिल स्टैम टैरिंग) आदि के द्वारा खण्डों में 10 ड्रिल किये हुये कुए से काफी सूचना भी इकट्ठी कर चुका था। इन व्यापक दस्तावेजों का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी और भावी क्षेत्रों और भूकंपीय विशेषताएं की गहरायी से आकलन करने के लिये उपयोग किया गया था।
- आर आई एल ने अब तक ड्रिल किये गये कुए के

आपरेटर द्वारा प्रतिबद्ध एम डब्ल्यू पी आधारित एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की संभावनाओं की पहचान करने के लिये 2 डी और 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया जाता है। 2 डी और 3 डी दस्तावेजों का ए पी आई केवल एक्सप्लोरेटरी फेसों में पूर्ण करना होता है। एक बार खोज करने के बाद, केवल रिजर्वायर के चित्रण का मूल्यांकन और विकास क्षेत्र की सरहदबंदी की जाती है। हालांकि, बिना ड्रिल किये हुये कुऐ, पी एस सी के प्रावधानों के अनुसार खोज/खोज क्षेत्र के साथ लगी हुई परिस्थितियों का पालन नहीं किया गया था। सभी खोजें (एक्सप्लोरेटरी कुएं की अवस्था होने पर) उत्तर पश्चिम (एन डब्ल्यू) ठेका क्षेत्र के हिस्सों (सामान्य रूप में, दक्षिण पूर्व (एस ई) हिस्से के मुकाबले कम गहरा जहां पर नई खोजे हो पायी) में निहित थी। आपरेटर का विचार कि सभी सम्पर्क क्षेत्र में पैट्रोलियम विद्यमान था, सम्पर्क क्षेत्र के सभी हिस्सों में बिना ड्रिल किये हुये, इस प्रकार आधारहीन थी, और 2 डी जी एच को ठेकेदारों

7 मई 2004

परिणामों पर आधारित खण्डों में अधिग्रहण के सभी 2 डी की पुनर्साधन व्याख्या को परिष्कृत और चैनल प्रणाली का मानचित्रण करने के लिये भी प्रस्ताव दिया था।

- अतिरिक्त/पुनर्साधन भूकंपीय डाटा के आधार पर, सभी खण्डों को कवर करने के लिये अतिरिक्त एक्सप्लोरेटरी, मूल्यांकन ड्रिलिंग की जायेगी।
- उपरोक्त आधार पर, आपरेटर का विचार था कि पैट्रोलियम विद्यमान था और सभी संपर्क क्षेत्र से एक संपूर्ण एक्सप्लोरेटरी/मूल्यांकन

प्रोग्राम के बाद व्यवसायिक मात्रा में उत्पादित किया जायेगा जो कि खोज क्षेत्र माना गया था। आपरेटर सैकण्ड एक्सप्लोरेशन फेस के दौरान इस खोज क्षेत्र की संभावनाओं का मूल्यांकन का प्रयास जारी रखेगा।

डी जी एच ने आर आई एल को सूचित किया कि:

- आर आई एल द्वारा रखे गये कारणों से उसकी असमर्थता जिसमें उसको कम से कम 25 प्रतिशत छोड़ने के लिये पहचान करनी थी, का मामला नहीं बनता था।
- 2डी भूकंपीय व्याख्या पर आधारित दो प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की गयी थी। प्राथमिकता-। और प्राथमिकता-॥ 2 डी भूकंपीय व्याख्या पर आधारित भावी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता-। और प्राथमिकता-॥ के अन्दर रखा गया था। उस समय पर, आगे के एक्सप्लोरेशन और विकास के दृष्टिकोण से आ रही आर आई एल का मुख्य फोकस प्राथमिकता-। क्षेत्र के अन्दर स्थानीयकृत था। अतः कम प्राथमिकता के क्षेत्रों, अन्य निम्न प्राथमिकता क्षेत्रों के साथ छोड़ने के लिये पहचाने जा सके।
- इसके अतिरिक्त, 12 महीनों के लिये विस्तार (सितंबर 2003) की अनुमति दी गयी जो जून 2003 से प्रभावी मानी गयी, ताकि प्रथम एक्सप्लोरेशन फेस की समाप्ति पर विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित आपरेटर को छोड़ने के लिये क्षेत्र (क्षेत्रों) की पहचान की जा सके।
- अतः डी जी एच को एक्सप्लोरेशन के फेस-॥ में प्रवेश करने से पहले किसी भी प्रकार के क्षेत्र को छोड़ने के आपरेटर का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह पी एस सी की भावना के

को मजबूर करना चाहिए था कि वह ठेका क्षेत्र के 25 प्रतिशत हिस्से को छोड़े, 7 जून 2004 को सैकण्ड एक्सप्लोरेशन फेस में प्रवेश करने से पहले।

डी जी एच ने आर आई एल द्वारा 25 प्रतिशत संपर्क क्षेत्र छोड़ने के लिये बतायी गयी अपनी असमर्थता के कारणों को स्वीकार नहीं किया था।

डी जी एच ने सुझाव दिया था निम्न भावी के क्षेत्रों को जिनको छोड़ा जा सकेगा।

विरुद्ध था। फलस्वरूप एक्सप्लोरेशन के फेस-1। मैं प्रवेश करने से पहले पी एस प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र (क्षेत्रों) को छोड़ने के लिये आपरेटर को सलाह दी गयी थी।

आर आई एल ने डी जी एच को बताते हुये लिखा था कि:

- यह सत्य है कि 2 डी भूकंपीय डाटा व्याख्या पर आधारित, आपरेटर ने दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। वह प्राथमिकता भी पानी की गहराई, किनारे से दूर और खोज के मामले में विकास विचारणीय, भावी दृश्टिकोण के अलावा द्वारा प्रभावित थी। तदनुसार, ज्यादातर प्रयासों को एक्सप्लोरेटरी पहलों विशेषतः प्राथमिकता—। जहां पर ज्यादातर कुएं ड्रिल किये गये थे पर ध्यान दिया गया था। फेस-1 के तहत उपलब्ध सीमित समय को ध्यान में रखते हुये, आपरेटर को एक्सप्लोरेशन के लिये क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी थी और इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य क्षेत्र प्रत्याशित नहीं थे।
- 4 वर्शों की कम अवधि के अन्दर, आपरेटर द्वारा 3 डी डाटा के 4967 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा चुका था और खण्डों में ड्रिल किये गये 10 कुओं से व्यापक सूचना भी एकत्रित की गई थी। उनकी यह भी योजना बन चुकी थी कि शेष क्षेत्र में आगे 3 डी डाटा का अधिग्रहण किया जाये। सभी 2 डी और 3 डी डाटा का पुर्णसंसाधन और विभिन्न लाग, कोर डेटा, इनवर्सन स्टडी आदि का विस्तृत विश्लेशण भी भूकंपीय विशेषताओं और 2 डी के आधार पर पहचाने गये भावी क्षेत्र पर आपरेटर की समझ को बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने साथ में लगे खण्डों, जो कि उन्हें दिये गये थे, के भी भूकंपीय डाटा का अधिग्रहण किया और यह उन्हें एक क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक माडल और क्षेत्रीय आधार पर भावी मानविक बनाने के लिये सहायक होगा।
- यह शायद उस आधार पर था कि पी एस सी ने ठेकेदार को संबंधित एक्सप्लोरेशन फेस की समाप्ति पर सभी 'खोज क्षेत्रों' को अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी और परिभाशा के द्वारा 'खोज क्षेत्र' ठेकेदार की राय पर आधारित था जो कि सभी खण्ड क्षेत्र की तरह माना गया था।
- आर आई एल विश्वास करता था कि इस स्तर पर किसी भी क्षेत्र को छोड़कर बिना एक्सप्लोरेटरी पहल की समय पूर्व समाप्ति हाइड्रोकार्बनिक सम्भावित परिणामों का मूल्यांकन किये बिना और इससे पी एस

एन ई एल पी की भावना यह है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन और न्यूनतम एक्सप्लोरेशन की होर्डिंग। यह ठेकेदार का कर्तव्य है कि पी एस सी प्रावधानों के साथ छोड़े गये क्षेत्रों (संबंधित भावी, प्राथमिकता के उसके मूल्यांकन) और एक्सप्लोरेशन के लिये पी एस सी उल्लेखित समय सीमा के अन्दर एक्सप्लोरेटरी पहले (विशेषतः ड्रिलिंग) के लिये क्षेत्रों को प्राथमिकता दे।

एक क्षेत्र की भावी संभावनायें पैट्रोलियम भण्डार की उच्च संभावनाओं को दर्शाती हैं, परन्तु खोज के बराबर नहीं हैं जिसका मतलब पैट्रोलियम की वास्तविक खोज है।

आर आई एल की आस्था पी एस सी प्रावधानों के विरुद्ध थी। पी एस सी प्रावधानों की तर्ज पर क्षेत्र का छोड़ना एक्सप्लोरेटरी पहल की 'समयपूर्व' समाप्ति नहीं थी।

11 जून 2004

19 जुलाई 2004

24 जुलाई 2004

सी की भावना को बाधा डालने वाला होगा।

- आर आई एल ने एक बार फिर से डी जी एच को अपील की थी कि इनके दृश्टिकोण पर पुनः विचार करें और पूछा कि उन्हें उन भावी खण्डों की हाईड्रोकार्बन सम्भावनाओं के मूल्यांकन पूर्ण करने का अवसर इस विचार के साथ दें कि सभी ठेका क्षेत्र 'खोज क्षेत्र' होगा।

डी जी एच ने आर आई एल को सूचित किया था कि आपरेटर द्वारा प्राथमिकता—। क्षेत्र में स्थित खण्डों में आठ खोजों को अधिसूचित किया जा चुका था। कोई भी कुआं इसे खोज क्षेत्र के रूप में मानने के लिये प्राथमिकता—॥ मैं ड्रिल किया गया था। अतः सम्पूर्ण क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में नहीं माना जा सका और डी जी एच के पास आर आई एल से कोई दस्तावेज तथ्य के समर्थन में नहीं था कि संपूर्ण क्षेत्र खोज क्षेत्र था। सभी 2 डी और 3 डी भूकंपीय दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे और डी जी एच संलग्न मानचित्र (आर आई एल द्वारा) जिसमें 2 डी भूकंपीय दस्तावेज पर आधारित भावी क्षेत्रों को दिखाया जा रहा है समझने में असमर्थ था। पी एस सी के अनुसार, आर आई एल को एक्सप्लोरेशन के फेस—॥ में प्रवेश करने से पहले खण्ड क्षेत्र का कम से कम 25 प्रतिशत वापिस लौटाना था।

डी जी एच, आर आई एल के नोटिस को प्रस्तुत करते समय कि मामला आर आई एल के प्रतिनिधियों के साथ 25-6-2004 को डी जी एच पर चर्चा की गयी थी, स्पष्ट किया गया था, कि प्राथमिकता क्षेत्र—। से परे किसी भी तरह की वर्तमान खोज को नहीं बढ़ाया गया था और प्राथमिकता क्षेत्र—॥ मैं कोई भी कुआं ड्रिल नहीं किया गया था। अतः यह संभव नहीं था कि कुल खण्ड क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में माना जाये। अतः डी जी एच ने आर आई एल से अनुरोध किया था कि जितना जल्दी हो सके खण्ड क्षेत्र के 25 प्रतिशत को छोड़ें।

- आर आई एल ने डी जी एच को सूचित किया था कि वे खण्ड क्षेत्र में आन्तरिक एक्सप्लोरेशन गतिविधि कर चुके थे। व्यापक भूकंपीय दस्तावेज कार्यवाही/पुनर्साधन और खण्डों में अधिनिरूपण ने खण्डों में गहरे पानी भू-विज्ञान व्यवस्थित समझने में सहायता की थी और इसके अलावा के जी अपतट बेसिन के विस्तृत ज्ञान को अर्जित किया गया। चैनल में कार्यान्वित की गई एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग अर्ध और

डी.जी.एच. खोज क्षेत्र को बताने में सही था। फिर भी डी.जी.एच. को चाहिए था कि आर.आई.एल. को 25 प्रतिशत क्षेत्र को छोड़े बिना द्वितीय फेज में जाने से रोकना था।

इस समय आर आई एल खण्ड क्षेत्र के 25 प्रतिशत को छोड़े बिना फेस—॥ में प्रवेश द्वारा पी एस सी प्रावधानों का पहले से ही उल्लंघन कर चुका था।

दूरस्थ लीवि कैम्पलेक्सो में की गयी प्लाइयो, ठेकेदार का विचार कि मयोसिन युग के कई हाईड्रोकार्बनिक गैस भारित पैट्रोलियम के सभी संपर्क बलुआ पत्थर रिजर्वायर का पता चला। आपरेटर ने कुआं और भूकंपीय दस्तावेज पर आधारित, एक वैचारिक भू-विज्ञान नमूना और उसके साथ ही साथ बालू विकास ढंग और संबंध रिजर्वायर जटिलताओं की गहन जांच की थी।

- विद्यमान 2 डी की व्याख्या के परिणामों का एकीकरण और 3 डी भूकंपीय क्षेत्र पर संकेन्द्रित किया गया था और साथ ही साथ ड्रिल किये गये कुओं की पूर्ण व्यवस्थित सूचना वायर लाईन/एल डब्ल्यू डी-एम डब्ल्यू डी सूचना को सम्मिलित करते हुये मद लौगिंग आंकड़े में दिखाया गया था कि हाईड्रोकार्बन गैस वाल्यूम की मात्रा चैनल सेंड रिजर्वायर के अन्दर विद्यमान थी और साथ ही साथ अन्तर-चैनल क्षेत्रों के रिजर्वायर में भी मौजूद थी।
- आर आई एल ने कहा था कि उसके द्वारा की गयी एक्सप्लोरेशन गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त संपूर्ण सबूत को विचार करने पर, निम्नलिखित को सारांशित किया जा सका।
- 3 डी भूकंपीय आंकड़े और नये 2 डी प्राप्त आंकड़े और प्राप्त किये गये विद्यमान सबूत पर आधारित उप समुद्री चैनलों परिसरों की एक शृंखला का मानचित्रण किया गया था।
- एक्सप्लोरेटरी खण्डों में गैस के भंडार के अस्तित्व का पहले से ज्ञान नहीं होना सतह पर व्यवसायिक प्रवाह विशेषताओं के साथ पायी गयी थी।
- कुछ मानचित्र किये गये चैनल सिस्टम के भीतर विभिन्न गैस पानी संपर्क (जी डब्ल्यू सी) के साथ गैस की मौजूदगी से पूर्व क्षेत्रों में विद्यमान 3 डी क्षेत्र और दक्षिण में मानचित्र किये गये डिस्टल फेन लोबस में गैस की नये मात्रा और अतिरिक्त खोज की संभावनाओं को बढ़ाया था।
- गैस रिजर्वायर (दोनों पतली बेड और मोटी बालू में) चैनल बालू साथ ही साथ अंतर-चैनल क्षेत्रों के अन्दर पाये गये थे।
- अतः अब तक की गई खोज और संपर्क क्षेत्र में ड्रिल किये गये कुओं से प्राप्त परिणामों पर आधारित ठेकेदार का विचार था कि पैट्रोलियम के विद्यमान होने की संभावना थी और सभी अनुबंधित क्षेत्रों जो कि 'खोज क्षेत्र' माना गया था एक विस्तृत अन्वेशणात्मक/मूल्यांकन प्रोग्राम के बाद व्यवसायिक मात्रा में उत्पादक के रूप में प्रस्तुत किया जा

सकेगा। संचालन द्वितीय अन्वेशणात्मक फेस के दौरान इस खोज क्षेत्र की संभावनाओं के आंकलन के प्रयासों को जारी रखेगा।

12 अगस्त-04

डी जी एच ने दोहराया था कि समस्त अनुबंधित क्षेत्र खोज क्षेत्र के रूप में माना नहीं जा सकता और पी एस सी के 4.1 अनुच्छेद के अनुसार आर आई एल को खण्ड क्षेत्र का 25 प्रतिशत छोड़ना था।

डी जी एच ने आगे बताया कि उस बारे में आर आई एल मदद देने के लिए, उन्होंने विकल्प रूप में खण्ड क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों को छोड़ने के लिये पहचान की थी जिसे आर आई एल आसानी से छोड़ने के लिए सहमत हो सके और वह अपने पी एस सी दायित्व को पूरा कर सके। विकल्प उनके (आर आई एल) मानचित्र से लिया गया था। डी जी एच ने तदनुसार, बताया कि यह उनके लिये सुविधाजनक होगा कि उन विकल्पों में से बाहर 25 प्रतिशत क्षेत्र छोड़े। यद्यपि आर आई एल को खण्ड के किसी भी अन्य हिस्से को छोड़ने हकदार था और एक के विकल्प प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता था।

19 अक्टूबर-04

डी जी एच ने अनुरोध करते हुए एक अनुस्मारक आर आई एल को भेजा, कि छोड़ने के लिये क्षेत्र की पहचान करें और पी एस सी दायित्व को पूरा करने के लिये एक प्रस्ताव एम सी के विचार हेतु प्रस्तुत करें।

15 अप्रैल-05

पी एस सी के अनुच्छेद 4.1 एवं 1.39 और डी जी एच और आर आई एल के भू वैज्ञानिक के बीच हुए तकनीकी विचारों का आदान प्रदान का हवाला देते हुए आर आई एल ने बताया कि बैठकों में ठेकेदार द्वारा दोनों काम स्टेशन पर और पेपर प्रिन्टों पर विभिन्न भूकंपीय मानचित्रों के माध्यम से समस्त अनुबंधित क्षेत्र में विद्यमान पैट्रोलियम प्रणाली पर ठेकेदार की राय के आधार के बारे में विस्तार से समझाया गया था। आर आई एल ने यह भी बताया कि हाल में डी 6 एच 1 और डी 6-जी 1 ऐ में ठेकेदार द्वारा की गयी खोजों ने समस्त अनुबंधित क्षेत्र में विद्यमान पैट्रोलियम प्रणाली के बारे में पहले से अवगत कराये गये ठेकेदारों के विचार को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त ठेकेदार ने पहले से 2001 में प्राप्त विद्यमान 2 डी भूकंपीय आंकड़ों का बेसमेंट सहित गहरी घटनाओं की छवि के सुधार हेतु पुनर्संसाधन किया था। इस अध्ययन से समस्त अनुबंधित क्षेत्र में विद्यमान इस तरह की स्पष्ट भूकंपीय आयाम विशेषताओं को भी प्रकाश में लाया गया था। पी एस सी प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदारों के विचार पी एस सी के

डी जी एच द्वारा छोड़ने के लिये क्षेत्र को पहचान करना ठीक था। तथापि, यह द्वितीय अन्वेशण फेस में आर आई एल को बढ़ने से पहले करना चाहिये या आर आई एल को सैकण्ड अन्वेशण में बिना क्षेत्र छोड़े बढ़ने से रोका जाना चाहिये था।

'खोज क्षेत्र' के सीमांकन की चर्चा और बहस करते समय डी जी एच ने आर आई एल को द्वितीय फेस में अन्वेशण कार्य को जारी रखने के लिये लगभग नौ महीने की अनुमति दी थी, गहरे पानी में ड्रिल योग्य रिंग की अनुबंध का तथ्य (जैसा कि संपर्क क्षेत्र के एस ई हिस्से में एन डब्ल्यू हिस्से में से इसके विपरीत जहां पर सभी खोजे हो चुकी थी) केवल आर आई एल की अन्वेशण क्षेत्र ऐक्रीज की बिना छोड़े जमा

22 अप्रैल
2005 / 2 मई
2005

संबंधित प्रावधानों से पूर्ण रूप से मिलते थे।

आपरेटर ने नवीनतम स्टार मैप, पालियो पालिस्टोसिन स्वीटनेस विस्तार मैप डिपोजिटनल माडल और डीप वाटर प्ले टाईप भी संलग्न किये थे जो कि उनके अनुसार समस्त संपर्क क्षेत्र में खोज क्षेत्र विस्तार प्रदर्शित करते थे। ठेकेदार की यह राय थी कि खोज क्षेत्र समस्त मूल अनुबंधित क्षेत्र में फैला हुआ है और इसलिये ठेकेदार समस्त खोज क्षेत्र अर्थात् समस्त अनुबंधित खोज क्षेत्र को रखने का हकदार होगा। ठेकेदार की यह राय फेस-। मैं डी जी एच/जी ओ आई को संप्रेषित की गयी थी।

इस प्रकार ठेकेदार को मूल ठेका क्षेत्र से कोई हिस्सा त्यागने की आवश्यकता नहीं थी।

उपर के संदर्भ में आर.आई.एल ने दोहराया कि ब्लॉक के जी-डी.डब्ल्यू.एन-98/3 में खोज क्षेत्र की सीमा पर ठेकेदार का संकल्प पूरी तरह से पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुरूप व तकनीकी औचित्य पर आधारित था।

आर.आई.एल ने एक सावधान आपरेटर की तरह पहले ही अतिरिक्त दोआयामी त्रिआयामी भूकंपीय डाटा ठेका क्षेत्र में अधिग्रहण करने की योजना बना ली थी व खोज क्षेत्र में और आर्थिक खोजपूर्ण कुओं की खुदाई कर ली थीं। इन में से कुछ क्षेत्रों में खुदाई इस लिए नहीं हो पाई क्योंकि पानी की गहराई जुटाई गई ड्रिलशिप की क्षमता से अधिक थी व इसके लिए उच्चत जेनरेशन रिंग चाहिए थी।

डी.जी.एच ने कहा कि ये माना जा सकता है कि कुछ प्ले टाईप त्रिआयामी कवर क्षेत्र से दोआयामी कवर क्षेत्र में चालू हो पर इसका अर्थ यह नहीं कि खोज भी पूरे ठेका क्षेत्र में चल रही थी। इसके अलावा किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्ले टाईप का चालू रहना यह संकेत नहीं करता कि उसी क्षेत्र में खोज बिना स्पष्ट खोजपूर्ण कदमों के की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहां तक संबद्ध पी.एस.सी में दी गई खोज की परिभाषा की दो अलग व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन डी.जी.एच ने कहा वे मानते हैं कि उपलब्ध दोआयामी भूकंपीय डाटा के आधार पर ब्लॉक के बाकी हिस्से में संभावना अधिक थी। डी.जी.एच ने आगे कहा कि ठेका क्षेत्र में अधिकतर प्ले टाईप प्रकृति में शैल विज्ञान टाईप के थे उनकी ज्यामिति व बचे हुए ठेका क्षेत्र में निरंतरता की स्थापना केवल त्रिआयामी भूकंपीय डाटा के अर्जन व व्याख्या के बाद स्पष्ट निर्धारित हो सकती

करने की पुष्टि करता है। ड्रिलिंग रिंग का अनुपलब्धता समस्त अनुबंध क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में घोषित करने या ना छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं है।

यह डी.जी.एच की राय में वापस मुड़ने की शुरूआत का प्रमाण है जहां पूरे ठेका क्षेत्र में कुओं की खुदाई (परिणामिक खोजों के साथ) के बजाय जोर केवल बाकी क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपीय डाटा के अधिग्रहण और व्याख्या करने तक तथा बाद में त्याग को उचित तरीके से कार्यबद्ध करने पर था।

थी।

इसलिए, डी.जी.एच ने कहा कि यह विवेकपूर्ण होगा कि ब्लॉक के बाकी हिस्से का भूकंपीय डाटा लेकर उसकी व्याख्या फास्ट ट्रैक आधार पर की जाए ताकि प्ले टाईप की ज्यामिति व निरंतरता तथा उच्च आयाम विसंगतियाँ, जो कि उपलब्ध दोआयामी भूकंपीय द्वारा पाई गई है, का ठेका क्षेत्र में पहले से की गई खोजों से संबंध स्थापित किया जा सके। इसके उपरान्त, त्याग क्षेत्र का निर्धारण भी सही तरीके से किया जा सकेगा। आगे, आर.आई.एल द्वारा उपरोक्त विषय पर संबंधित विभिन्न पी.एस.सी धाराओं जैसा कि अनुच्छेद 4.1 व 1.39 पर स्पष्टीकरण/व्याख्याओं को आर.आई.एल द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि वह ठीक से व्याखित हुई प्रतीत नहीं होती व इसलिए डी.जी.एच को मान्य नहीं थी।

फलस्वरूप डी.जी.एच ने आर.आई.एल को बाकी ब्लॉक में त्रिआयामी डाटा अधिग्रहण करने की अपने भविष्य की योजनाओं व वास्तविक समय सीमा बताने को कहा ताकि प्ले टाईप की ज्यामिति व निरंतरता पूरे ब्लॉक में सही से स्थापित की जा सके।

13 मई 2005

आर.आई.एल ने ब्लॉक के बाकी हिस्से में त्रिआयामी भूकंपीय डाटा अधिग्रहण व व्याख्या को फास्ट ट्रैक आधार पर मानते हुए अन्य किए गए व किए जाने वाले कामों को बताया। आगे उन्होंने दोहराया कि ठोस तकनीकी तर्क आधार पर, ठेकेदार को मूल ठेका क्षेत्र के किसी क्षेत्र को त्याग करने की जरूरत नहीं थी। यद्यपि आर.आई.एल ने कहा कि वह अपने खोज क्षेत्र के फैलाव के अपने विचार को मजबूत बनाने हेतु अतिरिक्त अन्वेषण/मूल्यांकन प्रोग्राम करने की योजना बना रहे थे।

24 मई 2005

पहले व दूसरे ई.पी. के काम का वर्णन करते हुए आर.आई.एल ने के.जी-डी-6 ब्लॉक के तीसरे अन्वेषण चरण में प्रवेश का डी.जी.एच को नोटिस दिया। आपरेटर (आर.आई.एल) ने अधिसूचित किया कि ब्लॉक में बहुत अधिक अन्वेषण कार्य किए जाने के कारण व उनके इस विचार को शक्तिशाली बनाने हेतु कि पूरे ठेका क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन संभावना है तथा उनके जारी/योजनाबद्ध अन्वेषण प्रयासों के कारण व पी.एस.सी की धारा 3.5 के अनुसार अपनी इच्छा अधिसूचित की कि वह तीसरे अन्वेषण चरण में आगे बिना किसी क्षेत्र का त्याग किए

आर.आई.एल बिना किसी क्षेत्र का त्याग किए तीसरे चरण में आगे बढ़ने के रास्ते पर कामयाब हो गया।

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>जाना चाहते हैं। क्योंकि जो कारण दूसरे अन्वेषण चरण में शामिल होने के समय अधिसूचित किए गए थे वह अभी भी प्रचलित है।</p> | |
| 24 मई 2005 | <ul style="list-style-type: none"> डी.जी.एच ने आर.आई.एल को सूचित किया (उनके 13 मई 2005 के पत्र के संदर्भ में) कि जैसा कि उनके (आर.आई.एल) पत्र में बताया गया था कि 700 वर्ग किलो मीटर भूकंपीय डाटा प्राप्त करने के बाद कुल त्रिआयामी कवरेज ब्लॉक क्षेत्र का 70 प्रतिशत होगा व बाकी 30 प्रतिशत क्षेत्र बिना त्रिआयामी कवरेज होगा, जिसकी भू-निकायों/चैनल लेवी कम्पलेक्स का विस्तार बनाने हेतु कोई अर्थ पूर्ण व्याख्या नहीं होगी। <p>डी.जी.एच ने आर.आई.एल को (अपने पत्र दिनांक 02 मई 2005 को आगे बढ़ाते हुए) पूरे ब्लॉक में प्ले टाईप की ज्यामिति व निरंतरता को स्थापित करने हेतु त्रिआयामी भूकंपीय डाटा प्राप्त करने की वास्तविक समय सीमा प्रदान करने के लिए फिर निवेदन किया।</p> <p>उनके (आर.आई.एल के) पूरे ब्लॉक क्षेत्र को रखने के निवेदन को पूरे ब्लॉक क्षेत्र में त्रिआयामी कवरेज पाने के बाद जांचा जाएगा।</p> | <p>डी.जी.एच के विचार में यह परिवर्तन कि ठेकेदार के पास पूरा क्षेत्र रहे ताकि वह केवल त्रिआयामी आवरण कर सके पूरी तरह से दिख रहा है। डी.जी.एच खंड क्षेत्र के किसी हिस्से को त्यागने पर अब जोर नहीं दे रहा था। यह रुख में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।</p> |
| 4 जून 2005 | <p>आर.आई.एल ने तीसरे अन्वेषण फेज में प्रवेश करने व पूरे ठेका क्षेत्र (विकसित क्षेत्र के अलावा) को बिना किसी त्याग के खोज क्षेत्र के रूप में रखने के आपरेटिंग कमेटी के 10.05.2005 के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।</p> | |
| 16 जून 2005 | <p>आर.आई.एल ने डी.जी.एच (पूरे ब्लॉक को त्रिआयामी कवरेज के बाद पूरे ब्लॉक को धारण किया जाने के मुद्दे पर) को सूचित किया कि 70 प्रतिशत ब्लॉक क्षेत्र त्रिआयामी सर्वेक्षण से व बाकी को मूल दोआयामी से आबंटित किया जा चुका है। वे बाकि क्षेत्र को कवर करने के लिए कदम उठा रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि त्रिआयामी कवरेज से उनकी इस राय को कि पूरे ब्लॉक क्षेत्र में चैनल सिस्टम की निरंतरता है, को पक्का करेगा अन्ततः गहरे पानी क्षेत्र में अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन संभाव्य स्थापित करने हेतु अतिरिक्त अन्वेषण कुओं की खुदाई करनी पड़ेगी। जिसके लिए वे आर.आई.एल अल्ट्रा डीप वाटर रिंग किराये पर लेने का प्रयास कर रहे थे शेष के जी-डी-6 क्षेत्र में उपयुक्त भूकंपीय वैसल चिन्हित करने</p> | <p>डी.जी.एच ने त्रिआयामी भूकंपीय डाटा के अतिरिक्त अन्य किसी आवश्यकता का जिक्र नहीं कर रहा है।</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| | के बाद त्रिआयामी भूकंपीय अधिग्रहण वास्तविक कार्यक्रम की तरफ लौटेगी। | |
| 17 जून 2005 | डी.जी.एच ने आर.आई.एल को सूचित किया (आर.आई.एल के 24 मई 2005 के तीसरे ई.पी में प्रवेश की सूचना के संदर्भ में) पी.एस.सी. के अनुच्छेद 4.2 के संदर्भ में सूचित किया कि फेज 1 के अंत में 25 प्रतिशत के खंड क्षेत्र के त्याग का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है व आर.आई.एल से पुनः अनुरोध किया कि पूरे ब्लॉक/क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपीय आवरण करने के लिए एक वास्तविक समय सीमा बताये। | |
| 15 जुलाई 2005 | आर.आई.एल ने डी.जी.एच को सूचित किया कि उन्होंने के.जी-डी-6 सहित पूर्वी तट पर आर.आई.एल के ब्लॉक का त्रिआयामी अधिग्रहण कार्यक्रम गठित कर लिया था। निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी व भावी आधिग्रहण कार्यक्रम फील्ड मौसम 2005–06 (मानसून के बाद) में शुरू होना था। | |
| 11 जुलाई 2006 | एम.सी ने अपनी बैठक में तय किया कि ठेकेदार द्वारा पूरे ब्लॉक क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपीय डाटा प्राप्त किए जाने व प्रस्तुत करने के प्रकाश में वह ठेकेदार की राय से सहमत है कि संभावित/भू प्ले की पूरे ब्लॉक में निरंतरता है व पी.एस.सी के अनुच्छेद 4 के अनुसार कोई क्षेत्र त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। | |
| 1 अगस्त 2006 | पैट्रोलियम व प्राकृतिक मंत्रालय को ठेकेदार द्वारा पूरे ठेका क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में मानकर अपने पास रखने की पृष्ठ भूमि बताते हुए डी.जी.एच ने बताया कि आर.आई.एल द्वारा एम.सी के साथ 11 जुलाई 2006 की भेटवार्ता में दिए गये तकनीकी प्रदर्शन के आधार पर ठेकेदार ने खंड की दक्षिण सीमा में एक पंरवा-प्रणाली युक्त चैनल लीवि काम्प्लेक्स की उपस्थिति को सिद्ध किया। एम.सी ने आर.आई.एल को अगले चरण में बिना कोई क्षेत्र त्यागे प्रवेश करने की अनुमति दे दी क्योंकि आंकड़े खंड क्षेत्र में खोजों की निरंतरता को दर्शा रहे थे। डी.जी.एच ने अपने पत्र में सूचित किया कि आर.आई.एल ने फेज-I एक का एम.डब्ल्यू.पी पूरा कर के 7.6.04 को फेज-II में प्रवेश किया। पी.एस.सी. के अनुसार उन्हे कुल ब्लॉक क्षेत्र के 7645 वर्ग कि.मी. में से 25 प्रतिशत यानि | डी.जी.एच ने और अधिक लचीलापन दिखाया और एम.सी ने केवल एक डी.जी.एच प्रतिनिधि के साथ) पूरे खंड के बचे हुए छोटे हिस्से, जो त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण में कवर नहीं हुए, के साथ पूरे खंड क्षेत्र को अपनाने की इजाजत दे दी। |

1912 वर्ग कि.मी. क्षेत्र त्यागना था। 29.4.04 को आर.आई.एल ने डी.जी.एच को बिना 25 प्रतिशत त्याग क्षेत्र के 7.6.04 से द्वितीय फेज में प्रवेश करने की सूचना दी। डी.जी.एच, आर.आई.एल के अनुरोध से सहमत नहीं हुआ व आर.आई.एल को निर्धारित क्षेत्र को त्यागने को कहा। यद्यपि आर.आई.एल ने कहा कि उसने 4987 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी भूकंपीय डाटा आधिग्रहण कर लिया है व उसके आधार पर बनाए भूवैज्ञानिक माडल के अनुसार पूरे ब्लॉक में घुमावदार वाहिंकाओं की निरतंत्रता थी। डी.जी.एच ने सभी दस्तावेजों की जांच की व वर्क स्टेशन पर डाटा को देखा व 24.5.05 को आर.आई.एल को आदेश दिया कि द्विआयामी/त्रिआयामी भूकंपीय सर्वे से पूरे ब्लॉक को कवर करे व सिद्ध करे कि पूरे खंड चैनल, लेवी काम्पलेक्स व जलाशय/बालुओं के विस्तार से आच्छादित था।

डी.जी.एच. के आदेश पर आर.आई.एल ने लगभग पूरे ब्लॉक क्षेत्र को कवर करते हुए 3474 वर्ग कि.मी. का भूकंपीय सर्वेक्षण किया। 11 जुलाई 2006 को एम.सी. की 16 वीं बैठक में आर.आई.एल ने तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर ब्लॉक के दक्षिण सीमा में पखा प्रणाली युक्त चैनल सेतु संकुल की उपस्थिति को सिद्ध किया। एम.सी. ने आर.आई.एल को ब्लॉक के बचे हुए थोड़े क्षेत्र का त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण कवर करने का आदेश देते हुए आर.आई.एल को तीसरे चरण में बिना त्याग क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी। क्योंकि आंकड़े ब्लाक क्षेत्र में खोज की निरंतरता को दर्शाते हैं। डी.जी.एच, पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करना चाहेगा कि आर.आई.एल को पूरे ब्लॉक क्षेत्र को रखने की आज्ञा दी गई थी क्योंकि वह फेज-III में प्रवेश कर चुका था।

1 नवम्बर 2006

यह जानने के पश्चात कि एम.सी.ने ठेकेदार को चरण-II में पी.एस.सी के प्रावधानों के उल्लंघन में पूरे क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में अपने पास रखने की स्वीकृति दी है, पैट्रोलियम व प्रा. गैस मंत्रालय ने डी.जी.एच, को स्थिति साफ करने के लिए कहा।

पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र में इंगित किया कि डी.जी.एच, आर.आई.एल के फेज-I के अंत में क्षेत्र को रखने के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। यद्यपि त्रिआयामी भकंपीय कवरेज के बाद डी.जी.एच ने ठेकेदार को पूरा क्षेत्र रखने को अनुमति दे दी (इस समय

इस अवस्था पर, पैट्रोलियम व प्रा. गैस मंत्रालय ने सही सूचित किया की 'खोज क्षेत्र' की परिभाषा कुऐं व कुओं के आसपास है तथा यह कि पी.एस.सी के प्रावधानों का, ठेका क्षेत्र को अपनाये रखने की अनुमति देने में अनुपालन नहीं किया

(ठेकेदार तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा था)

गया।

पहले चरण के अंत में ठेकेदार ने पूरे क्षेत्र में त्रिआयामी कार्य नहीं किया था व यह प्रक्रिया अन्वेषण चरण-II के अंत तक लगभग चलती रही। चरण-III में प्रवेश के बाद व उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डी.जी.एच ने पूरे क्षेत्र को खोज क्षेत्र मानकर रखने की आज्ञा दी। चरण-I के अंत में पूरा त्रिआयामी डाटा उपलब्ध नहीं था, जब त्याग क्षेत्र पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। पैट्रोलियम व प्रा. गैस मंत्रालय

ने आगे कहा कि खोज क्षेत्र कुऐं व कुओं के आसपास निर्धारित था व कही भी खोज क्षेत्र का निर्णय नहीं लिया जाना था। खोज क्षेत्र के बाद कई परिणाम जैसा कि पी.एस.सी के अनुसार समयबद्ध तरीके से खोज क्षेत्र की समीक्षा आदि सामने आये। पैट्रोलियम व प्रा. गैस मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पी.एस.सी के प्रावधानों का पूरे क्षेत्र को रखने की अनुमति देने में पालन नहीं किया गया।

23 नवम्बर
2006

अपनी स्थिति को साफ करते हुए डी.जी.एच ने बताया कि ठेकेदार ने चरण-I के अंत तक 7645 वर्ग कि.मी. खंड क्षेत्र में 1000 एल.के.एम. पुर्नसंसाधित 1434 एल.के.एम. द्विआयामी ए.पी.आई व 4987 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी ए.पी.आई. कर ली थी व दस खोजी कुओं की खुदाई की थी। ठेकेदार ने पहले चरण में 7 खोजे की थी व पुर्नसंसाधित जानकारी की पुनर्विवेचना, नव उपार्जित दोआयामी एवं त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों की विवेचना व खोदे गए अन्वेषक तेल कुँओं से जनित आंकड़ों के आधार पर यह उभरकर आया कि पूरे ठेका क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन होने की संभावना थी व चैनल बांध के ऊपर की तलछट एवं परंवा निकायों की पूरे खंड क्षेत्र में निरतंरता थी।

डी.जी.एच ने आगे उल्लेख किया कि यह निष्कर्ष निकालने व अंतिम पुष्टि करने हेतु कि निरतंरता की संभावना है, डी.जी.एच ने ठेकेदार को निर्देश दिया कि वह पूरे खंड क्षेत्र की त्रिआयामी, ए.पी.आई करवाए। ठेकेदार ने सुझाव मान लिया व उसे अगले चरण में प्रवेश करने की अनुमति बिना त्याग के दी गई यह विवेकपूर्ण सोचा गया कि त्याग के बारे में निर्णय पूरे ब्लॉक क्षेत्र में त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण की कवरेज के बाद लेना उचित होगा।

चरण-II के अंत तक ठेकेदार ने 1000 एल कि.मी.

डी.जी.एच का यह कथन कि पूरे ठेका क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन होने की संभावना है या 'विश्वास के स्तर में निरतंरता की संभावना से काफी हद तक वृद्धि हुई है'। फिर से खोज क्षेत्र के संबंध में पी.एस.सी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

पुर्नसंसाधन 1434 एल कि.मी. द्विआयामी ए.पी.आई कर ली थी 5991 वर्ग किमी त्रिआयामी ए.पी.आई. कर ली थी व 15 खोजी कुँओं की खुदाई कर ली थी। कुल खोज 9 थी। अतिरिक्त त्रिआयामी आंकड़े जनित करने व चरण-II में 5 कुँओं की खुदाई से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों से व चैनल व सेतु की निरंतरता की संभावना से विश्वास का स्तर काफी हद तक बढ़ा हुआ था। ठेकेदार को चरण-III में प्रवेश करने की अनुमति बिना त्याग के व यह सलाह के साथ कि वह बचे हुऐं क्षेत्र की त्रिआयामी ए.पी.आई करवाये के साथ दी गई। आगे डी.जी.एच ने कहा कि उन खंडों में जहां हाइड्रोकार्बन की खोज हो चुकी है व जहां पूरे खंड में निरंतरता की संभावना है व ठेकेदार अतिरिक्त कार्य करने को तैयार है व कुल खंड को त्रिआयामी, ए.पी.आई से कवर करता है। बिना छोड़े अगले फेज को आगे बढ़ने की अनुमति दी गयी।

तकनीकी लाभों एवं तकनीकी औचित्य तथा छान-बीन के आधार पर अन्वेषण के हित को ध्यान में रखते हुए डी.जी.एच ने कहा कि ठेकेदार को फेज-II, एवं फेज-III को बिना छोड़े आगे कार्य बढ़ाने की अनुमति दी।

डी.जी.एच. के उत्तर के आधार पर एम.ओ.पी.एन.जी ने डी.जी.एच के विषय में कुछ और प्रश्नों को उठाया:

- फेज-II फेज-III के अन्त में (क्षेत्र की शर्तों पर एवं ब्लॉक क्षेत्र की 3 डी कवरेज प्रतिशतता) 3 डी द्वारा कितने ब्लॉक क्षेत्र को कवर किया;
- खोज क्षेत्र की परिभाषा एवं प्रावधानों से संबंधित खोज पर पी.एस.सी. प्रावधानों पर उनकी टिप्पणियाँ;
- पुष्टिकरण कि डी.जी.एच के लिये विस्तृत खोज के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये सम्पूर्ण ब्लॉक के कुँओं की क्या कवरेज थी;
- क्या पी.एस.सी.प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये नियमों को समाप्त करने के लिये एम.सी. सक्षम था।

इसके अलावा एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा भविष्य में कि त्याग सम्बंधित सभी मामले जो पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार न हों, सिफारिशों सहित डी.जी.एच के तकनीकी सुझाव मामले पर निर्णय के लिये सरकार को प्रस्तुत होने चाहिये।

एम.ओ.पी.एन.जी ने विस्तृत खोज तक पहुँचने हेतु समस्त ब्लॉक के कुओं को कवर करने के लिये पुनः जोर दिया। महत्वपूर्ण रूप से, एम.ओ.पी.एन.जी भी दर्शाती है कि रिलिंकिसमेंट सम्बंधी सभी मामले जो पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुरूप न हों, निर्णय के लिये भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए सम्भवयतः यह दर्शाते हुए कि ऐसा एक मामला था।

08 मार्च 2007

04 अप्रैल 2007

उत्तर के अनुसार, डी.जी.एच ने एम.ओ.पी.एन.जी को सूचित किया कि ड्रिलिंग किए गए कुँओं के आधार पर 2 डी एवं 3 डी के सर्वेक्षणों पर संचालक ने दावा किया कि कुओं की खुदाई एवं प्राप्त सीजमिक ऑकड़ों पर

डी.जी.एच ने “अग्रदर्शी रूप में प्रत्यक्षबोध के पक्ष” को पुनः भेजा, न कि पी.एस.सी के

आधारित, डी.जी.एच ने, ब्लॉक के सभी मीनडरिंग चैनलों की निरन्तरता एवं संचालक के दावें की, पुष्टि की थीं। आगे, अनुच्छेद 1.39 में दी गयी क्षेत्र के खोज की परिभाषा के अंतर्गत इस तत्कालीन मामले को अच्छा कहर किया। ठेकेदार का मत था कि हाइड्रोजन बीयरिंग चैनलों की सर्वत्र ब्लॉक में निरन्तरता थी एवं वाणिज्यक मात्राओं में सम्भाव्य गैस पैदा की थी। विभिन्न स्ट्रेटीग्राफिक/गहराई स्तर एवं भिन्न पूलों से सम्बन्धित स्तर पर क्षेत्र में खोज कूओं से हाइड्रोकार्बन के पूलों के लिये चैनल जिम्मेदार है। इन चैनलों का वितरण लगभग सभी क्षेत्र में अग्रदर्शी रूप के हक को प्रत्यक्षबोध को दर्शाता है। आर.आई.एल कार्यालय की डी.जी.एच.की तकनीकी टीम द्वारा कार्यक्षेत्र की विशिष्टता की पुष्टि की गयी थी।

वाणिज्यिक सम्भावनायें, मूल्यांकन एवं वाणिज्यिकता द्वारा जैसे कि बाद में की गई सभी खोजों में पी.एस.सी को अनुच्छेद 10 ने भी उस मामले जैसा ही किया गया था।

आगे, डी.जी.एच ने दर्शाया कि सभी ब्लॉक में खोज की निरन्तरता स्थापित करना व कुओं की खुदाई करना सम्भव नहीं था। एक कुआ एक अंश-शोधन तरीका है और भूकम्पीय सर्वेक्षण एक विस्तारक तरीका है। दोनों मार्ग खोज क्षेत्र की निरन्तरता को सिद्ध करते हैं। ब्लॉक में ए.पी.आई-3 डी की कुल 9475 वर्ग किलो मीटर एवं 28 कूओं की ब्लॉक में खुदाई ने निष्कर्ष रूप से निरन्तरता को स्थापित किया था। पी.एस.सी प्रावधानों के अन्तर्गत छूट के नियमों को हटाने के लिये क्या एम.सी सक्षम था, इस सम्बन्ध में डी.जी.एच ने कहा कि एम.सी ने पी.एस.सी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया और छूट के लिये कोई अनुमति नहीं दी।

11 अप्रैल 2007

इस मामले की चर्चा के लिये एम.ओ.पी.एन.जी में एक बैठक रखी गयी थी। यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्ताव डी.जी.एच के प्रमाण लेने पर विचार हो कि समस्त क्षेत्र में कूओं कर यथोचित संख्या/ 3 डी भूकम्पीय चैनलों की निरन्तरता एवं खोज क्षेत्र का विस्तार हो।

प्रावधानों के अनुसार।

जबकि हमने कूँएँ एवं भूकम्पीय आंकड़े की निरन्तरता की तुलना की, वास्तव में देखा कि सभी खोजे ब्लॉक के एन.डब्ल्यू. हिस्से को परिरोध किया था।

15 मई 2007

डी.जी.एच ने प्रमाणपत्र देते हुए कहा कि वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर, विशेष 3 डी भूकम्पीय पद्धति (अधिक बारम्बारता इमेज, ए.वी.ओ., जैनसन इनवर्जन), बेसिन एवं फेसीज माडलिंग, यह निष्कर्ष निकाला गया कि हाइड्रोर्बन बीयरिंग चैनलों एवं खोजों से संबंधित थीं एवं पूरे ब्लॉक क्षेत्र में फैली थीं अतः पी.एस.सी के अनुच्छेद 4.2 एवं 1.39 के अनुसार, समस्त ब्लॉक क्षेत्र एक खोज क्षेत्र था।

एम.ओ.पी.एन.जी ने पी.एस.सी प्रावधानों सहित इस मुद्दे पर साफ निर्णय लेने को टालने का प्रयास किया।

29 मई 2007

बिना छूट के अगले फेज में प्रवेश के लिये डी.जी.एच द्वारा संचालक को दी गयी अनुमति के विषय में पृष्ठ भूमि

अनुच्छेद 1.39 की पुनः प्रस्तुति के समय (खोज

देते समय, अवर सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी ने एम.ओ.पी.एन. जी की अनुमति के लिये मामला प्रस्तुत किया। खोज क्षेत्र की परिभाषा के विषय में, यह देखा कि अनुच्छेद 1.39 खोज क्षेत्र के मतलब को परिभाषित करता है "ठेके क्षेत्र का वह हिस्सा जिसके खोज के आधार पर एवं एक कूए से प्राप्त परिणाम या इस हिस्से में खुदाई किये गये कूओं, ठेकेदार के विचार था कि पैट्रोलियम है जिसकी वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन हो सकता है। विशेष 3 डी भूकम्पीय पद्धति के आधार पर, डी.जी.एच ने निष्कर्ष निकाला कि हाइड्रोकार्बन बीयरिंग चैनलों एवं खोजों सहित सम्बंधित लीवीज की प्रस्तुति एवं पूर्णतया ब्लॉक क्षेत्र का विस्तार था/3 डी भूकम्प के आधार पर डी.जी.एच. द्वारा खोज क्षेत्र के समस्त ब्लॉक को उपलब्ध किया गया न कि कूओं की खुदाई पर, जिसको ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम हिस्से को मुख्य रूप से परिसीमित किया था। विकास क्षेत्र जिसे आर.आई.एल द्वारा एम.एल. लिया गया ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम के लगभग 339 वर्ग किलो मीटर को कवर किया।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि खोज क्षेत्रों के विषय में, निर्माण कार्य योजना के साथ मूल्यांकन कार्यक्रम की वचन बद्धता के लिये निर्धारण समयबद्ध पी.एस.सी के अनुच्छेद 10 में प्रावधान थे एवं पर्याप्त व प्रभावी मूल्यांकन के उद्देश्य की क्षेत्र सीमाओं को क्षेत्र के बजट को चिन्हित करता है। डी.जी.एच ने तीसरे फेज में क्षेत्र खोज की तरह समस्त ठेके क्षेत्र को प्रस्तावित किया, जो 7 जून 2005 से प्रभावी था।

यह मान लिया गया कि डी.जी.एच. ने पी.एस.सी के प्रावधानों के तहत परिणामी कार्यवाही किया होगा जिसने मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए समयसीमा निर्धारित की। यह डी.जी.एच द्वारा सुनिश्चित होना था, जिससे पी.एस.सी में दी गई समयसीमा के अनुसार खोजों की सम्भाव्य वाणिज्यिक प्रकृति निर्धारित की जा सके।

अवर सचिव ने निष्कर्ष निकाला कि डी.जी.एच मंत्रालय की एक तकनीकी इकाई ने प्रमाणित किया कि पी.एस.सी के अनुच्छेद 4.2 एवं 1.39 के अनुसार सम्पूर्ण ठेका एक खोज क्षेत्र था तथा इसलिये डी.जी.एच के तकनीकी सुझाव पर बिना छोड़े, 7.6.05 से फेज-III के लिये संचालक को आगे की अनुमति हो सकेगी, वशर्ते कि खोजों के लिये पी.एस.सी में निर्धारित समयबद्धता के अनुसार समस्त ठेका क्षेत्र के कूओं की खुदाई सहित मूल्यांकन कार्यक्रम को संचालन करे।

29 मई 2007

संयुक्त सचिव (ई), एम.ओ.पी.एन.जी ने नोट किया कि मंत्रालय, डी.जी.एच द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन करे। इस निर्देश के साथ कि डी.जी.एच. संचालक को कहे कि सारे क्षेत्र का मूल्यांकन संबंधित प्रावधानों के

क्षेत्र की परिभाषा), अवर सचिव एम.ओ.पी.एन.जी ने पाया कि डी.जी.एच. द्वारा समस्त ब्लॉक की खोज क्षेत्र 3 डी भूकम्पी आधारित थी न कि कूओं की खुदाई पर।

तथापि, अब दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिये प्रत्यक्ष रूप से खोज क्षेत्र की तरह समस्त क्षेत्र की घोषणा करने पर कर दिया गया।

| | |
|-------------|---|
| | <p>अनुसार करे क्योंकि सारे ब्लॉक को “खोज क्षेत्र” के रूप में प्रमाणित किया गया था। पी.एस.सी ने फेज-। एवं फेज-॥ के अन्त में खोज क्षेत्रों के सिवा, छोड़ने का प्रावधान था किन्तु यदि वे खोजे थी, उन्हे वाणिज्यिक रूप से धोषित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिये मूल्यांकन करना चाहिये और विकास प्लान को प्रस्तुत करना चाहिये जो संभवतः नहीं किये गये थे। सामान्यतः, इस तरह के बड़े क्षेत्रे विकास ब्लॉक के रूप में अनुमोदित नहीं थे। इसलिए, छोड़े गये क्षेत्रों की भविष्य में पुनरावृत्ति हो सकती है।</p> <p>संयुक्त सचिव ने नोट किया कि पी.एस.सी प्रावधानों के अनुपालन के लिये उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन करें।</p> |
| 1 जून 2007 | जे.एस (ई), एम.ओ.पी.एन.जी द्वारा सुझाये गये कार्याही पर आई.एफ.डी की अनापत्ति को जे.एस एवं एफ.ए. ने व्यक्त किया, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हो। |
| 4 जून 2007 | सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी ने फाइल पर कहा कि डी.जी.एच ने सरकार को बताए बिना, फेज-। के अन्त में सम्पूर्ण क्षेत्र को धारण करने की अनुमति दी थी जो सही नहीं था। अब, यह अनुसर्मथन का मामला था। सचिव ने, मंत्री की अनुमति के लिये मामला प्रस्तुत किया, बशर्ते डी.जी.एच. सत्यापित करे कि सम्पूर्ण क्षेत्र में उचित संख्या में कुएं हैं। वैनलों की निरंतरता के प्रमाणित करने के लिए 3 डी भूकम्पीय प्रक्रिया और खोज क्षेत्रों का विस्तार बशर्ते सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। |
| 14 जून 2007 | मंत्री (पी एंड एन जी) के पी.एस.ने नोट किया कि मंत्री ने चाहा था कि “वाणिज्यिकता की घोषणा” की उपलब्धता या अनुपलब्धता को स्पष्ट तौर पर रिकार्ड में लाना चाहिये। उसने यह भी नोट किया कि मंत्री ने फिर कहा कि जे एस (ई) के संबद्ध की आई एफ.डी और सचिव के द्वारा जाँच की जाये, ताकि सूनिश्चित किया जाये कि जिस निर्णय की रैटीकिकेशन होनी थी, वह लगातार पी.एस.सी के पास था और यह कि “सशर्त” कार्यात्मक रैटीफिकेशन शायद बचा जा सकता था। |
| 29 जून 2007 | एम.ओ.पी.एन जी ने डी.जी.एच को लिखा कि डी.जी.एच ने सम्पूर्ण ब्लॉक क्षेत्र को एक खोज क्षेत्र के रूप में धोषित करने का प्रस्ताव दिया था। एम.ओ.पी.एन.जी ने बताया कि खोजों के मामले में जो वाणिज्यिकता की घोषणा करने और विकास योजना प्रस्तुत करने में अग्रसर हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहिये। इसके अलावा, यह वर्णन करते समय कि विभिन्न क्रियाओं पर पी.एस.सी में समय रेखा दी गई थी, जिसे खोज की घोषणा के बाद में |

बनाया गया था, यह उन्हे स्पष्ट नहीं था कि क्या उन प्रावधानों की अनुपालना की गई थी।

डी.जी.एच. से आगे अनुरोध किया गया कि ब्लॉक में पी.एस.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत खोज क्षेत्र/क्षेत्रों में वाणिज्यिकता की घोषणा की उपलब्धता या नहीं हुई के बारे में सूचित करे। एम.ओ.पी.एन.जी. ने डी.जी.एच. से पूछा कि क्या ठेकेदार संपूर्ण क्षेत्र का मूल्यांकन इस तथ्य के प्रकाश में कर रहा था कि संपूर्ण क्षेत्र को खोज क्षेत्र स्वीकार किया गया था।

24 जुलाई 2007

उत्तर में, डी.जी.एच. ने सूचित किया कि संपूर्ण ब्लॉक को अनुच्छेद 1.39 के अनुसार खोज क्षेत्र घोषित किया गया था। ठेकेदार ने ब्लॉक में 16 खोजे की थी। खोजों की अधिसूचना जारी होने के बाद, ठेकेदार के लिए इसकी संभावी वाणिज्यिकता की घोषणा 60 दिनों में करना अनिवार्य था। मूल्यांकन योजना 120 दिनों में प्रस्तुत की गई तथा मूल्यांकन 36 माह तक ले सकता था। मूल्यांकन के आधार पर, ठेकेदार ने निर्णय लिया कि इसे वाणिज्यिक घोषित किया जाए अथवा नहीं, तथा उसके बाद विकास योजना प्रस्तुत की जानी थी। के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 जैसे ब्लॉक में जहाँ विभिन्न समय स्तरों पर गुणात्मक खोजे हैं, ये सभी गतिविधियाँ एक साथ क्रियान्वित हुई तथा विभिन्न चरणों में हैं। तथापि पी.एस.सी. में निर्धारित समयसीमा का पालन किया गया है।

आगे, डी.जी.एच. ने एम.ओ.पी.एन.जी. को सूचित किया कि 16 खोजों में से, 11 वाणिज्यिक घोषित की गई हैं तथा उनमें से दो के लिए विकास योजना प्रस्तुत की गई थी। शेष नौ के लिए 12 माह में विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा सकता था, तथा ऐसा करने के लिए अभी समय था।

5 फरवरी 2008

मामला विचार-विमर्श के लिए अतिरिक्त सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी.की अध्यक्षता के अधीन एक समिति को मामला भेजा गया था संचालक की फेज-II एवं III में प्रवेश से सम्बंधित, ठेका क्षेत्र का 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत की छूट के बिना, डी.जी.एच. के निर्णय की नियमितता के मुद्दे पर विचार लेने के उद्देश्य से। फरवरी 2008 की बैठक में, समिति ने डी.जी.एच. द्वारा दी गयी तकनीकी अनुशंसा के आधार पर सम्पूर्ण ब्लॉक को खोज क्षेत्र के ठेकेदार के दावे को स्वीकार किया। कमेटी सहमत थी कि अन्वेषण फेज-I एवं II की समाप्ति पर, संचालक द्वारा किसी क्षेत्र को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।


21 अप्रैल 2008

फरवरी 2008 अन्वेषण ब्लॉक क्षेत्र को सम्पूर्ण खोज क्षेत्र के ठेकेदार के दावे को स्वीकार करने के बाद, 21 अप्रैल 2008 की बैठक में समिति ने सहमति दी कि खोजों के

| | |
|---------------|---|
| | <p>मूल्यांकन के लिए तीन वर्ष की समयबद्धता 11 जुलाई 2006 से मानी जाये यानि कि वह तारीख जब एम.सी. ने ठेकेदार के बिना त्यागे अगले अन्वेषण फेज में प्रवेश करने के दावे को स्वीकार किया। तदनुसार कमेटी ने निर्णय लिया कि डिस्कवरी एरिया की तरह सम्पूर्ण ब्लॉक एरिया स्वीकृत था, इसलिये, 11 जुलाई 2006 से आरभ्म (एवं 10 जुलाई 2009 को समाप्त) करके तीन वर्षों की समयसीमा के अन्दर मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए</p> |
| 09 जून 2008 | <p>कमेटी की अनुशंसा के विचार में, निम्नलिखित को मंत्री महोदय की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया था:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ब्लॉक के.जी-डी डब्ल्यू.एन 98/3 के सम्पूर्ण ठेका क्षेत्र को खोज क्षेत्र की तरह स्वीकृत किया जाये। • दूसरे एवं तीसरे अन्वेषण चरण में ठेकेदार को ब्लॉक के.जी-डी.डब्ल्यू.एन-98/3 के सम्पूर्ण क्षेत्र को धारण करने की अनुमति दी जा सकती है। • खोजों के मूल्यांकन के लिए समयसीमा 11 जुलाई 2006 से गीनी जाए यानि कि वह तारीख जब एम.सी. ने ठेकेदार के बिना त्यागे अगले अन्वेषण चरण में दावे को स्वीकार किया। • चूंकि सम्पूर्ण ब्लॉक एरिया डिस्कवरी एरिया, की तरह स्वीकृत था, इसलिये उपरोक्त तिथि से प्रारभ होकर तीन (3) वर्षों के निर्धारित समय के अन्दर ब्लॉक एरिया मूल्यांकन अवश्य होना था। • पी.एस.सी के शेष अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी। |
| 31 जुलाई 2008 | उपरिलिखित आश्वासनों तथा शर्तों को स्वीकार करते हुए मंत्री ने अनुमति प्रदान की। |
| 24 फरवरी 2009 | भारत सरकार की अनुमति एम.ओ.पी.एन.जी ने डी.जी.एच को सूचित कर दिया। |

'खोज क्षेत्र' को पी.एस.सी के अनुच्छेद 1.39 में इस प्रकार परिभाषित किया है कि "ठेका क्षेत्र का वह हिस्सा जो खोज²⁷ एवं इस हिस्से के ड्रिल्ड कुआ या कुओं से प्राप्त हुये परिणामों के आधार पर, ठेकेदार के विचार है कि पेट्रोलियम का अस्तित्व एवं वाणिज्यिक मात्राओं में इसकी प्रस्तुति की सम्भावना हो। 'खोज क्षेत्र' का चित्रण अविमोचनीय से सम्बंधित है, जो ड्रिल्ड कुओं एवं जमीनी स्तर पर वसूली योग्य जमा पेट्रोलियम की उपलब्धि से प्राप्त परिणामों को दर्शाता है (जिसकी के केवल सफल कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से खोज हो सकती है)। अन्वेषण चरण-I के अन्त में, संचालक केवल, ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम भाग में, सभी कुओं की ड्रिल कर चुका था। जनवरी 2010, तक ब्लॉक में खोजों की

²⁷ 'खोज' को अनुच्छेद 1.38 में इस प्रकार परिभाषित किया है 'पेट्रोलियम ऑपरेशन के दौरान, पेट्रोलियम के एक भण्डार की जिसका कि पूर्व में अस्तित्व ज्ञात नहीं था, की खोज, जो कि पारम्परिक पेट्रोलियम उद्योग परीक्षण तरीकों द्वारा सतह पर एक मापनीय प्रवाह में बरामद किया जा सकता है'।



स्थिति नीचे मानचित्र में दर्शाना, हमारी स्थिति को स्पष्टतः पुष्टि करना है कि—डिस्कवरी एरिया की तरह सम्पूर्ण ठेका क्षेत्र की धोषणा पी.एस.सी के शर्तों में नहीं थी, उसे विभिन्न स्तरों पर बार—बार निरीक्षण करने के उपरान्त सम्पन्न कार्य की तरह अधिक या कम किया गया था।

अप्रैल 2004 और फरवरी 2009 के बीच उपर्युक्त घटना क्रम से निम्नलिखित प्रमाणित होता है :

- मूल रूप से (मई 2004 के आगे), डी.जी.एच. अनुबंधित क्षेत्र (अन्वेषण चरण-I के अन्त में) के किसी भी भाग को न छोड़ने के लिए आर.आई.एल. के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ (चरण-I से चरण-II में जाने की तैयारी के समय) और उसने चरण-I के अन्त में 25 प्रतिशत को छोड़ने के लिए पी.एस.सी. संविदात्मक प्रावधान दोहराए (छोड़ने के लिए विचारार्थ “न्यूनतम प्राथमिकता” की पहचान करते समय भी)। डी.जी.एच. ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘प्राथमिकता क्षेत्र’ से परे कोई भी खोज नहीं की गई, तथा ‘प्राथमिकता क्षेत्र’ II में कोई भी भेदन नहीं किया गया था, और इसीलिए कुछ ब्लॉक क्षेत्रों पर खोज क्षेत्र के रूप में विचार करना सम्भव नहीं था।
- तथापि, अप्रैल/मई 2005 तक डी.जी.एच. पीछे मुड़ गया। यह नोट करते समय कि “जहां तक पी.एस.सी. में दी गई खोज की परिभाषा का प्रश्न हैं दो अलग—अलग परिभाषाएं सम्भव नहीं हैं”, डी.जी.एच. ने महसूस किया कि “ब्लॉक के शेष भाग में 3डी भूकम्पी डॉटा को फास्ट ट्रैक आधार पर लेना और उसकी व्याख्या करना विवेकपूर्ण होगा।” बाद में, “छोड़ा गया क्षेत्र समुचित ढंग से परिकलित किया जा सकेगा।” इसी बीच, आर.आई.एल. किसी छोड़े गए क्षेत्र के बिना पहले ही चरण-I से चरण-II में चला गया था और किसी क्षेत्र को छोड़े बिना वे पुनः चरण-II से चरण-III को जाने की इच्छा अधिसूचित कर रहे थे। अगस्त 2006 में, डी.जी.एच. ने एम.ओ.पी.एन.जी. को सूचित किया कि एम.सी. (जिसकी अध्यक्षता डी.जी.एच. प्रतिनिधि कर रहे थे) ने ठेकेदार को किसी क्षेत्र को छोड़े बिना अगले क्षेत्र में प्रवेश की जुलाई 2006 में अनुमति प्रदान कर दी थी क्योंकि डॉटा ब्लॉक क्षेत्र में “खोज की निरन्तरता” को दर्शाता था (प्राप्त भूकम्पी डॉटा के परिणाम पर आधारित आर.आई.एल. के प्रस्तुतिकरण के आधार पर)।
- उसके पश्चात् अगस्त 2006 से एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. के बीच गहन पत्राचार हुआ था। एम.ओ.पी.एन.जी. में संगत प्रश्न उठाए कि क्या कुँओं की कवरेज डी.जी.एच. के समस्त ब्लॉक पर थी ताकि खोज विस्तार के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, परन्तु वह इस पहलू को आगे बढ़ाने में विफल रहा।
- अप्रैल 2007 तक, एम.ओ.पी.एन.जी. ने महसूस किया कि प्रस्ताव पर डी.जी.एच. से इस बात का स्पष्टीकरण लेने के बाद विचार किया जाना चाहिए कि समस्त क्षेत्र समुचित कुँओं संख्या में 3डी भूकम्पी के अन्दर लिया गया था ताकि चैनलों की निरन्तरता और खोज के क्षेत्र की सीमा को स्थापित किया जा सके। डी.जी.एच. ने एम.ओ.पी.एन.जी. को मई 2007 में प्रमाण पत्र दिया।
- मई 2007 में भी, एम.ओ.पी.एन.जी. की आन्तरिक टिप्पणियों ने दर्शाया कि समस्त ब्लॉक 3 डी भूकम्पीय क्षेत्र के आधार पर प्रदान किया गया था न कि कुँओं के भेदन पर जोकि मुख्यतः ब्लॉक के एन.डब्ल्यू भाग तक ही सीमित थे। तथापि एम.ओ.पी.एन.जी. ने अब प्रस्तावित किया कि प्रस्तावित खोज क्षेत्र के आधार पर प्रचालक को मूल्यांकन—संबंधी पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए कहा जाना चाहिए। उस समय के मंत्री, पी.एन.जी. द्वारा व्यक्त की गई इस चिन्ता के पश्चात् कि क्या अभिपुष्टि हेतु मांगा गया निर्णय पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुरूप था, मामला अतिरिक्त सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा गया था। समिति ने ठेकेदार का दावा स्वीकार कर लिया (फरवरी 2008) और उसने निर्णय लिया (अप्रैल 2008) कि खोजों के मूल्यांकन हेतु समय सीमा 11 जुलाई 2006 (अर्थात् ठेकेदार के दावे के लिए एम.सी. की

स्वीकृति) से शुरू होगी। इसे जुलाई 2008 में मंत्री का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हुआ था, परन्तु डी.जी.एच. को इसकी सूचना फरवरी 2009 में जाकर दी गई थी।

- अलग—अलग समय पर आर.आई.एल. के विचार (कि ठेकेदार का यह मत था कि “पैट्रोलियम के रहने की संभावना रहेगी”, “ठेका क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की संभावना थी”, उस ब्लॉक, जिसके लिए वे अल्ट्रा—गहरे पानी वाली रिंग किराए पर लेने के प्रयास कर रहे थे, के गहरे पानी के क्षेत्र में अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन की संभावना को स्थापित करने के लिए अन्ततः अतिरिक्त अन्वेषणात्मक कुओं के भेदन की आवश्यकता थी”, स्पष्टतः हाइड्रोकार्बन की वास्तविक खोज के साथ संभावना/प्रत्याशा को उलझाने का प्रयास था। ब्लॉक के गहरे पानी के क्षेत्र (अनिवार्यतः एस.डब्ल्यू. भाग, जहाँ कोई खोज नहीं की गई थी) के लिए अल्ट्रा गहरे पानी की रिंगों को किराए पर लेने में उनकी कठिनाइयों का खोज क्षेत्र तथा छोड़ने के लिए संविदागत प्रावधानों के साथ कोई संबंध नहीं था।
- इस प्रकार, आर.आई.एल. का किसी क्षेत्र को न छोड़ने और समूचे क्षेत्र को ‘खोज क्षेत्र’ के रूप में रखने का प्रस्ताव, पी.एस.सी. प्रावधानों की शर्तों के अनुसार की गई किसी परित्याग कार्रवाई के बिना आर.आई.एल. और डी.जी.एच. के बीच पत्राचार में ही खो गया था, जबकि आर.आई.एल. को एक चरण से दूसरे चरण तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अप्रैल/मई 2005 तक, डी.जी.एच. ने अपनी पुरानी आपत्तियां छोड़ दी थी, और अब प्रचालक को 3डी भूकम्पी डॉटा को पूरा करने का परामर्श/निर्देश दिया है। जुलाई 2006 तक, डी.जी.एच. ने अपना अबाउट-टर्न पूरा कर लिया था और ठेकेदार के प्रस्ताव को सहमति (एम.सी. के द्वारा) दे दी थी। एम.ओ.पी.एन.जी. समस्त क्षेत्र को रोकने के लिए एम.सी. के निर्णय में की गई त्रुटियों से अवगत था, परन्तु उसने उसे उल्टा करने (पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुरूप) के बजाए उसे धारण करने के लिए डी.जी.एच. के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का विकल्प चुना।

जुलाई 2006 से खोज क्षेत्र की घोषणा की व्याख्या का भी एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. द्वारा समुचित रूप से अनुसरण नहीं किया गया था। इस व्याख्या के कार्यान्वयन (जो कि हमारी राय में गलत है) में अन्वेषणात्मक कार्यकलापों को रोकना, जुलाई 2006 से मूल्यांकन को शुरू करना और जुलाई 2009 तक उसे पूरा करना अपेक्षित था। इस समय के बाद, ठेकेदार की कार्रवाई केवल मूल्यांकन के आधार पर विकास योजना तैयार करना, विकास हेतु विकास क्षेत्रों की पहचान करना तथा पी.एस.सी. निर्धारित समय सीमा के अन्दर शेष क्षेत्र को छोड़ना थी। यह भी नहीं किया गया था। डी.जी.एच. तथा एम.ओ.पी.एन.जी. ने प्रचालक की अलग—अलग व्याख्याओं के साथ—साथ जाने—समस्त ठेका क्षेत्र की खोज क्षेत्र के रूप में घोषणा करने के साथ—साथ अन्वेषण कार्यों को जारी रखने का विकल्प चुना।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने इस पहलू पर यह दर्शाते हुए विस्तृत उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि “परीक्षणाधीन मामला अत्यधिक तकनीकी है और मंत्रालय डी.जी.एच. पर निर्भर है, जो पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एकमात्र तकनीकी सहायक है और उसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है” :

- ‘खोज क्षेत्र’ की पी.एस.सी. के अनुच्छेद 1.39 में परिभाषा ‘ठेका क्षेत्र के उस भाग के रूप में दी गई है जो खोज तथा उस भाग में कुओं अथवा भेदित कुओं से प्राप्त परिणामों पर आधारित है, ठेकेदार का यह मत है कि पैट्रोलियम विद्यमान है तथा उसके वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है।
- ठेकेदार ने दो बड़े आकार वाली गैस खोजों डी1 एवं डी3 सहित चरण-I अवधि (6 जून 2004) के अन्त तक 8 गैस खोजें की थी।

- 11 जून 2004 को, डी.जी.एच. ने ठेकेदार को चरण-II में प्रवेश करने से पूर्व 25 प्रतिशत ब्लॉक क्षेत्र को छोड़ने की सूचना दी।
- आर.आई.एल. ने, काफी संख्या में किए गए पत्राचार के माध्यम से, उल्लेख किया कि प्रचालक की यह राय थी कि पैट्रोलियम विद्यमान है और उसके ठेका क्षेत्र से व्यापक अन्वेषण तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के पश्चात् वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन हो पाने की संभावना है। ठेकेदार ने यह भी उल्लेख किया कि यह समग्र राष्ट्रीय हित में होगा क्योंकि असामियक छोड़ा गया कोई क्षेत्र गलती से प्रत्याशित के रूप में लिया जा सकता है और परिणामतः आगे के अन्वेषणात्मक/मूल्यांकन प्रयास जिसे ठेकेदार की उस क्षेत्र में शुरू करने की योजना है या तो स्थगित हो जाएंगे या कभी शुरू ही नहीं होंगे।
- चरण-I के अन्त तक 25 प्रतिशत ब्लॉक क्षेत्र को छोड़ने के पी.एस.सी. के दृष्टिकोण से जांच की गई थी। तथापि, दिए गए तकनीकी डॉटा और 2डी भूकम्पी क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा, समस्त क्षेत्र की कवरेज, गैस बियरिंग होने के कारण चरण-I में भेदित सभी दस कुओं के आधार पर चरण-I अवधि के अन्त तक सारे क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में रखने का अनुमान लगाना असामान्य नहीं है।
- के.जी. बेसिन में अन्वेषण काफी पहले साठ के दशक के शुरू में प्रारम्भ हुआ था, परन्तु अधिकतर वर्ष 2000 के शुरू तक भूमि पर और छिछले पानी क्षेत्रों तक ही सीमित था। गहरे पानी क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक डॉटा उस समय लगभग नगण्य था। उन्नत भूकम्पी औजारों तथा तकनीक और मूल्यांकन विधियां शुरू करने जिससे बाद में भेदित कुओं का सृजन हुआ, के कारण बाद में निष्केपित मॉडलों का वैधीकरण हुआ। संदर्भाधीन क्षेत्र बड़े के.जी. गहरे पानी वाले बेसिन का भाग है। क्षेत्र में तृतीय अवसादन काफी बड़ा है और उसकी सघनता 2 से 8 कि.मी. के बीच है। तृतीय प्रणाली में अवसादन मुख्यतः गहरे पानी की सैटिंग में जमा होते हैं जिससे गहरे पानी की फेन डेल्टा प्रणाली और चैनल लिवी कॉम्प्लेक्स बनते हैं।
- के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन जलाशय स्तरित स्वरूप के हैं जिनके परिणामस्वरूप बड़े भूगोलिक वितरण के साथ पृथक भू-क्षेत्रों का निष्केपण हुआ। इस प्रकार के जटिल निष्केपण प्रकार के अन्वेषण प्रयासों के लिए भूकम्पी क्षेत्रों, कुओं, मुख्य तथा अन्य पेट्रो-फिजिकल तथा भण्डार डॉटा सहित नए डॉटा सैट के माध्यम से नियमित परिष्करण के साथ हाइड्रोकार्बन भण्डारों की समझ अपेक्षित है।
- के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक में समस्त ब्लॉक क्षेत्र 2 डी भूकम्पी डॉटा से कवर्ड था जिसकी चरण-I में 3डी डॉटा की अच्छी कवरेज थी। चरण-I में भेदित सभी दस कुएं गैस वाले थे। उपलब्ध भू-वैज्ञानिक डॉटा यह दर्शाता था कि क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाए गए चैनल लिवी और फेन परिसर ब्लॉक क्षेत्र के दक्षिणी भाग में भी थे और 2डी तथा 3डी भूकम्पी डॉटा पर भूकम्पी सिग्नेचर ब्लॉक के उत्तरी भाग में देखे गए सिग्नेचर जैसे ही थे जिनमें चरण-I में भेदित सभी दस (10) कुओं में गैस थी।
- के.जी. ३-6 खोजों में क्लासिकल पृथक भण्डार प्रणाली नहीं होती। बल्कि वे समस्त ठेका क्षेत्र में जुड़े हुए और फैले हुए हाइड्रोकार्बन भू-क्षेत्रों के लिवी और चैनलों के रूप में होते हैं।
- बाद में, डी.जी.एच. ने, घाट के भौगोलिक ढांचे की तकनीक और ठेकेदार के इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि भौगोलिक क्षेत्र समस्त ठेका क्षेत्र में थे, दिनांक 24 मई 2005 के पत्र द्वारा प्रचालक को अतिरिक्त साक्ष्य तथा आश्वासन के लिए अनुबंधित क्षेत्र को शामिल करते हुए अतिरिक्त 3डी

भूकम्पी डॉटा के अधिग्रहण का परामर्श दिया। ठेकेदार ने बाद में चरण-II में 1004 वर्ग कि.मी. को शामिल करते हुए (कुल क्षेत्र 5991 वर्ग कि.मी.) अतिरिक्त 3डी भूकम्पी सर्वेक्षण किया।

- ब्लॉक में गहन भूकम्पी डॉटा प्रोसेसिंग/रीप्रोसेसिंग और व्याख्या से कृष्णा-गोदावरी अपतट घाट का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त ब्लॉक की जटिल भौगोलिक स्थापना को समझने में सहायता मिली। चैनल, मध्य तथा दूरस्थ लिवी परिसरों में किए गए अन्वेषणात्मक बेधन के परिणामस्वरूप प्लिओमायोसीन काल के बलुआ-पत्थर भण्डारों वाले कई हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हो गए। प्रचालक ने भूकम्पी तथा कुआं डाटाबेस के आधार पर रेत विकास ढंग और संबद्ध भंडार की जटिलताओं सहित वैचारिक भौगोलिक मॉडल की विवेचनात्मक जांच की। प्रचालक ने विशेषकर भू-क्षेत्रीय चित्रण की मैपिंग, स्पेक्ट्रमी अपघटन तकनीक का उपयोग करते हुए अंतः समुद्री चैनल प्रणाली के संरूपण, मात्रा व्याख्या का उपयोग करते हुए स्तरित क्रमिक भाग के लिए उद्योग में उपलब्ध स्टेट ऑफ दी आर्ट साप्टवेयर और हार्डवेयर लगाए हैं। परम्परागत घने तल से पतले तल वाले जलाशय में खण्डित करने के लिए प्रचालक द्वारा उन्नत तकनीकों जैसे शार्प-इलान एवं एंटिसोट्रॉपी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।
- वायर लाइन/एल.डब्ल्यू.डी.—एम.डब्ल्यू.डी. सूचना और मड लॉगिंग डाटा सहित बोधित कुओं के पूरे सैट के साथ वर्तमान 2डी (सैद्धांतिक, रीप्रोसेस्ड तथा नए अधिप्राप्त और प्रोसेस्ड) की व्याख्या के एकीकरण ने दर्शाया कि चैनल रेत भण्डार (मुख्य चैनल; निकटस्थ, मध्य तथा दूरस्थ लिवी कॉपलेक्स, ओवर बैंक/हिम दरार तिरछे डिपॉज़िट) तथा अन्तः चैनल क्षेत्रों में भण्डार के अन्दर हाइड्रोकार्बन गैस की पर्याप्त मात्रा नहीं थी।
- प्रचालक द्वारा अपनाए गए सन्तुलित कार्य प्रवाह के परिणाम के आधार पर यह परिकलिप्त किया गया था कि ब्लॉक डी 6 का समस्त अनुबंधित क्षेत्र कई अन्तः समुद्री चैनलों द्वारा विशेष रूप से क्रिस-क्रॉस किया गया है, जिसमें से प्रचालक द्वारा केवल तीन का भेदन किया गया है। बेधित कुओं में देखे गए बहुविध-गैस—जल कान्टेक्ट्स (जी.डब्ल्यू.सी.) के होने के कारण चैनल ज्यामिति की जटिलता भी प्रदर्शित हुई है। चैनल प्रणालियों में घाट के गहरे भागों में भेदित कुओं में गहरे स्तर पर जी.डब्ल्यू.सी. का पता चला था।
- प्रचालक द्वारा अभी तक किए गए अन्वेषणात्मक कार्यकलापों के माध्यम से प्राप्त समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सार निकाला जा सकता है :
 - ❖ वर्तमान और नए प्राप्त 2डी और 3डी भूकम्पी डॉटा से प्राप्त प्रमाण के आधार पर एक अन्तःसमुद्री चैनल श्रृंखला बनाई गई है;
 - ❖ जमा गैस, जिसके पहले अन्वेषण ब्लॉक में होने का पता नहीं था, सतह पर वाणिज्यिक प्रवाह विशेषताओं के साथ पाई गई है;
 - ❖ कुछ बनाई गई चैनल प्रणालियों के अन्दर बहुविध जी.डब्ल्यू.सी. के साथ गैस का होना वर्तमान 3डी क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बनाए गए दूरस्थ फेन लॉब्स में गैस की अतिरिक्त और नई मात्रा की संभावना को बढ़ाता है।
- गैस भण्डार (पतले तल और घनी रेत दोनों में) चैनल सैंड्स और अन्तः चैनल क्षेत्रों में पाए गए हैं तथा अतिरिक्त अधिप्राप्त 3डी डॉटा की तकनीकी समीक्षा के पश्चात् एम.सी. ने 11 जुलाई 2006 को हुई उसकी बैठक में ठेकेदार की इस राय से सहमति व्यक्त की कि प्रत्याशित भौगोलिक प्लेज़ की समस्त ब्लॉक में निरन्तरता थी और इसलिए किसी ब्लॉक क्षेत्र को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी।

अतः ठेकेदार के मत, जो अन्वेषण चरण-I की समाप्ति के पश्चात् था, की एम.सी. में पुनः पुष्टि की गई थी।

- एम.ओ.पी.एन.जी. ने फरवरी 2009 में सम्प्रेषित किया कि ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 का समस्त अनुबंध क्षेत्र खोज क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, तकनीकी गुणों के आधार पर, समस्त ब्लॉक क्षेत्र कुछ अन्य ब्लॉकों में भी अर्थात् आर.जे.-ओ.एन.-06 (प्रचालक : फोकस), एवं के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 (प्रचालक : ओ.एन.जी. सी.) में खोज क्षेत्र के रूप में माना गया था।
- यह नोट किया जाए कि ठेकेदार ने ब्लॉक में 19 खोजें पहले ही कर ली हैं। जिनमें से केवल 8 खोजें चरण-I के दौरान प्लीओसीन और प्लीस्टोसीन निर्माण में की गई थी। इसी प्रकार, चरण-II अवधि में 4 और खोजें तथा चरण-III में 7 खोजें की गई थी। उपलब्ध भूकम्पी क्षेत्र, कुओं के भेदित और पैट्रो फिजिकल डाटा के आधार पर उपर्युक्त खोजों का ब्लॉक क्षेत्र में बड़ा स्थानीय वितरण है। वर्तमान में के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक में कुल सत्तावन (57) कुएं बेधित किए गए थे जिनमें अन्वेषणात्मक, मूल्यांकन और विकास कुएं शामिल थे।

इन खोजों ने आगे ठेकेदार को तीन विकास योजनाओं (डी 1 एवं डी 3 गैस, एम.ए. तेल, 9 उपग्रह गैस खोजों/4 उपग्रह गैस खोजों), एक खोज (डी-42) के लिए एक मूल्यांकन योजना के अतिरिक्त 4 गैस खोजों (डी 29, 30, 31 और 34) को शामिल करते हुए एक वाणिज्यिकता की घोषणा (डी.ओ.सी.) प्रस्तुत करने के योग्य बनाया। इन खोजों ने ठेकेदार का समस्त क्षेत्र का खोज क्षेत्र के रूप में दावा सिद्ध किया।

एम.ओ.पी.एन.जी. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है और यह केवल ठेकेदार, डी.जी.एच. और एम.ओ.पी.एन.जी. के मत का ही पुनर्उल्लेख करता है जिसका सार तालिका 4.1 में दर्शाए गए क्रम में दिया गया है।


खोज (अर्थात् पेट्रोलियम का मिलना) पर आधारित खोज क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा तथा "कुएं अथवा उस भाग में बेधित कुओं से प्राप्त परिणाम" को पेट्रोलियम की प्रत्याशितता/संभावना से गलत ढंग से भ्रमित किया गया था। पेट्रोलियम का पता चलना (भूकम्पी डॉटा के साथ लिए गए "उस भाग" में भेदित कुओं के आधार पर) प्रत्याशितता के आधार पर पेट्रोलियम को ढूँढ़ने के बराबर नहीं माना जा सकता। ठेकेदार की सभी खोजें अनुबंध क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में थी। वास्तव में, ठेकेदार ने भी अनुबंधित क्षेत्र (अर्थात् एस.ई. क्षेत्र, जैसाकि एन.डब्ल्यू. क्षेत्र के मुकाबले किया गया) के "गहरे भाग" में अन्वेषणात्मक बेधन के लिए अल्ट्रा-गहरे पानी की रिंगों को किराए पर लेने और उसके प्रयासों में कठिनाई व्यक्त की और इस प्रकार अन्य "भागों" में अन्वेषणात्मक भेदन हेतु आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, परन्तु उसके साथ ही समस्त ठेके को खोज क्षेत्र होने की अपनी राय बरकरार रखी।

जबकि डी.जी.एच. ने शुरू में (मई 2004) ठेकेदार के दृष्टिकोण पर आपत्ति की थी कि वह छोड़े जाने वाले किसी क्षेत्र की पहचान करने की स्थिति में नहीं था और आर.आई.एल. को 25 प्रतिशत क्षेत्र को छोड़ने का परामर्श दिया था, उसने ठेकेदार को बिना ऐसे त्याग के चरण-I से चरण-II तक बढ़ने की अनुमति प्रदान की (हालांकि छोड़े जाने के प्रश्न पर विवाद तथा चर्चा जारी थी)। अप्रैल/मई 2005 तक डी.जी.एच. यह दर्शाते हुए पीछे हट गया कि "ब्लॉक के शेष भाग में फास्ट-ट्रैक आधार पर 3डी भूकम्पी डॉटा को अधिप्राप्त करना और उसकी व्याख्या करना विवेकपूर्ण होगा और बाद में छोड़े गए क्षेत्र को भी समुचित ढंग से परिकलित किया जा सकेगा"। इसी बीच आर.आई.एल. ने बिना किसी त्याग के दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने का नोटिस दिया। जुलाई 2006 तक, आर.आई.एल. द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के पश्चात् डी.जी.एच. ने एम.ओ.पी.एन.जी. को सूचित किया कि एम.सी. ने बिना किसी त्याग के अगले चरण में जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी, "हालांकि क्षेत्र का छोटा सा भाग" 3डी भूकम्पी क्षेत्र द्वारा शामिल किया जाना बाकी था।

एमओपीएनजी ने डीजीएच के खोज विस्तार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संगत प्रश्न उठाये कि क्या

कुएं की कवरेज सम्पूर्ण ब्लॉक में थी। परन्तु वह इस पहलू को आगे बढ़ाने में विफल रहा। बल्कि उन्होंने डी.जी.एच. से प्रमाणीकरण लेने पर बल देने के विकल्प को चुना कि ठेकेदार का दावा सही था और उसके पश्चात् खोजों के मूल्यांकन हेतु सामयिकता पर 11 जुलाई 2006 को खोज क्षेत्र के रूप में समस्त अनुबंधित क्षेत्र के एम.सी. के अनुमोदन पर ध्यान केन्द्रित किया। मंत्री, पी.एन.जी. द्वारा पी.एस.सी. प्रावधानों के साथ संगतता के संबंध में चिन्ता व्यक्त करने के बाद मामला अतिरिक्त सचिव, एम.ओ.पी.एन.जी. के अधीन समिति को भेजा गया था और फिर उसका जुलाई 2008 में मंत्री द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन किया गया था, परन्तु उसे डी.जी.एच. को फरवरी 2009 में सम्प्रेषित किया गया था।

अपने उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 (प्रचालक : ओ.एन.जी.सी.) सहित अन्य ब्लॉकों में खोज क्षेत्र के प्रतिधारण के संदर्भ का ध्यान दिलाया था। नीचे दर्शाए गए के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 (इस अध्याय का मुख्य आधार) तथा के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 की खोजों के नक्शे दर्शाते हैं कि दो ब्लॉकों की स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती।



के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 (बायाँ) प्रचालित ओ.एन.जी.सी. और के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक (दायाँ) प्रचालित आर.आई.एल. के मेपों की तुलना से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि अन्वेषात्मक कुओं की ओ.एन.जी.सी. प्रचालित ब्लॉक के सम्पूर्ण ठेका क्षेत्र में खुदाई हुई थी जबकि ये आर.आई.एल. प्रचालित ब्लॉक के उत्तर पश्चिम भाग तक सीमित थे। इसके अतिरिक्त ओ.एन.जी.सी. ने ठेका क्षेत्र के एक भाग को त्याग भी दिया गया था।

सिफारिश

एम.ओ.पी.एन.जी. को पी.एस.सी. प्रावधानों की शर्तों के अनुसार कड़ाई से 'अन्वेषण क्षेत्र' के रूप में के.जी.-डब्ल्यू.एन-98/3 के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा अवधारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रथम और द्वितीय अन्वेषणात्मक चरणों के समापन के समय पर अनुबद्ध 25 प्रतिशत परित्यक्त क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और तब किसी बाद वाले खोजों (जो पी.एस.सी. प्रावधानों के साथ अननुपालन के कारण अवैध है) को विचार किए बिना उस भाग में खुदाई किया गया कुआं अथवा कुओं से जोड़ते हुए पी.एस.सी. परिभाषा पर पूरी तरह आधारित होते हुए 'खोज क्षेत्र' की रूपरेखा सही-सही तैयार करनी चाहिए।

4.2.2 अन्वेषण चरणों का अनौचित्यपूर्ण विस्तार

पी.एस.सी. का अनुच्छेद 3 अन्वेषण चरणों के लिए आबंटित समय अवधि में मात्र सीमित विस्तार को अनुमत करना है:

- यदि, अन्वेषण चरण की समाप्ति पर उस चरण के लिए न्यूनतम निर्माण-कार्य कार्यक्रम (एम.डब्ल्यू.पी.) पूरा नहीं हुआ है तो एम.डब्ल्यू.पी. के समापन के लिए एम.सी.की सहमति से समय का विस्तार किया जाएगा जिसमें ठेकेदार द्वारा दर्शाये गए "तकनीकी अथवा अन्य उचित कारण" के लिए अधिकतम छः महीनों तक होगी, समय विस्तार की इस अवधि को अगले अन्वेषण चरण से घटाया जाएग;
- यदि, अन्वेषण चरण की समाप्ति के समय एम.डब्ल्यू.पी के अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण-कार्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रगति में है तो अन्वेषण चरण अधिकतम छः महीनों तक बढ़ाया जाएगा बशर्ते कि एम.डब्ल्यू.पी. पूरा हुआ है अथवा एम.सी. पूर्वोक्त विस्तार की अनुमति देती है।
- अप्रैल 2006 में जी.ओ.आई ने नई विस्तार नीति प्रारम्भ की थी जिसके अनुसार:
- प्रथम 6 महीनों का समय विस्तार सम्बन्धित पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुसार एम.सी. अथवा जी.ओ.आई द्वारा प्रदान किया जा सका था।
- 12 महीनों तक का अतिरिक्त समय विस्तार कतिपय शर्तों के पूरा होने जैसे बैंक गारंटी प्रस्तुत करना और/अथवा निर्णीत हर्जाने का नकद भुगतान, पर विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों (किन्तु सरकारी अनुमोदन/परमिट/अनुमति इत्यादि के कारण प्रस्तावित दर्शाने योग्य क्षम्य विलम्ब को छोड़कर) के लिए दिया जा सका था।

जून 2007 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने डी.जी.एच. की सिफारिश पर 13 महीने एवं 9 दिनों का अन्वेषण चरण III के लिए 7 जून 2007 से 15 जुलाई 2008 तक का समय विस्तार प्रदान किया था। प्रचालक ने अन्वेषण के समापन में विलम्ब के लिए निम्नलिखित कारण बताये थे:

- चरण I के दौरान पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) के प्रदान करने में 109 दिनों का विलम्ब; और
- दिसम्बर 2000 (चरण-I) और जनवरी 2006 (चरण-III) में 2 डी.सी.इस्मिक डॉटा और 3 डी.सी.इस्मिक डॉटा एब्रोड भेजने में रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) की अनुमति में क्रमशः 173 दिनों और 122 दिनों का विलम्ब।

तथापि हमने निम्नलिखित के कारण 109 और 173 दिनों के विलम्ब के प्रथम दो कारण पाये थे जो अनौचित्य पूर्ण थे:

- पी.ई.एल. के प्रदान करने में विलम्ब का लाभ चरण—I के अन्तर्गत समय विस्तार मांगते हुए प्रचालक द्वारा पहले ही उठाया जा चुका था।
- चरण—I में समय विस्तार के लिए अनुरोध की जांच—पड़ताल करते हुए डी.जी.एच. ने यह विचार किया कि एम.ओ.डी. ने प्रचालक द्वारा डॉटा प्राप्ति जॉब के समापन के बाद 2 महीनों की सामान्य अवधि के भीतर अनुमति दी थी और इसे समय विस्तार के लिए वैध आधार नहीं पाया गया था।
- उपरोक्त दोनों कारणों का कोई परिणामी प्रभाव नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य कार्यक्रम जिसके लिए चरण—I का विस्तार दिया गया था, उसे चरण—III से पहले पूरा किया गया था।

प्रतिक्रिया में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि अप्रैल 2006 की नई विस्तार नीति का उद्देश्य देश में तेल एवं गैस के अन्वेषण का बढ़ावा देना था। अन्वेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक लागत प्रभावी थी। क्षम्य विलम्ब के अन्तर्गत समय विस्तार प्रदान करने की नीति की मूल भावना अन्वेषण अवधि के दौरान दी जा सकती थी जिसको किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं किया गया था। क्षम्य विलम्ब के लिए प्रदान किया गया समय विस्तार, पी.एस.सी. अनुबद्ध सामान्य समय से अधिक समय ठेकेदार को मिला था जबकि अन्य कारणों पर प्रदान किया समय विस्तार पी.एस.सी. समय को बढ़ाये बिना बाद के चरणों में समंजित होगा। इसलिए क्षम्य विलम्बों के लिए समय विस्तार और अन्य कारणों के लिए समय विस्तार के बीच भेद करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अनुमति/अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब से ठेकेदार को अधिक समय मिला था। परिणामी प्रभाव की उपस्थिति/अनुपस्थिति को प्रदर्शित करना कठिन है और समय विस्तार नीति सहित पी.एस.सी. परिणामी प्रभावों के प्रदर्शन को अनुबद्ध नहीं करती है।

एम.ओ.पी.एन.जी. की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा द्वारा बताये गए विशिष्ट मुद्दों का उल्लेख नहीं करती है। एक कारण पर दो बार (चरण—I और चरण—III) समय विस्तार देने से प्रचालक को अनुचित लाभ का देना प्रदर्शित होता है।

4.2.3 के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन—98/3 में 4000/5000 मीटर गहराई तक अन्वेषण कुओं की खुदाई न करना

के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/3 के लिए पी.एस.सी. के अन्तर्गत वर्चनबद्ध निर्माण—कार्य कार्यक्रम में अन्वेषण चरण—I में 4000 मीटर गहराई वाले एक अन्वेषण कुएं, चरण—II में 4000 मीटर गहराई वाले प्रत्येक दो कुएं और 5000 मीटर गहराई वाले एक कुएं और चरण—III (सभी गहरा पानी) में 4000 मीटर गहराई वाले प्रत्येक दोनों कुएं और 5000 मीटर गहराई वाले प्रत्येक दोनों कुएं की खुदाई शामिल थी। लागत एवं प्रचालनात्मक दोनों जटिलताओं में गहरा पानी अन्वेषण में अत्यधिक गहराई वाले कुएं के महत्व को कम नहीं बताया जा सकता है। तथापि, हमने पाया कि प्रथम दो चरणों में प्रत्येक 4000 मीटर के 3 कुएं की और प्रत्येक 5000 मीटर गहराई वाले 2 कुएं की विगत दो अन्वेषण चरणों में ठेकेदार द्वारा खुदाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच की प्रतिक्रिया में प्रचालक ने बताया (अप्रैल 2010) कि:

- खुदाई के लिए चिन्हित कुएं की वास्तविक गहराई बोली के समय पर सही रूप से ज्ञात नहीं थी: इसे विस्तृत भूगर्भीय मॉडल बनाने के बाद निश्चित किया गया था और अतएव, इसमें परिवर्तत हुए थे।

- ठेकेदार से एम.सी.द्वारा समीक्षा किए गए भौगोलिक उद्देश्य के अनुसार गहराई तक खुदाई करना अपेक्षित था जो अन्वेषण प्रचालन के सर्वोत्तम हित में था और अन्वेषण प्रचालनों के गुणों पर ध्यान दिए बिना गहराई तक खुदाई करना अपेक्षित नहीं था।
- 2007 में जी.ओ.आई. एम.डब्ल्यू.पी. के प्रति अतिरिक्त मीटरेज के स्थान पर एक नई नीति के साथ आई थी। नीति का प्रतिपादन करते हुए जी.ओ.आई ने पी.एस.सी. में वचनबद्ध गहराई अथवा कुओं की संख्या को आधार माने बिना कुल आधार पर मीटरेज का विचार किया। नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जहां किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर संगणित (एन.ई.एल.पी. के लिए बी.ई.सी. के अनुसार) अंक/प्वाइन्ट बोली/ पी.एस.सी. के अन्तर्गत वचनबद्ध एम.डब्ल्यू.पी. के लिए स्कोर किए गए अंक/प्वाइन्ट से अधिक था वहीं खुदाई मीटरेज संशोधित गहराई प्राचल पर आधारित होते हुए पूरा होना माना जाता है। ब्लॉक में कुल खुदाई मीटरेज के तदनुरूप प्रत्येक अन्वेषण चरण में खुदाई किए गए अन्वेषण कुओं की संख्या के साथ-साथ समानुपाती कुल मीटरिंग ऐवरेज एम.डब्ल्यू.पी. वचनबद्धताओं से अत्यधिक उच्चतर है।

शाब्दिक परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक उद्देश्यों और ऐसे अन्वेषण प्रचालनों के गुणों के बाबजूद पी.एस.सी. वचनबद्ध कुएं की गहराई तक खुदाई के अधिदेश करता है। तथापि, हमारी राय में कुएं की गहराई पर आधारित बोली मूल्यांकन चरण में प्वाइन्ट देने की दोषपूर्ण प्रणाली के साथ समस्या जुड़ी है। अत्यंत बेसिक/ सीमित भौगोलिक डॉटा के साथ पूर्णतः काल्पनिक आधार पर अत्यधिक गहराई वाले कुएं की वचनबद्धता के लिए यह जानते हुए कि वास्तविक गहराई उद्देश्य सीस्मिक डॉटा और अन्य सुसंगत डाटा के ए.पी.आई. के तुरन्त बाद निश्चित किया जा सकता है। कुछ सम्भाव्य बोलीदाताओं के लिए तर्क विरोधी प्रोत्साहन का कार्य करता है कि तथापि हम सहमत हैं कि इस चरण में 4000/5000 मीटर कुएं की खुदाई पर बल देना अव्यवहार्य है जिससे ठेकेदार एवं जी.ओ.आई दोनों को निष्कल लाभ होगा। भविष्य में यदि अन्वेषण कुआं खुदाई को बोली मूल्यांकन का मापदंड के रूप में रखना है तो हम सिफारिश करते हैं कि या तो कुआं गहराई के लिए कोई वेटेज न दिया जाए अथवा दूसरी तरफ कुएं की वचनबद्धताओं को दो समूहों विनिर्दिष्ट गहराई (अर्थात् 1500 अथवा 2000 मीटर) से ऊपर और नीचे में श्रेणीकृत किया जाएगा और तदनुसार प्वाइन्ट्स दिए जाएं।

हम जी.ओ.आई. के अगले नीति संशोधनों के सम्बन्ध में प्रचालक की प्रतिक्रिया से सहमत नहीं होते हैं क्योंकि अगले एन.ई.एल.पी. राउन्ड या जी.ओ.आई नीतियों में संशोधनों का के.जी.-डी.डब्ल्यू. एन - 98/3 ब्लॉक के लिए पहले हस्ताक्षरित पी.एस.सी. के प्रावधानों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रतिक्रिया में एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि सी.ए.जी. की टिप्पणिया अच्छी तरह ली गई थी। कुएं की गहराई के मुद्दे को बोली मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने के लिए सी.ए.जी. के सुझाव की जी.ओ.आई द्वारा जांच-पड़ताल की गई होगी और अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर भविष्य के बोली लगाने के दौर में संबोधित किया जायेगा।

4.2.4 खोज की अधिसूचना के सम्बन्ध में पी.एस.सी. प्रावधानों का अनुपालन और जांच रिपोर्टों का प्रस्तुत करना के सम्बन्ध में पी.एस.सी. प्रावधानों का गेर अनुपालन

पी.एस.सी. के अनुच्छेद 10.1 और 10.2 में प्रावधान है कि जब खोज ठेका क्षेत्र के अन्तर्गत की जाती है तब ठेकेदार को निम्न करना चाहिए:

- खोज के बारे में प्रबन्ध समिति और सरकार को तुरंत सूचित करना और खोज के 30 दिनों के अंदर लिखित में ब्यौरे उपलब्ध करना;

- 'शीघ्रता' के साथ रन टेस्ट यह अभिनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि क्या खोज में वाणिज्यिक हित की सम्भावना है;
- जांच के पूरा होने के 60 दिनों के भीतर इस अधिसूचना के साथ प्रबन्धन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि क्या ठेकेदार की राय में खोज की वाणिज्यिक हित और गुण मूल्यांकन की सम्भावना है;
- खुदाई की शुरुआत/उत्पादन जांच (जांच के दौरान प्रतिनिधि की उपस्थिति का अधिकार सरकार के पास है) कम से कम 48 घंटे पहले सरकार को अधिसूचित करना।

तथापि, हमने पाया कि अक्टूबर 2002 और जुलाई 2008 (अनुलग्नक 4.2) के बीच 19 खोजों में से 13 के मामले में प्रचालक ने खोजों की वाणिज्यिक सम्भावना के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से लिखित अधिसूचनाएं एम.सी. और सरकार को लिखित में खोजों के प्रारम्भिक ब्यौरे सर्वप्रथम प्रस्तुत किए बिना दिया। स्पष्ट रूप से यह पी.एस.सी. प्रावधानों का उल्लंघन है जो क्रमबद्ध रूप में जोड़ते हुए विभिन्न कार्यकलापों के स्पष्ट समय सीमा अनुबद्ध करता है।

प्रतिक्रिया में एम.ओ.पी.एन.जी. ने स्पष्ट किया (जुलाई 2011) कि प्रथम 13 खोजें गहरे पानी क्षेत्र में एन.ई.एल.पी.-I दौर में प्रारम्भिक खोजें हुई थीं जो ठेका प्रदान करने के समय से अत्यंत कम अवधि के भीतर की गई थीं। उस समय प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थीं। उस अवधि के दौरान उसे परिशोधित एवं विकसित किया गया था। प्रारम्भिक एन.ई.पी.एल. अवधि के दौरान कार्यविधिक अंतर का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि कार्यपद्धति को अब सुदृढ़ किया गया था और पी.एस.सी. आवश्यकता के अनुसार बाद के खोजों के लिए कठोरता से अपनाई जा रही थी।

4.2.5 मूल्यांकन कार्यक्रम का अभाव

पी.एस.सी. के अनुच्छेद 21.5.2 और 10.3 में अनुबद्ध है कि यदि ठेकेदार एम.सी. को यह अधिसूचित करता है कि खोज की वाणिज्यिक सम्भावना है तो वह गैर सम्बद्ध प्राकृतिक गैस (एन.ए.एन.जी.) के मामले में एक वर्ष और तेल खोज के मामले में 120 दिनों के भीतर उद्देश्यों के साथ एम.सी. को एक प्रस्तावित मूल्यांकन कार्यक्रम (कार्य कार्यक्रम और बजट के साथ) प्रस्तुत करना चाहिए।

- यह निश्चित करना कि क्या खोज वाणिज्यिक खोज है; और
- विकास क्षेत्र की सीमाओं के साथ 'यथोचित सुस्पष्टता' के साथ निश्चित
- इसके अतिरिक्त "मूल्यांकन कार्यक्रम" खोज का मूल्यांकन और पेट्रोलियम रिजावायर जोकि खोज से संबंधित है की मोटाई पार्श्वक सीमा के पदों में रूप रेखा तैयार करने और पार्श्वक सीमा के अनुसार है और उसकी विशेषताओं और वसूलीयोग्य पेट्रोलियम की मात्रा निश्चित की जाती है के लिए कार्यक्रम के रूप में परिभाषित है। एन.ए.एन.जी. के मामले में 3 वर्षों और तेल के मामले में 30 महीने की अधिकतम समय सीमा। एम.सी.द्वारा अधिसूचित करने की तारीख से कि खोज की वाणिज्यिक सम्भावना है, वाणिज्यिक खोज के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तक की है जिसमें मूल्यांकन कार्यक्रम अनिवार्य रूप से शामिल है। एम.सी. को प्रस्ताव प्रस्तुति के 45 दिनों (गैस के लिए 90 दिन) के भीतर समीक्षा करनी चाहिए और प्रस्ताव की समीक्षा पूर्ण करने के लिए अन्य अतिरिक्त सूचना का अनुरोध करना चाहिए ताकि प्रस्ताव की समीक्षा को पूरा किया जाये। ठेकेदार को अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। एम.सी. को समीक्षा की जानी चाहिए और प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से (i) 90 दिनों (गैस के लिए 150 दिन) अथवा ऐसी अन्य सूचना की प्राप्ति के (ii) 45 दिनों (गैस के लिए 60 दिन) के बाद ठेकेदार को सूचित करना चाहिए।

"लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 खोजों में से 14 के सम्बन्ध में विशेषकर डी 1 – डी 3 गैस खोजों और डी 26 तेल खोज के मामले में कोई मूल्यांकन कार्यक्रम नहीं था। प्रचालक सीधे मूल्यांकन कार्यक्रम के बिना खोज से वाणिज्यिक खोज की ओर बढ़ गया था। पी.एस.सी. प्रावधानों के स्पष्ट रूप से उल्लंघन के अतिरिक्त, , खोज के लिए 'पर्याप्त एवं प्रभावी मूल्यांकन' के लिए पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार एम.सी. द्वारा यथोचित समीक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के अभाव वाली के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक खोज की घोषणा और रिजर्वायर आरक्षित, उत्पादन दरें विकास उत्पादन लागतों और इत्यादि से जुड़े प्राक्कलन सहित परिणामी विकास योजना की विश्वसनीयता सम्बन्ध में उच्च मात्रा में अनिश्चितता होती है।

डी 5 एवं डी 18 खोजों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम का प्रस्तुत न करना

हमने यह नोट किया था कि धीरुभाई-5 और धीरुभाई-18 गैस खोजों के सम्बन्ध में मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति क्रमशः जुलाई 2004 और अप्रैल 2006 से लम्बित थी। यद्यपि, पी.एस.सी. अनुच्छेद 21.5.4 निर्धारित करता है कि यदि खोज से तीन वर्षों के भीतर ठेकेदार द्वारा एम.सी. को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को ऐसी खोज के विकास करने के लिए अपने अधिकारों को त्याग कर देना चाहिए और ऐसी खोज से सम्बन्धित क्षेत्र को ठेका क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई डी.जी.एच./एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा नहीं की गई थी।

प्रतिक्रिया में (जुलाई 2011) एम ओ पी एन जी ने बताया कि जैसाकि सी ए जी द्वारा बताया गया, डी-5 एवं डी-18 खोजों का क्षेत्र जब कभी $9/4$ सेटलाइट गैस खोजों के लिए खोज क्षेत्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी तब पी एस सी प्रावधानों के अनुसार एम सी द्वारा त्याग करने के लिए विचार किया गया होगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दो खोज 9 सैटलाइट खोजों के अन्तर्गत कवर नहीं हैं। इसलिए जुलाई 2004 और अप्रैल 2006 से सुसंगत क्षेत्र को छोड़ने के लिए कार्रवाई न करना पीएससी प्रावधानों का उल्लंघन है।

उत्तर (जुलाई 2011) में एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया कि:

- खोजी कुओं में किए गए परम्परागत परीक्षण पर आधारित होते हुए ठेकेदार ने पर्याप्त परीक्षण डॉटा सृजित किया जो गहन कोरिंग, फार्मेशन मूल्यांकन के लिए लागिंग का उन्नत सेट, क्यूमेरीन सर्वेक्षण डॉटा (क्यू मेरीन उन्नत सीस्मिक प्रौद्योगिकी है और रिजर्वर अपेक्षित समय सीमा के भीतर अमेल विभेदन और बारम्बारता के माध्यम मूल्यवर्द्धित मूल्य को सुर्पुर्दग करता है) के अलावा क्लोज ग्रिड 3 डी सिस्मिक ए.पी.आई. डॉटा द्वारा समर्थित था। 3 डी सिस्मिक डॉटा/क्यू मेरीन ने रिजर्वर की सीमा को निर्धारित करने लिए ठेकेदार को समर्थ बनाया है।
- विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययनों (2 डी / 3 डी सिस्मिक, लागिंग, टेरिंग इत्यादि) के अलावा ठेकेदार ने तीन तीन कुओं अर्थात् क्रमशः के जी डी 6 – ए. 2, के जी.डी. 6 – बी 2 और के. जी.डी. 6 – एम. ए. 2 की खुदाई कर डी 1–डी 3 और डी-26 तेल खोजों का पता लगाया था। उपरोक्त अध्ययनों से सृजित जी एंड जी. डाटा से इन खोजों के 'डी.ओ.सी.' प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार समर्थ हुए थे। उपरोक्त जी. एंड जी. डाटा पेट्रोलियम रिजर्वर की रूपरेखा तैयार करने हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम करने के उद्देश्य को पूरा करते हुए पर्याप्त था।
- डी.जी.एच. द्वारा आंतरिक जांच के अलावा ठेकेदार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित स्वतंत्र ऊर्जा परामर्शदाताओं की तैनाती द्वारा इन खोजों का आगे मूल्यांकन किया गया था।

एम.ओ.पी.एन.जी. के उत्तर को निम्नलिखित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए:

- पी.एस.सी. प्रावधान मूल्यांकन कार्यक्रम और बजट को समय से प्रस्तुति समीक्षा और स्वीकार करने की औपचारिक कार्यविधि निर्धारित करते हैं। मूल्यांकन कार्यक्रम खोज/ खोजों की वाणिज्यिकता के

निर्धारण करने और विकसित क्षेत्र को अंतिम रूप से रूपरेखा तैयार करने के मूल्यांकन कार्यक्रम को अपनाया जाता है। तथापि, एम.ओ.पी.एन.जी./डी.जी.एच. से संग्रहीत सूचना के अनुसार पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार प्रथम 14 खोजों (डी 1 – डी 3 और डी 26 खोजों सहित) के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा कोई औपचारिक मूल्यांकन कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वास्तव में एम.ए.-2 मूल्यांकन कुएं की एम.ए. फील्ड के लिए डी.ओ.सी. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद खुदाई की गई थी जो पी.एस.सी. प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि रिजर्व की वाणिज्यिकता मूल्यांकन/रूपरेखा तैयार किए बिना अवधारित नहीं हो सकती है; इससे डी.ओ.सी. प्रस्ताव के समर्थन डाटा के संतुलन और पूर्णता पर संदेह है।

- दूसरी ओर ठेकेदार ने प्रथम 14 खोजों के लिए औपचारिक मूल्यांकन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक नहीं पाया है और दूसरी ओर उसने विस्तृत मूल्यांकन क्षेत्रों को कवर करते हुए विगत पांच खोजों (डी-29, डी-30, डी-31, और डी-34 खोज और डी 42 खोज के लिए अन्य के लिए एक संयुक्त मूल्यांकन कार्यक्रम) के सम्बन्ध में चरण III की विस्तारित अवधि में दो पृथक औपचारिक मूल्यांकन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था।

4.2.6 मूल्यांकन की प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन में विलम्ब, कार्यक्रम, वाणिज्यिकता और विकास योजना की कार्यक्रम घोषणा

पी.एस.सी. मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन वाणिज्यिकता और विकास योजना की घोषणा के लिए विभिन्न समय सीमा निर्धारित करती है। तथापि हमने ऐसे विलम्ब के कई मामलों को देखा था (अनुबंध 4.3)।

4.3 डी 1 – डी 3 के लिए विकास कार्यकलाप

4.3.1 डी 1 – डी 3 गैस खोज के लिए आई.डी.पी. अनुमोदन के बाद विलम्बित कार्रवाई

डी 1 – डी 3 गैस खोजों के लिए वाणिज्यिकता की घोषणा के बाद प्रचालक ने 2.39 बिलियन अमरीकी डालर के प्राककलित पूँजीगत व्यय के साथ प्रारम्भिक विकास योजना (आई.डी.पी.) प्रस्तुत की (मई 2004)। आई.डी.पी. में अतिरिक्त उपस्कर प्रतिष्ठापित कर 80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक क्षमता संवर्धन के लिए डिजाइन प्रावधान के साथ 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी.(34 उत्पादक कुएं) के गैस उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। समयसूची के अनुसार जुलाई 2006 तक परियोजना पूरी होनी थी और अगस्त 2006 तक प्रथम गैस उत्पादन होना था। आई.डी.पी. को 5 नवम्बर 2004 को एम.सी. द्वारा अनुमोदन किया गया था।

तथापि विकास कार्यकलाप परियोजना समापन समयसूची के अनुसार निर्धारित नहीं थी और परियोजना चालू होने और वाणिज्यिक उत्पादन की निर्धारित तारीख तक प्रचालक ने 2008–09 तक पूरे होने वाला चरण I के लिए 5.2 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक आई.डी.पी. (चरण I) का परिशिष्ट प्रस्तुत किया (20 अक्टूबर 2006)। योजना 2008 के मध्य तक प्रथम गैस उत्पादन के साथ 80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की प्लेट प्रोडक्शन रेट की सुपुर्दग्दी की परिकल्पना की गई थी। चरण II (2008–09 के बाद) का केपेक्स 3.6 बिलियन अमरीकी डालर तक प्रस्तुत किया गया था जिसमें 120 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के उत्पादन के अनग्रेडेबल सुविधाओं के साथ कुल 8.8 बिलियन (50 कुएं) अमरीकी डालर तक जोड़ा गया था। आई.डी.पी. 12 दिसम्बर 2006 को एम.सी. द्वारा अनुमोदन किया गया था।

इस सम्बन्ध में हमने निम्नलिखित पाया:

- पी.एस.सी. का अनुच्छेद 21.5.6 डी.ओ.सी. के एक वर्ष के भीतर व्यापक विकास योजना की प्रस्तुति अनुबद्ध करता है। इसके बजाय, प्रचालक ने मई 2004 में प्रारम्भिक विकास योजना प्रस्तुत की जिसमें $2\frac{1}{2}$ वर्षों से कम समय में आई.डी.पी. के परिशिष्ट के माध्यम से संशोधन किया गया था। जबकि पी.एस.सी. एम.सी. अनुमोदन के साथ अच्छे कारण के लिए एफ.डी.पी. में आशोधन/संशोधन अनुमत करते हैं फिर भी अल्पावधि में परिशिष्टों के माध्यम से आई.डी.पी. के संशोधन का प्रतिमान आंकड़ों की सख्ती पर संदेह डालता है और विकास योजनाओं के अनुमानों को रेखांकित करता है (इस न्याय संगत तर्क के साथ कि सम्भावित गैस रिजर्व को दुगना करके)। हाल के रिपोर्ट में जैसाकि मीडिया में प्रदर्शित हो रही है से उत्पादन की गिरावट 43 एम.एम.एस. सी.एम.डी. तक इंगित होता है जो आई.डी.पी. में परिकल्पित 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के स्तर के करीब है। यह संदेह उत्पन्न करता है कि क्या विकास लागत में पर्याप्त वृद्धि के साथ 80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक अपग्रेडशन एम.सी. की समीक्षा के लिए कोई मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति न करने की वजह से न्याय उचित प्रतीत हुआ था।
- पी.एस.सी. के अनुच्छेद 21.5.10 में प्रावधान है कि विकास योजना के अनुमोदन के बाद गैस खोज अनुमोदित योजना के अनुसार ठेकेदार द्वारा तत्काल विकसित की जानी चाहिए। तथापि अनुमोदन (नवम्बर 2004) के बाद क्षेत्रीय विकास कार्य आई.डी.पी. की समय सारणी के अनुसार नहीं थी। प्रचालक ने क्षेत्रीय विकास के लिए प्रमुख उपस्कर/सामग्री/सेवाओं की प्राप्ति के लिए तत्काल कार्रवाई की पहल नहीं की थी। इसके बजाय, प्रमुख निविदा कार्यकलापों से सम्बन्धित विकास 2006 में प्रारम्भ हुए थे जिसका 2008 के मध्य और अक्टूबर 2006 तक गैस उत्पादन लक्ष्य था, अधिकांश कार्यकलाप निविदा चरण अथवा संसाधन जुटाव स्तर अथवा प्रारम्भिक शुरुवाती चरण में थे (अनुलग्नक 4.4)।
- आई.डी.पी. चरण में 2.39 बिलियन अमरीकी डालर से ए.आई.डी.पी. (चरण-I) में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर तक प्राक्कलित लागत में 117 प्रतिशत वृद्धि (अर्थात् 2.81 बिलियन अमरीकी डालर) थी। “प्रथम गैस” उत्पादन से 2008 के मध्य तक समय सीमा के बदलाव के बावजूद और अधिकांश आदेश ए.आई.डी.पी. (अनुमोदन से पहले ही) के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार प्रचालक द्वारा किए गए थे, अप्रैल 2009 में गैस उत्पादन शुरू हुआ था।
- ठेकों से सम्बन्धित विकास के लिए प्राक्कलित बनाम वास्तविक खर्च की सूचना, निर्धारित बनाम वास्तविक समापन इत्यादि प्रचालक द्वारा प्रावधान नहीं किया गया था हालांकि मांग की गई थी। लेखापरीक्षा पूछताछ की प्रतिक्रिया में प्रचालक ने बताया कि ए.आई.डी.पी. के अन्तर्गत ठेकों के साथ जुड़े विकास प्रचालनों के लिए व्यय मार्च 2008 के बाद किया गया था, जो चालू लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था। डी.जी.एच. से संग्रहीत व्यय विवरण के अनुसार जून 2009 तक वास्तविक खर्च बहुत सी मदों को प्रगति के अन्तर्गत रहने के बावजूद 5.07 बिलियन अमरीकी डालर था इस प्रकार प्रदर्शित होता है कि लागत आगे बढ़ी होगी। हमने आई.डी.पी. की तुलना में ए.आई.डी.पी. की मात्रा एवं दरों में उर्ध्वगामी संशोधन तथा इसके साथ ही लागत की तुलना में वास्तविक खर्च में अंतर और लागत वृद्धि पाई। परियोजना विकास के विभिन्न लागत तत्वों के सम्बन्ध में अन्य घटक के साथ-साथ मात्रा दरों की शर्तों में लागत अंतर के ब्योरे अनुलग्नक 4.5 में दर्शाये गए हैं।

इसके अतिरिक्त हमने पाया कि प्रचालक ने प्रस्तुति/अनुमोदन से पहले (आई.डी.पी. से भिन्न) ए.आई.डी.पी. के अनुसार डी 1 – डी 3 फील्ड से सम्बन्धित विकास कार्यकलापों/उत्पादन सुविधाओं के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमुख मदों के लिए ठेका प्रदान किया/आदेश दिया जैसाकि नीचे उल्लिखित है:

- प्रचालक ने अभियन्त्रीय, प्राप्ति, स्थापना, प्रचालन का (ई.पी.आई.सी.) अतीय और तीय सुविधाओं का ठेका यूरो 766.085 मिलियन में सितम्बर 2006 में दिया, जबकि, ओ.सी. द्वारा आपूर्ति कर्ता की सूची फरवरी 2003 में अनुमोदित की गई थी।
- यद्यपि मई 2004 की प्रारम्भिक विकास योजना में कन्ट्रोल कम राइजर प्लेटफार्म (सी.आर.पी) का कोई प्रावधान नहीं था, प्रचालक ने सी.आर.पी के लिए ठेका 329.55 मिलियन अमरीकी डालर के लिए सितम्बर 2006 में प्रस्तावित संशोधित विकास योजना के अनुसार दे दिया।

ए.आई.डी.पी की प्रस्तुति तथा आई.डी.पी के अनुमोदन के बाद कार्यवाही में विलम्ब की न्यायसंगतता से सम्बंधित लेखापरीक्षा जाँच के पत्युत्तर में प्रचालक ने संकेत दिया कि:

- प्रारम्भिक योजना 2004 के पूर्ववर्ती भाग में सीमित आकड़ों एवं बोध को एकीकृत करते हुए सृजित जियोलाजिकल रिजरवायर माडल पर आधारित थी। इस मॉडल में उच्च कोटि की मात्रात्मक अनिश्चितता मुख्यतः सीमित कोर डाटा, डिपोजीसनल प्रक्रिया की सीमित समझ, चट्टान के गुणों तथा भूकम्पी (य) क्षेत्र के बीच खराब अंशशोधन के कारण था।
- आई.डी.पी. के अनुमोदन के बाद के कार्य में विस्तृत अध्ययन जैसा कि अतिरिक्त आंकड़ों की प्राप्ति, पुनः प्रक्रिया तथा व्याख्या, व्याप्त मानक तथा प्राप्त रिजर्व शामिल था।
- भूगर्भीय तथा भड़ारण समझ जैसे-2 अतिरिक्त कूप आंकड़े भंडारण आंकड़े तथा उत्पादन आंकड़े उपलब्ध होते हैं, सुधरती जाती है। हालांकि, निवेश निर्णय अभी भी तत्कालीन समझ पर लिये जा रहे हैं।
- विकास गतिविधियों की प्रगति कड़ाई से परियोजना अनूसूची के अनुक्रम में अनूसूचित नहीं की जा सकी जैसा कि क्यू 2004 से क्यू 2005 के दौरान अध्ययन से प्रकट हुआ कि रिजर्व बेस बहुत ऊँचा था तथा प्रचालक को मूल योजना पर भारी माँग के विचार में पुर्णविचार करने के लिए बाध्य किया / दोनों जे.वी साझेदारों ने गैस की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने तथा ज्ञात रिजर्व को लागत प्रभावी तरीके से विकसित करने के विकल्प का प्रस्ताव देने का निर्णय लिया। ए.आई.डी.पी. के एम.सी. द्वारा अनुमोदन की उम्मीद में, डी-1/डी-3 क्षेत्रों के समय पर विकास के लिए विक्रेताओं से सम्बन्ध बनाने के लिए अग्रिम कार्य किया गया।
- आई.डी.पी ने स्पष्ट संकेत दिया कि परियोजना अनूसूची समय पर अनुमोदन तथा परियोजना से सम्बंधित सभी सांविधिक बेवाकी के प्राप्त के विषयाधीन हैं। योजना का अनुमोदन तथा अन्य सांविधिक अनुमोदन हाँलाकि विलम्बित हो गये। गैस पाइपलाइनों²⁸ की स्थापना की अनुमति मात्र मार्च 2006 में दी गयी।
- 2005–06 का अच्छा अवसर, आई.डी.पी अनुमोदन में विलम्ब के कारण छूट गया तथा अक्टूबर 2006 में उत्पादन प्राप्त होने योग्य नहीं था, लेकिन जल्द से जल्द यह अगस्त 2007 में था।
- उच्च रिजर्व आधार के कारण डी-1 डी-3 खोजों से मूल योजना से लगभग दुगने उत्पादन के लिए सशोधित योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। प्रचालक के आन्तरिक संशोधन ए.आई.डी.पी को तैयार करने में केन्द्रित थे जिसमें अतिरिक्त आकड़ों, मूल संकल्पना तथा फीड

²⁸ कथनानुसार गैस पाइप लाइनों का विचाया जाना, रिलायंस गैस ड्रान्सपोर्टेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह पी.एस.सी. तथा इसकी गतिविधियों का हिस्सा नहीं है, अतः इस लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

अध्ययन, उच्चतर उत्पादन के प्लाट प्लान तथा बढ़ी हुई हेन्डलिंग क्षमता पर विस्तृत पनः—कार्य की आवश्यकता थी।

प्रतिउत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा (जुलाई 2011) कि:

- दोनों विकास योजनाओं में सभी आंकड़े/सूचनाएं शामिल थी, अतः वे पी.एस.सी के प्रावधानों के अनुसार व्यापक थे।
- 2004 में आई.डी.पी के अनुमोदन के पश्चात, ठेकेदार ने कार्यक्रम को ब्लॉक/विकास क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता का आकलन करने के लिये किया। प्राप्ति योग्य रिज़व आकंडा मूल विकास योजना में किये गये पूर्व अनुमान के दुगने से अधिक था।
- एफ.डी.पी भंडारण के वर्तमान ज्ञान पर आधारित है। जैसे—जैसे क्षेत्र का विकास प्रगति करेगा, क्षेत्र के विषय में और अधिक आकंडे भंडारण निष्पादन, भूगर्भीय ज्ञान तथा उत्पादन व्यवहार के पदों में इकट्ठे होंगे। अतः किसी तेल/गैस क्षेत्र का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है तथा अनुमोदित विकास योजना परिवर्तित होती है तथा तेल/गैस के अभीष्ट शोषण के लिए परिवर्द्धित/संशोधित होना संभावित है। आगे, भारत में ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ विकास योजना समय—समय पर संशोधित/परिवर्द्धित हुई है। यह एक उद्योग स्वीकार्य व्यवहार है तथा इ एण्ड पी उद्योग में बहुत सामान्य है।
- डी.जी.एच ने भी डी-1 डी-3 क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को सत्यापित तथा वैध, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऊर्जा परामर्शदात्री फर्म मुस्टांग इन्टरनेशनल तथा तत्पश्चात एक ख्याति प्राप्त स्वतन्त्र परामर्शदाता डा.पी गोपालकृष्णन द्वारा कराया।
- आगे, पी.एस.सी के अनुच्छेद 21.5.12 के अनुसार प्रचालक के पास 2012 तक की समय रेखा थी जब कि उसने विकास प्रक्रिया अधिकतम अनुमन्य पी.एस.सी समय सीमा से पाँच वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ कर दी।
- न तो एफ.डी.पी के क्रियान्वयन में विलम्ब था और न ही निम्न कारणों से पी.एस.सी का उल्लंघन था:
 - ❖ प्रचालक पी.एस.सी के प्रावधानों के तहत विकास योजना को परिवर्द्धित कर सकता था
 - ❖ सशोधन स्थापित उद्योग व्यवहार तथा पी.एस.सी निर्दिष्टों के क्रम में था।
 - ❖ प्रचालक ने अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम मूल योजना तथा संशोधित योजना के बीच पूरी किया।
- डी-1 और डी-3 का वास्तविक पूंजीगत व्यय मार्च 2011 तक लेखा पुस्तकों के अनुसार 5.59 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें 2.59 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यय मार्च 2008 तक किया गया था जो कि सी.ए.जी की लेखापरीक्षा का काल था। व्यय का साक्ष्य तथा वाउचर लेखापरीक्षा के विषयाधीन थे तथा कोई भी अपुष्ट व्यय गैर अनुमन्य होने के योग्य था। मार्च 2011 तक किये गये व्यय की लेखापरीक्षा एम.सी द्वारा नियुक्त एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षा फर्म द्वारा की जा रही है।
- सी.ए.जी की टिप्पणीयों को अच्छी तरह से लिया गया है तथा उन्हें नीति निर्माण में ध्यान में रखा जायेगा तथा ए.आई.डी.पी. के संदर्भ में कोई विशिष्ट सुधार/संशोधन/सुझाव लागत/ व्यय के सम्बन्ध में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, यदि सी.ए.जी द्वारा प्रस्तावित हो, उचित कार्यवाही के लिए विचार किया जायेगा।

उपरोक्त व्याख्या निम्न के आलोक में देखी जायेगी:

- मई 2004 में आई.डी.पी. की प्रस्तुति के पश्चात ऑपरेटर ने पी.एस.सी. में निर्धारित छः महीने के प्रति एक महीने के भीतर इन्हें स्वीकृत करने की आशा की। प्रॉवधानों को अच्छा मौसम वातावरण पर विचार करते हुए योजना और उचित समयबद्ध परियोजना तैयार करने के लिए यह आवश्यक था।
- चूंकि मुख्य परियोजना निष्पादन क्रियाकलापों के लिए क्रय आदेश पर नवम्बर 2004 से तुरन्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, विभिन्न प्राधिकरियों से अन्य स्वीकृति के लिए कार्रवाई हेतु लिए गए समय वास्तविकता में परियोजना में विलम्ब के लिए महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया।
- जबकि विभिन्न कारणों (तेल और गैस उद्योग में नाटकीय मांग-आपूर्ति असंतुलनों के लिए स्पाइरेलिंग क्रूड आयल कीमतों में अंशदान सहित) के कारण तेल और गैस संबंधित उपस्कर और सेवाओं में नाटकीय रूप से कीमत में वृद्धि हुई, विकास की वृद्धि लागत के लिए 2004 और 2005 में अधिप्राप्ति क्रियाकलापों को प्रारंभ करने में प्रॉवधानों ने विलंब किया।

आगे:

- आई.डी.पी. की प्रस्तुति (26 मई 2004) के पश्चात अर्थात् सात महीने के पश्चात 4 जनवरी 2005 को खनन पट्टा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- अधिकांश अधिप्राप्ति क्रियाकलापों मई 2004 की आई.डी.पी. की सूचियों के अनुसार विलम्ब से प्रारंभ की गई थी। ए.आई.डी.पी. के मद्दों के संबंध में क्रियालापों को कंट्रास्ट द्वारा ए.आई.डी.पी की प्रस्तुति/स्वीकृति के पहले भी आरंभ किया गया था। ऑपरेटर के विकास क्रियाकलापों को स्पष्टरूप से आई.डी.पी. बल्कि ए.आई.डी.पी. द्वारा दिशानिर्देशित किया गया था।
- जैसाकि ऑपरेटर द्वारा निर्दिष्ट किया गया, ए.आई.डी.पी. की एम.सी. स्वीकृति की प्रत्याशा में डी 1/डी 3 क्षेत्रों का समय से विकास करने के लिए वेंडरों को टाई-अप करने हेतु अग्रिम कार्रवाई की गई थी। जबकि इस पर विचार करना था कि ऐसी पूर्व स्वीकृति कार्रवाई जोखिम है और वास्तविकता रूप से यह ठेकेदार के लागत में ऐसी स्वीकृति जिससे सम्पन्न कार्य होता है में समान्य रूप से यह वृद्धि करती है।

ए.आई.डी.पी. के अंतर्गत पृथक मामलों के संबंध में किए गए अधिकांश व्यय/ भुगतान हैं या 2008–09 से आगे उपगत किया जायगा। अनुमानों की स्वीकृति भुगतान योग्य लागत का ऑपरेटर का प्रेक्षण की स्वीकृति संस्थापित नहीं करती है। ऑपरेटर द्वारा उपगत लागत की स्वीकृति की उचित मापदंडों द्वारा उनके खर्च की लेखापरीक्षा करने के बाद ही प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए ऐसे खर्च को भविष्य में लेखापरीक्षा में कवर किया जायगा।

अनुमानों के अनुमोदन में संचालक द्वारा अदा की जाने वाली प्रायोजित लागत अनुमान की स्वीकृति में शामिल नहीं है, ऑपरेटर द्वारा लगाई गई लागत का वैधीकरण उचित विनियमों के माध्यम से वास्तविक लागत की लेखापरीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। ए.आई.डी.पी. के एकल मद्दों के सम्बन्ध में किया गया व्यय 2006–07 तथा 2007–08 में लेखापरीक्षा किया गया तथा शेष 2008–09 से लेकर आगे किये गये व्यय की लेखापरीक्षा भविष्य में की जाएगी।

4.4 विकास/अधिप्राप्ति क्रियाकलाप (एम.ए.क्षेत्र)

टी.डी.ओ.सी. और क्षेत्रीय विकास योजना (एफ.डी.पी.) की स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा किए बिना अनियमित रूप से विकास क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के क्रम में एक ग्रुप के चार कम्पनियों को विभिन्न ठेके प्रदान करने के लिए प्रॉवधानों द्वारा एम.ए. क्षेत्र का विकास के एक मामले में अविचारित निर्णय लिया

गया था। वह प्रॉविधानों ने उचित कीमत और अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनुपालन और पी.एस.सी. की मूल भावना के अन्य प्रॉविधानों को सुनिश्चित किए बिना अप्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ठेके प्रदान किया।

4.4.1 इवेंट का कालक्रम

ए.म.ए तेल क्षेत्र से संबंधित मुख्य अधिप्राप्ति और विकास/पी.एस.सी. इवेंट्स का कालक्रम निम्नांकित है:

सारणी 4.2 – एम.ए. तेल क्षेत्र से संबंधित मुख्य इवेंट्स का कालक्रम

| क्रियाकलाप संबंधी अधिप्राप्ति | तारीख | पी.एस.सी. संबंधी इवेंट्स |
|--|-----------------|---|
| | 15 दिसम्बर 2005 | एम.ए. तेल क्षेत्र में प्रथम अन्वेषणात्मक कुओं की ड्रिलिंग |
| आर.आई.एल. द्वारा परिचालित विभिन्न ब्लॉकों के लिए मोबाइल उत्पादन सूविधा (एम.पी.एफ.) को किराये पर लेने के लिए ई.ओ.आई ई.ओ.आई. प्राप्त नहीं हुई। | 5 जनवरी 2006 | |
| | 12 जनवरी 2006 | आयल बियरिंग के रूप में प्रथम अन्वेषणात्मक कुओं की जांच |
| शीघ्र उत्पादन के लिए चयन अवधारणा, फ्रॉट इंड इंजीनियरिंग डिजाइन (एफ.ई.ई.डी) और प्लवमान उत्पादन का वैधीकरण, भंडारण और आफलोडिंग (एफ.पी.एस.ओ.) सुविधा इंजीनियरिंग के लिए आई.एन.टी.ई.सी. को ठेका जारी करना | 12 जनवरी 2006 | |
| एकर प्लवमान उत्पादन (ए.एफ.पी.) को अर्थात् जनवरी 2006 में ई.ओ.आई के आमंत्रण के पश्चात और वेंडर अर्हता मानदण्ड (वी.क्यू.सी.) जिसे सितम्बर 2006 में ठेकेदार द्वारा विश्लेषण किया गया) के पहले शामिल किया गया। | 14 मार्च 2006 | |
| | 24 जून 2006 | एम.सी. के लिए तेल अन्वेषण की अधिसूचना (पी.एस.सी. निर्धारित समयसीमा की समाप्ति के पश्चात-जांच के 60 दिन बाद) |
| ओस्लो स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध ए.एफ.पी. | 26 जून 2006 | |

| क्रियाकलाप संबंधी अधिग्राहित | तारीख | पी.एस.सी. संबंधी इवेंट्स |
|--|---------------------|--|
| एम.पी.एफ. को किराया पर लेने के लिए वेंडर अहंता मानदंड (वी.क्यू.सी.) स्वीकृति ²⁹ के लिए ओ.सी. को भेजा गया। | 6 जुलाई 2006 | |
| ओ.सी. द्वारा वी.क्यू.सी. की स्वीकृति | 7 जूलाई 2006 | |
| वी ओ.सी. विश्लेषण (इन्टरनेट ³⁰ से सापेक्ष फर्मों के ब्यौरे के आधार पर तैयार किया गया) स्वीकृति के लिए ओ.सी. को भेजा गया। | 4 सितम्बर 2006 | |
| एफ.पी.एस.ओ. को किराया पर लेने के लिए आर.ई.पी. (11 अक्टूबर 2006 को बोली की नियत तारीख से 15 फर्मों को जारी की गई); (25 अक्टूबर 2006 के लिए स्टेजो में संशोधित किया गया बोलीदाताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात बीच में आर.एफ.पी. को एडेंडा जारी किया गया। | 21 सितम्बर 2006 | |
| | 20 अक्टूबर 2006 | अन्वेषण का मूल्यनिर्धारण किए बिना स्वीकृति के लिए डी.जी. एच. को प्रस्तुत अन्वेषण की वाणिज्यिकता का घोषण (डी.ओ.सी.) |
| आठ बोलीदाताओं की अमूल्यांकित टेक्नोकमर्शियल बोलियां खोली गई थीं | 27 अक्टूबर 2006 | |
| नवम्बर 2006 में ओस्लो में बैठक सहित दो वेंडरों (ए.एफ.पी. और एस.बी.एम) के साथ विचार-विमर्श किया गया। | 14 नवम्बर 2006 | मूल्य निर्धारण के लिए दूसरा कुओं की स्प्रिंग (डी.ओ.सी. की प्रस्तुति के पश्चात) 5 दिसम्बर 2006 को पूरा किया गया। |
| अंतरों/अपवर्जनों को समाधान करने के लिए तकनीकी आहंताओं पर आधारित बोलियों को बाद में संशोधित किया गया था। | | |
| ए.एफ.पी. को एकल स्वीकार्य बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया और सात अन्य | 2 से 6 दिसम्बर 2006 | |

²⁹ इसे स्वच्छ, पारदर्शक और विश्वसनीय पद्धति के रूप में ई.ओ.आई. आमत्रित करने के पहले करना चाहिए

³⁰ वी.क्यू.सी. विश्लेषण के लिए समर्थित कागजातों को लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेख में नहीं पाया गया।

| क्रियाकलाप संबंधी अधिप्राप्ति | तारीख | पी.एस.सी. संबंधी इवेंट्स |
|---|-----------------|--|
| बोलीदाताओं की बोलियों को तकनीकी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। | | |
| एफ.पी.एस.ओ के लिए ए.एफ.पी को जारी की गई एल.ओ.आई (05.01.2007 को संशोधित) | 11 दिसम्बर 2006 | |
| | 2 फरवरी 2007 | एम.सी. द्वारा एम.ए. तेल क्षेत्र के डी.ओ.सी. की समीक्षा |
| बेचटेल को परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य का ठेके जारी करना | 24 मार्च 2007 | |
| सबसी की आपूर्ति के लिए ठेका 'एकर' क्वर्नर 'सबसी' को हार्डवेयर प्रदान किया गया (यू.एस. \$ 356.10 मिलयन) | 27 अप्रैल 2007 | |
| किलियम एण्ड पी.एस.ओ. यू.एस.एस. 1075 मिलियन को किराया पर लेने के लिए ए.एण्डपी. को जारी की गई एल.ओ.आई में कुछ संशोधन के साथ ठेका एफ.पी. (ए.एण्डपी का सहायक) एकर को ठेका प्रदान किया गया | 4 मई 2007 | |
| एफ.पी.एस.ओ. को जुरोग शिपयार्ड से नौप्रस्थान किया गया। | 28 जुलाई 2007 | |
| | 18 अगस्त 2007 | एम.ए. क्षेत्र के लिए प्रारंभिक विकास योजना एम.सी. को प्रस्तुति |
| | 31 अगस्त 2007 | खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन |
| एफ.पी.एस.ओ. का परिचालन और अनुरक्षण (ए.एफ.पी को जारी किए गए एल.ओ.आई. में कुछ संशोधनों सहित) यू.एस.एस. 276 मिलियन के लिए ए.बी.ओ. (एकर बोर्जस्टेड आपरेशन) को ठेका प्रदान किया गया | 7 अक्टूबर 2007 | |
| एम.ए. क्षेत्र के लिए क्रिस्मस ट्री (एक्स.एम.टी) का प्रतिष्ठापन | 24 फरवरी 2008 | |

| क्रियाकलाप संबंधी अधिप्राप्ति | तारीख | पी.एस.सी. संबंधी इवेंट्स |
|--|----------------|---|
| | 17 अप्रैल 2008 | एम.सी. क्षरा क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति |
| | 12 मई 2008 | जी.ओ.आई द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा प्रभावी 17 अप्रैल 08 |
| सिगापुर डीपवाटर एन्चोरेज से एफ.पी.एस.ओ. नौप्रस्थन | 6 आगस्त 2008 | |
| एफ.पी.एस.ओ सीमाशुल्क की अनुमति के पश्चात एम.ए. क्षेत्र के स्थान पर पहुंचां | 16 अगस्त 2008 | |

4.4.2 पी.एस.सी. में आवश्यक अनुमोदन से पहले अनियमित कार्यवाही

उपरोक्त से प्रदर्शित होता है पी.एस.सी. से संबंधित अनुमोदन से पूर्व विभिन्न प्राप्तियों से संबंधित गति विधियों का समय अत्यधिक अनियमित है।

- 12 जनवरी 2006 को प्रथम तेल अन्वेषण कुंए के परीक्षण से पहले ही 5 जनवरी 2006 को मोबाईल उत्पादन सुविधा (एम.पी.एफ) को किराये के लिए ई.ओ.आई. जारी कर दिया गया।
- 20 अक्टूबर 2006 को डी.जी.एच. को डी.ओ.सी. के प्रस्तुत करने से पहले ही, 21 सितम्बर 2006 को फ्लोटिंग उत्पादन भण्डारण और आफलोडिंग (एफ.पी.एस.ओ) पोत की चार्टर-किराये के लिए आर.एफ.पी. जारी कर दिया गया जबकि 2 फरवरी 2007 को एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. की जॉच के बिना सफल बोलीदाता (ए.एफ.पी) को एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया।
- एम.ए. क्षेत्र के लिए प्रारंभिक विकास योजना केवल 18 अगस्त 2007 को प्रस्तुत की गई, खनन पट्टा के लिए आवेदन के साथ 31 अगस्त 2007 को प्रस्तुत होना था। क्षेत्र विकास योजना, एम.पी. द्वारा 17 अप्रैल 2008 को अनुमोदित की गयी था, जबकि एम.ओ.पी.एन.जी. मंत्रालय द्वारा खनन पट्टा (एम.एल) 12 मई 2008 को प्रदान किया गया, परन्तु यह 17 अप्रैल 2008 (एफ.डी.पी. की अनुमोदन की तिथि)³¹ से लागू हो गया था। इस समय तक, तेल क्षेत्र के लिए क्रिसमस ट्रीस स्थापना-कार्य पहले ही 24 फरवरी 2008 से शुरू हो गया था, जोकि वैद्य खनन पट्टा के अभाव में पी एन जी नियमों और ओ.एफ. (आर.डी.) अधिनियम का उल्लंघन था।
- पैट्रोलियम संचालन के लिए एम एल प्रदान करने और एफ डी पी के अनुमोदन से पहले ही वर्ष 2007–08 के दौरान, यूएस. \$729.38 मिलियन की वस्तुयें आयात करने के लिए, डी.जी.एच. द्वारा अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ई.सी) अनियमित रूप से जारी किये गये।
- अवधारण चयन तकनीकी रिपोर्ट, जोकि एफ.डी.पी. के लिए आई.एन.टी.ई.सी. इंजिनियरिंग द्वारा फीड के रूप में थी, सभी कार्य आकरे ग्रुप कम्पनियों को प्रदान करने के बाद, 21 जून 2007 को प्राप्त हुई थी। अतः वास्तव में, आई.एन.टी.ई सी. रिपोर्ट, केवल वही प्रदर्शित की जोकि पहले ही ऑकर ग्रुप कम्पनियों को बताया व सौंपा गया था।

³¹ एम.ओ.पी.एन.जी. ने अगस्त 2007 से पहले के खनन पट्टा की मंजूरी के अनुरोध की स्वरकृति को नामंजूर कर दिया और पट्टे की मंजूरी को केवल एफ.डी.पी. के अनुमोदन की तिथि से प्रभावित माना।

- एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा भेजा गया आर आई एल का जवाब, कि आई एन टी ई सी इंजिनियरिंग ने वास्तव में अवधारण और तकनीकी दस्तावेजों पर आर आई एल को किया गया तकनीकी आदान प्रदान अस्वीकार्ययोग्य है क्योंकि आर आई एल ने समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये। इसके अलावा डी ओ सी अनुमोदित करते समय फरवरी 2007 में एम सी द्वारा पूछे जाने पर आर आई एल ने स्वयं कहा कि आई एन टी ई सी को अवधारण चयन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि फीड पर आई एन टी ई सी की रिपोर्ट केवल एम सी के निर्देशों की अनुपालना और पहले ही सौंपें गये ठेकों को साबित करने के लिए प्राप्त की गई।

4.4.3 पूर्व-योग्यता प्रक्रिया में कमियां

फ्लोटिंग उत्पादन भण्डारण और ओफलोडिंग सुविधा (एफ.पी.एस.ओ) की चार्टर किराये के लिए प्रस्ताव का आग्रह (आर एफ पी), जारी करने के लिए विक्रेताओं के पूर्व-योग्यता के लिए, इंटरनेट से लिया गया संभावित फर्मों के बौरे के आधार पर, एफ क्यू सी विश्लेषण तैयार किया गया और अनुमोदन के लिए 4 सितम्बर 2006 ओ सी को भेजा गया। इस वी क्यू सी विश्लेषण के सम्बंधित रिकार्ड में नहीं पाये गये क्योंकि वे परिचालक द्वारा बनाये ही नहीं गये थे।

एक एफ पी एस ओ को संचालित और व्यवस्थित करने के अनुभव की कमी के बावजूद, आकेर फ्लोटिंग प्रोडक्शन ए एस ए (ए एफ पी)/आकेर ग्रुप (अंतिम रूप से सफल बोलीधारक) को प्रस्ताव के आग्रह (आर एफ पी) के लिए चुना गया। साथ ही वहां वित्तीय क्षमता की आकलन के लिए कोई विशिष्ट मापदंड नहीं था।

आगे, आर एफ पी स्टेज पर ए एफ पी अयोग्य घोषित हो जानी चाहिये थी क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण आर एफ पी जरूरतों को पूरा नहीं करती थी जैसा कि:

- तकनीकी और वाणिज्यिक चैकलिस्ट को प्रस्तुत न करना;
- तीन पूर्व-वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत न करना; बदले में ए एफ पी ने, ऑकर ग्रुप की गत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न की।

ऑकर फ्लोटिंग उत्पादन (ए एफ पी) को केवल 14 मार्च 2006 अर्थात् जनवरी 2006 में ई ओ आई आमंत्रण और सितम्बर 2006 में वी क्यू सी विश्लेषण के बीच में सम्मिलित किया गया।

- ए एफ पी द्वारा बोलीकर्ता की तकनीकी क्षमता से संबंधी कुछ जटिल सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की गई। इसमें गुणवत्ता योजना, निरीक्षण और परीक्षण योजना और ए.एस.ई. विवरण शामिल थे। इसके बावजूद, ए एफ पी तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दी गई।

इन मुद्दों पर संचालक का जवाब (जुलाई 2011 में पी एन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया) तर्कसंगत नहीं है, जिसको नीचे वर्णित किया गया है:

- आर एफ पी के साथ चैकलिस्ट जांचने में संचालन की धारणा यह सुनिश्चित करनी थी कि बोलीकर्ता उनकी बोली की पूर्णता सुनिश्चित करने में सक्षम हैं जो बोलीधारक के रूप में अस्वीकार्ययोग्य है, ए.एफ.पी ने चैकलिस्ट में दर्शायी गई कई महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा नहीं किया था संचालक को 4 नवम्बर 2006 अर्थात् बोली खुलने की तिथि के बाद, चैकलिस्ट प्राप्त हुई।
- संचालक का जवाब कि ए एफ पी ने दो वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये थे जिसमें आर एफ पी की जरूरत के अनुसार तीन सालों के वित्तीय परिणाम थे, गलत हैं और इसलिए अस्वीकार्य है। बोलीधारक ए एफ पी ने आकेर ग्रुप के पूरे दो वर्षों के लिए (2004 और 2005) के वित्तीय विवरण संलग्न किये थे जबकि ए एफ पी स्वयं 2006 में गठित हुई थी। आगे,

पैतृक कम्पनी गारंटी, पैतृक गारंटर के विरुद्ध आर आई एल उपचारक नहीं होगी जोकि ठेके के अंतर्गत ठेकेदार के विरुद्ध उपलब्ध थे। परिणामस्वरूप ए.एफ.पी. पैतृक कम्पनी वन गई और इसकी पूरक कम्पनियों को ठेके सौंप दिये गये।

4.4.4 ए एफ पी का अनियमित चयन

दो विक्रेताओं (ए एफ पी और एस बी एम) की बोलियों के अलावा 25 अक्टूबर 2006 तक प्राप्त की गई अन्य छ: बोलियों को तकनीकी आधार पर 02.12.2006 को अस्वीकृत कर दिया गया। हमने पाया कि:

- तकनीकी योग्यता का चयन 25 अक्टूबर 2006 तक वास्तव में प्राप्त की गई बोलियों के आधार पर न करके, ए एफ पी और एस बी एम की संशोधित बोलियां जोकि उनसे चर्चा (इसमें नवम्बर 2006 में हुई बैठक शामिल है) के बाद प्रस्तुत की गई थी, के आधार पर किया गया (06.12.2006)। इसके अतिरिक्त आर एफ पी में उपवाक्य 5.6, बोलीदाताओं की निर्देशों जोकि स्पष्टरूप से बोली की तय तिथि के बाद बोलियों में संशोधन को रोकता है, चयनित (और सभी नहीं) बोलीदाताओं द्वारा बोलियों में परिवर्तन को आज्ञा दी गई जोकि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के जरिये तर्कसंगत मूल्य प्राप्त करने के विरुद्ध है।
- संचालक ने पहले से ही बोली खुलने की तिथि तय नहीं की, ना ही बोली करने वाली फर्मों के प्रतिनिधियों को, बोली खोलने के लिए बुलाया गया, जिससे की पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
- हम तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाताओं की मूल्य निविदा, सील की हुई या समूचे रूप में, नहीं पा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह नहीं खोली गई थी।
- रोचक है कि ए.एफ.पी बोली की मूल्य बोली, बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी (जो वांछित थी); मूल्य बोली के संशोधन की संभावना को मना नहीं किया जा सकता है।
- ए.एफ.पी द्वारा वैकल्पिक वस्तुओं के लिए तथा किये गये मूल्य 'ओपन बुक' को आपरेशन आर.आई. एल के लिए रिक्त छोड़ दिये गये।

एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा भेजा गया आर.आई.एल का जवाब, यह दर्शाता है (जुलाई 2011) कि आठ बोलियों में से, सात बोलियाँ (एस.बी.एम सहित—परिणाम स्वरूप), निम्न कारणों से अस्वीकार कर दी गईः

- असंबंधयोग्य व्यवस्था की जरूरत के विपरीत स्थाई रूप से बंजर व्यवस्था प्रस्तावित की गई। (नॉटैक और एस.बी.एम);
- आर.एफ.पी के अनुसार विभिन्न सुपुर्दगी, प्रस्तुत नहीं किये गये। (फरैड ओलसन)
- एक बंजर व्यवस्था की जगह डी.पी पोत प्रस्तावित किया (एफ.पी.एस ओसियन)
- खराब मौसम में उठाव के सुरक्षित छोड़ने में एफ.एफ.पी ने प्रस्तावित नहीं किये, समयकाल तय नहीं किया गया (कम्पास एनर्जी ई.पी.एस)
- विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये, भू-तकनीकी और भू-भौतिकी अध्ययन शामिल नहीं किये गये (ई.ए.ए.एस); और
- कार्य, दायित्वों, समय सूची और वाणिज्यिक यंत्रीकरण (समुद्री उत्पादन) के क्षेत्र के संबंध में संचालक की जरूरत के साथ पालन करने में बोलीदाता ने असमर्थता व्यक्त की।

यह सभी रूप से अयोग्यता, सम्पूर्ण पूर्व-योग्यता प्रक्रिया पर प्रश्न उठाती है। अन्य के मुकाबले ए.एफ.पी के चयन के संबंध में संचालक की इच्छा (पी.एन.जी मंत्रालय द्वारा भेजी गई), निम्न कारणों से तर्कसंगत नहीं है:

- संबंधित संसाधनों की उपलब्धता एवं आकेर ग्रुप का व्यवहार और दक्षता संबंधी सूचना, सार्वजनिक धोषणाओं के विषय और ओसलो स्टाक एक्सचेंज को सूचीबद्ध करने के आकेर की योग्यता की प्रक्रिया का हिस्सा थी और वह ठेके सौंपने में वित्तीय पृष्ठभूमि और तकनीकी अनुभव की संचालक द्वारा समीक्षा की गई है, तर्कसंगत / स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टाक एक्सचेंज को सूचीबद्ध करने के लिए योग्यताओं की स्वाकृति, आर.एफ.कयू में दर्शाई गई योग्यता और अनुभव के पूरा होने से संबंधित नहीं है।
- ए.एफ.पी के लिए एफ.पी.एस को संचालित करने के लिए ए.बी.ओ, ए.एफ.पी की एक पूरक, जुलाई 2006 में स्थापित की गई; आर.आई.एल. के साथ यह उनका पहला संचालन और रख रखाव का ठेका था। अन्य सभी बोलीदाता, जो कि उस क्षेत्र में अनुभवी थे, को मिलाकर तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अस्वीकार्य कर दिये गये।
- संचालक का जवाब कि ए.एफ.पी ने वैकल्पिक वस्तुओं के लिए 'ओपन बुक' का कोआपरेशन सुझाया था कि कुछ प्रमुख विवरण केवल विस्तृत इंजिनियरिंग के दौरान ही अंतिम रूप से तय किये जा सकें, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुमोदित खरीद प्रक्रिया में इसके लिए प्रावधन नहीं है। किसी भी स्थिति में, आर.ई.पी जारी करने से पहले, संचालक को इंजिनियरिंग विवरण तैयार कर लेने चाहिए थे।

लेखापरीक्षा यह टिप्पणी देने के लिए बाध्य है क्योंकि पी.एस.सी. की शर्तों के अनुसार पूर्ण लागत संचालक से वसूली योग्य है इसलिए यह संचालक के लिए अनिवार्य है कि पूर्ण पारदर्शिता और लागत प्रभावी प्रक्रिया अपनाये, जिससे सरकार को यह सुनिश्चितता हो कि वास्तव में लागत कम हुई है।

4.4.5 प्रात्स्थिर्धा की कमी

- एम.सी ने 'प्रथम तेल' के साथ एफ.डी.पी; 11 वर्षों के लिए तेल और गैस उत्पादन की रूपरेखा के साथ जून 2009 से पहले अनुमोदित कर 20 वर्षों के लिए पैट्रोलियम खनन पट्टा प्रदान करने की सिफारिस की। यद्यपि एफ.पी.एस.ओ खरीद के संबंध में, प्रथम तेल उत्पादन और क्षेत्र विकास के लिए, संचालक के पास पर्याप्त समय उपलब्ध था, संचालक ने प्रथम तेल की तिथि 15 फरवरी 2008 या पहले तय करने पर जोर दिया, जिससे अपर्याप्त प्रतिस्थिर्धा हुई और परिणामस्वरूप, उम्मीद से अधिक लागत आई। एक बोलीदाता ने कथित 'प्रथम तेल' तिथि पर तेल उत्पादन करने में असमर्थता भी व्यक्त की। इसलिए, तीव्रता के आधार पर इसे पूर्ण करने के लिए स्पष्टतः अधिक लागत का भुगतान करना पड़ा। हमने पाया कि जबकि प्रथम तेल उत्पादन, प्रारम्भिक रूप से 17 सितंबर 2008 को शुरू हुआ परन्तु परिणामस्वरूप, एफ.पी.एस.ओ में समस्यायें आई और 9 दिसंबर 2008 को उत्पादन रुक गया। दिसंबर 2008 में कार्यबंद की वजह से एफ.पी.एस.ओ को कुछ योजना परिवर्तन करने पड़े और तीन माह बाद, मार्च 2009 में उत्पादन पुनः शुरू हुआ।
- हम एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा भेजे गये, आर.आई.एल के जवाब से सहमत नहीं है, कि 'प्रथम तेल' तिथि, कच्चा तेल के आयात को कम करने की जरूरत के साथ राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय की गई थी। एम.सी, जिसमें जी.ओ.आई और ठेकेदार दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि एफ.डी.पी अनुमोदित करते समय, उत्पादन की तिथि जून 2009 या पहले तय कर

दी थी। आर.आई.एल का तर्क है कि उत्पादन तिथि पूर्व निश्चित करने से कीमतों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव नहीं पड़ा, भी अस्वीकार्य है क्योंकि आर.आई.एल द्वारा तकनीकी बोली विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि फरेड ओलसन बोली नहीं लगा सका क्योंकि वह प्रथम तेल तिथि को पूरा नहीं कर सकी। सफल बोलीदाता, ए.एफ.पी ने उप-समुद्री उपकरण और एफ.पी.एस.ओ के लिए दरें कम नहीं की क्योंकि विशेष प्रबंध किये गये थे और इस सुविधाओं के उत्पादन हेतु स्लाट बुक किये गये थे ताकि उत्पादन की समयसीमा का पालन किया जा सके। आगे, पूर्व उत्पादन की तिथि का पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि वह अवास्तविक थी, अतः उत्पादन केवल सिंतबर 2008 में शुरू हो सका।

4.4.6 एफ.पी.एस.ओ का अधिक मूल्य

ए.एफ.पी ने आर.एफ.पी के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे चार्टर-किराया दर, आदि के लिए मूल्यों के भिन्न-भिन्न सैट प्रस्तुत किये और एफ.पी.एस.ओ के खरीदे मूल्य और उपसमुद्री उपकरणों को आपूर्ति कर प्रतिस्थापित किये। आर.आई.एल ने बोली खुलने के पहले और बाद भी, कई बार कार्य के कार्यक्षेत्र को परिवर्तित किया।

ए.एफ.पी., संचालक द्वारा केवल एक ही स्वीकृत बोलीदाता, ने किसी भी समय और 'खरीद -मूल्य' के खरीद विकल्प के साथ, विभिन्न वर्गों के लिए चार्टर किराया दिवस दरें तय जैसे 10 वर्ष समय अवधि, 7 वर्षीय फर्म +3 वर्षीय वैकल्पिक, 5 वर्षीय फर्म +5 वर्षीय वैकल्पिक। आर.एफ.पी में दर्शाये गये कार्य के अवसर के अनुसार शुरू में एफ.पी.एस.ओ के लिए 'खरीद-मूल्य' यू.एस \$ 601.89 मिलियन तय किया गया। आर.एफ.पी में कार्य का कार्यक्षेत्र दर्शाने हेतु प्रारंभिक प्रस्ताव में, ए.एफ.पी ने, आर.आई.एल के लिए 'ओपन बुक' के आधार पर, चरण-II को तय करने के विकल्प के साथ, चरण-I के लिए एक एकमुश्त राशि तय की ए.एफ.पी द्वारा चरण-II का मूल्य-विवरण 8 दिसंबर 2006 को प्रस्तुत किया गया। जबकि एस.वी.एम.द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित प्रस्ताव पर विचार विराश नहीं किया गया। ए.एफ.पी द्वारा तय गई दरें साथ-साथ डी.ओ.सी द्वारा तय अनुमान नीचे दिये जा रहे हैं:

तालिका 4.3 एफ.पी.एस.ओ के लिए और वेयर-वोट चार्टर किराया दर के लिए आर.आई.एल द्वारा प्रस्तुत किये गये/सुझाये गये भिन्न-भिन्न अनुमान

| चरण (तिथि) | खरीद-मूल्य | दिवस दर /रेंज (10 वर्षीय शर्त पर) | दिवस दर रेंज/(7 वर्षीय फर्म + 3 वर्षीय वैकल्पिक) | दिवस दर रेंज/(5 वर्षीय फर्म + 5 वर्षीय वैकल्पिक) |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| | यू.एस \$ मिलियन में | यू.एस \$ | यू.एस \$ | यू.एस \$ |
| डी.ओ.सी (20.10.06) | 300 | | | |
| ए.एफ.पी बोली | 601.89@ | 486,042 - 526,257 | 579,706 - 216,969 | 710,647 - 216,969 |

| चरण (तिथि) | खरीद-मूल्य | दिवस दर / रेंज (10 वर्षीय शर्त पर) | दिवस दर रेंज/(7 वर्षीय फर्म + 3 वर्षीय वैकल्पिक) | दिवस दर रेंज/ (5 वर्षीय फर्म + 5 वर्षीय वैकल्पिक) |
|---|------------|--|--|---|
| तिथि 23.10.06 | | | | |
| ए.एफ.पी बोली तिथि 30.11.06 | 970.7 | 495,763 - 536,782 | | 724,860 - 219,458 |
| ए.एफ.पी भाव/दर तिथि 11.12.06 | 951.7 | 479,475 - 521,765 | 572,339 - 215,117 | 702,162 - 215,117 |
| एल.ओ.आई | 943.6 | 479,475 - 521,765 | 572,339 - 215,117 | 702,162 - 215,117 |
| ए.एफ.पी संशोधित भाव/दर 5.6. 07 | 745 | 294,581 | 355,815 | 436,761 |
| समझौता | 713.8 | 294,580 | 355,813 - 91,736 | 436,758 - 91,736 |
| आई.डी.पी | 785 | | | |
| एफ.डी.पी (18. 8.07) | 733 | | | |

गतिशीलता के पूरा होने से पहले |@ केवल चरण-I के लिए

* सभी दिवस दरें 1 अप्रैल 2009 से प्रथम या द्वितीय वर्ष से दसवें वर्ष तक श्रृंखला/रेंज दर्शाती हैं।

हमने पाया कि:

- डी.ओ.सी के अनुसार, एम.सी. को प्रस्तुत की गई एफ.पी.एस.ओ की पूंजीगत लागत यू.एस. \$ 300 मिलियन थी।
- ए.एफ.पी द्वारा तय किया गया प्रारम्भिक गतिशीलता से पहले खरीद-मूल्य यू.एस. \$ 601.89 मिलियन था जो कि कार्य के अवसर में परिवर्तन के कारण बातचीत के विभिन्न चरणों पर यू.एस. \$ 943.6, 951.7, 970 और 745 मिलियन के बाद में संशोधित की गई।
- इसी तरह, विभिन्न चार्टर किराया विकल्पों के तहत दिवास-दरें भी संशोधित की गई। जारी की गई एल.ओ.आई में उल्लेखित खरीद-मूल्य यू.एस. \$ 943.6 मिलियन था। बाद में ए.एफ.पी के साथ

हस्ताक्षरित समझौते में, तय किया गया खरीद—मूल्य यू.एस. \$ 713.8 मिलियन था और 10 वर्षों के लिए दिवस दर यू.एस. \$ 294,580 थी। संचालक ने, बाद में, यू.एस. \$ 1.075 मिलियन के लिए, 10 वर्षों की जरूरत चार्टर किराया के विकल्प को अंतिम रूप से तय किया।

- एल.ओ.आई की नियुक्ति के तुरंत बाद, संचालक ने फिर से समीक्षा की ओर अवलोकन किया कि उत्पादित गैस को रिजर्वायर में भरने की बजाय, इसकी बिक्री के लिए इसे निर्यात करना अधिक लाभकारी रहेगा। साथ ही चरण-II में वर्णित की गई गैस—भरने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। समीक्षा करने पर, पहले वर्णित अतिरिक्त सुविधायें में संशोधन किया गया और चरण-II में वर्णित अतिरिक्त सुविधायें या तो हटा दी गई या चरण-I में ले ली गई। बाद में तकनीकी विशिष्टताओं अनुबंध (नं.ओ.जी.एफ 3627982) (मई 2007) आकर कान्ट्रेक्टिंग—नार्वे ए.एस.एफ.पी के साथ हस्ताक्षरित हुआ आकर बोरगेस्टाड ओप्रेशन्स नार्वे (ए.बी.ओ) के साथ, यू.एस. \$ 276 मिलियम के लिए, एफ.पी.एस.ओ के ओ एण्ड एम के लिए दस वर्षों के लिए ठेका (सं 86759) हस्ताक्षरित किया गया। जनवरी 2008 में, आर.आई.एल ने यू.एस. \$ 1.075 बिलियन के लिए एफ.पी.एस.ओ के लिए दस वर्षों वेयरवोट 'ठेका' को शुरू करने का विकल्प रखा।

जूरोंग शिपयार्ड का सूचना पत्र दर्शाता है कि ए.एफ.पी ने दो टैंकरों को 55 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एक पी.एस.ओ में परिवर्तित करने के लिए खरीदा और जूरोंग शिपयार्ड सिंगापुर का \$ \$ 133 मिलियन डालर (88 मिलियन अमरीकी डालर) पर परिवर्तन ठेका प्रदान किया। आर.आई.एल द्वारा किराए पर लिया गया एफ.पी.एस.ओ टैंकर 'पोलर अलास्का' से एंकर स्मार्ट-1' को परिवर्ति किया गया था जिसकी संसाधन क्षमता 60,000 बी.एल.पी.डी और भंडारण क्षमता 1.3 मिलियन बैरेल थी। जूरोंग शिपयाई ने वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (बी.एल.सी.सी) टैंकर को एफ.पी.एस.ओ में परिवर्तन के लिए \$ \$ 200 मिलियन (132 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए एक ठेका प्राप्त किया था जिसकी संसाधन क्षमता 150,000 बी.ओ.पी.डी और एम.ओ.डी.ई.सी के लिए तेल की भंडारण क्षमता 1.6 मिलियन बैरेल थी। इस प्रकार इसने एक टैंकर को एफ.डी.पी.एस.ओ में परिवर्तन के लिए \$ \$ 99 मिलियन (66 मिलियन अमरीकी डालर) का एक ठेका भी प्राप्त किया जिसकी ड्रिलिंग और भंडारण क्षमता 300,000 बैरेल थी। यह दर्शाता है कि ए.एफ.पी के साथ अंतिम रूप दिया गया 107.5 मिलियन अमरीकी डालर की 'बेयर बोट' चार्टर किराया दर अधिक और अनुचित प्रतीत होती है।

हम एम.ओ.पी.एन.जी द्वारा भेजे गए आपरेटर के उत्तर (जुलाई 2011) से निम्नलिखित कारणों से सहमत नहीं हैं।

- आपरेटर का दावा कि डी.ओ.सी में प्रस्तुत अनुमान के प्रारम्भिकता और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपरेटर के ई.एण्ड पी कारोबार में होने के कारण कारोबार और प्रचलित बाजार कीमतों की ठोस जानकारी रखनी³² चाहिए। इसके अतिरिक्त आर.आई.एल ने एम.सी.को डी.ओ.सी प्रस्ताव के प्रस्ततिकरण से एक माह पहले एफ.पी.एस.ओ की चार्टर हायरिंग और सबसी हार्डवेयर आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन के लिए आर.एफ.पी जारी किया था और अनुमानित लागत के संबंध में रोबस्ट डाटा रखना चाहिए।
- आपरेटर का उत्तर कि डी.ओ.सी में एफ.पी.एस.ओ लागत सालवेज वैल्यू का निवल 40 प्रतिशत सोचा समझा प्रतीत होता है क्योंकि डी.ओ.सी प्रस्ताव में 40 प्रतिशत सालवेज वैल्यू का कोई उल्लेख नहीं है।

³² जी.आई.पी.आई.पी के अनुसार

2007–08 का कार्य कार्यक्रम और बजट में विलम्ब हुआ था तथा 808 मिलियन अमरीकी डालर का खर्च उठाने के बाद वास्तविक आधार पर प्रस्तुत किया गया था। उसका कोई विवरण नहीं दिया गया था। तथापि, एम.सी.ने कार्योत्तर अनुमोदन दिया।

हम सरकार द्वारा समर्थित आपरेटर तक से सहमत नहीं हैं कि 'विकास पूर्व गतिविधियों' पर किया गया व्यय आपरेटर के जोखिम पर था। एफ.डी.पी. के अनुमोदन से पहले विकास-पूर्व गतिविधियों का कार्यान्वयन अनियमित थी।

- आपरेटर ने लेखापरीक्षा को परियोजना पूर्णता रिपोर्ट, इसके द्वारा किए गए गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा सिस्टम लेखापरीक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (एच.एस.ई) आवश्यक की समीक्षा, मासिक प्रगति रिपोर्ट यह कहते हुए प्रस्तुत नहीं किया कि ये तकनीकी विवरण और भुगतानों पर इनका प्रभाव नहीं था।
- ठेके के खंड 8.6 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रमुख कार्मिक की सूची लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। आपरेटर ने लेखापरीक्षा को एफ.पी.एस.ओ तैनाती पूर्णता रिपोर्ट, उत्पादन कार्यक्रम तेल उत्पादन डाटा, वास्तविक आफलोडिंग दर, 'प्रारम्भिक स्वीकृति का प्रथम प्रमाणपत्र', निष्पादन रन टाइम, डाउन टाइम/बंदी ब्यौरे, हाइड्रोकार्बन कन्फर्मेशन के लिए तैयार के रूप में प्रमाणित करते हुए वर्गीकरण सोसाइटी का विवरण, ठेके के खंड 11.2 में यथापरिभाषित आर.आई.एल के अनुमोदित प्रतिनिधियों की सूची, सत्यापन सोसाइटी आदि द्वारा यह बताते हुए सत्यापन रिपोर्ट कि ये अभिलेख लेखापरीक्षा क्षेत्र के बाद की अवधि से संबंधित थे, यद्यपि हमारी राय में वे हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पूरा करने के लिए आवश्यक थे, भी प्रस्तुत नहीं किया।

4.5 खरीद कार्यकलाप (डी-1 डी-3 खोजें)

4.5.1 एकल बोली के प्रति टर्मिनल और जेटी हेतु कास्ट प्लस ठेका

आपरेटर ने एक मुश्त टर्नकी (एल.एस.टी के) आधार पर अपतट टर्मिनल (ओटी) और जेटटी के निर्माण के लिए ई.ओ.आई मंगाया (जनवरी 2006) आपरेटर ने तीन बोली दाताओं यथा (i) लार्सन टोबरो लि. (ii) पुंज ल्वायड लि.और (iii) बेचटेल से और जेटटी के लिए भी तीन बोली दाताओं यथा (i) अफकान (ii) पुंज ल्वायड और (iii) बेचटेल से जवाब प्राप्त किया। आपरेटर ने कार्य में गति लाने के लिए कास्ट प्लस आधार पर आर.एफ.क्यू आमंत्रित किया (मई 2006) क्योंकि ब्यौरेवार इंजीनियरिंग एवं एफ.ई.डी अद्यतन अप्रैल 2006 से प्रारम्भ हुआ। यह देखा गया कि दो बोलीदाता यथा पुंज ल्वायड लिमिटेड और बेचटेल ने अपनी अन्य वचनवद्धताओं के कारण अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की जिसके परिणामस्वरूप दोनों मामलों में केवल एक बोलीदाता अर्थात् अपतट टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण के लिए एल एण्ड टी तथा जेटटी के निर्माण के लिए अफकान शेष रहा। तदनुसार, आपरेटर ने ओ.टी (सं ओ.जी 8 / 82505) के लिए एल एण्ड टी तथा जेटटी (सं ओ.जी. 8 / 82645) के लिए अफकान को एकल बोली के आधार पर क्रमशः आई.एन.आर 263 करोड़ और आई.एन.आर 24 करोड़ की अनुमानित लागत पर ठेका प्रदान किया (जून 2006)।

यह भी जानकारी हुई कि आपरेटर ने निम्नलिखित अनुमत किया:—

- एल.एण्ड टी को दो श्रेणियों की सामग्री का 12.5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत पर मुफ्त जारी सामग्री के मूल्य पर क्षतिपूर्ति के साथ वास्तविक लागत के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति।

- अफकान को 22 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति जो सभी श्रेणी की मुफ्त जारी सामग्री की लागत के 12.5 प्रतिशत सहित वास्तविक लागत के अतिरिक्त है,

ठेका देने के बाद, निष्पादन के दौरान, आर.आई.एल ने एल एण्ड टी द्वारा ओ.टी के निर्माण की धीमी प्रगति देखी और तदनुसार कार्य का एक भाग (ठेका सं. ओ.जी 8/86589) आई.एन.आर 80 करोड़ की अनुमानित लागत पर लागत जमा 22 प्रतिशत और मुफ्त सामग्री की 12.5 प्रतिशत लागत पर अफकान को दे दिया। हमारे विचार से:

- प्रारम्भिक पूर्व-अर्हता अभ्यास शीट दर्शाती है कि दो पूर्व अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं (बेच टेल एस.ए फ्रांस और पुंज लॉयड लिमि.) को तेल एवं गैस संबंधी परियोजनाओं तथा जेटटी के निर्माण में कोई पूर्व अनुभव नहीं था। दोनों वेंडरों ने ई.ओ.आई के लिए प्रतिक्रिया दी और वेंडरों की सूची में शामिल कर लिए गए थे परन्तु बाद में आर.एफ.क्यू की प्रतिक्रिया में उद्घरण देने में असमर्थता व्यक्त की जिसके कारण दोनों कार्यों के लिए एक बोली प्राप्त हुई। चूंकि उन बचे कार्यों के लिए एक टी बोलीदाता था, स्वीकृत दरें प्रतिस्पर्धा नहीं थी और बाजार दरों को चित्रित नहीं कर रही थी। यह पुन कीमतों के प्रतिस्पर्धी होने में कमी की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, वे 10–12 प्रतिशत की प्रचलित दर की अपेक्षा काफी अधिक थी।
- जून 2007 में अफकान को ओ.टी के दिए गए आंशिक कार्य की दरों की तुलना से पता चला कि ठेकेदार द्वारा उठाई गई लागत के लिए क्षतिपूर्ति प्रतिशतता और आर.आई.एल द्वारा जारी मुफ्त सामग्री लागत एल एण्ड टी को सौंपे गए कार्य के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत अधिक थी।
- बोली के समय एल एण्ड टी द्वारा प्रस्तुत समय अनुसूची के अनुसार ओ.टी को दिसम्बर 2007 तक सुपुर्द करना था; तथापि, बोली के बाद चर्चा के आधार पर ठेके में अनुबद्ध समय अनुसूची मार्च 2008 थी। एल एण्ड टी और अफकान 31 मार्च 2008 तक किए गए कुल कार्य के लिए भुगतान क्रमशः आई.एन.आर 238.86 करोड़ और आई.एन.आर 27.14 करोड़ था। कार्यपूर्णता की नवीनतम स्थिति प्रदान करने और ओ.टी परिसर की अंतिम सुपुर्दगी तथा भुगतान के लिए लेखापरीक्षा पूछताछ के जवाब में आपरेटर ने सूचित किया (मई 2010) कि मार्च 2008 के बाद कार्य की पूर्णता हुई तथा इसलिए इस लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर था। आपरेटर ने जुलाई 2010 में पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह दर्शाया गया कि सुविधाएं 31 अक्टूबर 2009 को पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई थीं जबकि गैस का उत्पादन 1 अप्रैल 2009 से प्रारम्भ हुआ।

एक लेखापरीक्षा जांच के जवाब में आपरेटर ने मार्च 2010 में बताया और जुलाई 2011 में एम.ओ.पी.एन.जी के माध्यम से उत्तर भेजा गया:

- पी.एस.सी के अन्तर्गत स्थापित अधिप्राप्ति क्रिया विधि लागत जमा आधार पर बोलियां मंगाने से प्रतिवारित नहीं करता है। वेंडरों की दर को गैर प्रतिस्पर्धी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी परिवेश में उद्धृत की गई थीं, जिसमें तीन प्रतिष्ठित कम्पनियों ने बोली में भाग लिया और बोलीदाता अवगत नहीं थे कि वे ही मात्र बोलीदाता हैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे।
- पुंज ल्वायड और बेचटेल को उनके द्वारा किए गए समुद्री कार्यों में पर्याप्त अनुभव था।
- ओ.टी की पूर्णता और जेटटी की समय से सुलभता परियोजना के लिए नाजुक थे। एक मुश्त बोली तभी सम्भव होगी जब पर्याप्त इंजीनियरी पूरी हो गई थी। यदि जेटटी और ओ.टी के लिए

इंजीनियरी पूरी करनी थी और एल.एस.टी के आधार पर उसके बाद आर.एफ.क्यू मंगाए गए होती तो ठेका क्रमशः 2006 के अंत और 2007 तक दिए गए होते।

- ओ.टी के लिए एल एण्ड टी और अफकान को अदा की गई क्षतिपूर्ति की तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि दो अलग ठेके विभिन्न गतिविधि वाले, अलग-अलग समय में और गहन बातचीत के बाद दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, समग्र परिणाम कि अधिप्राप्त माल के लिए मार्क अप केवल 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच था।

हम निम्नलिखित कारणों से सहमत नहीं हैं:

- पुंज ल्वायड और बेच टेल के अपर्याप्त अनुभव को आपरेटर द्वारा पहले पूर्व अर्हता पत्रक में अभिलिखित किया गया था। इस प्रकार वेंडरों की सूची अधिकांशतः अर्थहीन हो गई।
- यद्यपि, ओ.टी का निर्माण एक नाजुक पहलू था फिर भी आपरेटर द्वारा नवम्बर 2004 में आई.डी.पी के अनुमोदन के तत्काल बाद कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, यदि जेट्.टी का निर्माण एक नाजुक पहलू था तब इसको मई 2004 में आई.डी.पी में शामिल किया जाना था (जो नहीं किया)। लेखापरीक्षा की राय में, परियोजना की नाजुकता के आधार पर लागत जमा ठेका देने के लिए मई-जून 2006 की बाद की कार्रवाई उचित नहीं है क्योंकि ये ठेके ए.आई.डी.पी के अनुमोदन के पहले ही दिए गए थे।
- लागत जमा 25 प्रतिशत आधार पर एकल बोली एवार्ड के साथ ठेका प्रक्रिया के माध्यम से मध्य में एल.एस.टी के से लागत जमा में बदलाव को किसी प्रकार प्रतिस्पर्धी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे अन्य संभावित बोलोदाता लागत जमा आधार पर बोली देने से वंचित रहे।

इसके अतिरिक्त आपरेटर ने एम.ओ.पी.एन.जी (जुलाई 2011) के माध्यम से अपना उत्तर भेजा जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त/प्रतिष्ठापित सामग्री से संबंधित सूचना भी संलग्न की। तथापि, प्रयुक्त समाग्री का मद वार सार, प्रदन्त निवल क्षतिपूर्ति, अननुमेय मदों पर कटौतियां, परियोजना समापन रिपोर्ट के साथ अपव्यय, और 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच वास्तविक क्षतिपूर्ति का सत्यापन करने के लिए बिल/वाउचरों की (आपरेटर द्वारा यथा वर्णित) समीक्षा बाद में लेखापरीक्षा द्वारा की जाएगी।

सरकार को इसकी पारदर्शिता तथा अनुबन्धित स्वीकार्य प्रक्रिया की सहूलियत प्रदान करने के लिए एसे मुद्दे संचालक द्वारा सर्कीय रूप से एम.सी. के साथ विचार किये जाने थे, चाहे व पी.एस.सी. के तहत आवश्यक नहीं थे।

4.5.2 तटीय टर्मिनल की ब्यौरेवार इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट-एवार्ड असामान्य श्रमघंटों में वृद्धि के कारण लागत वृद्धि

आपरेटर ने 'तटीय टर्मिनल की ब्यौरेवार इंजीनियरी' कार्य के लिए आर.एफ.क्यू तीन चरणों अर्थात् अभिकल्प आधार की तैयारी, एफ.ई.ई.डी अद्यतन (80 एम.एम.एस.सी.एम.डी क्षमता की) और ब्यौरे वार इंजीनियरी में पूरा करने के लिए सात वेंडरों को जारी किया (दिसम्बर 2009)। मूल्यांकन के बाद, ठेका (अप्रैल 2006) 13.78 मिलियन अमरीकी डालर और आई.एन.आर 13.73 करोड़ के अनुमानित मूल्य पर अकेर कावेर नेट आस्ट्रेलिया पिटी लिमि. (ए.के.ए.पी) को दिया। निष्पादन के दौरान विभिन्न कारणों से ए.के.ए.पी द्वारा प्रस्तावित चार संशोधन जारी किए गए जिससे मार्च 2008 तक लागत 23.94 मिलियन अमरीकी डालर और आई.एन.आर 36 करोड़ हो गई। इस प्रकार, आर.एफ.क्यू स्तर पर आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराने के बावजूद श्रमघंटों में मूल परिकल्पना से 124 प्रतिशत की वृद्धि और 90 प्रतिशत की

अधिक लागत अर्थात ठेका लागत पर 15.11 मिलियन अमरीकी डालर (@ यूएस \$ 1= आई.एन.आर 45) और मार्च 2008 तक 8 महीने का अधिक समय लगा जिसमें पूरा होने तक और वृद्धि की आशा थी। संयोगवश, हमने ठेका प्रक्रिया में किसी तात्कालिकता के साक्ष्य नहीं पाए जिसमें दिसम्बर 2005 से (आर.एफ.पी. जारी करने) अप्रैल 2006 तक (ठेका देना) लगभग 5 महीने लगे।

लेखापरीक्षा पूछताछ के जवाब में आपरेटर ने बताया (अप्रैल 2010) कि बोलीदाताओं द्वारा अनुमानित प्रारम्भिक श्रमघंटे 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी के प्रारम्भिक एफ.ई.ई.डी में परिकल्पित सुविधाओं के आधार पर थे और श्रमघंटों में वृद्धि एफ.ई.ई.डी के अद्यतन करने के आधार पर स्कोप में वृद्धि के कारण था जो शामिल कार्य को बेहतर समझ के कारण था। आपरेटर ने आगे बताया (जुलाई 2011) की एम.ओ.पी.एन.जी के माध्यम से प्रस्तुत जवाब के अनुसार कि, चूंकि डी-1 डी-3 क्षेत्रों का विकास फास्ट ट्रैक आधार पर किया जा रहा था इसलिए कुछ गतिविधियां एकदम क्रमानुसार आधार पर की अपेक्षा समानान्तर की जा रही थी।

स्पष्टत: दिसम्बर 2005/जनवरी 2006 में जारी आर.एफ.क्यू में यथापरिभाषित 'ब्यौरेवार इंजीनियरी' (चरण 3) के लिए कार्य का क्षेत्र दोषपूर्ण और अपूर्ण था। हमारा अभी भी दृष्टिकोण है कि यदि ठेका देने से पहले ब्यौरेवार इंजीनियरी के कार्य क्षेत्र को स्पष्टरूप से परिभाषित किया जाता तो बेहतर प्रतिस्पर्धा और दरें प्राप्त होती।

4.5.3 अपतट सुविधाओं ई.पी.आई.सी के लिए दर संशोधन

आपरेटर ने आर.एफ.पी जारी किया (मार्च 2006) जिसमें डी'1-डी-3 क्षेत्र विकास के भाग के रूप में तटीय और अपतट सुविधाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद प्रतिष्ठापन तथा चालू करने (ई.पी.आई.सी) के पूरे पैकेज के लिए बोली देने हेतु सात पूर्व अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं (ई.ओ.आई के आधार पर) को आमंत्रित किया। दो बोलीदाताओं ने अपने प्रस्ताव देने से मना किया। शेष पांच बोलीदाताओं ने परियोजना के पूर्ण कार्य लेने के संबंध में मार्च और अप्रैल 2006 में आयोजित पूर्व-बोली बैठक के दौरान चिंता व्यक्त की। पूर्व बोली बैठक और स्पष्टीकरण के बाद आर.एफ.पी में एक परिशिष्ट सभी खंडों को जारी किया गया था (अप्रैल 2006) जिसमें उन्हें ई.पी.आई.सी पैकेज अर्थात् (क) अपतट भाग सहित कंट्रोल कम-राइजर प्लेटफार्म (सी.आर.पी) के उथले जल और नदी खंड डाउनस्ट्रीम में प्रतिष्ठापन तथा (ख) क्षेत्र में सी.आर.पी की संरचना और प्रतिष्ठापन तथा (ग) पाइप लाइन, विविध, अमरीकी लिकल आदि सहित सी.आर.पी के गहरे खंड अपस्ट्रीम में प्रतिष्ठापन के किन्हीं तीन खंडों में एक अथवा अधिक के लिए अनुमत किया गया।

शेष पांच बोली दाताओं में से दो बोलीदाता यथा टेकनिप और साईपेम ने कनसार्टिपम के रूप में बोली दिया और तीन बोलीदाताओं यथा आलसीज, एसर्जी और जे.आर.एम ने अलग-अलग बोली दी। आपरेटर ने देखा (जुलाई 2006) कि चार बोलीदाताओं में से किसी ने पूरे ई.पी.आई.सी कार्य के लिए उद्धरण नहीं दिया। चार बोलीदाताओं में से आलसीज और एसर्जी ई.पी.आई.सी पैकेज के पाइप लाइन, उमरीलिकल, सब-सी संरचनाओं के प्रतिष्ठापन के लिए कार्य के सब-सी हेतु तकनीकी रूप से स्वीकार किए गए थे। टेकनिप-साईपेम संघ ने सी.आर.पी.संबंधी कार्य और कुछ कार्य को छोड़कर अपतट सुविधाओं की ई.पी.आई.सी के लिए बोली दिया और जे.आर.एम ने सी.आर.पी के लिए बोली दिया। सी.आर.पी के लिए बोली का अलग से मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन पर टेकनिप-साईपेम कंसार्टिपम को दीर्घता परियोजना अनुसूची उद्धृत करने तथा कीमतयुक्त बोली प्रस्तुत करने के लिए अस्वीकृत किया गया था क्योंकि यह परियोजना अनुसूची को पूरा करने में असमर्थ था।

सी.आर.पी के लिए एक तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीदाता जे.आर.एम ने 317.50 मिलियन अमरीकी डालर उद्धृत किया। परन्तु, समूल्य बोली के खोलने के तीन दिन बाद जे.आर.एम ने 12.05 मिलियन

अमरीकी डालर से 329.55 मिलियन अमरीकी डालर तक निवल मूल्य वृद्धि के साथ संशोधित बोली प्रस्तुत की (31 अगस्त 2006) और ओ.सी. ने ठेका देने (सं.ओ.जी 8/3611331 और ओ.जी 8/3391768) का अनुमोदन किया (1 सितम्बर 2006)।

ई.पी.आई.सी अपतट सुविधाओं के लिए समूल्य बोली के खोलने पर (1 सितम्बर 2006) आलसीज 476.50 मिलियन यूरो (619.45 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) के साथ निम्न तय था जबकि आसर्जी की बोली 1399.41 मिलियन अमरीकी डालर थी, चूंकि इसकी बोली आसर्जी की बोली की अपेक्षा आर.एफ.पी में तय कार्य के अधिक कम भाग के लिए थी। समूल्य बोली तुलना के बाद आर.आई.एल ने इसकी बोली जो दर्शाया गया था उसकी अपेक्षा विस्तृत कार्य लेने के लिए राजी किया ताकि इसके कार्य का क्षेत्र आर.एफ.पी में कार्य के समान हो। तदनुसार, आलसीज ने एक संशोधित समूल्य बोली प्रस्तुत किया (18 सितम्बर 2006) जो 764.085 मिलियन यूरो (993.311 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) के लिए था। आसर्जी ने 1444.425 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एक संशोधित उद्धरण भी प्रस्तुत किया (8 सितम्बर 2006)। ओ.सी अनुमोदन का पालन कर ठेका आलसीज को दिया गया (19 सितम्बर 2006) जो 764.085 मिलियन यूरो के लिए था तुलना करने पर हमने 166.5 मिलियन यूरो तक विभिन्न तत्वों के लिए उर्ध्वमुखी संशोधन देखा (उन तत्वों के लिए 121.09 मिलियन यूरो को छोड़कर जिसको प्रारम्भिक बोली में उद्धृत नहीं किया गया था)।

कीमत वृद्धि के लिए कारण देते हुए आपरेटर ने निम्नवत (अप्रैल 2010—हमारी लेखापरीक्षा पूछताछ के उत्तर में और जुलाई 2011 जैसा कि एम.ओ.पी.एन.जी के माध्यम से भेजा गया) बताया:

- आलसीज ने (क) कार्य के एक भाग में वृद्धि करने (ख) आर.आई.एल द्वारा जैसा अनुरोध किया गया, अंतिम राशि आधार पर उद्धृत कई मदों में एक मुश्त राशि में परिवर्तन (ग) अतिरिक्त पोतों की तैनाती जिससे तैनाती में वृद्धि हो और लागत में कमी (घ) अपनी बोली में व्यतिपय भारतीय कर (सेवा कर और रायल्टी को छोड़कर) शामिल करना जो इसकी प्रारम्भिक बोली में सामान्य स्विस करों की अपेक्षा (ड.) अभिकल्प इंजीनियरिंग के लिए आलसीज के सहमत होने के कारण अभिकल्प इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबन्धन लागत में वृद्धि, परियोजना प्रबन्धन आदि अतिरिक्त कार्य जो पहले उद्धृत नहीं किए गए थे और अधिक जोखिम के थे, (च)आलसीज ने डिवाटरिंग और नाइट्रोजन पर्जिंग प्रारम्भ करना जो पहले उद्धृत नहीं किए गए थे और (छ)कतियप तकनीकी तथा वाणिज्यिक विचलनों आदि की वापसी।
- जे.आर.एम.ने इनके कारण कीमतों में संशोधन किया (क) पूर्व में उद्धृत लागत जमा आधार पर विभिन्न मदों की सूचक कीमतों में वृद्धि (ख) इंडोनेशिया से दुबई को पाइल्स तथा जैकेट अपरटेसेज के परिवहन के लिए स्थान का बदलाव जिससे सूचक परिवहन अवधि में उपयुक्त समायोजन हुआ (ग) डिजाइन और ब्यौरे वार इंजीनियरिंग के लिए बोलीदाता के कार्यालय में घंटा दर में वृद्धि जो पूर्व में लागत जमा पर उद्धृत थी (घ) स्टील दरों और सी.आर.पी की अनुमानित स्टील मात्रा में वृद्धि (ड) औजारों की लागत निर्माण उपकरणों, घंटा दर में उपभोज्य मदों को शामिल करना (च) जैकेट प्रतिष्ठापन के लिए संशोधित अनुमान (छ) जे.आर.एम ने प्रारम्भिक बोली के अनुसार 10 मिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा 15 मिलियन अमरीकी डालर के लिए निष्पादन बैंक गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सहमत (ज) जे.आर.एम की प्रारम्भिक बोली के अनुसार 10 प्रतिशत की अपेक्षा ठेका कीमत के 20 प्रतिशत तक समग्र देता केप के लिए सहमति
- पारदर्शिता और स्वच्छता में कमी नहीं थी। ऑलसीज के अनुरोध में इनके कार्य के क्षेत्र में वृद्धि करना (जिससे ऑलसीज को इनकी लागत में संशोधन करने का परिणाम हुआ), आर.आई.एल ने

उपलब्ध योग्य बोलीदाताओं से संभव अधिकांश प्रतिस्पर्धात्मक कीमत प्राप्त करने के इनके अवसरों में वृद्धि करने के मांग की।

हम सहमत नहीं है क्योंकि आर.एफ.पी में कार्य का क्षेत्र वर्णित नहीं था। बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक हुई थी और कार्यक्षेत्र मामले को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट जारी की गई थी। इसलिए, कीमत बोलियों को खोलने के पश्चात कीमत में उर्ध्वगामी संशोधन टेंडर करने की प्रक्रिया को आमान्य नहीं करता है और इनके पारदर्शिता में प्रभाव नहीं डालता है।

4.5.4 एकल बोली के प्रति आदेशित एम.ई.जी संयंत्र के लिए दरों में संशोधन

ऑपरेटर ने दो चरणों यथा चरण-I इष्टतम प्रौद्योगिकी के चयन का अध्ययन और चरण-II अविकल्प तथा आपूर्ति में 80 एम.एम.एस.ई.एम.डी गैस का उत्पादन करने के लिए तटीय टर्मिनल पर मोनो इथिलीन उलाइकोल रिजनरेशन एण्ड रिक्लामेंसण (एम.ई.जी) संयंत्र के अभिकल्प और आपूर्ति के लिए आर.एफ.क्यू जारी किया (मई, 2006)। चार बोलियों के मूल्यांकन के बाद ऑपरेटर ने चरण-I कार्य को सी.सी.आर टेकनोलोजी और ए.के.पी.एस (एकेर कबेनर प्रोसेस सिस्टम) को प्रदान करने का निर्णय लिया परंतु गैर प्रकटन करार सी.सी.आर के साथ आर.आई.एल द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, आदेश ए.के.पी.एस को दिया गया था। ए.के.पी.एस द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रथम चरण प्रतिवेदन और द्वितीय चरण अनुमानों के आधार पर एकल निविदा के कारण इष्टतम प्रौद्योगिकी की तुलना में 22.16 मिलियन यू.एस. डालर और आई.एन.आर. 4.57 करोड़ पर कार्य प्रदान किया गया।

इस संबंध में हमने पाया कि :

- ए.के.पी.एस. द्वारा अध्ययन के बाद दरों के अनुमानों के बावजूद, इंजीनियरिंग के लिए फ्रोजन मैन आवर 31,800 घण्टे से बढ़कर 58,700 घंटे 85 प्रतिशत तक बढ़ गए थे जिसके कारण 1½ वर्ष और यू.एस. डालर 5.01 मिलियन क्रमशः अधिक समय और अधिक लागत लगी।
- एल.डी. उगाही को कार्य के कतिपय स्तरों से लिंक किया गया था और सभी तरह से ठेका समापन से नहीं, जिसके कारण समापन में अपर्याप्त विलम्ब होने के बावजूद कोई भी एल.डी. की उगाही नहीं हुई।
- समयावधि और फ्रोजन मैन आवर को बढ़ाने के लिये सहमति देते समय, संचालक निम्नतम मैन आवर दरों की वैधता के विस्तार को सुनिश्चित नहीं कर सका, जैसाकि यू.एस. डालर 186 दिसंबर 2007 की पश्च अवधि के बाद बढ़ाया गया जिसके कारण व्यय किए गए मैन आवर की अतिरिक्त वसूली हुई बाद में यू.एस. डालर 200 प्रति घंटा की उच्चतर दरों पर वसूली लागत पर वित्तीय असर मार्च 2008 के बाद की अवधि में होगा।

प्रतिक्रिया में संचालक ने कहा (मार्च 2010 / जुलाई 2011) कि :

- चरण-I स्कोप एम.ई.जी. तकनीकों में सुधार के मूल्यांकन तक सीमित था और इंजीनियरिंग सेवाओं के अनुमान, विस्तृत इंजीनियरिंग पर आधारित नहीं थे, लेकिन इसी तरह की अन्य परियोजना जिन्हें पहले किसी अन्य ग्राहक के विक्रेता द्वारा निष्पादित किया गया था। संप्रत्यय अध्ययन और प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर कोई भी ठेकेदार इसके मैन आवर के केप को स्वीकार करने के लिए अथवा उस स्थिति में निर्णीत हर्जानों को लगाने के लिए सहमत नहीं होता कि इसका मूल समय अनुमान बढ़ गया था।

- ठेकेदार के लिए यह संभव नहीं था कि वे संप्रत्यय चयन के लिए अध्ययन आधार पर ठीक-ठाक अनुमान अपफ्रांट मुहैया कराएं। वास्तव में कार्य का दायरा ठेका के आबंटन के बाद बदल गया ताकि परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- क्योंकि परियोजना एक फास्ट ट्रैक आधार पर थी, सभी इंजीनियरिंग करने के लिए यह व्यवाहारिक नहीं था और परिस्थितियाँ जहां संबंधित गतिविधियों को समानान्तर ढंग से किया जा रहा था में ठेका देने से पहले कार्य के स्कोप को बेहतर परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- एल.डी. के लागू होने को भी ठेका के विवेचित स्तरों से लिंक किया गया था और अधिक माइलस्टोन को परिभाषित करना संभव नहीं था।

हम निम्न कारणों से सहमत नहीं हैं :

- इसके बावजूद तथ्य यह है कि संचालक ने बोलियों को चार विक्रेताओं से आमंत्रित किया तीन को विभिन्न कारणों से नामंजूर किया गया, अंततः ए.के.पी.एस., केवल एक फर्म रह गई जिसे संप्रत्यय अध्ययन करना था और इंजीनियरिंग और मुख्य-उपस्करों की आपूर्ति बाद में करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे।
- यह ऐसा परिदृश्य था जहां दोनों ठेकें जैसे (1) इष्टतम प्रौद्योगिकी के चयन हेतु अध्ययन और (2) एम.ई.जी. प्लांट का डिजाइन और आपूर्ति का कार्य भी उसी फर्म अर्थात् ए.के.पी.एस. (सहायकों के साथ) द्वारा किया जा रहा था।
- संचालक का तर्क है कि प्रचलित बाजार शर्त में कोई भी ठेकेदार इसके मेन आवर पर केप पुट करने के लिए सहमत नहीं होगा अथवा घटी दरों आदि पर कार्य पूरा करेगा, निराधार है और मात्र पश्च लेखापरीक्षा प्रत्याशा है क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई अभिलेखा उपलब्ध नहीं था कि प्रचालक इन मामलों पर कभी भी ठेकेदार के साथ सहमत हुआ था।
- लागत और समय में परिणामी वृद्धि सहित मेन आवर में बड़े पश्च एवार्ड संशोधन स्वीकार्य नहीं है।
- संचालक का तर्क कि परियोजना फास्ट ट्रैक आधार पर की जा रही थी यह भी सही नहीं था क्योंकि पहले ही मार्च 2008 तक 1½ वर्ष से अधिक का समय लग गया था।

4.5.5 अधिप्राप्ति कार्यकलापों से संबंधित अन्य निष्कर्ष

ब्लॉक के संबंध में अन्य अधिप्राप्ति कार्यकलापों के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सारांशीकृत किया गया है :

सारणी 4.4.— अधिप्राप्ति कार्यकलापों पर अन्य निष्कर्ष

पूर्व भुगतान बीमा

1 सितंबर 2006 से 15 जुलाई 2008 और 1 अगस्त 2007 से 30 जून 2008 के लिए डी1-डी3 गैस क्षेत्र और एम.ए. क्षेत्र के बीमा नीतियों को यू.एस. डालर 51.99 मिलियन और यू.एस. डालर 9.22 मिलियन की किस्त पर प्राप्त किया गया (जिसका किश्तों में भुगतान करना था)। तथापि 2007–08 के दौरान, संचालक ने क्रमशः यू.एस.डालर 48.88 मिलियन और यू.एस. डालर 8.49 मिलियन के प्रीमियम का भुगतान किया और राशि को लागत वसूली के लिए बुक किया गया। इसमें 2007–08 के लिए पूर्व प्रदत्त बीमा की यू.एस. डॉलर 6.97 मिलियन की अधिक बुकिंग को शामिल किया गया जो मूल्य वसूली के लिए 2008–09 में स्वीकार्य है।

अपनी प्रतिक्रिया में (एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा प्रस्तुत) संचालक ने कहा (जुलाई 2011) कि पी.एस.सी. के अनुच्छेद 2.5.2 पी.एस.सी. के अनुसार, "लेखा सामान्य रूप से स्वीकृत और मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों और आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की प्रैक्टिस पर आधारित हैं"। परियोजना गठन के लिये ली गई नीति के कारण, नीति के प्रति सभी भुगतानों को पूंजीकृत किया गया था और भुगतान के वर्ष में पूंजी डब्ल्यूआई.पी. के भाग के रूप में दर्ज किया गया था।

हम इससे सहमत नहीं हैं, बीमा की राशि मार्च तक वर्ष 2007–08 के वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष 2007–08 के वित्तीय विवरणों में दर्ज होनी थी। और अतिरिक्त राशि को पूर्व भुगतान बीमा के रूप में 2007–08 के दौरान बुक करना था।

बीमा चार्जों का अधिक आवंटन

संचालक ने के.जी.–डी–6 सहित इसके सभी अन्वेषण ब्लॉकों सहित अन्वेषणों और ड्रिलिंग के लिए बीमा नीति प्राप्त की। अदा किया गया कुल प्रीमियम विशेष छुट और स्वीकार्य निम्न दावा छूट के कम करने के पश्चात् अवधि के दौरान कुंओं की गहराई और खुदाई किए गए कुंओं की पानी की गहराई पर आधारित संबंधित ब्लॉकों को आवंटित करना था। अप्रैल 2006 से मार्च 2008 के दौरान संचालक ने वास्तविक प्रीमियम (समायोजनों के पश्चात् निवल यू.एस. डालर 5.35 मिलियन) के बजाए के.जी.–डी.डब्ल्यू.एन.–98/3 के लिए यू.एस. 6.43 मिलियन आवंटित किया जिसके कारण लागत वसूली के कारण यू.एस. डालर 1.08 मिलियन की अधिक बुकिंग हुई।

संचालक ने अपने उत्तर में (एम.ओ.पी.एन.जी. के माध्यम से प्रस्तुत) बताया (जुलाई 2011) कि सुसंगत समायोजनों के स्वरूप को तब तक संगणित नहीं किया जा सकता जब तक संसुगत वित्तीय अवधि समाप्त नहीं हो जाती। यह ऐसे समायोजनों के लिए आर.आई.एल. की पात्रता के कारण है जिसे मात्र नीति की समाप्ति के पश्चात् अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता जिसमें नीति समाप्ति के समय पर प्रगति में कुएं में सभी कार्यकलापों का समापन शामिल था। तदनुसार और लागू लेखा प्रथा के अनुसार नीतियों की असमायोजित लागत को लागू छूट और रिबेट जिसे एक बार अवधारित किया गया को हिसाब में लेने के लिए किए गए बाद में उपयुक्त समायोजन के अध्यधीन 2007–08 में उचित रूप से बुक किया गया था। सुसंगत समायोजनों के लिए विपर्यास 19/30 मार्च 2010 को एस.ए.पी. प्रविष्टियों में लेखांकित किया गया था।

हमारी दृष्टि कोण में ऐसे समायोजन (यदि नीति की समाप्ति के बाद पता चले) 2008–09 में किए जा सकते थे न कि 2009–10 में। इस प्रकार बुक की गई अधिक राशि 31 मार्च 2008 तक लागत वसूली के लिए हकदार नहीं थी।

सम्पत्ति प्रयोग प्रभार

सम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर आवंटन करने के बाय, 2006–07 व 2007–08 के लिये, सम्पत्ति प्रयोग प्रभार 12/24 महीनों की अवधि पर आवंटित प्रभारित की गई; कंपनी के लेखों में कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार रिटिन डाउन वैल्यू विधि का उपयोग करते हुए स्थाई सम्पत्ति का हास किया जा रहा था। इस वजह से अधिक लागत वसूली हुई और जी.ओ.आई के वित्तीय हितों

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/3 के लिये मार्च 2008 तक आबंटित प्रभार यू.एस. डॉलर 3.69 मीलियन था।

अपने जवाब में (पी.एन.जी. मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत) संचालक ने बताया (जुलाई 2011) कि प्रत्येक ब्लॉक के अन्वेषण कार्यों को जारी रखने के साथ जुड़े जोखिम को दर्शाने हेतु सम्पत्तियों को ब्लॉकों को आयकर अधिनियम व कंपनी अधिनियम के तहत ह्वास दरों की तुलना में और अधिक ऊँचे दरों पर आबंटित किया गया। आई.टी. सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन बहुत छोटा होता है और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण अनुपयोगिता दर बहुत ऊँची होती है। आगे कंपनी अधिनियम के अनुसार फर्नीचर व फिक्सचर और प्लांट व मशीनरी के लिए सम्पत्ति उपयोग प्रभार को प्रभारित करने की प्रौद्योगिकी वित्तीय वर्ष 2008–09 से लागू की गई।

हम इससे सहमत नहीं हैं आपरेटर स्वेच्छा से अपने अन्वेषण जोखिम को कवर करने के लिए संपत्ति की उपयोगी आयु तय नहीं कर सकता। ब्लॉक/फील्ड की उपयोगी आयु को ध्यान में रखते हुए संपत्ति प्रयोग प्रभारों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

हेलीकॉप्टर के लिए अधिक लागत बुकिंग

यू.एस. डॉलर 18.781 मिलियन की आपूर्ति संचालन के लिए दो हेलीकॉप्टर की वास्तविक लागत के सामने 2007–08 के लेखों में यू.एस. डालर 19.14 मिलियन की राशि बुक की गई जिससे वसूली योग्य लागत यू.एस. डालर 0.36 मिलियन अधिक आई। संचालक ने सूचित किया (जुलाई 2010) कि जरूरी संशोधन 2010–11 में किया जाएगा।

पुनः चूँकि 16 दिसंबर 2007 को हेलीकॉप्टर दिल्ली हवाई अड्डे पर कस्टम क्लीयर थे और 9 जनवरी 2008 को डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र, दिसंबर 2007 तक की अवधि के लिए आई.एन.आर. के 1.29 करोड़ के ओ.एण्ड एम. प्रभार अनियमित तौर से बुक थे, जोकि वसूली योग्य लागत से अधिक आई।

जवाब में (पी.एन.जी. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत), संचालक ने सूचित किया कि ठेकेदार को 15 नवंबर 2007 को आधारभूत खरीद और जरूरी मानवशक्ति को गतिशील बनाये रखने की सलाह दी गई और पूर्व-प्रेषण निरीक्षण, विभिन्न प्राधिकरणों से संस्थाकृतिया और अनुमोदन हेलीकॉप्टर की पुनःएकत्रीकरण की निगरानी आदि, जैसी सेवायें, राजामुंद्री के समान संचालन शुरू होने तक भी प्रदान कराई गई।

फिर भी, हमने अवलोकन किया कि ठेकेदार द्वारा दी गई सेवाएँ न तो ठेके के रूप में थीं न ही ओ.सी. द्वारा अनुमोदित थीं। इसके अतिरिक्त यह सूचना पहले नहीं दी गई थी और इस हालात में जाँची भी नहीं जा सकती थी। इसकी बाद में समीक्षा की जायेगी।

सामाजिक दायित्वों, प्रायोजन, उपहार लागत पर खर्च

वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान सामाजिक दायित्वों/कार्यक्रमों, प्रायोजन और उपहारों पर यू.एस. डालर 57,116 का खर्च किया गया। यदि पी.एन.जी. मंत्रालय समझे कि इस प्रकृति का खर्च, लागत वसूली (सभी ब्लॉकों/संचालनों

भाड़ा अग्रेषण और परिवहन सेवायें

पर पारदर्शिता से लागू किए जाने के लिए) के लिए उपयुक्त है, तो इस तरह की लागत वसूली के लिए स्पष्ट प्रतिमान/सीमायें विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

पश्च संविदा पंचाट, परिचालक काकीनाडा पोर्ट को परिवहन के लिए आई.एन.आर. के 1000 प्रतिटन के उच्चतर दरों (समुद्रीय पार फैजियोली, यू.के., विक्रेता द्वारा "गलती से उद्धरित" आई.एन.आर. 700 प्रतिटन के सामने) के लिए सहमत हुए। परिणामस्वरूप, मार्च 2008 तक आई.एन.आर. की 2.23 मिलियन की अतिरिक्त अदायगी हुई जोकि मार्च 2008 के उपरांत ज्यादा प्रभावकारी तरीके से हुई। हमारे विचार से यह मूल्य वसूली के लिए मान्य नहीं है।

4.6 पी.एस.सी.—अनुबद्ध खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित पी.एस.सी. के मुख्य प्रावधान नीचे दिये गये हैं :

- अन्य बातों के साथ—साथ अनुच्छेद 8.3 (एफ) अनुबंध करता है कि :
 - ❖ ठेकेदार, एम.सी के अनुमोदन के लिए उचित क्राइटेरिया और तरीकों, गुड्स और सर्विसेज अधिग्रहण के लिए निविदा क्रियाविधि जैसा कि अनुच्छेद 23.2 में दिया गया है सहित (स्थानीय माल तथा सेवाओं के संबंध में) को स्थापित और प्रस्तुत करेगा और पैट्रोलियम प्रचालन में लागत और प्रचालन कुशलता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उद्योग में सामान्य तौर पर प्रचलित प्रथाओं और आर्थिक प्रतिफल के आधार पर पैट्रोलियम प्रचालनों के लिए रवरीद, लीज या रेंट पर मशीनरी, संयंत्र, एस्सेट और सुविधाएँ के लिए जी.आई.पी.आई.पी को ध्यान में रखेगा।
 - ❖ यहाँ दिए गए प्रावधानों के बावजूद, गुड्स और सर्विसेज प्राप्त कराने का तरीका परिशिष्ट—एफ के अनुसार होगा, जिसे एम.सी के अनुमोदन से संशोधित या बदला जा सकता है, जब स्थितियाँ इसकी इजाजत दे।
- अनुच्छेद 23.2 (अनुच्छेद 23 के अंतर्गत—लोकल गुड्स और सर्विसेज) ठेकेदार को गुड्स और सर्विसेज अधिग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया सहित उचित तरीकों को स्थापित करने का निर्देश देता है जो भारत में आपूर्तिकर्ता और उप ठेकेदार को गुड्स और सर्विसेज की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर देने को सुनिश्चित करेगा।
- 'परिशिष्ट एफ—गुड्स और सर्विसेज को अधिग्रहण करने का तरीका' इंगित करता है कि इन तरीकों का उद्देश्य यह सूनिश्चित करना है कि गुड्स और सर्विसेज का अधिग्रहण ऑपटिमम लागत पर किया गया है (सभी प्रासांगिक कारकों मूल्य, गुणवत्ता, सुसुर्दगी समय और संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए) और समय पर प्रदान किया गया (अधिग्रहण में देरी का सम्पूर्ण परियोजना पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए), और अनुच्छेद 23 (लोकल गुड्स और सर्विसेज) के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया।
- परिशिष्ट 'एफ' में मूल्य पर आधारित गुड्स एवं सर्विसेज के अधिग्रहण के लिए तीन भिन्न कार्यविधि (ए. बी. एवं सी.) दिए गए हैं। कार्य विधि 'सी' (अमरीकी डॉलर 500,000 या अधिक) निम्न को अन्य के साथ इंगित करता है :—
 - ❖ प्रस्तावित ठेका के लिए प्रार्टी को पूर्व—अर्हता के लिए आंमतत्रण का प्रकाशन, और उन पार्टियों को शामिल करना जो ओ.सी द्वारा अनुमोदित प्री—क्वालीफिकेशन क्राइटेरिया के अनुसार अर्हता

प्राप्त किया है उनको इंटिटि के लिस्ट में शामिल करना जिन से प्रचालक का टेंडर आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

- ❖ एम.सी सदस्यों को प्रस्तोवित ठेके के लिए प्री-क्वालीफाइड इंटिटि की सूची देना और मान्य अनुबंध वर्ग के लिए ओ.सी द्वारा अनुमोदित विक्रेता के रूप में पहचान किए गए इंटिटि, और कोई अन्य इंटिटि जिनसे प्रचालक निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव करता है, और एक पार्टी द्वारा आग्रहित किसी इंटिटि को जोड़ना (अर्थात् भारत सरकार या ठेकेदार के रूप में कोई भी कम्पनी)
- ❖ एम.सी सदस्यों को प्रस्तोवित ठेके के लिए प्री-क्वालीफाइड इंटिटि की सूची देना और मान्य अनुबंध वर्ग के लिए ओ.सी द्वारा अनुमोदित विक्रेता के रूप में पहचान किए गए इंटिटि, और कोई अन्य इंटिटि जिनसे प्रचालक निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव करता है, और एक पार्टी द्वारा आग्रहित किसी इंटिटि को जोड़ना (अर्थात् भारत सरकार या ठेकेदार के रूप में कोई भी कम्पनी)
- ❖ किसी पार्टी (भारत सरकार या कम्पनी) द्वारा अनुरोध किए जाने पर, प्रचालक को सूचीबद्ध इंटिटि का मूल्यांकन करना चाहिए यह आश्वासन देने के लिए कि वे अनुमोदित पूर्व अर्हता प्रतिमान के अनुसार अनुबंध पूरा करने के लिए क्वालीफाइड हैं।
- ❖ उसके बाद, टेंडर के दस्तावेज डिस्पेच करना, बिड पर विचार और विश्लेषण करना, एक प्रतिस्पर्द्धित बिड विश्लेषण तैयार करना और अनुशंसित बिड पर ओ.सी का अनुमोदन³³ प्राप्त करना।

पी.एस.सी के अनुसार, एम.सी (भारत सरकार के प्रतिनिधि सहित) की भूमिका इस प्रकार अनुबंध के लिए विक्रेताओं की पूर्व-अर्हता तक सीमित है और सामान्य तौर पर अनुबंध सौंपने के अनुमोदन तक नहीं जाती थी।

प्रचालक के रिकार्ड की हमारी संवीक्षा के दौरान हमें कई उदाहरण मिले (उदाहरण के लिए एम.ए तेल क्षेत्र के लिए एफ.पी.एस.ओ अनुबंध सौंपना) जहाँ बहुत से विक्रेता प्री-क्वालीफाइड थे। लेकिन, जब तकनीकी बोली प्राप्त की गई सभी विक्रेताओं को अस्वीकार कर दिया गया (एक के अतिरिक्त) और अंत में अनुबंध को एकल वित्तीय बिड के आधार पर सौंपा गया।

हमारी राय में, प्री क्वालीफिकेशन प्रक्रिया के और बिडर के बैठक के बाद, विक्रेताओं का टेकिनिकल आधार पर इस प्रकार अयोग्य करार देना टेकिनिकल स्पष्टीकरण के लिए प्रतियोगिता को सीमित करना है जो पी.एस.सी में दिए गए रवरीद प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। कई मामलों में, यह बिना प्रतियोगिता वाली वित्तीय बिड के आधार पर सौंपा गया और ठेका एकल वित्तीय बोली के आधार पर सौंपा गया। इस प्रकार की स्थिति में, प्री क्वालीफिकेशन चरण पर एम.सी की भूमिका की मूल भावना को निष्प्रभावी कर दिया।

फलस्वरूप, हमारी राय से, रवरीद के मामलों में (प्रक्रिया 'सी' के अंतर्गत-उच्च मूल्य वाले अनुबंध) जहाँ पूर्व अर्हक बोलीदाता को बाद में विविध टेकिनिकल और अन्य आधार पर अयोग्य/नान रिसपॉन्सिव घोषित किया गया और केवल एक वित्तीय बिड पर विचार किया गया, प्रचालक को या तो

³³ तथापि, ओ.सी के अनुमोदन की विफलता में कोई भी कम्पनी निर्णय के लिए मामला एम.सी को भेज सकता है।

प्री-क्वालीफिकेशन पर वापस जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा बैंडर प्री-क्वालिफाई होने चाहिए। कि ज्यादा वैकल्पिक रूप से, यदि प्रचालक चाहता है कि एकल वित्तीय बिड पर विचार हो, मामले को अनिवार्यतः एम.सी (भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित)/भारत सरकार को पी.एस.सी में शामिल खरीद तरीकों में एक्स एंटी छूट के लिए वापस भेजा जाना चाहिए। आपात मामलों में, पर्याप्त औचित्य के साथ, एम.सी का कार्योत्तर अनुमोदन दिया जा सकता है।

इसी प्रकार, अनुबंधों का विस्तार (अनुबंध में बताए गए विस्तार अवधि के अतिरिक्त) परिशिष्ट 'एफ' से मेल नहीं खाता है। यदि प्रचालक एसे अनुबंधों को बढ़ाना चाहता है, तो मामले को अनिवार्यतः आवश्यक छूट के लिए एम.सी के पास वापस भेजा जाना चाहिए।

हम, इसलिए, अनुशंसा करते हैं कि के.जी-डी.उब्ल्यु.एन-98/3 के मामले में, एम.ओ.पी.एन.जी, 10 विशिष्ट अनुबंधों (जिनमें से एकर ग्रुप की कम्पनियों को 8 सौपे गए) जो एकल वित्तीय बिड के आधार पर दिए गए, की गहराई से समीक्षा करे। इस अनुशंसा में हम यह विलकुल सुझाव नहीं दे रहे हैं कि प्रचालक सरकारी खरीद तरीकों का पालन करे किर भी कोई वाणिज्यिक विवेकी निजी अधिग्रहण प्रतियोगिता सृजन करते हुए सबसे प्रतिस्पर्धात्मक कीमत प्राप्त करेगा। लागत प्रभावी अधिग्रहण के लिए इस प्रकार की चिंता ऊपर बताए गए तरीके में अवगम्य नहीं होता है।

संयोग से, के.जी-डी.उब्ल्यु.एन-98/3 के सम्बंध में एम.सी संकल्प की एक प्रति (ऐसा प्रतीत होता है डी.जी.एच कार्यालय में 29 नवम्बर 2003 को आठवे एम.सी बैठक में ली गई) और सर्कुलेसन से अनुमोदन की गई, जो हमें दी गई हैं। एम.सी संकल्प बताता है कि पी.एस.सी के अनुच्छेद 23.2 के अनुसार, ठेकेदार ने रवरीद एन.ई.एल.पी दौर I,II और -III के अपने ब्लॉक के लिए मैटेरियल और सर्विसेज के अधिग्रहण के लिए रवरीद प्रक्रिया प्रस्तुत किया था और रवरीद प्रक्रिया को डी.जी.एच ने जाँच किया था 22 सितम्बर 2003 को आर.आई.एल और डी.जी.एच के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक अलग बैठक में चर्चा की गई तथा एम.सी द्वारा सहमत संशोधनों को और बाद में वर्णन और अनुमोदन किया गया था।

उपरोक्त अधिप्राप्ति प्रक्रिया (आर.आई.एल) दस्तावेज संख्या आर.ओ.जी-जी.पी.पी-004) विस्तृत अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं का एक सेट निर्धारित करता है। इस दस्तावेज की कुछ रोचक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- कई परिस्थितियों में आर.आई.एल एकल/नामांकन आधार पर कार्य सौंपेगा—तुरन्त आवश्यकता; स्वामित्व प्रकृति की मद/सेवाएँ ; विशेष प्रकृति की मद/सेवाएँ।
- प्रक्रिया 'सी' (अनुमानित मूल्य यु.एस.डॉलर 500,000 या अधिक) के अतर्गत प्रत्येक प्रस्तावित अनुबंध के लिए प्री-क्वालीफिकेशन, जैसा कि पी.एस.सी परिशिष्ट 'एफ' में निर्धारित है, के बदले एक ई.ओ.आई (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) चरण शुरू किया गया है। इ.ओ.आई प्रक्रिया दो वर्षों में एक बार किया जाएगा और जहाँ आर.आई.एल प्रचालक है वहाँ के सारे ब्लॉक को शामिल करेगा, एम.सी के सदस्य केवल ई.ओ.आई चरण तक शामिल होने थे और न कि प्रत्येक प्रस्तावित अनुबंध के प्री-क्वालीफिकेशन के लिए।
- दस्तावेज "बिना मूल्य के बोली" के तकनीकी मूल्यांकन, (इ.ओ.आई चरण के बाद का एक अलग चरण) और तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदायें ही रखोलीं, प्रदान करता है और तकनीकी रूप से अस्वीकृत निविदायें सामान्य तौर पर नहीं रखोली जाएगी।
- निम्नितम कुल मूल्यांकित मूल्य के आधार पर कोई अनुशंसा न होने पर उनका तर्क के साथ साबित करना होता है

- अनुबंध/कार्य ओदश अवधि में स्वीकार्य अनुमान्य है जहाँ विस्तार आर.आई.एल के कारण से हो या कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो या अनुबंध में उपलब्ध विकल्प कार्यान्वयित करना हो।

उपरोक्त “अधिप्राप्ति प्रक्रिया”(आर.आई.एल) दस्तावेज संख्या आर.ओ.जी-जी.पी.पी-004) के प्रावधान स्पष्टत; पी.एस.पी के परिशिष्ट ‘एफ’ के प्रावधानों के विपरीत है। लेकिन, पी.एस.सी के प्रावधान—अनुच्छेद 8.3 (एफ) बहुत स्पष्ट है—...यहाँ दिए गए प्रावधान के बावजूद, माल और सेवाएँ अधिग्रहण करने की प्रक्रिया परिशिष्ट ‘एफ’ के अनुसार होनी चाहिए। एम.सी द्वारा परिशिष्ट ‘एफ’ में संशोधन नहीं किया गया है। अतः आर.आई.एल दस्तावेज के प्रावधान, जो अनुच्छेद 23.2 (जो भारत में आपूर्तिकर्ताओं और उपठेकेदारों को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने से सम्बंधित है) के अंतर्गत एम.सी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, अवैध हैं।

इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि के.जी-डी.डब्ल्यू.एन-98/3 के मामले में एम.ओ.पी.एन.जी सरकारी हित की सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए एकल वित्तीय निविदा के आधार पर दिए गए निम्नलिखित अनुबंधों को सावधानी पूर्वक वैध करें।

| क्रम संख्या | पी.ओ संख्या | पी.ओ तिथि | आदेश दिया गया | वास्तविक पी.ओ मूल्य (यू.एस डॉलर) | मद विवरण |
|-------------|-------------|------------|--|----------------------------------|--|
| 1. | 86759 | 06.10.2007 | एकर बोर्गस्टैड ऑपरेशन ए.एस | 276,443,000 | एफ.पी.एस.ओ.आर.आई.एल औजारों का प्रचालन व रख रखाव और तेल व गैस के उत्पादन से संबंधित उपसमुद्री यत्र का प्रचालन |
| 2. | 3627982 | 04.05.2007 | एकर फ्लोटिंग उत्पादन/एकर अनुबंधीकरण एफ.पी.ए.एस.ए | 1,094,002,520 | तेल एवं गैस को निकालने और उत्पादन से संबंधित एफ.पी.एस.ओ सुविधा को चार्टर करना। |
| 3. | 3639935 | 20.09.2007 | एकर इंस्टालेशन एफ.पी.ए.एस नार्वे | 281,118,779 | उपसमुद्री सुविधाओं को लगाना। |
| 4. | 3370813 | 03.07.2006 | एकर वर्नर उप समुद्री ए.एस, नार्वे | 431,284,407 | उपसमुद्री हार्डवेयर की आपूर्ति |
| 5. | 310783 | 27.09.2006 | एकर वर्नर प्रक्रिया प्रणाली | 1,000,000 | एम.ई.जी.आर.एण्ड आर प्लांट के लिये लाईसेंस अनुबंध |
| 6. | 3610783 | 20.10.2006 | एकर वर्नर पावर गैस/एकर पावर गैस प्रा.लि. | 100,000 | एम.ई.जी.आर.एण्ड आर प्लांट से संबंधित सेवायें। |

| | | | | | | |
|--|---------|------------|---------------------|----------------------|-------------|--|
| 7. | 3610598 | 15.09.2006 | एकर प्रणाली | वर्नर प्रक्रिया | 5,914,800 | एम.ई.जी रीजनरेशन और रीक्लेमेशन प्लांट की इंजीनियरिंग |
| 8. | 3392654 | 30.09.2006 | एकर प्रणाली | वर्नर प्रक्रिया | 16,154,400 | एम.ई.जी रीजनरेशन एवं रीक्लेमेशन पैकेज के लिए मुख्य यंत्र की आपुत्रि |
| 9. | 3391768 | 27.09.2006 | जे.रे ईस्ट इंक | मेकडर्मोट मिडल | 206,990,342 | सी.आर.पी.की लोडआऊट आपूर्ति और सीफास्टनिंग |
| 10. | 3611331 | 26.09.2006 | जे.रे हैमिस्फीयर | मैकडर्मोट ईस्टर्न | 122,558,268 | यातायात संबंधी, स्थापना, टेरेस्टिंग और लगाने से पूर्व |
| एम.ए.तेल क्षेत्र से संबंधित अनुबंध | | | | | | |
| एम.ई.जी रीजन रेशन और और रीक्लेमेशन पैकेज से संबंधित अनुबंध | | | | | | |
| सी.आर.पी.की स्थापना से संबंधित अनुबंध | | | | | | |

4.7 लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में कमियाँ

आर.आई. प्रचालक ने तीन सनदी लेखाकार फर्मों अर्थात् प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, एस.आर.बाटलीबोर्ड एण्ड कं. एवं हरिभक्ति एण्ड कं. से 28 जुलाई 2007 की नियत तिथि तक आर.आई.एल. द्वारा संचालित (12 जुलाई 2007) किये। प्राइस वाटर हाउस ने 27 जुलाई 2007 को निविदा भेजी परन्तु दो फर्मों के अन्तिम तारीख पर मौखिक निवेदन पर नियत तिथि दो सप्ताह के लिये बढ़ा दी गई। बाद में, ओ.सी. /एम.सी. (अगस्त/नवम्बर 2007) ने हरिभक्ति एवं कम्पनी को सभी 35 ब्लॉकों के लिए, आई.एल.आर 2 मिलियन रु. प्रति ब्लॉक की दर पर (के.जी. डी-6 के लिए आई.एल.आर 1.5 मिलियन रु. आबंटित किये गये) 2007–08 के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षा ने अनुमोदन प्रक्रिया में कमियाँ पायी, अर्थात् (क) लेखा परीक्षा फर्मों के लिए मूल्यांकन मानदण्ड बोली आमंत्रण से पूर्व तय नहीं किये गये थे। (ख) दो फर्मों को समय विस्तार की आज्ञा तीसरे फर्म से बोली प्राप्त होने के बाद दी गयी थी। (ग) प्रचालक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/अद्याक्षर बोली पर बोली के प्राप्ति और खुलने का तिथि दर्शाते हुए नहीं पाया गया था।

एक लेखापरीक्षा जाँच के जवाब में प्रचालक ने कहा (मई 2010) कि (क) तुलनात्मक बोली विश्लेषण ने चयन मानदण्ड उपलब्ध, कराया अर्थात् पी.एस.सी./जे.ओ.ए. में अनुभव तथा तेल/गैस लेखांकन में अनुभव (ख) समय विस्तार प्रदान किया गया क्योंकि दर स्पर्धात्मकता समाप्त हो जाती यदि एक निविदा के बाद ही प्रक्रिया बन्द हो जाती। (ग) निविदाओं को आर.आई.एल. के लेखा परीक्षा प्रमुख के पास मुख्यालय में भेजना था तथा बाद में ई एण्ड पी को हस्तान्तरित होना था, अतः जब वास्तविक प्राप्ति से तुलना की जाती, तो ई एण्ड पी में प्राप्ति की तिथि में भिन्नता हो सकती थी और इसलिए तारीखों का उद्दरणों पर उल्लेख नहीं थी।

प्रचालक का प्रत्युत्तर निम्न के आलेख में देखा जाना चाहिए;

- जैसाकि डी-6 क्षेत्र के लिये मुख्य विकास गतिविधियाँ वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में की गयी थीं, मूल्यांकन मानदण्ड अर्थात् ई एण्ड पी कम्पनियों के लेखा परीक्षा के अनुभव को वर्षों की संख्या, ई एण्ड पी कम्पनी का न्यूनतम स्तर उदाहरण के साथ यथा ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. इत्यादि के उदाहरणों के साथ उदरण आमंत्रित करने तथा बोली मूल्यांकन करने से पहले निर्धारित करने की आवश्यकता थी।
- प्राप्ति की तिथि तथा मुख्य बोली खुलने की तिथि का अभिलेखन, बोली मूल्यांकन में न्यायसंगति एवं पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

समय विस्तार निविदा प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम दिन तथा एक लेखा परीक्षा फर्म द्वारा बोली प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा के समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह पता नहीं चला कि निविदा मुहरबंद लिफाफे में थे या नहीं और प्रत्येक फर्म से प्राप्त निविदा भी वास्तव में कब खोले गये थे।

एम.ओ.पी.एन.जी ने बताया (जुलाई 2011) कि पी.एस.सी के प्रावधान के अंतर्गत, बोली के मूल्य में एम.सी निर्णय की आवश्यकता नहीं थी, एम.सी ने पी.एस.सी के अनुच्छेद 25.4 के अंतर्गत लेखापरीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन किया जैसा प्रचालक द्वारा प्रस्तावित था एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं किया।

भविष्य में, हम अनुशंसा करते हैं कि एम.सी में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को लेखापरीक्षक से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर विचार करना चाहिए कि पिछले 2/3 वर्षों में कोई लेखापरीक्षा या अन्य सेवाएँ ठेकेदार को प्रदान न की हो। लेखापरीक्षकों की अधिक स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता को यह प्रोत्साहन देगा।

4.8 एस.ए.पी प्रणाली तक अपूर्ण पहुँच

पी.एस.सी के धारा 1.9.3 के परिशिष्ट सी (लेखा प्रक्रिया) के अनुसार, लेखापरीक्षा करने में, सरकार या उसके लेखापरीक्षकों को युक्तिसंगत समय पर जाँच और सत्यापित करने का हक होगा, अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार के गतिविधियों से सम्बंधित सभी भुगतान मूल्यों और बैंक हिसाबों और लेखे के सभी खाते लेखे की प्रविष्टियाँ, भौतिक दस्तावेज और विस्तृत सूची, वाउचर, पैरोल, इनवाइस और अन्य दस्तावेज, पत्राचार और सरकार द्वारा लेखापरीक्षित करने योग्य और भुगतान मूल्यों और बैंक हिसाबों सत्यापन के लिए के लिए आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेज।

पी.एस.सी के लेखा प्रक्रिया की धारा 1.4.1 के अनुसार, अनुबंध के प्रभावी तिथि के नबे (90) दिनों के अन्दर, ठेकेदार को एक प्रस्तावित चार्ट ऑफ एकाउंट्स (सी.ओ.ए) सरकार को प्रस्तुत एवं चर्चा करना था। केजी-डी डब्ल्यू एन-98/3 से सम्बंधित घटनाओं का क्रम का सारांश नीचे दिया गया है।

- आर.आई.एल ने सी.ओ.ए 19 जनवरी 2001 को डी.जी.एच को भेजा।
- बाद में, सी.ओ.ए में कुछ संशोधन किए गए और 26 मार्च 2002 को डी.जी.एच को भेजे गए। इस पत्राचार में यह कहा गया कि नया सी.ओ.ए, नये बजट वर्ष, 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी होगा।
- डी.जी.एच ने 2 अप्रैल 2002 को पहले वाले सी.ओ.ए में विशिष्ट संशोधनके लिए आग्रह किया जो संशोधित सी.ओ.ए को जाँचने के काबिल बना सके।

- आर.आई.एल ने 11 अप्रैल 2002 को कहा कि संशोधन का वन-टू-वन मेल संभव नहीं था और सी.ओ.ए में बदलाव जरूरी हो गया था क्योंकि आर.आई.एल पी.एस.सी के अंतर्गत विषय रिपोर्टिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एस.ए.पी साफ्टवेयर लागू करने को प्रक्रिया में था।
- अंततः 25 जुलाई 2003 को, आर.आई.एल ने कहा कि सितम्बर 2002 से सारे लेखे एस.ए.पी.इ.आर.पी तंत्र में रखे जा रहे थे और एस.ए.पी पैरामीटर के लिए सी.ओ.ए को संशोधित किया गया था। आर.आई.एल ने भी संशोधन का अनुमोदन चाहा था।
- अंततः डी.जी.एच द्वारा 24 सितम्बर 2003 को अनुमोदन प्रेषित किया गया।

आर.आई.एल., एक सर्वनिष्ठ एस.ए.पी. (वर्सन 4.6) सभी समूह कम्पनियों के लिए अनुरक्षित करती है तथा के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 तथा अन्य अन्वेषण ब्लाक के लिए लेखा जे.वी. मॉड्यूल में अनुरक्षित किये जाते हैं।

2007-08 तक पूँजीगत समय के आंकड़ों के सत्यापन के भाग के रूप में, एक निवेदन, एस.ए.पी. तक पूर्ण पहुँच के लिए किया गया। बारम्बार निवेदन के बाद भी पूर्ण पहुँच नहीं प्राप्त हुई।

- इसके बजाय, प्रचालक ने सूचित किया कि ई एण्ड पी डिवीज़न आर.आई.एल. समूह का एक भाग है, एफ-1 को छोड़ कर, केवल के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 तक सीमित पहुँच और एस.ए.पी. के अन्य माड्यूलों तक उपलब्ध नहीं कराना सम्भव नहीं था। इस तरह, सिर्फ के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लाक तक पहुँच उपलब्ध कराना सम्भव नहीं था। प्रचालक के आगे कहा माँगी गयी एस.ए.पी. तक पहुँच उपलब्ध नहीं करायी जा सकती जैसाकि एस.ए.पी. में के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लाक के अतिरिक्त आर.आई.एल. द्वारा धारित अन्य अस्तियों की भी सूचना शामिल है जिसे लेखा परीक्षा दल के साथ बॉटना उचित नहीं होगा।
- प्रचालक द्वारा एस.ए.पी. के सम्पूर्ण पहुँच को उपलब्ध कराने से इंकार करने के परिणामस्वरूप प्रचालक के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लाक से सम्बन्धित डाटा के अंश तथा डाटा बेस के बैकअप की पुर्नः प्राप्त करने पर सहमत हुआ, लेकिन बाद में सूचित किया कि आर.आई.एल के पास डाटा बेस 4 टी.वी. से अधिक के आकार का है तथा के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लाक का डाटा बहुत छोटा हो सकता है। हालाँकि ऐसी बैकअप प्रणाली कब तक तैयार होगी इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। प्रचालक ने आगे कहा कि ऐसे अभ्यास का प्रबन्ध करना तथा संसाधन की व्यवस्था करना मुश्किल होगा, अतः डाटा बेस को पुनः प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं होगा।
- एस.ए.पी. तक अपूर्ण पहुँच को विचार में रखते हुए, हम प्रचालक के इस निवेदन कि लागत वसूली वक्तव्य का लाइन आइटम वार विवरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मेट में उपलब्ध कराया जायेगा से सहमत हुए। लाइन आइटमों के सत्यापन पर हमने पाया कि विस्तृत विवरण के योग का मिलान, प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराये गये, ट्रायल बैलेंस से नहीं हुआ। हमने यह भी पाया कि उपलब्ध कराया गया आंकड़ा अपूर्ण है। लेखा परीक्षा प्रश्न के प्रत्युत्तर में प्रचालक ने कहा कि उपलब्ध कराये गये लाइन आइटम अन्तरण के जमा पक्ष के थे, साथ पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार लेखा परीक्षा को विश्लेषण के लिए एस.ए.पी. की अपूर्ण पहुँच के साथ-साथ अपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराये गये।
- एक्सेल सीट फार्मेट में उपलब्ध कराये खरीद आदेशों की, निवेदन पर अलग से उपलब्ध कराये गये 337 आदेशों की सूची (1 मिलियन डालर से अधिक मूल्य के) से तुलना करने पर लेखा परीक्षा ने पाया कि सूची के 222 खरीद आदेश, एक्सेल सीट फार्मेट में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का भाग नहीं थे। लेखा परीक्षा प्रश्न के उत्तर में प्रचालक ने कहा कि वे खरीद आदेश सामग्री की प्राप्ति या

तट आधारित गतिविधियों जैसे सर्वनिष्ठ यातायात लागत, हेलीकॉप्टर को भाड़े पर लेना, सर्वनिष्ठ एच.एस.ई. लागत इत्यादि थे और इसलिए खर्च खाते में नहीं दिखेंगे (जिसके लिए जमा पक्ष लाइन आइटम लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे। इस प्रकार प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा बेस और सूचनाओं के दो सेटों का अन्योन्य संदर्भ करने पर पी.ओ. विवरण का मिलान नहीं हुआ।

लेखांकन प्रक्रिया के अनुच्छेद 3.1.8 के अनुसार, सामान सूची में लिये गये सामग्री एवं उपस्कर लेखा को तभी भारित होंगे जब ऐसी सामग्री सामान सूची से हटा दी जायेगी तथा लागत “पहले प्रवेश पहले बाहर” तरीके से भारित की जायेगी। 31 मार्च 2007 के तल-पट के भाग बनने वाले नोट के अनुसार खुदाई करने वाले सामान्य सूची तथा उपभोग्य का मूल्यांकन, भारित औसत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो, लागत के लिये भी जायेगी। हालाँकि हमने यह पाया कि:

- इस पहलु पर 31 मार्च 2008 के तल पट में यह कहते हुये कि सामान सूची तथा उपभोग्य, भारित औसत पर लागत के लिए मूल्यांकित किये गये थे, परिवर्तन पाया गया। परिवर्तन के प्रभाव को परिमाणित और 2007–08 के तल-पट में प्रतिवेदित नहीं किया गया था। एकसेल फार्मेट पर उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर, हमने आगे पाया कि 2006–07 और 2007–08 में 215782 लाइन मद सामग्री कोड के साथ थे जिनका मूल्य 409.76 मिलियन यूएस. डालर था। तथापि सीमित आंकड़ों/विवरण के साथ-साथ एस.ए.पी. तक अत्यन्त प्रतिबन्धित पहुँच के कारण, हम 31 मार्च 2008 को वसूली के लिए अनुमोदित समग्र लागत के भाग बनने वाली लेखांकित लागत पर, मूल्यांकन के भारित औसत विधि का फीफो विधि के विरुद्ध अपनाने पर प्रभाव को परिमाणित करने में समर्थ नहीं थे।
- प्रचालक ने लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में (मार्च 2010) लेखांकन मानक 2 का हवाला दिया और कहा कि बहुतायत कम्पनियाँ, आर.आई.एल. सहित स्टाक मूल्यांकन के लिए औसत भारित विधि का अनुसरण करती है तथा दो भिन्न मूल्यांकन विधियों अर्थात् एक पी.एस.सी. लेखांकन के उद्देश्य से तथा दूसरा कम्पनी के लेखांकन उद्देश्य से का अनुरक्षण करना, दो विधियों में शामिल मामूली अन्तर के कारण, पालन योग्य नहीं है। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.–98/3 ब्लॉक के लिए लेखांकन प्रावधान पी.एस.सी. द्वारा दिशा निर्देशित किये गये हैं। तथा किसी अन्य प्रावधान या अन्यत्र अनुसरित व्यवहार से नहीं।
- प्रचालक ने एस.ए.पी. की “लेखा परीक्षा सूचना प्रणाली” को क्रियान्वित नहीं किया। इसके अतिरिक्त एस.ए.पी. पर प्रश्न की रचना करने की सुविधा उपलब्ध कराना भी सम्भव नहीं था।

इस प्रकार प्रचालक द्वारा लागत वसूली वक्तव्य का लाइन-मद वार विवरण केवल अन्तरण के व्यय पक्ष को धारित करता है प्रचालक की एस.ए.पी. तक पूर्ण पहुँच उपलब्ध कराने में विफलता के साथ-साथ प्रणाली से अलग करने के बाद के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.–98/3 के आंकड़े उपलब्ध कराने में विफलता भी यह दिखाती है कि एस.ए.पी. का अभिकल्प जहाँ तक पी.एस.पी. सम्बन्धित लेखांकन अभिलेख के अनुरक्षण का सम्बन्ध है, अपर्याप्त था।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2011) में कहा कि एस.ए.पी सिस्टम के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा को उचित माध्यम से चुनाव (पठन) निर्देश देने का अधिकार है।

एस.ए.पी., के पास एकसल में अथवा किसी अन्य फॉर्मेट से डाउनलोडिंग के लिए एच्चिक रिपोर्ट उपलब्ध है। लेखापरीक्षा उचित टैक्निकल सहायता एस.ए.पी सर्विस देने वाले से ले सकती है ताकि एस.ए.पी डाटाबेस या डाउनलोड किये हुए आऊटपुट डाटा वांछित फार्मेट में सीधा ऑनलाइन प्राप्त हो जाए।

मंत्रालय का उत्तर इस संदर्भ में देखा जाय कि यह तथ्य टैक्निकल दक्षता से संबंधित नहीं है अपितु पूर्णरूप से बाधित एस.ए.पी.एफ.आई को छोड़ कर एस.ए.पी मोडयूल को दी गई पहुँच में है।


मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह ऑपरेटर को एम.सी के माध्यम से निर्देश देगें जिससे कि सिस्टम कन्फयूगरेशन, 'लेखापरीक्षा सूचना सिस्टम' में परिवर्तन लाया जा सके जैसा कि लेखापरीक्षा को संवीक्षा के लिए वांछनीय है।



अध्याय 5 – आर.जे.–ओ.एन.–१००/१ खंड संबंधित निष्कर्ष

5.1 विहंगावलोकन

यह भूसतही खंड (गुजरात में लघु हिस्से के साथ मुख्यतः राजस्थान में) एन.ई.एल.पी.–पूर्व अन्वेषण खंडों में से एक है जोकि मई 1995 में “शैल इंडिया प्रोडक्शन एण्ड डैवलपमैट” (बी.वी.) (एस.आई.पी.डी.) को एन.ई.एल.पी.–पूर्व अन्वेषण चरणों के चरण–IV में दिया गया। भारत सरकार, एस.आई.पी.डी. और ओ.एन.जी.सी. के बीच पी.एस.सी. पर 15 मई, 1995 को हस्ताक्षर हुए। तदोपरान्त एस.आई.पी.डी. का प्रतिभागी हिस्सा केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड और केर्न एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड (सामूहिक रूप से “केर्न एनर्जी” माना जाय) का सितंबर 1998 और जून 2003 तक के बीच तीन चरणों में स्थानांतरित कर दिया गया।



पूर्व एन.ई.एल.पी. अन्वेषण खण्ड पी.एस.सी., की शर्तों के तहत, ओ.एन.जी.सी. लाइसेंसधारी था और पैट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस (पी.ई.एल.) और खननपट्टा (एम.एल.) प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था

और पी.ई.एल. फीस/एम.एल. फीस तथा रॉयल्टी की अदायगी के लिए भी, उत्तरादायी था ओ.एन.जी.सी को भारत सरकार के नामित उम्मीदवार के रूप में, वाणिज्यिक खोज की घोषणा (डी.ओ.सी.) के 90 दिनों के अंदर, प्रत्येक विकास क्षेत्र के अधिकतम 30 प्रतिशत तक, का भागीदारी हित (पी.आई.) प्राप्त करने का अधिकार था। अब तक, तीन डी.ए. का चित्रण किया गया है, जिसे नीचे दिया गया है:

सारणी 5.1: आर.जे—ओ.एन—90/1 खंड में विकास क्षेत्र

| विकास क्षेत्र | सृजन की तिथि (एम.एल. की मंजूरी) | क्षेत्र | भागीदारी का हिस्सा | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| | | | केन एनर्जी | ओ.एन.जी.सी |
| डी.ए.-1 | 20 जून 2005 | 1859 व.कि.मी. | 70 प्रतिशत | 30 प्रतिशत |
| डी.ए.-2 | 15 नवम्बर 2006 | 430.17 व.कि.मी. | 70 प्रतिशत | 30 प्रतिशत |
| डी.ए.-3 | 6 नवम्बर 2007 | 822.00 व.कि.मी. | # | # |

ओ.एन.जी.सी ने 30 प्रतिशत की भागीदारी 2 विकसित क्षेत्रों में हासिल की, जबकि इसका डी.ए-3 में 30 प्रतिशत भागीदारी हासिल करने का फैसला एम.ओ.पी.एन.जी के पास संदर्भित है।

उक्त ब्लॉक में जुलाई 1999 और नवंबर 2008 के बीच, 25 हाइड्रोकार्बन खोजें (21 तेल और 4 गैस) हुई हैं। इन खोजों की स्थिति का सारांश निम्न प्रकार है:

सारणी 5.2 आर.जे.ओ.एन-90/1 ब्लॉक में खोजों की स्थिति

| क्रम संख्या | खोज का नाम | खोज की तिथि | प्रकार | टिप्पणियाँ |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|------------|
| 1 | गुडा | 23-जुलाई-99 | तेल | |
| | जी-आर-एफ-1 (अब गुडा का हिस्सा) | | तेल | |
| 2 | सरस्वती | 29-अक्टूबर-01 | तेल | |
| 3 | रागेश्वरी तेल | 25-दिसम्बर-02 | तेल | |
| 4 | रागद्वीप गैस | 25-दिसम्बर-02 | गैस | |
| 5 | कामेश्वरी | 21-सितम्बर-03 | तेल | |
| 6 | मंगला | 20-जनवरी-04 | तेल | |
| 7 | ऐश्वर्या | 5-मार्च-04 | तेल | |
| 8 | विजया | 28-अगस्त-04 | तेल | |
| 9 | वंदना | 7-अगस्त-04 | तेल | |
| 10 | जी.एस.वी. | 4-जुलाई-05 | गैस | |
| 11 | एन-सी-वैस्ट | 4-जुलाई-05 | तेल | |
| 12 | मंगला बारमर हिल | 20-जनवरी-04 | तेल | |
| 13 | सरस्वती क्रैस्ट-1 | 5-मई-07 | तेल | |
| 14 | रागेश्वरी ईस्ट-1जेड/ तुकाराम | 24-नवम्बर-08 | तेल | |
| 15 | भाग्यम् | 7-अगस्त-04 | तेल | |
| 16 | शक्ति | 18-अप्रैल-04 | तेल | |
| 17 | एन-1 | 18-मई-05 | तेल | |
| 18 | भाग्यम् साउथ | 3-दिसम्बर-05 | तेल | |
| 19 | एन-ई | 9-जनवरी-06 | तेल | |
| 20 | एन-पी | 6-अप्रैल-06 | तेल | |
| 21 | शक्ति-एन.ई-1 | 21-अक्टूबर-06 | तेल | |
| 22 | एन-1-नार्थ | 21-नवम्बर-05 | तेल | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|-----|--|
| 23 | के-डब्ल्यू-2 | 21-नवम्बर-06 | तेल | क्रम संख्या 23 से 25 तक दर्शायी गई 3 खोजें डीए-3, में पड़ती हैं। जिसके लिए एमएल 6 नवंबर 2007 को प्रदान गई थी। इन तीन खोजों के लिए एफ.डी.पी. प्रचालक द्वारा जुलाई 2009 में प्रस्तुत की जा चुकी थी तथा एम.ओ.पी.एन.जी ने अपने (जुलाई 2011) के जवाब में कहा कि इन खोजों की एफ.डी.पी. का मूल्यांकन पूरा हो चुका है तथा एम.ओ.पी.एन.जी. के निर्णय हेतु प्रस्तुत है। |
| 24 | के-डब्ल्यू-3 | 13-दिसम्बर-06 | गैस | |
| 25 | के-डब्ल्यू-6 | 20-जुलाई-07 | गैस | |

आर.जे.ओ.एन.-90/1 भारत में भूतल पर तेल की एक बड़ी खोज है और इससे 450 मिलियन बैरल निकालने योग्य संसाधन संभाव्य का वर्तमान अनुमान है। उक्त खंड से तेल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ। इस खंड में विकास की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बारमेर से सलाया तक 580 किलोमीटर की तेल पाईपलाइन (जो कि पूरी हो गयी है) और सलाया से भोगट (प्रगति पर) की 80 किलोमीटर की पाईपलाइन है, जिसमें कच्चे तेल के उच्च "प्योर प्वाइंट" (48 डिग्री सेल्सियस) के संदर्भ में 65 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाये रखने के लिए रोधन और तापन सुविधायें हैं।

5.2 अन्वेषण और मूल्यांकन गतिविधियाँ

5.2.1 क्षेत्र छोड़ने में देरी

पी.एस.सी के अनुसार अन्वेषण की अवधि सात वर्ष थी, और तीन वर्ष का विस्तार भी उपलब्ध था। यह विस्तृत अन्वेषण अवधि 14 मई 2005 को समाप्त हो गई। इस चरण में, परिचालक को खोज और विकास क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़ देना था। लेकिन 11,108 वर्ग कि.मी. के मूल अनुबंध क्षेत्र में से 6678.10 वर्ग कि.मी. (जिसमें बढ़ाया हुआ 1708.20 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है) का सम्पूर्ण क्षेत्र बनाये रखा, जिसमें निम्न शामिल था:

- डी.ए.-1 क्षेत्र में विकास क्षेत्र का 1859 वर्ग कि.मी.
- 2884 वर्ग कि.मी. का मूल्यांकन क्षेत्र (उत्तरी मूल्यांकन क्षेत्र); और
- दक्षिणी हिस्से में, 1935.10 वर्ग कि.मी. का एक अतिरिक्त क्षेत्र, जो कि खोज या विकास-क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया था। यह क्षेत्र 7 नवंबर 2007 तक जब यह अंतिम रूप से छोड़ा गया, अनियमित रूप से (परिचालक द्वारा मानचित्र समय पर प्रस्तुत न करने के कारण) बनाये रखा।

आगे, उत्तरी मूल्यांकन क्षेत्र में, 2884 वर्ग कि.मी. के मूल्यांकन क्षेत्र में से :

- 430.17 वर्ग कि.मी. का एक क्षेत्र खनन पट्टा (डी.ए.-2 विकास क्षेत्र) में 15 नवंबर 2006³⁴ को परिवर्तित किया गया।
- बचे हुए 2453.83 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में से, परिचालक ने सम्पूर्ण क्षेत्र को छः माह (15 नवंबर 2006 से) तक बनाये रखने की अनुमति माँगी लेकिन पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पी.ई.एल.

³⁴ दिलचस्प है कि, यद्यपि पी.एस.सी. की प्रारंभिक अवधि 25 वर्षों के लिए है (मई 1995 से मई 2020 तक पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार आपसी समझौते द्वारा हुआ, बशर्ते विस्तार, हो), डी.ए.-2 (430.17 वर्ग कि.मी. राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत की गई खनन पट्टा नवंबर 2006 से नवंबर 2026 तक 20 वर्षों के लिए हैं। (जोकि पी.एस.सी. की प्रारंभिक अवधि से बाहर है)। जबकि पी.एस.सी. की अवधि, पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार, आपसी समझौता द्वारा विस्तार पर निर्भर करती है।

के तहत, 879.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को 8 मई 2007 से 7 नवम्बर 2007 तक रखने की अनुमति दी थी।

- 6 नवंबर 2007 को 879.50 वर्ग कि.मी. में से 822.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनन पट्टा (डी.ए.-३ विकास क्षेत्र) में परिवर्तित किया गया जबकि 57.5 वर्ग कि.मी. के शेष क्षेत्र को छोड़ा हुआ माना गया।

एम.ओ.पी.एन.जी ने अपने (जुलाई 2011) जवाब में कहा:

- क्षेत्र छोड़ने में देरी कार्यविधिक थी तथा इसमें कोई वाणिज्यिक उलझन नहीं थी।
- इस छोड़ने में हुई देरी के दौरान की गई गतिविधियों की एम.सी. ने समीक्षा नहीं की, जिसका अनुबंध पर कोई नकरात्मक ठोस असर होता।
- इसके अतिरिक्त, डी.जी.एच ने 14 नवम्बर 2006 को परिचालक/लाइसेन्सी को सूचित किया था कि 430.17 वर्ग.कि.मी. क्षेत्र के अलावा उत्तरी मूल्यांकन क्षेत्र था, बाकि क्षेत्र (2453.83 वर्ग.कि.मी.) 15 नवम्बर 2006 में छोड़ा हुआ माना जाये।

हम सहमत नहीं हैं। डी.जी.एच. के 14 नवम्बर 2006 संप्रेषण के बावजूद 1574.33 वर्ग कि.मी. क्षेत्र ठेकेदार के पास 7 नवम्बर 2007 तक रहा, जब क्षेत्र छोड़ा हुआ माना गया था।

5.2.2 मूल्यांकन अवधि का छः माह का विस्तार

- एम.ओ.पी.एन.जी ने जून 2002 में सात वर्ष की अन्वेषण अवधि का 36 माह से विस्तार किया, जून 2005 में दूसरा विस्तार 18 माह (15 मई 2005 से 14 नवम्बर 2006 तक) का उत्तरी मूल्यांकन क्षेत्र में (एन.ए.ए) भाग्यम और शक्ति खोजों के मूल्यांकन को पूरा करने के लिये किया।
- दिसंबर 2006 में, एन.ए.ए.³⁵ में मूल्यांकन कार्य पूरा करने हेतु परिचालक ने छः माह के विस्तार का आग्रह किया मूल्यांकन का कार्य तीन महीनों से ज्यादा अवधि के लिये राजस्थान में तीव्र बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ था। डी.जी.एच ने विस्तार की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि मूल्यांकन कार्य (जिसके लिए पहले 18 माह की विस्तार की माँग की गई थी और स्वीकृति भी दे दी गई थी) पहले ही पूर्ण हो चुका था। जबकि, मई 2007³⁶ में, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, 8 मई 2007 से शुरू, छः माह की विस्तार की स्वीकृति प्रदान की। दिलचस्प रूप से, 15 नवम्बर 2006 और 7 मई 2007 के बीच की छः माह की अवधि औपचारिक रूप से विस्तार में सम्मिलित नहीं की गई थी।

एम.ओ.पी.एन.जी ने अपने (जुलाई 2011) जवाब में कहा कि सरकार ने छः महीने का विस्तार (8 मई 2007) केर्न के सर्वेक्षण, अन्वेषण और खोज के संबंध में केर्न ट्रैक रिकार्ड तथा साथ में उत्तरी मूल्यांकन क्षेत्र अधिक खोजों के केर्न के विश्वास के कारण किया। जबकि, सच्चाई यह है कि ये विस्तार पी.एस.सी की शर्तों के बाहर था।

5.2.3 मूल्यांकन एवं विकास चरणों में नई खोजों द्वारा अन्वेषण गतिविधियों का अनियमित विस्तार

पी.एस.सी (आर.जे.ओ.एन-90/1) आर्टिकल 1 में परिभाषित है कि अन्वेषण गतिविधियाँ, अन्वेषण कुआं खोज, खोज क्षेत्र, मूल्यांकन कुआँ एवं विकास क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

³⁵ आवेदन 2453.83 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र के लिए था (एन.ए.ए. के तहत, 2884 वर्ग कि.मी. के मूल क्षेत्र में से खनन पट्टा के तहत, 430.17 वर्ग कि.मी. के एक क्षेत्र को छोड़कर)

³⁶ 879.50 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए।

सारणी 5.3 – आर.जे.ओ.एन-90/1 पी.एस.सी में मुख्य शर्तों की परिभाषा

| शर्त | परिभाषा |
|--------------------|--|
| अन्वेषण गतिविधियाँ | अनुबन्ध क्षेत्र में पैट्रोलियम की खोज के लिए होने वाली गतिविधियाँ और किसी खोज के मूल्यांकन के कार्यक्रम के दौरान और इसमें सम्मिलित होगा परन्तु सीमित नहीं समस्त कार्य आवश्यक रूप से संबंधित हो जोकि पैट्रोलियम की खोज के संबंध में होना है। |
| अन्वेषण कुआँ | किसी भूवैज्ञानिक क्षेत्र के अनखोजे पैट्रोलियम भण्डारों की खोज के उद्देश्य से खोदा जाने वाले एक कुआँ |
| खोज | पैट्रोलियम के भण्डार की खोज जिसके अस्तित्व की पहले कोई जानकारी नहीं थी जिसे सतह पर परम्परागत पैट्रोलियम उद्योग जाँच विधियों द्वारा नापे जा सकने योग्य बहाव के रूप में प्राप्त किया जा सके। |
| खोज क्षेत्र | अनुबन्ध क्षेत्र के अन्दर एक क्षेत्र जिसमें एक खोज हुई और जिसके संबंध में कि अनुबंधकर्ता का विचार था कि खोजे गए पैट्रोलियम भण्डारों की मात्रा अन्वेषण गतिविधियों के परिणामों के आधार पर बढ़ सकती थी। |
| मूल्यांकन कुआँ | एक कुआँ जो अनुबन्ध क्षेत्र में पैट्रोलियम की खोज की कार्य योजना के अंश के रूप में, पैट्रोलियम के भण्डारों की परत की मोटाई और पार्थिक विस्तार और विशिष्टताओं की जांच और पैट्रोलियम की प्राप्त होने योग्य मात्रा के निर्धारण के लिए खोदा गया। |
| विकास क्षेत्र | अनुबन्ध क्षेत्र के अन्दर एक क्षेत्र जिसमें एक या अधिक व्यावसायिक खोजें चाहे एक एकल भूवैज्ञानिक ढाँचे में हों या न हों (एक साधारण न्यामितीय आकार में अनुबंध क्षेत्र में संभाव्य पैट्रोलियम जमावों का अधिकतम क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए) जो कि ठेकेदार एक विकास योजना, जिसे अनुच्छेद 9 या 21.4 के अनुसार अनुमोदित किया गया था, के अनुरूप विकसित करना चाहता है। |

हमारे विचारानुसार, अन्वेषण एवं विकास अलग और क्रमित गतिविधियाँ हैं। अन्वेषण साफतौर से 'पैट्रोलियम की खोज' 'पैट्रोलियम की प्राप्ति' एवं विकास 'एक या अधिक वाणिज्यिक खोजों का विकास' है। इसके अतिरिक्त जबकि मूल्यांकन अवधि, अन्वेषण अवधि में पड़ती है, मूल्यांकन पैट्रोलियम भण्डारों, जिससे वर्तमान खोज संवर्धित है का चित्रण करना है। अतः इस प्रकार अन्वेषण से अलग होता है, जो (अन्वेषण) पैट्रोलियम की खोज है।

जबकि हमने पाया कि परिचालक ने अन्वेषण गतिविधियाँ शुरू की और खोज/विकास क्षेत्र में नई "खोजें" की जो कि निम्न सारणी में सारांशित की जा रही है:

सारणी 5.4 : अन्वेषण अवधि के बाद खोजें

| क्रम सं. | खोज का नाम | खोज तिथि | विकास (डीए) | क्षेत्र | टिप्पणियाँ |
|----------|------------|------------|-------------|---------|--|
| 1 | एन-1 | 18.05.2005 | डीए-2 | | अन्वेषण अवधि 14 मई 2005 को समाप्त हुई। क्रम संख्या 1 से 8 तक दर्शायी |
| 2 | जीएसवी | 04.07.2005 | डीए-1 | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|------------|-------|---|
| 3 | एन-सी-वेस्ट | 04.07.2005 | डीए-1 | |
| 4 | एन-।-नार्थ | 21.11.2005 | डीए-2 | |
| 5 | भाग्यम् साउथ | 03.12.2005 | डीए-2 | |
| 6 | एन-ई | 09.01.2006 | डीए-2 | |
| 7 | एन-पी | 06.04.2006 | डीए-2 | |
| 8 | शक्ति-एन.ई.-1 | 21.10.2006 | डीए-2 | |
| 9 | के-डब्ल्यू-2 | 21.11.2006 | डीए-3 | क्रम सं. 9 से 11 तक दर्शायी गई 3 खोजें 15 नवंबर 2006 से 7 मई 2007 के दौरान की गई अर्थात् 15 मई 2005 से 14 नवंबर 2006 तक के पहले मूल्यांकन अवधि के बीच और 8 मई 2007 से 7 नवंबर 2007 तक के दूसरे मूल्यांकन अवधि के बीच। |
| 10 | के-डब्ल्यू-3 | 13.12.2006 | डीए-3 | |
| 11 | सरस्वती-क्रैस्ट-1 | 05.05.2007 | डीए-2 | |
| 12 | के-डब्ल्यू-6 | 20.07.2007 | डीए-3 | यह खोज 8 मई 2007 से 7 नवंबर 2007 तक के दूसरे मूल्यांकन अवधि के दौरान की गई। |
| 13 | रागेश्वरी-ईस्ट-1जैड/तुकाराम | 24.11.2008 | डीए-2 | यह खोज विकास चरण के दौरान की गई। |

फलस्वरूप, हमारे विचार में मूल्यांकन/विकास क्षेत्रों में मूल्यांकन एवं विकास चरणों के दौरान नई खोजों की घोषणा अन्वेषण गतिविधियों का अनियमित विस्तार है, जो कि पी.एस.सी की शर्तों के अनुसार नहीं है। यह ये भी दर्शाता है कि खोज/विकास क्षेत्र का कड़ाई से वित्रण नहीं किया गया और ज्यादा क्षेत्र भी जोड़ा गया।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने अपने जुलाई 2011 के जवाब में कहा कि मूल्यांकन के जरिये एक वर्तमान खोज की पूल बांड़दरी के चित्रण के दौरा असाधारण मामले हो सकते हैं। एक नया पूल (खोज) खोजा जा सकता था। जो वर्तमान पुल के साथ हाड़झोड़ायनामिक निरंतरता में नहीं था।

हम एम.ओ.पी.एन.जी के विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि जैसाकि एम.ओ.पी.एम.जी ने बताया कि असाधारण स्थितियों में विद्यमान पूल/बांड़दरी चित्रण के दौरान में मूल्यांकन के द्वारा खोज होती है। जबकि तथ्य यह है कि आठ खोज पहले मूल्यांकन अवधि के दौरान, तीन खोज दो मूल्यांकन अविधियों के दौरान, हर एक दूसरी मूल्यांकन अवधि एवं विकास के दौरान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये खोजें असाधारण नहीं थीं यह खोजे विकास क्षेत्र की सख्त चित्रण की कमी और अन्वेषण गतिविधियों की अनियमित निरंतरता की पुष्टि करता है।

ऐग्जिट कानफ्रेंस (जुलाई 2011) के दौरान, परिचालक ने निम्नलिखित पहलू संकेतित किये:—

- विकास क्षेत्रों में आगे की अन्वेषण क्षमता है; संसाधन संभाव्य का वर्तमान आकलन 450 एम.एम.बी. बी.एल.एस वूसली योग्य था

- ब्लॉक में अन्वेषण जारी रखना पी.एस.सी के साथ संगत था और आयल फील्ड्स (रंगूलेशन और डेवलपमेंट) एक्ट, 1948 के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं और भारत में पूर्वोदाहरण भी विकास क्षेत्र³⁷ ने निरंतर अन्वेषण के ग्लोबल उदाहरण को दर्शाते हैं।
- अन्वेषण जारी रखना खंड की पूरी क्षमता को 300,000 बी.ओ.पी.डी के ऊपर प्राप्त करने के लिए, जरूरी था।

परिचालक के विकास क्षेत्रों में अन्वेषण जारी रखने के विचार से, (जोकि ऐंगिजिट कानफ्रेंस में प्रस्तुत किये गये), के सम्बंध में आयल फील्ड्स (रंगूलेशन एवं डिवेलपमेंट) एक्ट, 1948 अनुभाग 3(डी) के अनुसार खनन लीस मतलब एक पट्टा खनिज तेलों को खोजने, पाने, काम करने, प्राप्त करने, विक्रेय बनाने, ले जाने या बेचने या उससे जुड़े उद्देश्यों के लिये मंजूर किया जाता है, और इसमें खोज करने का या एक प्रत्याशित लाईसेन्स शामिल है।

जबकि, पी.एस.सी., पी.एन.जी नियम 1959 से कवर्ड है जो सरकार एवं लाईसेन्स के बीच लाईसेन्स अथवा लीज³⁸ की अतिरिक्त शर्तों के लिये करार का प्रावधान करता है। हम मानते हैं कि आयल फील्ड (रंगूलेशन एवं डेवलपमेंट) एक्ट, 1948 के और पी.एन.जी नियम 1959 के प्रावधानों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता और इन्हें पी.एस.सी की लैटर और स्प्रीट के बीच गठित किया जाना चाहिये जिसमें विभिन्न पैट्रालियम गतिविधियों के सुचालन को नियमित क्रम से करने का प्रावधान है। (अन्वेषण—मूल्यांकन—विकास—उत्पादन)

हम परिचालक के विचारों से अन्वेषण की निरंतरता से ब्लॉक के पूरी संभाव्य की प्राप्ति होगी को समझते हुये, यह मानते हैं कि अन्वेषण गतिविधियों का विस्तार पी.एस.सी प्रावधानों के बाहर जाता है। अतः भारत सरकार द्वारा ऐसे विस्तारों का अनुमोदन वर्तमान पी.एस.सी प्रावधानों से पूरे स्पष्ट वित्तीय मुआवजा, भारत सरकार एवं इसके सहभागियों के फायदे के लिये होना चाहिये।

5.3 खोज, वाणिज्यिकत खोज और विकास

5.3.1 खोज और संभावित वाणिज्यिकत प्रतिवेदन

पी.एस.सी. के अंतर्गत जब एक खोज, अनुबंध क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, तब ठेकेदार को :

- लाईसेंसी (ओ.एन.जी.सी.) और सरकार को खोज के बारे में सूचित करना चाहिए और खोज संबंधी विवरण 30 दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।
- खोज की संभावित वाणिज्यिकत हित निर्धारित करने हेतु, "तुरंत" परीक्षण करवाने चाहिए।
- परीक्षण पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर, प्रबंध समिति को एक प्रतिवेदन इस अधिसूचना के साथ प्रस्तुत करना चाहिए कि ठेकेदार के दृष्टिकोण में खोज, संभावित व्यावसायिक हित में है और मूल्यांकन योग्य है।

हमने पाया कि ठेकेदार ने निम्नलिखित के बारे में पी.एस.सी. प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया;

- 25 खोजों में से, 10 खोजों की सूचना खोज के 30 दिन के निर्धारित समय के अंदर नहीं दी गई, जिसमें 11 से 791 दिनों की देरी हुई।

³⁷ इण्डोनेशिया (ऑफसोअर एस.ई. सूमात्रा), नाईजिरिया (ब्लॉक ओ.एम.एल-61), यमन (ब्लॉक 18 मारिब अलजफ) और ब्लॉक 14 (मणिला देव), मलेशिया (पी.एम.-08 (इ.एक्स.ओ.एन) और ब्लॉक के)सरिया (डेयर.इज.जौर/जिनोबिया वैस्ट) और भारत (आर.जे.ओ.एन) 90/1 रावा.साकथ वैसन(मुन्बई ऑफसोअर) और लकवा (आसाम)

³⁸ पी.एन.जी नियम, 1959 के नियम 5

- 25 में से 13 खोजों में परीक्षण पूर्ण होने के 60 दिनों के निर्धारित समय के अंदर, संभावित वाणिज्यिकता प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई, जिसमें 2 से 329 दिनों की देरी हुई।

25 खोजों में हमने पाया कि :

- सभी 25 खोजों का परीक्षण संभावित वाणिज्यिक हित निर्धारित करने हेतु किया गया; जबकि 7 खोजों में किसी में भी मूल्यांकन कुएं की खुदाई नहीं की गई मूल्यांकन कुओं की कमी के बावजूद भी, सभी 7 मामलों में वाणिज्यिकता की सलाह प्रबंधन समिति को सौप दी गई (अर्थात् प्राथमिकता से बिना किसी मूल्यांकन कार्यक्रम के, केवल परीक्षण के आधार पर) जबकि, इन मामलों में से छः मामलों में डी.ओ.सी. घोषित नहीं किया गया। जवाब में, परिचालक ने कहा कि चूँकि यह खोजें वर्तमान विकास क्षेत्रों (डी.ए.-1 और डी.ए.-2) के अंतर्गत आती हैं, इसलिए अलग से डी.ओ.सी. की जरूरत नहीं थी।
- 22 मामलों में, प्रबंधन समिति को डी.ओ.सी. की सलाह दी गई परंतु केवल 10 डी.ओ.सी. ही औपचारिक रूप से अनुमोदित की गई। डी.ओ.सी. के अनुमोदन में 67 से 323 दिनों की देरी पाई गई।
- 10 मामलों में, अंतिम मूल्यांकन कुंए की खुदाई से भी पहले, प्रबंधन समिति को डी.ओ.सी. की सलाह दी गई और इन 10 मामलों में से 4 मामलों में अंतिम मूल्यांकन कुंए की खुदाई से पहले डी.ओ.सी. अनुमोदित की गई। परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि डी.ओ.सी. अनुमोदन अपूर्ण जानकारी पर आधारित थी।
- केवल 9 खोजों (डी.ए.-1 में 5³⁹, डी.ए.-2 में 1 और डी.ए.-3 में 3) के लिए क्षेत्र-विकास योजनायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 6 खोजों को अनुमोदन प्राप्त हुआ। डी.ए.-3 के लिए 3 खोजों की एफ.डी.पी. प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदन अभी होना बाकी है शेष 16 खोजों में, 1 खोज के लिए एफ.डी.पी. पर ओ.सी. का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित था जबकि शेष 15 खोजों, डी.ए.-1(9) तथा डी.ए.-2(6) के एफ.डी.पी. के साथ मिला दिया। यह 15 खोजें (जो जुलाई 1999 से नवम्बर 2008 के दौरान खोजी गई थी) विकास के लिए प्रतीक्षित हैं। जिनका विस्तृत विवरण अनुलग्नक 5.1 में दिया जा रहा है।

एम.ओ.पी.एन.जी ने जवाब में (जुलाई 2011) कहा कि:

- जहां तक 10 खोजों में देरी का संबंध है, इन खोजों की एम.सी. ने अभी तक समीक्षा नहीं की है; अतः इस सम्बन्ध में सूचना देने का प्रश्न ही नहीं है।
- जहां तक 15 खोजों (जो कि डी.ए.-1 और डी.ए.-2 में सम्मिलित हैं) और जिनका विकास अभी होना है के बारे में समयवधि लागू नहीं होती क्योंकि ये उस विकास क्षेत्र में हैं जिसके लिए एम.एल पहले ही दिया जा चुका है और जिसमें एम.सी. समीक्षित खोजों का विकास किया जा रहा है।

जबकि यह हमारे संज्ञान में है कि सभी खोजों को अलग-अलग रूप में विकसित नहीं किया जा सकता (क्योंकि एकाकी होने के आधार पर यह व्यवसायिक रूप में सक्षम नहीं होंगी), हम मंत्रालय के विचारों, जो कि मूल्यांकन/विकास क्षेत्रों पर समयवधि लागू होने से सम्बंधित हैं, से पैरा 5.2.3 में दिए गये कारणों के आधार पर, सहमत नहीं हैं।

³⁹ मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती और रागेश्वरी दीप गैस

5.3.2 वाणिज्यिक खोज की घोषणा:

पी.एस.सी के आर्टिकल 9.5 के अनुसार एम.सी.बिना किसी विलम्ब के, किसी भी घटना के 45 दिनों के भीतर जो कि आर्टिकल 9.4 में दी गई है, ठेकेदार के प्रस्ताव पर विचार करेगी और यदि आवशकता है तो अतिरिक्त सूचनाओं के लिए प्रार्थना करेगी। इस पर फैसला इनमें जो भी बाद में हो पर करेगी; (अ) आर्टिकल 9.4 में दिए गये नोटिस के 90 दिनों के भीतर या (ब) आर्टिकल 9.5 में मांगी गई सूचना की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर।

जबकि, हमने पाया कि एम.सी.ने निम्न खोजों के बारे में डी.ओ.सी देर से अनुमोदित की।

सारणी 5.5 : वाणिज्यिक खोजों की घोषणा में विलम्ब

| क्रम संख्या | खोज का नाम | खोज की तिथि | समीक्षा के लिए प्रबंधन समिति द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्तुत करने की तिथि | डी.ओ.सी. की तिथि | डी.ओ.सी. में देरी (दिन) |
|-------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | सरस्वती | 29.10.2001 | 11.05.2004 | 15.10.2004 | 67 |
| 2 | रागेश्वरी | 25.12.2002 | 11.05.2004 | 15.10.2004 | 67 |
| 3 | मंगला | 20.01.2004 | 11.05.2004 | 15.10.2004 | 67 |
| 4 | ऐश्वर्या | 05.03.2004 | 11.05.2004 | 15.10.2004 | 67 |
| 5 | राग दीप गैस | 25.12.2002 | 11.05.2004 | 15.10.2004 | 67 |
| 6 | भाग्यम् | 07.08.2004 | 08.02.2006 | 14.11.2006 | 189 |
| 7 | शक्ति | 18.04.2004 | 08.02.2006 | 14.11.2006 | 189 |
| 8 | के-डब्ल्यू-2 | 21.11.2006 | 06.11.2007 | 24.12.2008 | 323 |
| 9 | के-डब्ल्यू-3 | 13.12.2006 | 06.11.2007 | 24.12.2008 | 323 |
| 10 | के-डब्ल्यू-6 | 20.07.2007 | 06.11.2007 | 24.12.2008 | 323 |

एम.ओ.पी.एन.जी ने जवाब में कहा (जुलाई 2011) कि बहुत से मामलों में विलम्ब इस कारण से हुआ कि मांगी गई पूर्ण सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई। इसलिए डी.ओ.सी अनुमोदन सूचना प्राप्ति के 90 दिन/45 दिन के बाद हुआ।

हम सहमत नहीं हैं अतिरिक्त सूचना प्रस्तावित 90 दिन की समयावधि के बाद मांगी गई, दो खोजों के बारे में विवरण नहीं दिए गये, पैरा में दिए गये विलम्ब अधिकतम प्रस्तावित 90 दिनों के बाद के हैं।

5.3.3 क्षेत्र-विकास योजनायें

5.3.3.1 प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब

तीन विकास क्षेत्रों (डी.ए.-1, डी.ए.-2 और डी.ए.-3) की क्षेत्र विकास योजनायें प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की गई और समिति द्वारा अनुमोदित (डी.ए.-1, डी.ए.-2) की गई। हमने पाया कि एफ.डी.पी.ज़ के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में देरी हुई।

सारणी 5.6 : एफ.डी.पी.ज़ के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में देरी

| एफ.डी.पी. | एफ.डी.पी. प्रस्तुतीकरण में देरी | प्रबंधन समिति द्वारा एफ.डी.पी. अनुमोदन में देरी |
|--|---------------------------------|---|
| डी.ए.-1 क्षेत्र में, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती (एम.ए.आर.एस.) | 241 दिन | 58 दिन |
| भाग्यम् (डी.ए.-2 क्षेत्र) | कोई देरी नहीं | 69 दिन |
| शक्ति क्षेत्र (डी.ए.-2 क्षेत्र का हिस्सा) | ओ.सी. द्वारा अनुमोदित एफ. | ---- |

एम.ओ.पी.एन.जी ने जवाब में (जुलाई 2011) कहा कि बहुत से मामलों में विलम्ब इस करण से हुआ कि मांगी गई पूर्ण सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई। इस लिए एफ.डी.पी. अनुमोदन सूचना प्राप्ति के 90 दिन / 45 दिन के बाद हुआ। कोमश्वरी(डी.ए-3) की एफ.डी.पी अनुमोदन के सम्बंध में मंत्रालय ने कहा कि इसका मूल्यांकन हो गया है और प्रस्ताव एम.ओ.पी.एन.जी के पास है।

5.3.3.2 रागेश्वरी दीप गैस सहित मंगला के लिए संशोधित एफ.डी.पी.

मई 2006 में, प्रबंधन समिति द्वारा \$ 1241.61 मिलियन की लागत पर मंगला की मूल एफ.डी.पी. (रागेश्वरी दीप गैस सहित) अनुमोदित की गई। बारमेर से सालाया और बाद में भोगट तक सुपुर्दगी प्लाइट में परिवर्तन, जिसने पाइपलाइन बिछाने का कार्य अनिवार्य कर दिया था, के कारण, 20 मार्च 2009 को प्रबंधन समिति को एक संशोधित एफ.डी.पी. प्रस्तुत की गई। 30 जून 2009 को प्रबन्धन समिति ने संशोधित एफ.डी.पी. को अनुमोदित किया जिसकी कुल लागत यू.एस. \$ 3343.97 मिलियन (एफ.डी.पी. की संशोधित लागत यू.एस. \$ 2367.31 मिलियन + मंगला ई.ओ.आर. की लागत यू.एस. \$ 35.61) थी।

संशोधित एफ.डी.पी. में लागत वृद्धि के कारण थे— (i) 2006 के दौरान राजस्थान में बाढ़ (ii) पाइपलाइन और टर्मिनलों का देरी से अनुमोदन (iii) 2005 से 2007 के दौरान प्रतिप्रवाह पूँजी लागत सूचकांक में 98 प्रतिशत की वृद्धि (iv) वर्तमान ठेकों के आधार पर रिग डे दरों और अन्य वास्तविकों में वृद्धि (v) परियोजना अनुसूची में देरी (vi) ऊर्जा उत्पत्ति के लिए गैस से भाष में परिवर्तन (vii) उपकरण और सामानों में वृद्धि निर्माण शिविरों, अतिरिक्त सड़क कार्य, स्टील और सीमेंट की कीमतों में वृद्धि और संयंत्र पुर्नस्थापन के कारण खुदाई, स्थापना (नींव) और निर्माण लागतों में वृद्धि।

मूल और संशोधित एफ.डी.पी.ज (अनुमोदित) के लिए व्यक्तिगत लागत तत्वों की हमारे द्वारा की गई तुलना यह दर्शाती है कि लागतों में प्रमुख वृद्धि सतही-सुविधाओं (\$ 513.40 से \$1038.03 मिलियन), कुआँ निर्माण (\$ 433.08 से \$ 698.80 मिलियन) और परियोजना प्रबंधन (\$ 67.25 से \$167.52 मिलियन); के कारण थी; इनका विवरण अनुलग्नक 5.2 में दर्शाया गया है। यह पाइपलाइन की कीमत (\$ 941.05 मिलियन) के अतिरिक्त है।

उत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी ने (जुलाई 2011) कहा कि 2005 से 2007 कि अवधि में ई.एप्ड पी सर्विसिज में अत्याधिक वृद्धि हुई थी। और संशोधित मंगला एफ.डी.पी में अतिरिक्त सतही सुविधाएं तथा अतिरिक्त कार्य समिलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उत्पाद रेट 100,000 वैरल प्रतिदिन से 1,25,000 वैरल प्रतिदिन होने के कारण उत्पादन सुविधाओं में परिवर्तन किया गया।

संशोधित एफ.डी.पी के अधिकतर खर्च वर्ष 2008–09 में होंगे इसलिए सम्बंधित खर्चों की जांच अगामी वर्षों के लेखापरीक्षा में की जाएगी।

5.4 खरीद संबंधी मुद्दे

परिचालक ने स्वदेशी और विदेशी विक्रेताओं को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ठेके दिये। लेखापरीक्षा के दौरान उन 41 ठेकों की, जिनके एक मिलियन डॉलर से अधिक के भुगतान वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान किये गये, की समीक्षा की। यह निष्कर्ष रहा कि:

- तीन मामलों में, एकल वित्त बोली अथवा नामांकन के आधार पर दिये गये ठेकों के लिए यू.एस.\$ 89.45 मिलियन का भुगतान किया गया।

- एक मामले में, दरों की तर्कसंगति को आंके बिना ही दिये गये ठेकों के लिए यू.एस. \$ 1.94 मिलियन का भुगतान किया गया।
- दो मामलों में, आकार की मितव्ययता का लाभ लिये बिना ही ठेके संबंधी प्रावधानों के बाहर बढ़ाये गये ठेकों के लिए यू.एस. \$ 20.63 मिलियन का भुगतान किया गया।
इसका विवरण अनुलग्नक 5.3 में दिया गया है।

उत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी ने (जुलाई 2011) कहा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो भी रकम बताई जाएगी उसे कोस्ट रिकबरी से काट दिया जाएगा। इस सम्बंध में हम सिफारिश करते हैं कि एम.ओ.पी.एन.जी उपरलिखित अनुबन्ध के अवार्ड को वैलीडेट करे तथा यह सुनिश्चित करे कि सरकार का हित ध्यान में रखा गया था।

5.5 लागत वसूली

आर.जे.—ओ.एन.—90/1 ब्लॉक में तेल का उत्पादन केवल अगस्त 2009 में शुरू हो सका। अतः 2006–07 और 2007–08 में लागत वसूली शुरू नहीं हो सकी (वह दो वर्ष जिनके परिचालक के दस्तावेज जाँच किये गये)। 31 मार्च 2008 को, संचयी वसूली योग्य लागत \$ 1088.32 मिलियन आंकी गई जिसमें 2006 (कलैंडर वर्ष) और 2007–08 (15 माह) के दौरान \$ 215.91 मिलियन और \$ 401.56 मिलियन के खर्चे भी शामिल हैं। इस तरह, हमारी समीक्षा केवल 2006–08 के दौरान वसूली योग्य मदों की लागत की जाँच तक सीमित रही।

हमारे दृष्टिकोण से, निम्न मदों की लागत की लागत वसूली नहीं की जानी चाहिए:

सारणी 5.7 : लागत वसूली न किये जाने वाली मदें

| मद | राशि यू.एस. \$ | विवरण |
|--|-------------------|--|
| डी.ए.-1 विकास क्षेत्र में अन्वेषण लागतें | \$ 119.78 मिलियन | मूल्यांकन कुओं पर \$ 105.18 मिलियन का खर्च और डी.ए.-1 में कार्यविधियों और भूकम्पीय सर्वेक्षणों पर \$ 14.60 मिलियन का खर्च (जोकि प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे), की लागत वसूली नहीं की जानी थी। |
| एम.डब्ल्यू.पी. से बाहर अतिरिक्त कार्य जोकि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया | \$ 77.95 मिलियन | 16 खोदे गये कुओं पर \$ 46.41 मिलियन का अतिरिक्त कार्य तथा एम.डब्ल्यू.पी. से बाहर की गई भूकम्पीय कार्यविधियों पर \$ 31.54 मिलियन का खर्च, प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (अगस्त 2010)। |
| पहले से ही त्याग दिये गये क्षेत्र पर भूकम्पीय सर्वेक्षण | \$ 1.59 मिलियन | पहले से ही छोड़ दिये (अलग कर दिये) गये क्षेत्र पर भूकम्पीय सर्वेक्षण पर मई 14 2005 तक \$ 1.59 मिलियन का खर्च किया गया; यह लागत प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। |
| अन्वेषण काल के दौरान | \$ 2.22 | बढ़ाये गये अन्वेषण काल के दौरान, जुलाई 2007 में, प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कराये बिना, के |

| मद | राशि यू.एस. \$ | विवरण |
|--------------|-------------------|---|
| खोज पर खर्चा | मिलियन | डब्ल्यू-1(6) खोदे गये खोज कुएं पर \$ 2.22 मिलियन का खर्चा किया गया। डी.जी.एच. की आपत्ति के बावजूद, प्रबंधन समिति ने इसे नियमित कर दिया ताकि अन्य दो खोजों (के.डब्ल्यू-2 और के.डब्ल्यू-3) के साथ इसको भी विकसित किया जा सके। हमारे दृष्टिकोण से प्रबंधन समिति द्वारा नियमन, पी.एस.सी. प्रावधानों की तर्ज पर नहीं था। |

हमने पूर्व-विकास और विकास कार्यविधियों पर 2007–08 के लिए \$ 160.56 मिलियन के अनुमोदित बजट से \$ 27.63 मिलियन का अधिक खर्चा पाया, जोकि प्रबंधन समिति द्वारा मंजूर नहीं किया गया था।

एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा (जुलाई 2011) कि:

- वर्क प्रोग्राम में जो खर्चे प्रबंधन समिति द्वारा मंजूर नहीं किए गए हैं और लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई है उन खर्चों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अन्वेषण खर्चे जो अन्वेषण फेज के बाद किए गए थे लेखापरीक्षा के विचार तथा डी.जी.एच द्वारा लिए गए निर्णय एक ही तर्ज पर है।

इस विषय पर हम एम.ओ.पी.एन.जी का आश्वासन चाहते हैं।

अध्याय – 6 पन्ना–मुक्ता और मध्य व दक्षिण ताप्ती मैदानों के संबंध में निष्कर्ष

6.1 विहंगावलोकन

6.1.1 पी.एस.सीज के लिए पृष्ठभूमि

पन्ना–मुक्ता के मैदान (मुख्यतः एक तेलीय क्षेत्र) और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती के मैदान (एक गैसीय क्षेत्र) जोकि अपतटीय उथले पानी क्षेत्र है और जो अपतटीय बांधे बेसिन में स्थित हैं, प्रारम्भिक तौर पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा खोजे गए एवं संचालित किए गए। फरवरी 1994 में इनको एनरॉन तेल व गैस इण्डिया लिमिटेड (एनरॉन)⁴⁰ व आर.आई.एल. के एक संघ को एक उत्पादन सांझा व्यवस्था के अधीन विकास के लिए दिया गया। ओ.एन.जी.सी., एनरॉन और आर.आई.एल. ने क्रमशः 40, 30 एवं 30 प्रतिशत भाग लेने के हितों के साथ एक संयुक्त उद्यम (पी.एम.टी.जे.बी.) की रचना की और इन क्षेत्रों के लिए पी.एस.सीज का दिसम्बर 1994 में 25 सालों के लिए गठन करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। फरवरी 2002 में संयुक्त उद्यम में एनरॉन की 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी का ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन इण्डिया लिमिटेड (बी.जी.ई.पी.आई.एल.)⁴¹ द्वारा उपार्जन कर लिया गया।


पन्ना–मुक्ता–ताप्ती स्थिति मानचित्र

पी.एम.टी. संयुक्त उद्यम

⁴⁰ केमेन द्वीप में शामिल

⁴¹ केमेन द्वीप में भी शामिल

Panna – Mukta - Tapti location map



एन.ई.एल.पी. के अधीन पी.एस.सीज़ के लिए यथा विपरीत, पी.एम.टी. के लिए पी.एस.सीज़ के खास लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- परिशिष्ट जी में पी.एस.सीज़ के लिए विस्तृत विकास प्रतिबद्धताओं में पन्ना—मुक्ता के लिए 1996 तक (जुलाई 1993 को एक परियोजना की प्रारम्भिक तिथि मानकर) गतिविधि समय सीमा का संकेत मिलता है व दक्षिण ताप्ती के संबंध में, गतिविधि समय सीमा (जुलाई 1993 को एक परियोजना की प्रारम्भिक तिथि मानकर) 2010 तक बढ़ा दी गई, फिर भी, संचालनों व कम्प्रैसरों पर ड्रिलिंग के काम के अलावा दूसरी गतिविधियाँ 2005 तक पूरी करनी थी।
- पन्ना—मुक्ता के लिए और मध्य व दक्षिण ताप्ती के लिए (सी.आर.एल.एस.) की लागत वसूली सीमा क्रमशः 577.50 मीलियन डालर और 545 मीलियन यू.एस. डालर निर्धारित की गई।
- निवेश मल्टिप्ल को परिकल्पित आयकर दायित्व के साथ पश्च कर आधार पर 50 प्रतिशत कर दर के आधार पर निर्धारित कर परिकलित करना था। भारत सरकार का पैट्रोलियम के लाभ का हिस्सा आई.एम. के विभिन्न स्लैब्स के साथ निम्न प्रकार से हैं :

सारणी 6.1 : निवेश मल्टिप्ल—पन्ना—मुक्ता व ताप्ती के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी व ठेकेदार की हिस्सेदारी

| निवेश मल्टिपल (पश्च कर) | पन्ना—मुक्ता | | मिड और साऊथ ताप्ती | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | जी.ओ.आई. की हिस्सेदारी (प्रतिशत) | ठेकेदार की हिस्सेदारी (प्रतिशत) | जी.ओ.आई. की हिस्सेदारी (प्रतिशत) | ठेकेदार की हिस्सेदारी (प्रतिशत) |
| 2.0 से कम | 5 | 95 | 20 | 80 |
| 2 और 2.5 के बीच | 15 | 85 | 40 | 60 |
| 2.5 और 3 के बीच | 25 | 75 | 45 | 55 |
| 3 और 3.5 के बीच | 40 | 60 | | |
| 3.5 और उससे अधिक | 50 | 50 | 50 | 50 |

6.1.2 पन्ना—मुक्ता और ताप्ती क्षेत्र का विकास

पन्ना और मुक्ता क्षेत्र (अनंबंधित क्षेत्र 1207 स्क्वेयर कि.मी.) जिसने दिसम्बर 1994 में उत्पादन प्रारम्भ किया, दो हिस्सों में पी.एम.टी., संयुक्त उद्यम द्वारा विकासित किया गया :

- विकास की प्रारम्भिक योजना (आई.पी.ओ.डी.) 1995–99 के दौरान कार्यान्वित की गई। जबकि पी.एम.टी., जे.वी. ने विकसित कुँओं की ड्रिलिंग और संयुक्त संसाधन एवं परिवहन सुविधाओं के साथ तीन वेलहेड प्लेटफार्म⁴² लगाए; और
- नवम्बर 2004 और मार्च 2007 के बीच विकास की वृहत योजना (ई.पी.ओ.डी.) कार्यरत हुई, जबकि पी.एम.टी. जे.वी. ने पन्ना क्षेत्र और पाइपलाइन्स में दो वेलहेड प्लेटफार्म⁴³ लगाए।

मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र, जिन्होंने 1997–98 में उत्पादन शुरू किया, पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा दो भागों में विकसित किया गया था :

- विकास की प्रारम्भिक योजना 1995–97 के दौरान कार्यरत की गई, जिसमें पी.एम.टी., जे.वी. ने दक्षिण ताप्ती क्षेत्र और संयुक्त संसाधन और परिवहन सुविधाओं में तीन वेलहेड प्लेटफार्म⁴⁴ लगाए और
- विकास की नवीन संशोधित योजना (एन.आर.पी.ओ.डी.) मार्च 2005 और अगस्त 2007 में क्रियान्वित हुई, जिसमें पी.एम.टी. जे.वी. ने मध्य ताप्ती क्षेत्र और अतिरिक्त संयुक्त संसाधन और परिवहन सुविधाओं में एक वेलहेड प्लेटफार्म⁴⁵ लगाया।

अतिरिक्त रूप से, पी.एम.टी., जे.वी. ने अगस्त 2006 में दक्षिण ताप्ती क्षेत्र में प्लैटो उत्पादन बनाए रखने के लिए एक वेलहेड प्लैटफार्म⁴⁶ भी लगाया।

⁴² वेलहेड प्लेटफार्म पी.सी., पी.एफ. और पी.जी.

⁴³ वेलहेड प्लेटफार्म पी.एच., और पी.जे.

⁴⁴ वेलहेड प्लेटफार्म एस.टी.ए., एस.टी.बी. और एस.टी.सी.

⁴⁵ वेलहेड प्लेटफार्म एम.टी.ए.

⁴⁶ वेलहेड प्लेटफार्म एस.टी.डी.

6.1.3 वित्तीय और परिचालन निष्पादन

संचालन निष्पादन की तुलना (कच्चा तेल / संघनित और प्राकृतिक गैस की आवृत्ति उत्पादन के रूप में) वर्णित उत्पादन की रूपरेखा पी.एस.सी.ज़ के अनुसार साथ-साथ नीचे दी गई है :

सारणी 6.2 : पन्ना-मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों के परिचालन निष्पादन

| क्षेत्र | कच्चा तेल / संघनित (मिलियन एम.टी.) | गैस (मिलियन क्यूबिक मीटरस) | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| | | वास्तविक मार्च 2011 तक | वर्णित उत्पादन की रूप रेखा (पी.एस.सी. के अनुसार) 2019 तक |
| पन्ना-मुक्ता | 19.87 | 19.13 | 10170 |
| मिड और साऊथ ताप्ती | 13.314# | 14.69# | 31389 |

ताप्ती से संघनित उत्पादित संघनित एम.एम.बी.बी.एल.

पन्ना-मुक्ता और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों के संबंध में 2000–01 से 2008–09 तक भारत सरकार, ओ.एन.जी.सी. और निजी पार्टियों के बीच पेट्रोलियम के लाभ की हिस्सेदारी का सारांश निम्न प्रकार से है :

सारणी 6.3 : पन्ना-मुक्ता क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम लाभ

| वर्ष | निवेश मल्टिपल | पेट्रोलियम लाभ (पी.पी.) यू.एस. मिलियन | | | |
|---------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | प्राईवेट ठेकेदार को लाभ को हिस्सा | ओ.एन.जी.सी के लाभ का हिस्सा | जी.ओ.आई. का लाभ का हिस्सा | ओ.एन.जी.सी. + जी.ओ.आई. का लाभ का हिस्सा |
| 2001–01 | 1.03 | 68 | 46 | 6 | 52 |
| 2001–02 | 1.23 | 125 | 84 | 11 | 95 |
| 2002–03 | 1.48 (1.65) | 160 (204) | 106 (136) | 14 (18) | 120 (154) |
| 2003–04 | 1.73 (1.93) | 171 (182) | 114 (121) | 15 (16) | 129 (137) |
| 2004–05 | 1.88 (2.13) | 217 (235) | 144 (156) | 19 (21) | 163 (177) |
| 2005–06 | 1.92 (2.11) | 297 (277) | 198 (185) | 26 (81) | 224 (266) |
| 2006–07 | 2.05 (2.18) | 428 (395) | 285 (263) | 38 (116) | 323 (379) |
| 2007–08 | 2.14 | 529 | 352 | 155 | 507 |
| 2008–09 | 2.06 | 400 | 266 | 118 | 384 |

सारणी 6.4 : सध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों के प्रति पेट्रोलियम लाभ

| वर्ष | निवेश मल्टिपल | पेट्रोलियम लाभ (पी.पी.) यू.एस. \$ मिलियन | | | |
|---------|---------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | निजी ठेकेदारों की पी.पी. | ओ.एन.जी.सी. की पी.पी. | जी.ओ.आई. की पी.पी. | जी.ओ.आई. + ओ.एन.जी.सी. की पी.पी. |
| 2001–01 | 1.21 | 79 | 53 | 33 | 86 |
| 2001–02 | 1.38 | 77 | 51 | 32 | 83 |
| 2002–03 | 1.58 | 84 | 56 | 35 | 91 |
| 2003–04 | 1.73 | 77 | 51 | 32 | 83 |
| 2004–05 | 1.66 (1.77) | 72 | 48 | 30 | 78 |
| 2005–06 | 1.67 (1.76) | 84 | 56 | 35 | 91 |
| 2006–07 | 1.24 (1.46) | 5 | 3 | 2 | 5 |

| | | | | | |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2007–08 | 1.32 | 192 | 128 | 80 | 208 |
| 2008–09 | 1.63 | 402 | 268 | 168 | 436 |

टिप्पणी : आई.एम. और पी.पी. के अंक जो एम.ओ.पी.एन.जी. (लेखापरीक्षा के अपवादों के प्रभाव को मानने के बाद) के द्वारा दर्शाये गये हैं, कोष्टक में दिये गये हैं; कोष्टक के बाहर दिए गए आई.एम. और पी.पी. के अंक पी.एम.टी., जे.वी. द्वारा दिए गए परिकलन हैं।

2004–05 में पन्ना-मुक्ता क्षेत्र के संबंध में आई.एम. 2.0 को पार कर गया (एम.ओ.पी.एन.जी.ज़ के परिकलन के अनुसार) और द्वितीय स्लैब की ओर अग्रेषित हुआ (जी.ओ.आई. हिस्सेदारी 5 से 15 प्रतिशत ऊपर की ओर बढ़ते हुए) जबकि मध्य एवं दक्षिण तात्त्वि क्षेत्र के संबंध में आई.एम. अभी भी निम्न स्लैब में है (2.0 से नीचे जी.ओ.आई. हिस्सेदारी की 20 प्रतिशत के साथ) मार्च 2008 तक पी.एस. सी. के 13 वर्षों से भी अधिक के संचालन सहित, आई.एम. अभी भी प्रथम व द्वितीय स्लैब के भीतर है। हमारे विचार में, आई.एम. की सम्भाविता 3.5 की ओर बढ़ रही है जोकि बचे हुए अनुबंध समयावधि से दूरस्थ है, यह पुनः आई.एम. की उपयुक्तता के स्लैब पर आधारित पेट्रोलियम लाभ की हिस्सेदारी का प्रश्न उठाता है।

6.2 रायल्टी

6.2.1 अनुबंधित प्रावधान

रायल्टी क्रूड/कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के वेलहेड मूल्य के आधार पर देय होता है।

- एन.ई.एल.पी., पी.एस.सी.ज़ के अधीन—गैस के वेलहेड के 10 प्रतिशत दर पर और ऑनलेण्ड क्षेत्र के लिए कच्चे तेल के 12.5 प्रतिशत दर पर और 10 प्रतिशत समुद्रतल के पास के क्षेत्रों के लिये पुनः गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिये रायल्टी पहले सात वर्षों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत लागू दरें हैं।
- खोजी क्षेत्रों/पूर्व—नैल्य खोजबीन ब्लॉकों के लिए पी.एस.जी. के अधीन—रूपये 481 /एम.टी. की दर पर कच्चे तेल के लिये और 10 प्रतिशत गैस के वेलहेड मूल्य के लिये।

वेलहेड कीमत यानि वेलहेड पर कीमत बिक्री कीमत का परिकलन पिछड़े फैशन (यानि सुपुर्दगी बिन्दु पर कीमत) सुपुर्दगी बिन्दु तक वेलहेड के खर्चों को घटाकर किया जाता है। उन खर्चों में किसी तरह की बढ़ोतरी और परिणामस्वरूप रायल्टी और इसके विपरीत वेलहेड मूल्य को कम करती है।



6.2.2 रॉयल्टी के उद्देश्य से गैस की वेलहेड कीमत का निर्धारण करने के लिए मानक को अंतिम रूप देने में देरी

एम.ओ.पी.एन.जी ने मार्च 2003 में कच्चे तेल के वेलहेड की कीमत को निर्धारित करने के लिए मानकों का निर्णय लिया जिसने पूर्वव्यापी रूप से अप्रैल 1998 से आगे की समयावधि पूरी की और उन मानकों के अनुसार रॉयल्टी के लिए समन्वय की शर्तें रखी। 'वेलहेड पर मूल्य' की परिभाषा की अनुपस्थिति में पी.एस.सी.ज़ की प्रत्येक पार्टी ने विभिन्न लागत तत्व को गिनकर "वेलहेड मूल्य" निकाला जैसे कि संसाधन एवं परिवहन व्यय, संसाधन एवं परिवहन का संचालित मूल्य, प्रक्रिया व यातायात निवेश के परिशोधन लगाई गई पूँजी का ब्याज, गैस पर रॉयल्टी इत्यादि।

प्रान्त वेलहेड मूल्यों को निर्धारित करने के मानकों को एम.ओ.पी.ए.जी. ने अगस्त 2007 में अधिसूचित किया, जबकि प्राकृतिक गैस पी.एस.सी.ज़ द्वारा 1997–98 से पहले ही पैदा किया जा रहा था। इस अधिसूचना के अनुसार पश्च वेलहेड लागत वास्तविक वेलहेड व्यय जो पिछले वर्षों के परिष्कित लेखों में रिपोर्ट की गई थी, पर आधारित निर्धारित होनी थी। पुनः तेल उद्योग विकास सैस, अवमूल्यन खर्च, आय-कर, उस पर सरचार्ज, शिक्षा सैस और पेट्रोलयम लाभ को पश्च वेलहेड मूल्यों के अनुसार अनुमत नहीं की गई थी।

रायल्टी के प्रकृति के सरकारी टेक को बैठाते हुए, वेलहेड मूल्य का परिकलन करने के लिए पश्च वेलहेड लागत के घटक की निश्चय करने में इससे देरी में पश्च वेलहेड लागत के परिकलन के लिए विभिन्न प्रथाओं का अनुसरण करने के लिए विभिन्न पी.एस.सी. परिचालकों को अनुमत किया।

कच्चे तेल के वेलहेड कीमत के मानकों के लिए मार्च 2003 की अधिसूचना के मामले के विपरीत असमान, पश्च वेलहेड लागत के लिए अगस्त 2007 के मानक, उत्पादन आरम्भ होने की दिनांक से प्रभावशाली नहीं हुए। (जबकि पन्ना-मुक्ता और मध्य व दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से गैस उत्पादन क्रमशः जून 1997 व जुलाई 1998 में हुआ)

हमारे विचार से प्रान्त उदगम कीमतों के मानकों के अन्तिम रूप से निर्णयधीन मानकर जी.ओ.आई. को इन क्षेत्रों से मिली रॉयल्टी अदायगी को अस्थाई मान लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर 1997/98 में गैस उत्पादन के प्रारम्भ को अस्थाई न माना जाए (जबकि एम.ओ.पी.जी./डी.जी.एच. को दी गई रॉयल्टी कथनों में गणना की विधियाँ/तरीके परिवर्तित किए हुए थे और यह परिणाम इसी समय से चिह्नित किया जा सकता है) तब भी जी.ओ.आई. को कम से कम जनवरी 2002 से रॉयल्टी अदायगी को अस्थाई मान लेना चाहिए, जब एम.ओ.पी.एन.जी. के सुझाव/विचार के लिए डी.जी.एच. ने समस्याओं को प्रकाश में लाया।

रॉयल्टी के जारी करने के तीव्र कार्यवाही करने के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. की असफलता के कारण, जी.ओ.आई. को रॉयल्टी के आधार पर एक भारी हानि उठानी पड़ी :

- सरकार की रॉयल्टी के यू.एस. डॉलर 4.30 मीलियन के परिणामी हानि के फलस्वरूप, अप्रैल 2006 से जुलाई 2007 की समयावधि के दौरान यू.एस. डॉलर 42.96 मीलियन के पूँजी खर्च के संशोधन को प्रान्त उदगम मूल्य मान लिया गया था, जबकि अगस्त 2007 के बाद की जी.ओ.आई. की अधिसूचना के अनुसार यह एक प्रान्त उदगम मूल्य के मद के रूप में मान्य नहीं था।
- अप्रैल 1997 से मार्च 2006 की अवधि की हानि को विवरण की अनुपस्थिति में मापा नहीं जा सकता।

जवाब में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा (जुलाई 2011) कि रॉयल्टी की अधिसूचना पी.एस.सी.जे की निष्पादन लेखापरीक्षा में नहीं आना चाहिए, जबकि यह तेल क्षेत्र (नियम व विकास) अधिनियम 1948 के अधीन जारी हुआ था और संसद में पेश किया गया था। हम पी.एस.सी.जे के तहत जी.ओ.आई. के हिस्से में आई. रॉयल्टी की गणना के आलोचनात्मक होने से सहमत नहीं है।

इसके आगे, पी.एन.जी. मंत्रालय ने रॉयल्टी अधिसूचना को वर्णनुसार करते हुए कहा कि उद्गम मूल्य / कीमत एक सामान्य शब्दावली है जिसके निर्धारण के लिए कोई नियम नहीं है। सरलता पाने और संशोधन के आँकने की जटिलता को दूर करने हेतु कुछ मदों को कुंआँ खुदाई उपरान्त के खर्चों के रूप में मना कर दिया गया और इस तरह प्रणाली को और अधिक सरल करने हेतु एक अभ्यास जारी था।

उद्गम उपरान्त खर्चों से उठने वाले विवाद और कार्य प्रणाली सुझाने हेतु पी.एन.जी. मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति और पी.एन.जी. मंत्रालय के दावे कि उद्गम कीमत एक सामान्य शब्दावली थी जिसे निर्धारण नियम की जरूरत नहीं थी, को गलत साबित करती है। इसमें आगे अगस्त 2007 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी संचालकों के द्वारा कई विवाद उठाए गये।

उद्गम उपरान्त खर्चों की गणना की प्रणाली को सरल/स्पष्ट करने तथा उसमें शामिल अस्पष्टता को दूर करने के लिये पी.एन.जी. मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयासों के प्रतीक्षित प्रतिक्रिया हैं।

प्राकृतिक गैस के उद्गम मूल्य की गणना में कमियों की विस्तृत उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकरण में एम.ओ.पी.एन.जी. ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकृत कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही के लिए मान लिया है।

सारणी 6.5 : प्राकृतिक गैस के वेलहेड मूल्य की गणना में ध्यान में लाई गई कमियाँ

| यातायात से पहले का प्रसंस्करण | लेखापरीक्षा उपलब्धि | पुनः कार्यवाही |
|--------------------------------|---|---|
| यातायात से पहले की संसाधन लागत | <ul style="list-style-type: none"> एम.ओ.पी.एन.जी. ने स्पष्ट (अप्रैल 2008) किया कि यातायात के उद्गम उपरान्त से लेकर सुपुर्दगी स्थल की कीमत ही केवल उद्गम उपरान्त बुनियादी ढाँचे का संचालित खर्च के रूप में मान्य थी और संसाधन मूल्य जो यातायात से पहले लगाया गया, का वेलहेड उपरान्त मूल्य नहीं मान्य था। फिर भी पी.एम.टी., जे.वी. ने गलत से यातायात से पहले के संसाधन मूल्य को उद्गम उपरान्त मूल्य माना रॉयल्टी की परिणामी कम अदायगी को यातायात संसाधन मूल्य पूर्व व यातायात मूल्य⁴⁷ के बीच के अन्तराल की अनुपस्थिति के कारण हम नहीं | <ul style="list-style-type: none"> एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा (जुलाई 2011) कि माँग सूचना को उठाने के लिये पन्ना—मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों में रॉयल्टी के अंतर को आंका गया। साथ ही इन दो पी.एस.सी.जे को (ओ.एन.जी.सी. को हटाकर) इस मुद्दे को जारी रखने की पद्धतियों का मूल्यांकन किया गया इस मामले को संभालने के लिए मोडेलिटज को निकाला जा रहा था। |

⁴⁷ विरोध में रवा पी.एस.सी.जे के बारे में संसाधन लागत को अवधारण और रायल्टी के भुगतान के लिए पश्च वेलहेड से सही तरह से अपवर्जित किया गया था।

| यातायात से पहले का प्रसंस्करण | लेखापरीक्षा उपलब्धि | पुनः कार्यवाही |
|---|---|---|
| कैपेक्स का संशोधन जो कि भंडार के ग्रेड बढ़ाने पर आधारित नहीं था | आँक सकते। | <ul style="list-style-type: none"> पी.एम.टी. जे.वी. ने उच्चग्रेड भंडार के बजाय पी.एस.सी. भंडार को ध्यान में रखते हुए संशोधित दर के लिए आवेदन किया। (परिशिष्ट जी-7 में दिया गया है) इसके फलस्वरूप कैपेक्स का उच्च संशोधन, कम वेलहेड लागत और कम रायल्टी अदायगी। |
| पोस्ट वेल-हेड खर्चों के रूप में वेलहेड फ्लोलाइनों की लागत को शामिल करना | <ul style="list-style-type: none"> ओपेक्स को प्री-वेलहेड कैपेक्स के लिए पोस्ट वेलहेड कैपेक्स के अनुपात में पोस्ट वेलहेड एवं प्री-वेलहेड प्रचालन लागत के मध्य आबंटित किया गया था। यद्यपि, वेलहेड प्लेटफार्मों के कैपेक्स को अपवर्जित किया गया था फिर भी वेलहेड फ्लोलाइनों के कैपेक्स को एक वेलहेड से दूसरे वेलहेड प्लेटफार्मों तक गैस के ले जाने के लिए बिछाया गया था जिसे पोस्ट वेलहेड कैपेक्स की संगणना के लिए पी.ए.टी. जे.वी. द्वारा गिना गया था जिसके परिणामस्वरूप वेलहेड मूल्य का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामतः रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ। | <ul style="list-style-type: none"> हमारे विचारों से मंत्रालय (जुलाई 2011) सहमत हुआ और कहा कि अगस्त 2007 से पहले की अवधि के लिए लेखापरीक्षा अपवाद की मात्रात्मक भारत सरकार के हिस्से को प्रभावित करेगी। ऐसे परिमाणन, के अभाव में, जे.वी. को गलती के संशोधित करने और पंचाट कार्यवाहिकों के अध्यधीन रॉयल्टी के अन्तर भुगतान करने की सलाह दी जानी होगी। |
| मार्च 2007 को कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुविधाओं का गलत शामिल करना | <ul style="list-style-type: none"> ओपेक्स को वेलहेड सुविधाओं के मूल्य और पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित आँकड़ों की पोस्ट वेलहेड सुविधाओं के मूल्य के अनुपात के आधार पर वेलहेड लागत और पोस्ट वेलहेड लागत के मध्यम दो भागों में बाँटा गया था। हमारी राय में, मात्र वे सुविधाएँ जिनको चालू किया गया था और जिनका उपयोग प्राकृतिक गैस के उत्पादन और परिवहन के प्रयोजन के लिए किया गया था को इस अनुपात की गणना करते समय हिसाब में लिया जाना चाहिए। तथापि, जे.वी. ने उपर्युक्त | <ul style="list-style-type: none"> मंत्रालय हमारे विचार से सहमत हुआ (जुलाई 2011) और बताया कि आगामी अवधि से अगस्त 2007 तक के लिए, सुविधाओं की लागत पोस्ट वेलहेड लागत का भाग नहीं होगी। वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए 2007 की अधिसूचना की तारीख तक, लेखापरीक्षा द्वारा परिमाणन सरकार की ओर से सीधी कार्रवाई के लिए समर्थ होगा। ऐसे परिमाणन के अभाव में, जे.वी. को गलती के |

**पोस्ट वेलहेड
कार्यकलाप के रूप
में शामिल एस.सी.ए.
डी.ए. सुविधाओं की
अनुरक्षण लागत**

अनुपात की गणना के लिए मार्च 2007 की समाप्ति तक कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुविधाओं को नहीं गिना जो सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, ओपेक्स और अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक की अवधि के लिए ₹0.56 करोड़ तक (अमरीकी डॉलर 0.124 मिलियन) सरकार को रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ।

- जे.वी. ने वेलहेड मूल्य के अवधारण में वेलहेड कार्यकलाप के बजाए पोस्ट वेलहेड कार्यकलाप के रूप में वेलहेड प्लेटफार्म पर प्रतिष्ठापित एस.सी.ए.डी.ए.⁴⁸ सुविधा की अनुरक्षण लागतों को माना। इसके परिणामस्वरूप वेलहेड मूल्य का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामतः सरकार को रॉयल्टी का कम भुगतान हुआ।

संशोधित करने की सलाह दी जानी होगी और पंचाट कार्यवाहियों के अध्ययीन विभेदक रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। तथापि, हमारी राय में संशोधन को गैस उत्पादन (जून 1997/फरवरी 1998) के प्रारम्भ करने की तारीख से पीछे की तारीख तक बढ़ाना होगा, चूंकि समान कार्यप्रणाली को पी.एम.टी. जे.वी. अधिकार के माध्यम से अपनाया गया है।

6.3 कच्चा तेल एवं गैस बिक्री

6.3.1 पी.एम.टी. से गैस बिक्री की कीमत निर्धारित करना

पन्ना—मुक्ता और मिड एवं साऊथ ताप्ती के पी.एस.सी. में प्रथम डिलीवरी की तारीख अर्थात् पन्ना—मुक्ता के लिए जनवरी 1998 और मिड एवं साऊथ ताप्ती के लिए जून, 1997 से 7 वर्षों के पश्चात् उच्चतम कीमत को संशोधित करने के लिए ठेकेदार के विकल्प सहित अमरीकी डालर 2.11/एम.एम.बी.टी.यू. (मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट) और अमरीकी डालर 3.11/एम.एम.बी.टी.यू. की प्रारम्भिक और उच्चतम कीमतों सहित गैस बिक्री के लिए कीमत निर्धारण सूत्र का अनुबंध करता है।

- गैस कीमत अप्रैल 2000 में अमरीकी डालर 3.11/एम.एम.बी.टी.यू. की प्रारम्भिक उच्चतम कीमत तक पहुँच गई।
- वाणिज्यिक गैस उत्पादन को प्रारम्भ करने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि ताप्ती और पन्ना—मुक्ता ठेका क्षेत्रों के बारे में क्रमशः जून 2004 और फरवरी 2005 में समाप्त हुई। परिणामतः पी.एम.टी. जे.वी. ने ताप्ती के लिए अमरीकी डालर 5.57/एम.एम.बी.टी.यू. और पन्ना—मुक्ता के लिए अमरीकी डॉलर 5.73/एम.एम.बी.टी.यू. तक उच्चतर मूल्य संशोधित करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया।

⁴⁸ पर्यवेक्षीय नियंत्रण और डॉटा प्राप्ति

- गैस कीमतें जून 2004 और अप्रैल 2005 के मध्य चरणबद्ध रूप से इन संशोधित उच्चतर कीमतों तक पहुँची।

तथापि, गेल जिसे समस्त गैस उत्पादन क्रय करने के लिए एम.एम.बी.टी.यू. द्वारा नामित किया गया था ने संशोधित गैस कीमतों⁴⁹ को मानने से मनाकर दिया और मार्च 2005 तक अमरीकी डॉलर 3.11/एम.एम.बी.टी.यू. के पूर्व उच्चतर गैस कीमत पर भुगतान करना जारी रखा। आगामी विषयों के कालक्रम को नीचे सारांशीकृत किया गया है :

- नवम्बर 2004 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने एक वर्ष के लिए अमरीकी डॉलर 3.86/एम.एम.बी.टी.यू. पर गेल को 6 एम.एम.एस.सी.एम.डी.⁵⁰ (10.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के कुल गैस उत्पादन में से) आपूर्ति के लिए पी.ए.टी., जे.वी. को निदेश दिए और अमरीकी डॉलर 3.11/एम.एम.बी.टी.यू. की अपेक्षा उच्चतर कीमत पर अथवा ऐसी कीमत जिसका गेल द्वारा प्रस्ताव दिया जाए पर सीधे गैस बाजार से खरीदने की पी.ए.टी., जे.वी. को अनुमति दी। जे.वी. ने मार्च 2008 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अमरीकी डॉलर 3.96/एम.एम.बी.टी.यू. पर शेष 4.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के लिए निजी ग्राहकों के साथ ठेके किए।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पी.एम.टी. गैस की आपूर्ति के विवेचनात्मक रूप से मद्देनजर एम.ओ.पी.एन.जी. ने मार्च 2006 में इसके निर्णय का पुनः निर्धारण किया। एम.ओ.पी.एन.जी. के निदेशों के आधार पर, पी.एम.टी., जे.वी. मार्च 2008 तक 2 वर्षों के लिए अमरीकी डॉलर 4.75/एम.एम.बी.टी.यू. के "मार्केट-ड्राइवेन" कीमत पर गेल को 4.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. (निजी ग्राहकों को, पहले से वर्चनबद्ध) की मात्रा के आधिक्य में सारी गैस मुहैया कराने के लिए सहमत हुआ। पी.एम.टी. के चरण-II विकास से अतिरिक्त गैस के बारे में, भारत सरकार ने निर्णय दिया कि एक अलग से बैठक उचित समय पर आयोजित की जाएगी। तथापि, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई।
- चरण-II के विकास से, उत्पादन 2007 में 16.69 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक बढ़ गया। तथापि, जे.वी. ने अपने साझेदारी हित के अनुसार जे.वी. भागीदारों द्वारा शेयर की जाने वाली उत्पादित अतिरिक्त गैस सहित 5.3 एम.एम.एस.सी.एम.डी. पर उसकी गैस आपूर्ति को सीमित कर दिया और विभिन्न कीमतों⁵¹ पर बेचा।
- नवम्बर 2007 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने निजी ग्राहकों के लिए पी.एम.टी. गैस की बिक्री की स्थिति की समीक्षा की। इसके निदेशों का अनुपालन न करने पर डी.जी.एच. को इसकी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए एम.ओ.पी.एन.जी. ने 4.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से अधिक सीधे विपणन के लिए पी.एम.टी. जे.वी. को निर्देश दिए। इसने मार्च 2008 में ठेकों की समाप्ति के पश्चात् पी.एस.सी. कीमतों एवं शर्तों पर गेल को अतिरिक्त गैस के साथ-साथ निजी ग्राहकों को अब तक दिए गए ठेकों में 4.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस उपलब्ध कराने के लिए पी.एम.टी., जे.वी. को भी निर्देश दिए। परिणामतः अप्रैल 2008 से, सारी गैस को पी.एस.सी. कीमतों पर गेल को, बेचा जा रहा था।

⁴⁹ इस आधार पर कि इसकी गैस को प्राथमिक क्षेत्र-विद्युत एवं उर्वरक संयंत्रों को आबंटित किया था जो संशोधित गैस कीमतों को लेने में समर्थ नहीं हो सकते क्योंकि उनकी आऊटपुट कीमत नियमित थी।

⁵⁰ अप्रैल और मार्च 2005 के दौरान, गेल ने 6 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की सहमत मात्रा के प्रति मात्र 1.5 से 2 तक एम.एम.एस.सी.एम.डी. को उठाया। पी.ए.टी., जे.वी. को ताप्ती कुँओं को बन्द करना पड़ा था, क्योंकि इसने गेल के लिए वर्चनबद्ध मात्राओं के लिए अन्य क्रेताओं के साथ ठेके नहीं किए थे।

⁵¹ आर.आई.एल. की अमरीकी डॉलर 5.58/एम.एम.बी.टी.यू. पर इसकी समूह कंपनियों को बिक्री, अमरीकी डॉलर 4.60/एम.एम.बी.टी.यू. और ओ.एन.जी.सी. की अमरीकी डॉलर 4.75/एम.एम.बी.टी.यू. पर क्रमशः राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और टोरेन्ट पावर जेनरेशन लिमिटेड को बिक्री।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि जे.वी. द्वारा माँगी गई उच्चतर कीमत ओ.एन.जी.सी. की ए.पी.एम. गैस कीमत को प्रभावित करेगी और यदि भारत सरकार ने पी.एस.सी. कीमतों पर गैस की बिक्री करने का चयन किया होता तो इसका मतलब होगा कि या तो उर्वरक और विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उच्चतर कीमत की आर्थिक सहायता होती अथवा उसे ग्राहकों द्वारा अदा किया जाना होता जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर जनित्र लागत पर उच्चतर यूरिया लागत आती।

यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एम.ओ.पी.एन.जी. और इसके नामिती (गेल) पूर्व-अवधारित कीमत निर्धारण सूत्र के संबंध में 2005–08 के दौरान पी.एस.सी. की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा। पी.एस.सी. सूत्र को न मानने से ठेका की पुनीतता पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा (जिसका अनुरक्षण सभी दलों द्वारा किया जाना है) जो सभी ठेकागत दलों के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से अधिक अवांछनीय है।

6.3.2 परिवहन के दौरान संघनित हानि

पी.एम.टी. गैस का परिवहन और संसाधन इसकी साऊथ बेसिन-हजीरा ट्रंक गैस पाइपलाइनों और इसकी हजीरा सुविधाओं के माध्यम से ओ.एन.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है और जिसे ओ.एन.जी.सी. और पी.एम.टी., जे.वी. के मध्य दिसम्बर 2005 के निपटान करार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथ ही, ओ.एन.जी.सी. निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार “डिलीवरी बिन्दु” पर मिड एवं साऊथ ताप्ती फिल्ड से उत्पादित सभी संघनित को खरीदने के लिए सहमत हुई :

- खरीदे गए/बेचे गए संघनित की मात्रा को ताप्ती संघनित परिवहन हानियों द्वारा कम करके ताप्ती ऑपशोर प्लेटफार्म पर मापा जाता है।
- ओ.एन.जी.सी. के हजीरा संयंत्र के लिए ताप्ती डिलीवरी बिन्दु से संघनित परिवहन हानियों का अवधारण ओ.एन.सी.सी. एवं पी.एम.टी., जे.वी. द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किए गए संघनित विशेषज्ञ द्वारा किया जाना था। ऐसी हानियों के बकाया अवधारण के बारे में, यह “शून्य” के रूप में अनन्तिम ताप्ती संघनित हानियों को मानने के लिए सहमत हुआ। मार्च 2010 को कोई भी संघनित विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया था।

मिड और साऊथ ताप्ती के लिए पी.एस.सी. संघनित के निरूपण पर मौन है

हमारी राय में, उपर्युक्त करार में गम्भीर कमियाँ हैं :

- आन्तरिक रूप से, ओ.एन.सी.सी. संघनित से परिवहन और संसाधन हानियों के रूप में 6 प्रतिशत मान रही थी। 2005 के आगे से ‘शून्य’ के रूप में ‘अनान्तिम’ हानियों के रूप में मानते हुए यह सूचित किया जाता है कि ऐसी किसी भी प्रकार की हानियों का होना ओ.एन.जी.सी. का नुकसान है।
- निपटान करार दोषपूर्ण है, जैसाकि सम्बद्ध सुविधाओं की उपयोग के लिए दरें (तेल एवं गैस परिवहन प्रणालियों सहित) पी.एस.सी. लेखाकरण क्रियाविधि की धारा 3.1.4 (सी) के अनुसार सरकार के साथ पृथक करार के अध्यधीन होगी।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि जे.वी. ने परिवहन हानियों के निर्धारण के लिए पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सूचीबद्ध कर दिया था। चूँकि कार्य क्षेत्र की संरचना के लिए विशेषज्ञ आन्तरिक रूप से उपलब्ध नहीं थे और इसे ओ.एन.जी.सी. द्वारा पहली बार किया जाना अपेक्षित था इसलिए विशेषज्ञ को नियुक्त करने में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ था। इसके आगे, जे.वी. और तेल एवं गैस पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.ओ.जी.पी.टी.) कार्य के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए

अनुरूपण मॉडल पर कार्य कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप तीसरे पक्षकार विशेषज्ञ द्वारा बकाया निर्धारण और हानियों की स्थापना, के लिए यह सहमत होने हेतु यह सही नहीं हो सकता कि अनन्तिम हानियों का निरूपण ओ.एन.जी.सी. के नुकसान के लिए था। हम एम.ओ.पी.एन.जी. के विचारों से सहमत नहीं होते हुए इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा करेंगे।

सम्बद्ध करने के प्रभारों पर भारत सरकार के करार के संबंध में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया कि संसाधन टैरिफ अर्थात् 'सुविधाओं की बढ़ी हुई लागत निकालने के लिए कार्यप्रणाली' को अनुच्छेद 13.1.3 (जी) परिशिष्ट-I के साथ पठित) में दर्शाया गया था। हम इससे सहमत नहीं हैं, हमारी राय में, पी.एस.सी. लेखाकरण क्रियाविधि की धारा 3.1.4(सी) के अनुसार, ऐसी दरें सरकार के साथ पृथक करार के अधीन होगी।

6.3.3 कच्चे तेल के बिक्री करार पर हस्ताक्षर न करना

पन्ना—मुक्ता के अनुच्छेद 19 में पी.एस.सी. ने समान स्वरूप के अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बिक्री करार में समाविष्ट सामान्यतः निबन्धन एवं शर्तों के अन्तर्गत पी.एम.टी. जे.वी. और आई.ओ.सी. (कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत सरकार के पदनामित मनोनयन) के बीच कच्चे तेल की बिक्री करार (सी.ओ.एस.ए.) के निरूपण की परिकल्पना की गई। तथापि, पी.एस.सी. के हस्ताक्षर करने के पश्चात् 16 वर्षों से अधिक के व्यतीत होने के बावजूद सी.ओ.एस.ए. को मानसून अवधि और पी.एम.टी., जे.वी. द्वारा पानी से मुक्त निःशुल्क कच्चे तेल की डिलीवरी के दौरान यात्रा खर्चों, डिलीवरी बिन्दु पर विवाद के न सुलझने के कारण मुख्यतः पक्षकारों के मध्य अभी कार्यान्वित किया जाना था।

मंत्रालय ने बताया कि सी.ओ.एस.ए. पर सी.ए.जी. के सुझावों की जाँच की जाएगी। उस मामले का उल्लेख 1996 और 2005⁵² के सी.ए.जी. के पहले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था। हम अनुरोध करते हैं कि शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पी.एस.सी. के समय का लगभग 2/3 कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है।

6.4 पन्ना—मुक्ता के संबंध में निष्कर्ष

6.4.1 विकास कार्य वचनबद्धताओं का पूरा न करना

पन्ना—मुक्ता के लिए पी.एस.सी. में अमरीकी डॉलर 577.5 मिलियन की लागत वसूली सीमा (सी.आर.एल) का उल्लेख किया गया था और 1996 तक पूरा किए जाने वाले पन्ना और मुक्ता क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से वचनबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा भी दर्शाया गया था। तथापि, जे.वी. ने मुक्ता क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण कार्य वचनबद्धताओं को पूरा नहीं किया था, जैसाकि नीचे सारांशीकृत किया गया है :

- एम.बी. जेकेट का निर्माण और प्रतिष्ठापन;
- एम.बी. डेक पैकेज का निर्माण (अथवा रीफरबिशमेन्ट) और प्रतिष्ठापन;
- एम.बी. से 6 दिशात्मक कुँओं का ड्रिलिंग;
- एम.बी.—एम.ए. वेलफ्लूड लाइन का बिछाना;
- पी.पी.ए.—एम.ए.—एम.बी. गैसलिफ्ट लाइन का बिछाना

परिणामतः मुक्ता क्षेत्र (जिसके पास 1000 एम.एम.बी.ओ.ई. से अधिक के 3पी रिजर्व्स हैं) बहुत अधिक से अविकसित रहा। मई 2007 तक पी.एम.टी., जे.वी. मात्र 14 एम.एम.ओ.बी.ई. का उत्पाद कर सका। परिणामतः, राजस्व के परिणामतः आस्थगन, आई.एम. पर एवं भारत सरकार पी.पी. पर प्रतिकूल प्रभाव और भारत सरकार को रॉयल्टी/उपकर के आस्थगन से गैस के 12 एम एम.बी.ओ.ई. और 32,484 एम.एम.एस.सी.एफ. के तेल एवं गैस उत्पादन⁵³ के उत्पादन का आस्थगन हुआ था।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि मुक्ता भुगतान क्षेत्र योजना बनाने के लिए भूकम्पीय रूप से कठिन थे और निष्पादन की पन्ना क्षेत्र के साथ तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि हम सहमत हैं कि मुक्ता क्षेत्र अत्यधिक जटिल है पी.एस.सी. में की गई कार्य वचनबद्धता को पी.एस.सी.—अनुबद्ध सीमा अवधि (1996) के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए था। एक दशक से अधिक समय बीत

⁵² 1996 की प्रतिवेदन सं. 5 (वाणिज्यिक) और 2005 की प्रतिवेदन सं. 6 (वाणिज्यिक)

⁵³ मुक्ता बी के लिए न्यूनतम सुविधा अध्ययन रिपोर्ट (सितम्बर 2006) के लिए बी.जी.ई.पी.आई.एल. द्वारा अपनाई गई डिजाइन फलों दरों के आधार पर।

जाने के पश्चात् भी जे.वी., पी.एस.सी के परिशिष्ट जी के अन्तर्गत वचनबद्ध किए गए बहुत से विकास कार्यकलापों को पूरा नहीं कर पाया था।

पन्ना क्षेत्र के बारे में, पी.एम.टी., जे.वी. ने पी.एस.सी. के अनुसार वचनबद्ध विकास कार्य में दर्शाए गए पी.डी. प्लेटफार्म से, दो कुँओं के बजाए पी.डी. प्लेटफार्म से 2005 में ड्रिल किए गए दो इनफिल कुँओं को प्रतिस्थापित किया, इस प्रतिस्थापन का अनुमोदन डी.जी.एच. द्वारा अक्टूबर 2007 में किया गया था। तथापि, इनफिल कुँओं के ड्रिलिंग के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय (मई 2003), एम.सी. ने पुष्टि की थी कि पन्ना इनफिल कुँओं के ड्रिलिंग पी.एस.सी. के आई.पी.ओ.डी. और परिशिष्ट जी से अलग था।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि विकास भाषा—शैली में, इनफिल और विकास कुँए समान थे। हम सहमत नहीं हैं, चूँकि इस संबंध में एम.सी. की पुष्टि प्रतिकूल थी।

6.4.2 लागत वसूली

अमरीकी डालर 577.5 मिलियन की लागत वसूली सीमा (सी.आर.एल.) के प्रति,

- वचनबद्ध कार्यों पर वसूल की गई लागत सितम्बर 2007 को अमरीकी डालर 420 मिलियन थी, पी.एम.टी. जे.वी. ने अनुमान लगाया था कि शेष वचनबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए अमरीकी डालर 208 मिलियन से अमरीकी डॉलर 233 मिलियन (औसत 220 मिलियन) का व्यय अतिरिक्त रूप से अपेक्षित⁵⁴ होगा।
- अमरीकी डॉलर 220 मिलियन की अनुमानित लागत को कम करने के पश्चात् डी.जी.एच. ने 2002–03 से 2004–05 की अवधि के लिए अमरीकी डालर 6.219 मिलियन के भारत सरकार पी.पी. के कम प्रेषण सहित अमरीकी डॉलर 62.5 मिलियन की अधिक लागत वसूली का अवधारण किया। एम.ओ.पी.एन.जी. ने अधिक लागत वसूली को वापिस करने के और अतिरिक्त पी.पी. भारत सरकार को भेजने के निदेश जारी किए (दिसम्बर 2008)।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि सी.आर.एल. के आधिक्य में लागत की वापिसी नेशनल तेल कम्पनियों (अर्थात् आई.ओ.सी./गेल) के माध्यम से प्रभावित हुआ था। हमने मंत्रालय के उत्तर को नोट कर लिया है।

6.4.3 अधिक व्यय उदाहरण

अधिक व्यय के अन्य उदाहरण, भारत सरकार की वित्तीय प्राप्ति के लिए निहितार्थ सहित लागतों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हुए अधिप्राप्ति में कमियों को नीचे सारांशीकृत किया गया है :

| मद | संक्षिप्त व्यौरा |
|-----------------------------------|---|
| भूकम्पीय डॉलर की प्राप्ति पर व्यय | अमरीकी डॉलर 9.36 मिलियन (आनुपातिक आधार पर संगणित) की अतिरिक्त लागत पर पन्ना क्षेत्र के लगभग 250 वर्ग कि.मी. को कवर करते हुए पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा भूकम्पीय डॉलर की प्राप्ति अनियमित थी क्योंकि डॉलर प्राप्ति के लिए जुलाई 2007 का एम.सी. अनुमोदन केवल मुक्ता क्षेत्र के लिए था। |
| ई.पी.ओ.डी. परियोजना | ई.ओ.डी.पी. परियोजना के ई.पी.आई.सी. ⁵⁵ के लिए निविदा के अन्तिम रूप देने में बहुत विलम्ब हुआ था। नवम्बर 2003 की प्रचालक बोर्ड की सिफारिश के |

⁵⁴ चूँकि पी.एस.सी. ने पी.एस.सी. में सूचीबद्ध मदों के लिए लागत का मदवार व्यौरों का उल्लेख नहीं किया, हम तैयार न हुए वचनबद्ध कार्य की मूल अनुमानित लागत निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

⁵⁵ ई.पी.आई.सी. इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इनस्टालोसन और कमिशनिंग

| मद | संक्षिप्त व्यौरा |
|--|---|
| का कार्यान्वयन | <p>प्रति कि ठेका मार्च 2004 तक दिया जाना था ताकि मानसून पूर्व 2005 तक कुँओं के प्लेटफार्मों का प्रतिष्ठापन प्राप्त हो जाए निविदा को केवल नवम्बर 2004 में दिया गया था। मानसून 2005 तक पूरा होना तो दूर पूर्व मानसून 2006 तक भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। अन्ततोगत्वा, पी.जे. और पी.एच. कुँओं से उत्पादन मात्र फरवरी 2007 में प्रारम्भ हुआ था।</p> <p>कार्य देने और निष्पादन में अपर्याप्त विलम्ब के कारण, परियोजना पर कुल व्यय मूल रूप से अनुमोदित अमरीकी डालर 169.07 मिलियन से बढ़कर अमरीकी डालर 329.88 मिलियन हो गया था। इसके अतिरिक्त, 24 फरवरी 2007 तक शेष कार्य के स्कॉप को पूरा करने के लिए विक्रेता से वचनबद्धता के बदले में, पी.एम.टी. जे.वी. एल.डी. लगाने के लिए सहमत नहीं हुआ (अमरीकी डॉलर 13.27 मिलियन की राशि)।</p> |
| भारतीय समाचार पत्र में मुद्रित न की गई बोली के लिए आमंत्रण | <p>2006–08 के दौरान कार्यान्वित अमरीकी डालर 100 मिलियन (उदाहरणार्थ ई.पी.ओ.डी. एवं परियोजना हाईड्रो–पी.के. एण्ड एस.डब्ल्यू.पी.) से अधिक मूल्य के बड़े ठेकों के संबंध में पी.एम.टी. जे.वी. ने सूचीबद्ध सापेक्ष बोलीदाताओं से केवल सीमित निविदाएँ आमंत्रित की और भारतीय समाचार पत्र में बोली के लिए आमंत्रण मुद्रित नहीं किया (जे.ओ.ए. के अनुच्छेद 6.8 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित)।</p> |

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि प्रचालक का उत्तर मँगाया गया था और वह प्रतीक्षित था। हमें इस संबंध में पुनः प्रगति की प्रतीक्षा है।

6.5 मिड और साऊथ ताप्ती और आगे के क्षेत्र के संबंध में निष्कर्ष

6.5.1 वचनबद्ध कार्यक्रम का पूरा न होना और विलम्ब

पी.एस.सी. के अन्तर्गत विकास वचनबद्धताओं को अन्य बातों के साथ–साथ शामिल किया गया लेकिन वे निम्न के लिए सीमित नहीं थी :

- 10 वेलहेड प्लेटफार्म⁵⁶ और
- 35 विकसित कुएँ अतिरिक्त (30 इनफिल कुँओं सहित वचनबद्ध कार्य बाध्यता के द्योतक नहीं है लेकिन इन्हें लागत वसूली सीमा में शामिल किया गया यदि 35 मूल विकास कुँओं का ड्रेनेज क्षेत्र अपर्याप्त था)

उपर्युक्त के प्रति :

- जे.वी. ने मात्र 5 वेलहेड प्लेटफार्मों का प्रतिष्ठापन किया और मात्र 30 विकास कुँओं को ड्रिल किया। शेष 5 वेलहेड प्लेटफार्मों और 5 विकास कुँओं के संबंध में वचनबद्ध कार्य को अभी कार्यान्वित किया जाना था।
- एन.आर.पी.ओ.डी. परियोजना में भी, जिसके लिए एक ड्राफ्ट का प्रारम्भ जून 1999 में किया गया था (2003 से प्रत्याशित प्रथम गैस सहित) में यथेष्ट विलम्ब हुआ था। कोई भी विकास कार्य पहली लागतों के अनुमोदन से जे.वी. साझेदार के मध्य असहमति, ओरिजनल गैस इन प्लेस (ओ.जी.आई.पी) आदि से सामंजस्य के अभाव के कारण मार्च 2001 और नवम्बर 2003 के बीच नहीं किया गया

⁵⁶ साऊथ ताप्ती में 6 और मिड ताप्ती में 4

था। एन.आर.पी.ओ.डी. के लिए पहले कार्यकलापों को 2004 के दौरान किया गया था, एन.आर.पी.ओ.डी. परियोजना का अनुमोदन एम.सी. द्वारा मार्च 2005 में किया गया था, ठेके 2005–06 के दौरान दिए गए थे और गैस ने पहली बार अगस्त 2007 में जाकर प्रवाह शुरू किया।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि जब कभी भी आवश्यकता हो, जे.वी. कुँओं को ड्रिल करें और पैट्रोलियम लागत को पी.एस.सी. के अनुसार विनियंत्रित किया जाएगा।

तथ्य यह रह जाता है कि पी.एस.सी. में वचनबद्ध शेष 5 वेलहेड प्लेटफार्म के प्रतिष्ठापन के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी।

6.5.2 वसूली लागत सीमा (सी.आर.एल.) के आधिक्य में लागत वसूली

पी.एस.सी. में अमरीकी डॉलर 545 मिलियन (स्थल पुनरुद्धार, अन्वेषण/मूल्यांकन ड्रिलिंग, सेटेलाइट क्षेत्रों के विकास आदि पर लागतों को छोड़कर लेकिन अतिरिक्त 30 इनफिल कुँओं की लागत सहित) की लागत वसूली सीमा (सी.आर.एल.) का अनुबद्ध किया गया। तथापि, यह सी.आर.एल. के प्रति था :

- पूर्व वचनबद्ध कार्य योजना पूरा न करने के बावजूद भी पी.एम.टी. जे.वी. ने अमरीकी डालर 729.09 मिलियन (दिसम्बर 2007 तक) व्यय किया और इन लागतों की वसूली की।
- अभी कार्यान्वित किए जाने वाले वचनबद्ध कार्य के कारण अमरीकी डालर 140.26 मिलियन की अनुमानित लागत पर विचार करने के पश्चात् सी.आर.एल. से अमरीकी डालर 324.35 मिलियन की अधिक लागत वसूली हुई थी।
- इसके अतिरिक्त, पी.एम.टी. जे.वी. ने अन्य मदों के संबंध में सी.आर.एल. के आधिक्य से अमरीकी डॉलर 20.93 मिलियन (स्कॉप⁵⁷ में कमी के कारण कार्यान्वित न की गई निर्यात पाइपलाइन की लागत के कारण) की बचतों को गलती से समायोजित किया।

पी.एस.सी. में अनुबद्ध सी.आर.एल. 1993 के स्थिर अमरीकी डॉलर पर अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग में सामग्री और सेवाओं की उपलब्धता और लागतों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार शर्तों पर आधारित था। पी.एस.सी. ने अनुबद्ध किया गया कि उस स्थिति में जब सी.आर.एल. आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण, उपलब्धता और लागतों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार शर्तों के लिए सामग्री परिवर्तन, एम.सी. द्वारा अनुमोदित विकास योजना के कारण परिवर्तन के कारण अधिक हो गया या तो एम.सी.को क्या विचार करने चाहिए यदि कोई भी हो, सी.आर.एल. में वृद्धि परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए की जानी चाहिए। तथापि, एम.सी. को क्या विचार करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, यदि कोई भी वृद्धि हुई, कहाँ और किस सीमा तक, ऐसा विलम्ब कर्मिष्ठ रूप में कार्य करने के लिए कम्पनी की विफलता के कारण हुआ था।

तथापि, हमने पाया कि :

- पी.एम.टी. जे.वी. ने अमरीकी डॉलर 324.35 मिलियन तक सी.आर.एल. के बढ़ाने के लिए जून 2008 में डी.जी.एच. से सम्पर्क किया जिसका अनुमोदन नहीं किया गया था। तथापि, इसके बावजूद, सी.आर.एल. के बढ़ाने के लिए जून 2008 में डी.जी.एच. से सम्पर्क किया जिसका अनुमोदन नहीं किया

⁵⁷ सी.आर.एल. में हजीरा पर अपतट टर्मिनल के लिए ताप्ती प्रक्रिया प्लेटफार्म से एक निर्यात पाइपलाइन के बिछाने के लिए अमरीकी डॉलर 66.5 मिलियन की राशि को शामिल किया गया। इसके बजाए, जे.वी. ने अमरीकी डॉलर 45.82 मिलियन की लागत पर बेसीन से हजीरा तक ओ.एन.जी.सी. की विद्यमान गैस पाइपलाइन के लिए ताप्ती प्रोसोस प्लेटफार्म से पाइपलाइन बिछाई जिसके परिणामस्वरूप अमरीकी डॉलर 20.93 का अन्तर रहा।

गया था। तथापि, इसके बावजूद, सी.आर.एल. में वृद्धि के अनुमोदन के अभाव में, जे.वी. ने सी.आर.एल. से अधिक व्यय की लागत वसूली पहले ही नियमित रूप से की थी।

- संयोगवश, जब एन.आर.पी.ओ.डी. परियोजना (अमरीकी डॉलर 519 मिलियन लागत पर) का अनुमोदन एम.सी. द्वारा मार्च 2005 में किया गया था। तब यह निर्णय लिया गया था कि सी.आर.एल. की समीक्षा अगले तीन माह के अन्दर पी.एम.टी. जे.वी. और डी.जी.एच. के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा की जाएगी तथापि ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी।
- सौंपे गए व्यवसाय कार्यक्रम से बाहर आई.पी.ओ.डी. और एन.आर.पी.ओ.डी. के अन्तर्गत पी.एम.टी. जे.वी. ने कुछ गतिविधियाँ⁵⁸ प्रस्तुत कर दी थीं; तथापि, सौंपे गए व्यवसायिक कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. से स्वीकृति नहीं ली गई थी।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि :

- कुल व्यय को ठेका लागत के रूप में मानने के लिए एम.सी. के समक्ष रखे गए सी.आर.एल. की वृद्धि हेतु परिचालक के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई।
- विकास लागत और काल्पनिक आयकर और निवेश अपवर्त्य परिकलन के संशोधन के संबंध में वसूल की गई अधिक लागत के प्रति 365 मिलियन यूएस. डॉलर के उलटाव के लिए एक संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा चुका था और एम.सी. के सामने रखा जा रहा था।
- इसी बीच, इस मामले पर परिचालक ने पंचाट का आहवान किया जो निर्णायक प्रस्ताव पर बेयरिंग होता।

परिशिष्ट जी के स्कोप के बाहर किए गए कार्य के संबंध में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने परिशिष्ट जी के बाहर गतिविधियों पर किए गए 346 मिलियन यूएस. डालर के व्यय के लिए पी.एम.टी. जे.वी. से लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्राप्त करने और लागत पेट्रोलियम के प्रति तदानुसार अनुमति देने के लिए डी.जी.एच. को निदेश दिया (मई 2011)।

इस संबंध में हमें आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है।

6.5.3 अधिक व्यय और लागत वसूली के उदाहरण

पी.एम.टी.जे.वी. ने मोबाइल ऑफसोर रिंग्स के लिए दो संविदाएं की जैसा कि नीचे दिया गया है :

| सिग | पंचाट | परिचालन दिवस दर (ओ.डी.आर.) | प्राथमिक अवधि | वास्तविक परिनियोजन | विस्तार |
|-----------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|
| एनस्को-50 | दिसम्बर 2003 | 55,500 | 310 दिन | फरवरी 2004 | आपस में सहमत निबन्धन एवं शर्तों पर 6, 3 और 3 माह के 3 निरन्तर विस्तार को लागू करने का विकल्प |
| एनस्को-53 | दिसम्बर | 61,800 | 270 दिन | फरवरी 2005 | उन्हीं दरों एवं निबन्धन और शर्तों पर 3 माह के विस्तार के |

⁵⁸ इनमें ताप्ती अस्थाई कम्प्रेशर, टी.सी.पी.पी. प्लेट फार्म (कम्प्रेसरों को छोड़कर) आदि शामिल थे जिनका मूल्य 345.06 मिलियन यूएस. डालर था जो सौंपे गए व्यावसायिक कार्यक्रम से बाहर थे।

| रिग | पंचाट | परिचालन दिवस दर (ओ.डी.आर.) | प्राथमिक अवधि | वास्तविक परिनियोजन | विस्तार |
|-----|-------|----------------------------|---------------|--------------------|---------|
|-----|-------|----------------------------|---------------|--------------------|---------|

2004

प्रति न्याय

निर्धारित ड्रिलिंग कार्यक्रम, अपवर्ड बाजारी दृश्य और रिग उपलब्धता की कमी के प्रकाश में 3 माह से 2 वर्षों तक विविध अवधियों के लिए समय-समय पर इन दोनों अनुबन्धों का उच्चतम दरों पर विस्तार किया गया।

यह नोट किया जा सकता है कि सुधार परियोजनाओं (ई.पी.ओ.डी., एन.आर.पी.ओ.डी. और एस.टी.डी.) के अनुसार 2005–09 के दौरान 33 कूपों के भेदन किए जाने की योजना बनाई गई थी। 2006–07 और 2008–09 के व्यावसायिक कार्यक्रम और बजट के अनुसार भी जे.वी. को क्रमशः 27 कूपों (14 फर्म और 33 कन्टिनजेन्ट) और 20 कूपों (15 फर्म और 5 कन्टिनजेन्ट) का भेदन करना था। बहुत संरक्षी भविष्य प्रभाविता से केवल फर्म कूपों पर विचार करते हुए – कम से कम एक रिग को सम्पूर्ण अवधि के लिए किराए पर लिया जा सकता था। यदि सर्ते रिग (एनस्को-50) के संविदा को 9 माह के बजाय 97,500 के ओ.डी.आर. पर 2 वर्षों (अक्टूबर 2005 संविदा का विस्तार करते समय) का विस्तार किया जाता तो 31.85 मिलियन यू.एस. डॉलर के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

अधिक व्यय, भारत सरकार के वित्तीय प्राप्ति की विवक्षा सहित लागत पर स्पर्द्धात्मक प्रभाव डालने वाली उपलब्धियों में कमियों के अन्य दृष्टान्तों का संक्षेपण नीचे दिया गया है :

| व्यय के मद | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|
| भूकम्पी डाटा का अर्जन; ए.पी.आई. (पूर्णतः) के बिना कूप आयोजित बेधन | 32.56 मिलियन यू.एस. डॉलर की लगात पर मिड ताप्टी क्षेत्र (2007–08 में समाप्त) में नए 3डी भूकम्पी डाटा का पी.एम.टी.जे.वी. ने अर्जन किया और उसको प्रक्रिया में लाया गया, इसे न केवल लोवर चेनल सेन्ड्स बल्कि एम.टी.ए. वेलहेड प्लेट फार्म (जिसे तब तक स्थापित किया जा चुका था) से प्रथम फेस वेल्स के लिए भी कूपों के स्थापन के जोखिम को कम करना था। तथापि, नए 3डी डाटा के ए.पी.आई. से पहले भी एम.टी.ए. वेलहेड प्लेटफार्म से आयोजन किए गए 8 कूपों में से 5 का दिसम्बर 2007 तक भेदन किया गया। इसने कम से कम अशंतः 3 डी डाटा के ए.पी.आई के उद्देश्य का खण्डन किया। |
| 12 स्लॉटों सहित एस.टी.डी. वेलहेड प्लेटफार्म का निर्माण | पी.एस.सी. में विकास प्रतिबद्धता से केवल 8 ड्रिलिंग स्लॉटों सहित 10 वेलहेड प्लेटफार्म की व्यवस्था शामिल थी। तथापि, परिमाणात्मक जोखिम निर्धारण (जून 2002) के आधार पर, पी.एम.टी.जे.वी. ने 2003 मानसून (200 एम.एम.एस.सी. एफ.डी. की अधिकता में गैस की सुपुर्दगी का अनुरक्षण करने के लिए) तक 12 स्लॉटों के साथ एक नया वेलहेड प्लेटफार्म एस.टी.डी. लगाने का निर्णय लिया। प्लेटफार्म पूरी तरह से 33.06 मिलियन यू.एस. डॉलर की लागत पर अगस्त 2006 में पूरा हुआ। |

हमारे सम्मति में 7 मिलियन यू.एस. डॉलर के अतिरिक्त अपरिहार्य व्यय के साथ (बढ़े हुए टनभर के आधार पर) अनुमानित 8 से 12 तक ड्रिलिंग स्लॉटों में वृद्धि

| व्यय के मद | संक्षिप्त विवरण |
|--|---|
| | <p>अनुपयुक्त थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> एन.आर.पी.ओ.डी. में भी, जे.वी. ने केवल 5 कूपों (4 फर्म + 1 कन्टिन्जेण्ट) सहित एस.टी.डी. के समापन को सूचित करते हुए जे.वी. ने अर्थशास्त्र को प्रदर्शित किया (जनवरी 2005)। 2006–07 में केवल 4 कूपों का भेदन किया गया, जिसमें से केवल 2 मार्च 2010 को प्रक्षेपित 120 एम.एम.एस.सी.डी. के विपरीत 40 एम.एम.एस.सी.डी. के उत्पादन दर के साथ) उमड़कर बह रहे थे। |
| भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित न की गई बोली का आमंत्रण | 3.15 मिलियन यू.एस. डॉलर से 86.75 मिलियन यू.एस. डॉलर के बीच वाले 9 संविदाओं के संबंध में, पी.एम.टी. जे.वी. ने पूर्व–योग्यता प्राप्त विक्रेताओं से केवल सीमित निविदा आमंत्रित की और भारतीय समाचार पत्रों में बोली (जे.ए.ओ. के अनुच्छेद 6.8 के अन्तर्गत अपेक्षित) के प्रति आमंत्रण प्रकाशित नहीं किया। |

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि अपने उत्तरों के प्रति परिचालकों को सन्देश भेज दिया गया था, और परिचालकों के विचारों की प्रतीक्षा थी। इस सम्बन्ध में हमें आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है।

6.6 पन्ना मुक्ता और मध्य एवं दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से सम्बन्धित अधिक व्यय और लागत वसूली के सामान्य मुद्दे

| व्यय की मदें | संक्षिप्त विवरण |
|--|---|
| तीसरे दल की डिलिंग सेवाओं की गैर-‘प्रतिस्पर्द्धात्मक हाइरिंग | <p>2006–08 के दौरान तीसरे दल की डिलिंग सेवाओं के प्रति पी.एम.टी.जे.वी. 17 संविदाओं का परिचालन कर रहा था, यह निविदाएँ 2003–05 के दौरान दी गई थी और अगस्त/सितम्बर 2009 तक आपसी सहमति को उच्चतर दरों पर ढाल दी गई थी, जब परिचालक समिति (ओ.बी.) के निदेश पर जे.वी. ने नए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया था। हमने देखा कि :</p> <ul style="list-style-type: none"> इतने लम्बे समय के ऊपर आवृत्तीय क्रम से संविदाओं का विस्तार करके, बाजारी प्रवाह की छानबीन नहीं की गई और प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें प्राप्त नहीं की गईं; प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों को सुनिश्चित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रति बाद में भी ओ.बी. ने जे.वी. को नवम्बर 2008 में निदेश दिए, जे.वी. ने मार्च 2009 में निविदा देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की और केवल अगस्त/सितम्बर 2009 में निविदाओं को अन्तिम रूप दिया। निविदा को अन्तिम रूप देने के कार्य में विलम्बन होते हुए, जे.वी. ने सितम्बर 2009 तक 3 और 2 माह के लिए दो अवसरों पर संविदाओं का विस्तार किया। चार सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त की गई दरें प्रचलित दरों |

| व्यय की मदें | संक्षिप्त विवरण |
|---------------------------------|--|
| | की अपेक्षा 2 से 20 प्रतिशत तक कम थीं और विद्यमान ठेकेदार 3 सेवाओं में एली-1 बोलीदाताओं में प्रकट हो गए। |
| उत्पादन माल-सूची की गलत बुकिंग | <ul style="list-style-type: none"> उत्पादन माल-सूची वास्तविक खपत के बजाय उपलब्धि पर जे.वी. द्वारा प्रभारित की जा रही थी जो पी.एस.सी. के प्रति लेखांकन प्रक्रिया के अनुच्छेद 3.1.8 (ए) का उल्लंघन है। इसका बड़ा महत्व है, चूंकि उत्पादन माल-सूची पन्ना-मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों के लिए 2008 को क्रमशः 7.61 मिलियन यू.एस. डॉलर और 10.83 मिलियन यू.एस. डॉलर तक बढ़ गई थी। |
| माल-सूची का मिलान न करना/निपटान | <ul style="list-style-type: none"> मार्च 2008 को एस.ए.पी. प्रणाली (258.40 मिलियन यू.एस. डॉलर) और कच्चा चिट्ठा (254.91 मिलियन यू.एस. डॉलर) में ड्रिलिंग इचेन्टरी के बीच अन्तर था। यद्यपि, पी.एम.टी. जे.वी. ने बताया (अक्टूबर 2010) कि एस.ए.पी. में इसे सुधार लिया गया है, लागत पर प्रभाव का अभी भी परिकलन किया जाना था और उस राशि का क्रमिक वर्षों में समायोजन किया जाना था। फालतू पुर्जों योग्य माल सूची (2006–08 के दौरान पी.एम.टी. जे.वी. द्वारा 3.87 मिलियन⁵⁹ यू.एस. डॉलर पर पहचान की गई) के निपटान विलम्ब के परिणामस्वरूप माल सूची वहन लागत और भारत सरकार की आय पर परिणामी प्रभाव सहित 1 प्रतिशत ऊपरी व्यय का परिहार्य उदग्रहण हुआ। |
| बीमा व्ययों की गलत बुकिंग | <ul style="list-style-type: none"> अक्टूबर–दिसम्बर 2006 के लिए आर.आई.एल. द्वारा अपतट पैकेज पालिसी के लिए प्रदत्त किस्त ने पन्ना-मुक्ता के लिए 101,900 यू.एस. डॉलर के अतिरिक्त बीमा–किस्त और 2004–05 के लिए ताप्ती के लिए 2650 यू.एस. डॉलर की वापसी बताई। इसे ड्रिल्ड वेल्स के मीटरेज में परिवर्तन के लिए समाधान किए जाने के लिए कहा गया। तथापि, 2005–08 के लिए कोई ऐसे समाधान आर.आई.एल. द्वारा नहीं प्रभावित किए गये; और कोई ऐसे समाधान वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए अन्य जे.वी. भागीदारियों द्वारा प्रभावित किए गए। बी.जी.ई.पी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त मानक अग्नि और विशेष जोखिम पालिसी के लिए बीमा पालिसी के किस्त ने जे.वी. और गैर जे.वी. दोनों की गतिविधियों को शामिल किया, जबकि समुन्द्री माल वाहक और लोक देयता अधिनियम और बीमा पालिसी से संबंधित कर्मचारी के लिए बीमा पालिसी ने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि वे माँग पी.एस.सी. परिचालनों के लिए थे। तथापि, बीम कवरेज के लिए सम्पूर्ण किस्त को लागत वसूली के लिए माना गया। |
| सहायक कर्मचारी | <ul style="list-style-type: none"> अप्रैल से जुलाई 2007 तक (नमूना जाँच) के दौरान गैर–जे.वी. गतिविधियों |

⁵⁹ जिसमें से अप्रैल 2005 से पहले क्रय किए गए 3.54 मिलियन यू.एस.डालर अनुपयुक्त पड़ा हुआ था।

| व्यय की मद्दें | संक्षिप्त विवरण |
|---------------------------------------|--|
| समूह के प्रति किए गए भुगतान की बुकिंग | के लिए सहायक कर्मचारी समूह द्वारा बिताया गया समय गैर जे.वी. गतिविधियों को आबंटित नहीं था। इन महीनों के दौरान 14,960 घण्टों में से हमने गैर जे.वी. गतिविधियों (उनके पर्यवेक्षकों/कार्यकारियों) पर 5064 घण्टों के होने के समय का अनुमान लगाया, यह हमारे दृष्टिकोण में बंटवारे के लिए तर्कसंगत आधार होगा। |
| प्रवासियों के वेतन की बुकिंग | <ul style="list-style-type: none"> जे.वी. ने पी.एस.सी. को प्रवासी लागत का 100 प्रतिशत आबंटन किया, यद्यपि, कुछ समय गैर पी.एस.सी. गतिविधियों के लिए भी समर्पित किया गया। |

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2011) कि मुददों को अपने उत्तर देने के लिए परिचालकों को भेज दिए गए थे और परिचालकों के विचारों की प्रतीक्षा है। इस संबंध में हमें आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है।

6.7 काल्पनिक आय कर

पन्ना—मुक्ता और ताप्ती पी.सी.एस. में आई.एम. पोस्ट—टैक्स है। इस प्रयोजन हेतु पी.एस.सी. 50 प्रतिशत आयकर दर अपनाना निबंधित करता है “जोकि पेट्रोलियम परिचालनों पर लागू है”। तभी से, कारपोरेट आयकर दरें प्रभावशाली रूप से नीचे आ गई (घरेलू कम्पनियों के लिए 33.99 प्रतिशत)। तथापि, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल की गणना लगातार 50 प्रतिशत की काल्पनिक आय कर दर अपनाती रही।

अनुच्छेद 15.7 – कर, रायलिट्याँ, किराया इत्यादि में निबंधित है कि “यदि किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी भारतीय कानून, नियम या विनियम से किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी तिथि के बाद अनुबंध में किसी भी पार्टी को आर्थिक लाभ में भौतिक परिवर्तन हो तो, पार्टीयाँ तुरन्त अनुबंध में आवश्यक संशोधन और समायोजन के लिए सलाह ले सकती हैं जिससे प्रत्येक पार्टी ऐसा अपेक्षित लाभ निरन्तर बनाए रख सकती है।

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कारपोरेट कराधान दरों में परिवर्तन के दृष्टिगत, जोकि पोस्ट टैक्स आई.एम. की गणना की शर्तों में स्पष्ट रूप से जे.वी. साझेदारों को लाभ देता है, भारत सरकार द्वारा इस प्रावधान के अन्तर्गत कन्सल्टेशन स्थापित करने चाहिए।

उत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि सरकार ने राजस्व स्थिरता पर अनुच्छेद 15.7 का आहवान नहीं किया था जैसाकि निवेश के प्रोत्साहन के लिए जानबूझकर विशिष्ट लाभ दिए जाते हैं। एम.ओ.पी.एन.जी. ने आगे बताया, कि चूंकि ठेकेदार ने सरकार के विरुद्ध पंचाट किया था और अनुच्छेद 15.7 के अन्तर्गत लाभ का दावा किया था, यह प्रस्तावित किया गया था कि मामले को परामर्श हेतु जे.वी. के साथ उठाया जाए।

हम प्रभावी रूप से आग्रह करते हैं कि कारपोरेट आय कर दरों में डाउनवर्ड रिविज़न का मामला और ठेकेदारों को अनुकूल लाभ को उजागर किया जाए और ठेकेदारों द्वारा की गई तत्काल पंचाट कार्यवाहियों में सम्मिलित किया जाए।

6.8 परित्याग लागत की अवधारण न करना

दोनों पन्ना—मुक्ता और ताप्ती पी.सी.एस. के अनुच्छेद 12.8 में निबंधित है कि जब ठेकेदार निर्धारित करता है कि आंकलित बकाया वसूली योग्य रिज़र्व (शुद्ध परिचालन लागत) आंकलित परित्याग लागत

के 2½ गुण के बराबर है, भारत सरकार को 60 दिनों के भीतर फील्ड (और परित्याग बाध्यता) का नियंत्रण ले लेना चाहिए। इसकी विफलता में, ठेकेदार परित्याग लागत की वसूली बकाया उत्पादन से कर सकता है और फील्ड का परित्याग कर सकता है।

तथापि, पी.एम.टी. जे.वी. ने मई 2008 के डी.जी.एच. के निदेश के बावजूद पन्ना—मुक्ता और ताप्ती क्षेत्र के परित्याग लागत का निर्धारण (अक्टूबर 2010) नहीं किया था। ऐसे निर्धारण के बिना, पी.एस.सी. में निबंधित परित्याग प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती।

उत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी. ने आश्वासन दिया (जुलाई 2011) कि वह मामले का अनुसरण करेगा। इस संबंध में हम आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं।



अध्याय – 7 अनुपालन एवं नियंत्रण मुददे

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, आर.जे.-ओ.एन.-90/1, पन्ना-मुक्ता और ताप्ती पी.एस.सी. से सम्बन्धित सार्थक अनुपालन एवं नियंत्रण मुददों पर इस रिपोर्ट के 4 से 6 तक के अध्यायों में चर्चा की गई है। यह अध्याय इन चार पी.एस.सी. से सम्बन्धित अल्प सार्थक मुददों सहित अन्य पी.एस.सी. से सम्बन्धित अनुपालन और नियंत्रण मुददों का निपटारा करता है।

7.1 डी.जी.एच. की भूमिका

अप्रैल 1993 में, भारत सरकार ने भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सशक्त प्रबन्धन को उन्नत करने, पर्यावरण के लिए संतुलित दृष्टिकोण को रखने, पेट्रोलियम उद्योग की सुरक्षा, तकनीकी और आर्थिक पहलू के उद्देश्य से एम.ओ.पी.एन.जी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत महा निदेशालय, हाइड्रोकार्बन्स (डी.जी.एच.) की स्थापना की। डी.जी.एच. को संस्थापित करते हुए अप्रैल 1993 का भारत सरकार का प्रस्ताव (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपस्ट्रीम गतिविधियों को नियमित करने और निरीक्षण करने के लिए (ख) इन क्षेत्रों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक उपयुक्त एजेन्सी रखने के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. की आवश्यकता को सन्दर्भित करता है।

महानिदेशक के अतिरिक्त, डी.जी.एच. के कर्मचारी वृन्द को प्रतिनियुक्ति/सेवा अवधि आधार पर, मुख्यतः अपस्ट्रीम एवं अन्य तेल पी.एस.यू. (ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल., आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल.) से प्राप्त किया जाता है।

अप्रैल 1993 के प्रस्ताव के अनुसार डी.जी.एच. के कार्य निम्नलिखित दो विस्तृत वर्गों में आते हैं :

भारत सरकार को सलाह देने के लिए

- देश के अन्दर हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण और इष्टतम उपयोग और एन.ओ.सी. द्वारा विदेशी भण्डारों के अन्वेषण/उपयोग की नीति पर
- अन्वेषण के लिए क्षेत्रफल के प्रस्ताव और कम्पनियों द्वारा क्षेत्रफल को छोड़ना;
- सुरक्षा प्रतिमानों का बनाना, तेल क्षेत्र प्रचालनों में सुरक्षा पर विनियमनों का बनाना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का निर्धारण करना और निरीक्षण एवं आवधिक सुरक्षा लेखापरीक्षाओं में सहायता करना।

समीक्षा के लिए

- कम्पनियों के हाइड्रोकार्बन्स की वाणिज्यिक खोज के लिए अन्वेषण योजनाएँ और विकास योजनाएँ और उनकी पर्याप्तता पर भारत सरकार को सलाह देना;
- परिचालन कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम भण्डारों के प्रबंध की समर्ती समीक्षा और लेखापरीक्षा और सुदृढ़ भण्डारण प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित मध्यवर्ती सुधार के लिए सलाह देना।
- परिचालन कम्पनियों (उनके साथ चर्चा में) द्वारा खोजे गए और अनुमानित हाइड्रोकार्बन भण्डारों का पुनः निर्धारण।

सितम्बर 2006 में एम.ओ.पी.एन.जी. ने एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें इंगित किया गया कि डी.जी.एच. की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्यकलाप होंगे:-

- भारत में पेट्रोलियम प्रचालनों की अपस्ट्रीम निगरानी करना;
- किसी भण्डार से हाइड्रोकार्बन की अधिकतम प्राप्ति के लिए लाइसेंसधारी / पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन भण्डारों की व्यवसायिक खोजों के लिए अन्वेषण कार्यक्रमों तथा विकास योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा करना;
- लाइसेंसधारी द्वारा पेट्रोलियम भण्डारों के प्रबन्धन की समीक्षा करना तथा उन्हें परामर्श देना;
- पेट्रोलियम ई एण्ड पी से आँकड़े, रिपोर्टें, सूचनाएँ तथा नमूने (अर्थात् एक डाटा भंडार) मंगवाना तथा उनका अनुरक्षण करना;
- लाइसेंसधारी / पट्टा धारकों द्वारा भण्डारों की खोज की समीक्षा करना;
- खोजों की घोषणा के लिए प्रतिमान बनाना; तथा
- पी.एन.जी. नियमावली के नियम 24, 25, 26, 27 तथा 30⁶⁰ के अन्तर्गत भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना।

हमारे मतानुसार, डी.जी.एच. की भूमिकाओं तथा क्रियाकलापों में हित के संभावित विवाद सहित दो प्रकार के काम सम्मिलित हैं—नियामक क्रियाकलापों को अपस्ट्रीम करना तथा भारत सरकार को तकनीकी परामर्श प्रदान करना। हालाँकि 1993 में (जब डी.जी.एच. की स्थापना की गई) विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नियामकों की भूमिका तथा स्थिति पर पर्याप्त स्पष्टता की कमी थी, अब क्षेत्रीय नियामकों (कार्यकर्त्ताओं द्वारा) का स्पष्ट स्वायतता की आवश्यकता भलीभाँति पहचानी जा चुकी है।

परिणामस्वरूप, हमने डी.जी.एच. द्वारा आजकल किए जा रहे कामों के स्पष्ट निर्धारण की सिफारिश की। तकनीकी परामर्श तथा सम्बद्ध कार्यों को एम.ओ.पी.एन.जी. के सभी प्रकार से पूर्णतः अधीनस्थ निकाय (या तो एम.ओ.पी.एन.जी. में एक कक्ष/सम्बन्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय या एम.ओ.पी.एन.जी. के अन्तर्गत एक पृथक इकाई) द्वारा किया जाना चाहिए। नियामक प्रवृत्ति के कार्यों (हाइड्रोकार्बन भण्डारों तथा भण्डार प्रबन्धन, खोजों की घोषणा के लिए प्रतिमानों को बनाना, सुरक्षा तथा संबंधित प्रतिमानों का निर्धारण तथा सुरक्षा जाँचों/लेखापरीक्षाओं इत्यादि का आयोजन) को भारत सरकार से सन्निकट किसी स्वायत्त निकाय को करना चाहिये।

⁶⁰ ये कोरों तथा नमूनों का अनुरक्षण करने, अपव्यय रोकने के लिए निर्देश देने, कुँओं के लिए स्थान निर्धारण, उत्पादन को सीमित करने तथा उत्पादन को नियमित करने से सम्बद्ध हैं।

7.2 अन्वेषण/मूल्यांकन के विषय

7.2.1 के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 (प्रचालक-आर.आई.एल.) को प्रदान किए गए अनुबंध के सम्पूर्ण क्षेत्र की खोज क्षेत्र के रूप में गलत घोषणा

फरवरी 2007 में, प्रचालक ने 6 तथा 5 ½ महीनों के दो समय सीमा विस्तार लेने के बाद, फेज-1 के अन्त में फेस-II का अन्वेषण न करने के अपने विकल्प (पी.एस.सी. प्रावधानों के तहत) का प्रयोग किया। इसके बजाए, उसने 210 वर्ग. कि.मी. के सारे अनुबंध क्षेत्र की 'खोज क्षेत्र' के रूप में गलत घोषणा कर दी (हालाँकि अनुबंध क्षेत्र में केवल दो खोजें ही थीं) तथा सम्पूर्ण अनुबंध क्षेत्र में मूल्यांकन के कामों को जारी रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, सितम्बर 2007 में, एम.सी. ने 15 जून 2008 तक 15 महीनों का समय अनुमत कर सारे क्षेत्र को रखने देने के साथ मूल्यांकन कार्यक्रम पूरा करने का संकल्प अनुमत किया।

हमने देखा कि :

- ब्लाक दो भौगोलिक भागों में बंटा हुआ था (भाग 'ए' तथा भाग 'बी')। ब्लाक में खोदे गए चार कुँओं में से दो कुँए (भाग 'ए' में एक तथा भाग 'बी' में खोदा गया पूरा कुँआ) सूखे कुएं थे। इस प्रकार सारे क्षेत्र को 'खोज क्षेत्र' में मानना अनियमित था।
- ठेकेदार द्वारा मूल्यांकन कुँओं की ड्रिलिंग के लिए ठोस प्रस्ताव नहीं दिए जाने पर भी, उसे दो खोजों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए सारे ठेकागत क्षेत्र को रखने की अनुमति दी गई थी।
- क्योंकि मूल्यांकन कार्यक्रम 15 जून 2008 तक पूरा नहीं किया जा सका था, ठेकेदार ने 15 अक्टूबर 2008 तक चार महीनों के लिए और समय सीमा विस्तार की प्रार्थना की (जुलाई 2008)। क्षेत्र को छुड़वाने के लिए कार्य करने के बजाय, डी.जी.एच. ने समय सीमा और बढ़ाने के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. को सिफारिश की (जुलाई 2008)। एम.ओ.पी.एन.जी. ने समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया तथा दिसम्बर 2009 में 15 जून 2008 से छोड़ने के लिए कहा।
- ठेकेदार फेस-II को छोड़ देने के सरल उपाय को लेकर 3500 मीटर/तल की गहराई वाले चार कुँओं की ड्रिलिंग के एम.डब्ल्यू.पी. के निष्पादन से बचा जोकि अन्वेषण फेज-II के अन्तर्गत ठेकाकृत आवश्यकता थी। साथ ही साथ उसने सारे ब्लाक को 'खोज क्षेत्र' का नाम देकर सारे ठेकागत क्षेत्र को रखने तथा किसी प्रकार का त्याग करने से बचने की व्यवस्था कर ली।

उत्तर में एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा (जुलाई 2011) कि :

- डी-24 तथा 25 (भाग 'ए' में) खोजों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम का प्रस्ताव 12-07-2006⁶¹ को प्रस्तुत किया गया था तथा इसमें सारे क्षेत्र को खोज क्षेत्र की घोषणा शामिल थी।
- इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के दौरान, ठेकेदार ने दो कुँओं (डी 24 तथा 25) की ड्रिलिंग कर ली थी तथा ब्लाक के भाग 'ए' में तीसरे कुँए की ड्रिलिंग प्रगति में थी। क्योंकि भाग

⁶¹ संयोगवश यह 11 जुलाई 2006 को के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 के एम.सी. की बैठक जिसमें सारे ठेकागत क्षेत्र को खोज क्षेत्र घोषित करने की सहमति हुई, से अगला दिन ही है।

'ए' के तीनों कुँओं की ड्रिलिंग हो चुकी थी, भाग 'ए' तथा 'बी' दोनों भागों को बनाए रखने का निर्णय नहीं लिया जा सका था। तदनुसार, 1 नवम्बर 2006 को हुई एम.सी. की बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि ठेकेदार भाग 'बी' में एक कुँए को ड्रिल करे तथा भाग 'बी' के कुँए के परिणामों के आधार पर दोनों भाग 'ए' तथा 'बी' के मूल्यांकन का निर्णय लिया जा सकेगा। बाद में, 2-05-2007 को ठेकेदार ने इंगित किया कि 28-12-2006 को भाग—बी में एक कुँए (के.जी.॥16—बी1) से ड्रिलिंग के दौरान हाइड्रोकार्बन्स के होने का संकेत मिला था।

- पेट्रोलियम प्रणाली माडलिंग के संयोग से भूवैज्ञानिक माडल की वैधता केवल कुँओं की ड्रिलिंग द्वारा प्रमाणित की जा सकती है। कई बार ड्रिलिंग गतिरोय से से भूवैज्ञानिक माडल को दुबारा देखने की आवश्यकता होती है जोकि किसी क्षेत्र के उत्पादन चरण तक की सतत प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ तक कि सूखे कुँए या मामूली हाइड्रोकार्बन्स वाले कुँए का संकेत भी आवश्यक रूप से किसी क्षेत्र को छोड़ देने योग्य नहीं बना देता। वर्तमान मामले में, ठेकेदार ने दावा किया था कि क्षेत्र के भाग—बी का सूखा कुँआ (जिसमें ड्रिलिंग के दौरान एच.सी. का संकेत मिला था) कमी न पता चलने या सीलिंग नहीं होने की दोष प्रवृत्ति जिसका यह अर्थ नहीं था कि क्षेत्र हाइड्रोकार्बन्स विहीन था; यहाँ तक कि दुबारा काम करने के ढाँचे में भी छोटी सी चूक होने से हाइड्रोकार्बन्स जोन का पता न लग पाने की संभावना रहती है।

के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/3 के मामले में, डी.जी.एच. का आवश्यक रूप से यह मत था कि सारे ठेकागत क्षेत्र को 'खोज क्षेत्र' घोषित करने के लिए ठेकागत क्षेत्र के सारे हिस्सों में कुँओं (तथा सफल खोजों) की ड्रिलिंग आवश्यक नहीं थी। इस मामले में, सारे ठेकागत क्षेत्र को 'खोज क्षेत्र' घोषित करने के लिए तर्क यह था कि जब भूवैज्ञानिक माडल की वैधता केवल कुँओं की ड्रिलिंग से ही प्रमाणित की जा सकती है, एक सूखे कुँएं का आवश्यक रूप से अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्र हाइड्रोकार्बन्स से रहित हैं। ये उत्तर प्रमाणिक रूप से विरोधाभासी हैं।

- ठेकेदार ने सारे क्षेत्र में प्रतिबद्ध एम.डब्ल्यू.पी.से अधिक 3डी सीसमिक अधिग्रहित की, जिससे यह संकेत मिला कि ब्लाक के दोनों भागों में भूवैज्ञानिक निरन्तरता थी।
- ब्लाक के भाग 'बी' का क्षेत्र लगभग 78 वर्ग किमी था। इतने बड़े आकार के क्षेत्र को विशेष रूप से समुद्रतट से दूर के क्षेत्र में छोड़ना बोलियों के दौरों के आमंत्रण हेतु उपयोगी नहीं होता। इसके विपरीत, मूल्यांकन क्रिया—कलापों को जारी रखना समान हाइड्रोकार्बन पूल में निरन्तरता स्थापन का अवसर दे सकता था।
- एम.सी. ने ओ.एन.जी.सी. से प्रचालित के.जी.—डी.डब्ल्यू.एन.—98/2 तथा फोकस एनर्जी द्वारा प्रचालित आर.जे.—ओ.एन./6 के मामले में सारे/अधिकांश ठेकागत क्षेत्र को खोज क्षेत्र (मूल्यांकन खोजों के लिए) बनाए रखने की अनुमति दी थी।

फिर भी, सी.ए.जी. की आपत्तियों को भविष्य के मामलों के लिए मार्गदर्शन के रूप में लिया जाएगा।

- चूंकि डी.ओ.सी. प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रावधन नहीं था, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी औचित्यों की अभिपुष्टि करते हुए मामले की सिफारिश एम.ओ.पी.एन.जी. से की गई। क्योंकि ठेकेदार ने ब्लाक में अन्वेषण के दूसरे चरण को न करने का विकल्प लिया था तथा 24—25 की खोजों के संबंध में डी.ओ.सी. निर्धारित समय सीमा में

प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा पी.एस.सी. के अन्तर्गत मूल्यांकन चरण के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं था आखिरकार, ठेकेदार को 30 दिसम्बर 2009 को ब्लाक को 15 जून 2008 से त्याग देने के लिए कह दिया गया ।

7.3 पी.एस.सी. के खोज की अधिसूचना तथा परीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों का गैर-अनुपालन

हमने के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 ब्लाक में खोजों की अधिसूचना सम्बन्धी प्रावधानों का गैर-अनुपालन देखा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

- धीरुभाई-24 तथा धीरुभाई 25 नामक दो खोजों के प्रारम्भिक विवरण एम.सी. तथा सरकार को लिखित में पहले प्रस्तुत किए बिना ही, प्रचालक ने सीधे खोजों की संभावित व्यवसायिकता संबंधी लिखित अधिसूचना दे दी थी ।
- धीरुभाई-24 खोज के मामले में, परीक्षण 4 फरवरी 2005 को पूरे हुए थे परन्तु ठेकेदार ने संभावित व्यवसायिकता सम्बन्धी रिपोर्ट तथा अपना मत 15 दिसम्बर 2005 अर्थात् आठ महीनों से अधिक समय के विलम्ब से एम.सी. को सौंपा ।

डी-24 तथा डी 25 दोनों खोजों की अधिसूचना न देने संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणी पर सहमति जताते हुए एम.ओ.पी.एन.जी. ने अपने उत्तर (जुलाई 2011) में कहा कि हालांकि ठेकेदार ने अधिसूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी, डी.जी.एच. के प्रतिनिधि कुँगों के परीक्षण के दौरान उपस्थित थे ।

परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया कि विलम्ब डी-24 कुँए में हाइड्रोकार्बन का सकारात्मक संकेत मिलने के बाद विस्तृत जाँच परिणामों के विश्लेषण में हुई देरी के कारण हुआ था तथा बाद में परीक्षणों की पुष्टि एक और कुँए (डी-25) की ड्रिलिंग के बाद की गई थी । परन्तु डी-25 खोज के संदर्भ में खोजोपरान्त समय की पाबन्दी से कोई समझौता नहीं किया गया था । एम.ओ.पी.एन.जी. ने यह भी कहा कि प्रक्रिया को अब कारगर बनाया जा चुका है तथा खोज अधिसूचनाओं की पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुसार समुचित निगरानी की जा रही थी ।

7.4 मूल्यांकन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने/समीक्षा करने में विलम्ब

हमने के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 ब्लाक के संबंध में मूल्यांकन कार्यक्रम संबंधी कमियाँ देखीं

| ब्लॉक | कमियाँ |
|---|---|
| के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 (प्रचालक : आर.आई.एल.) | <ul style="list-style-type: none"> • मूल्यांकन कार्यक्रम तथा कार्य योजना तथा बजट (डब्ल्यू.पी.एण्ड बी.) क्रमशः 3 तथा 16 महीनों के विलम्ब से सौंपे गए थे । • मूल्यांकन कार्यक्रम तथा डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. की समीक्षा क्रमशः 13 तथा 8 महीनों के विलम्ब से की गई थी । <p>अपने उत्तर में (जुलाई 2011), एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा कि पी.एस.सी. में व्यवसायिकता की घोषणा मूल्यांकन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के बाद प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि निर्धारित थी । क्योंकि व्यवसायिकता को प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि निर्धारित थी, ठेकेदारों को मूल्यांकन कार्यक्रम क्रियान्वित करना पड़ता था तथा</p> |

| ब्लॉक | कमियाँ |
|-------|--|
| | <p>इसके बाद डी.ओ.सी. पी.एस.सी. अवधि के अनुसार प्रस्तुत की जाती थी। इसीलिए मूल्यांकन कार्य योजना तथा बजट की देरी से प्रस्तुति पी.एस.सी. में निर्धारित सीमा रेखा से डी.ओ.सी. का प्रस्तुतीकरण प्रभावित नहीं करती। फिर भी, इस विषय में लेखापरीक्षा द्वारा की गई प्रेक्षण को नोट कर लिया गया था तथा भविष्य में होने वाले मामलों में इसका अनुपालन किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब हम एम.ओ.पी.एन.जी. के उत्तर को कि उन्होंने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को लिख लिया है पर ध्यान देते हैं, वास्तव में पी.एस.सी. के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ था। |

7.5 विकास योजना का प्रस्तुतीकरण

हजिरा पी.एस.सी. के अनुच्छेद 9 में अनुबन्धित है कि प्रभावी तिथि (पी.एस.सी. पर हस्ताक्षर होने अर्थात् सितम्बर 1994) के 90 दिनों के भीतर, ठेकेदार को एक व्यापक विकास योजना प्रस्तुत करनी होगी। फिर भी, ठेकेदार ने क्षेत्र विकास योजना सात वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत की।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा (जुलाई 2011) कि सूचना डॉकेट के अनुसार प्रदान करते समय क्षेत्र में 1.9 बी.सी.एफ. का जी.आई.आई.पी. तथा भूमि पर गैस का केवल एक कुँआ (हजिरा-1) था। सामान्य रूप, से क्षेत्र का विस्तार एक कुँए के डाटा के आधार पर सुनिश्चित नहीं की जा सकता था। विकास योजना तैयार करने के लिए क्षेत्र रेखांकन की आवश्यकता थी।

उत्तर बाद में सोचा विचारा गया लगता है क्योंकि एम.सी. की बैठक के कार्यवृत्त/डी.जी.एच. की लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में ऐसे कोई विचार दिखाई नहीं दिए/अभिलिखित नहीं थे।

7.6 प्रचालन व्यवस्था

पी.एस.सी. के प्रावधानों में अनुबन्धित है कि प्रभावी तिथि (अर्थात् पी.एस.सी. पर हस्ताक्षर होने की तिथि अथवा पी.ई.एल. प्रदान किए जाने की तिथि, जो भी बाद में हो)⁶² के 15 दिनों के भीतर, ठेकेदार की संघटक कंपनियों को एक संचालन समझौता कार्यान्वित करना चाहिए; इस समझौते की एक प्रति सरकार को दी जानी है। हमने पाया कि :

- एम.बी.—ओ.एस.एन.—97/3 ब्लॉक (प्रचालक : आर.आई.एल.) के मामले में, प्रचालक द्वारा समझौते की प्रति सरकार को उपलब्ध कराने का कोई साक्षी दस्तावेज हमें नहीं मिला;
- प्रचालन समझौता सी.बी.—ओ.एन.एन.—2000/1 ब्लॉक (4 महीनों) के के.के.—डी.डब्ल्यू.एन.—2000/2 (3 ½ महीने) तथा एम.बी.—ओ.एस.एन.—2004/2 (2 महीनों) के विलम्ब से कार्यान्वित किया गया था।

उत्तर में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि प्रचालन समझौता संघ साझेदारों के बीच किया गया था। क्योंकि प्रावधान पी.एस.सी. जिसमें सरकार भी एक पार्टी है में अनुबन्धित

⁶² या वह अधिक अवधि जिस पर सरकार सहमत हो।

हैं, हमारे मतानुसार डी.जी.एच. को पी.एस.सी. के सभी प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए।

7.7 प्रबन्ध समिति

एन.ई.एल.पी. पी.एस.सी.ज एम.सी. में भारत सरकार के दो प्रतिनिधियों के नामांकन का प्रावधान प्रदान करता है। 2007 तक, डी.जी.एच. एम.सी. में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में अपने दो अधिकारियों का नामांकन कर रहा था। तथापि, मार्च 2007 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने डी.जी.एच. को स्पष्ट किया कि :

- शक्तियाँ प्रत्यायोजन करने का मुख्य उद्देश्य डी.जी.एच. के तकनीकी विशेषज्ञों का पेट्रोलियम रिजवार्यस के बेहतर प्रबन्धन के लिए तथा सम्बद्ध तकनीकी डाटा के भंडारण के रूप में काम करना था;
- ठेकेदारों को भुगतान का अनुमोदन करना जैसे कि अधूरी प्रतिबद्ध कार्य योजना का पी.एस.सी. अंतर्गत तथा भारत सरकार की ओर से ऐसे भुगतानों को स्वीकार करना भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

तदनुसार, एम.ओ.पी.एन.जी. ने एम.सी. के दो भारत सरकार के प्रतिनिधियों में से एक के लिए अपने अधिकारी की नियुक्ति की जबकि दूसरा प्रतिनिधि डी.जी.एच. का होता था।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 की लेखापरीक्षा खोजों पर प्रचालक के उत्तर को अग्रेषित करते हुए (जुलाई 2011) निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए :

- एम.सी. में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रचालक का यह सोचना कि इसमें भारत सरकार का अनुमोदन शामिल है सही नहीं है। पी.एस.सी., पी.एस.सी. में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों के अनुमोदन, तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों वाली भारत सरकार के अनुमोदन के बीच के अन्तर की स्पष्ट पहचान करती है। इसके अतिरिक्त पी.एस.सी. स्पष्ट करती है कि जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, एम.सी. भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी।
- इस प्रकार, प्रचालक का कथन कि सभी खरीद संव्यवहार प्रचालक द्वारा परिभाषित तथा एम.सी. द्वारा अनुमोदित पद्धतियों के अनुरूप अनुमोदित हैं, गलत है तथा इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।
- खरीद पद्धति तथा विकास योजना का अनुमोदन जोकि एम.सी. की अनुमोदन क्रियाओं की सीमा के भीतर है को भारत सरकार का अनुमोदन नहीं समझा जाना चाहिए।

हम एम.ओ.पी.एन.जी. के मत से पूर्णतः सहमत हैं कि एम.सी. का अनुमोदन (भारत सरकार के प्रतिनिधियों सहित) और भारत सरकार का अनुमोदन पी.एस.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अलग और भिन्न हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह, एक प्रकार से पी.एस.यू. के निदेशक बोर्ड पर भारत सरकार के नामिती/प्रतिनिधि निदेशकों की हिस्सेदारी; पी.एस.यू. बोर्ड द्वारा निर्णय/कार्यवाही के अनुमोदन (भारत सरकार के नामिती/प्रतिनिधियों सहित) के समान है; भारत सरकार की मंजूरी के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त स्थिति के बावजूद, एम.सी. पर भारत सरकार के प्रतिनिधियों का महत्व कम नहीं माना जा सकता। कई कार्यवाहियाँ, जिनका भारत सरकार की वित्त प्राप्ति पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता था को एम.सी. स्तर पर लिया गया (और भारत सरकार पर नहीं)। इस प्रकार एम.सी. पर भारत सरकार के वित्तीय हित को बचाने में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की भूमिका (अच्छा तकनीकी प्रबन्धन और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के अलावा—उचित रिज़वायर प्रबन्धन इत्यादि) विवेचनात्मक है।

तथापि, हमने प्रबन्धन समिति से संबंधित पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुपालन, बैठकों की आवृत्ति के संबंध में, नोटिस के परिचालन, सदस्यों को कार्यक्रम और बैठक के कार्यवृत्त को अन्तिम रूप देने में बड़ी संख्या में कमियाँ पाईः

- हमारे द्वारा जाँच की गई 20 पी.एस.सी. में से 7 पी.एस.सी. के संबंध में हमने पाया कि निर्धारित आवृत्ति के अनुसार एम.सी. बैठकों का आयोजन नहीं किया गया था (के.के.-डी. डब्ल्यू.एन.-2003/1, आर.जे.-ओ.एन.एन.-2002/1, आर.जे.-ओ.एन /90/1, सी.बी.-ओ.एस/2 और सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1, मध्य और दक्षिण ताप्ती और पन्ना—मुक्ता) इसके अतिरिक्त, अधूरे रिकार्ड्स/एम.सी. बैठकों/प्रस्तावों की गलत नम्बरिंग और पूरे कार्यवृत्त/प्रस्तावों की अनुपलब्धता/प्रस्तुत न करने के कारण 5 पी.एस.सी. (हाजिरा, के.जी.-डब्ल्यू.एन-98/3, एम. बी.-ओ.एस.एन-97/3, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन-2002/1 और एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन-2004/3).के संबंध में बैठकों की आवृत्ति सत्यापित नहीं जा सकी।
- 8 पी.एस.सी. के संबंध में (हाजिरा, सी.बी.-ओ.एस./2, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन-98/3, के.जी.-ओ. एस.एन-2001/2, एम.बी.-ओ.एस.एन-97/3, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1, एम.एन.-डी.डब्ल्यू. एन-2004/3 और आर.जे.-ओ.एन.-90/1). नोटिस जारी करने, अस्थायी कार्यक्रम के संचरण और समयबद्ध तरीके से बैठकों के कार्यवृत्त को अन्तिम रूप देने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन का पता अधूरे अभिलेखों के कारण नहीं लगाया जा सका।

आर.जे.-ओ.एन-90/1 ब्लाक के संबंध में मई 1995 और जून 2009 के बीच केवल 12 एम.सी. बैठके ही क्यों की गई के बारे में लेखापरीक्षा जाँच के उत्तर में डी.जी.एच. ने बताया (फरवरी 2010) कि वह लगभग 250 पी.एस.सी. और श्रमशक्ति स्ट्रेंथ सहित लगभग 350 एम.एल. संभाल रहा था। इस प्रकार, एम.सी. बैठकों के निर्धारित समय का सख्ती से अनुपालन हमेशा संभव नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एम.ओ.पी.एन.जी. ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2011) कि एम.सी. को पी.एस.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत विशिष्ट भूमिकाएँ दी गई थीं और एम.सी. की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बैठकें की गई थीं। परिस्थितियों, मामलों और प्रचालन आवश्यकता के आधार पर एम.सी. बैठकें की गई थीं। इसके अतिरिक्त, पी.एस.सी. के प्रावधनों में प्रोफिट शेयरिंग मेकेनिज़म और लेखा बहियों से प्रोफिट फलों की मात्रा अच्छी तरह से परिभाषित थी।

लेखा बहियों की सत्यता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लेखापरीक्षकों को लगाया गया था।

एक प्रोफिट शेयरिंग तंत्र में (जैसा कि इन पी.एस.सी. में परिकल्पित था, जो साधारण रॉयल्टी फार्मूला के विपरीत है) लगातार निरीक्षण और मॉनीटरिंग आवश्यक है, जिससे प्रबन्ध समिति पर सरकारी प्रतिनिधियों की भूमिका विवेचनात्मक हो जाती है। एक बार यह तंत्र एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा संविदात्मक तरीके से स्वीकार और प्रचालित कर लिया जाता है, एम.ओ.पी.एन.जी. और डी.जी.एच. के लिए सुनिश्चित करना कि यह नियंत्रण प्रभावी और सामयिक तरीके से कार्य करते हैं आवश्यक हो जाता है।

7.8 आवधिक रिपोर्टिंग

पी.एस.सी. के अनुसार, ठेकेदारों को डी.जी.एच. को निर्धारित समय सीमा के अन्दर वार्षिक और तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिनमें विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया हो जैसे :

- भारतीय संसाधनों के उपयोग में उनकी उपलब्धियों की रूप-रेखा देते हुऐ वार्षिक स्थानीय अधिप्राप्ति विवरण;
- लागत, व्यय और प्राप्तियों का तिमाही विवरण;
- तिमाही लागत वसूली विवरण; और
- वर्षान्त विवरण इत्यादि।

तथापि, रिकार्डों की नमूना जाँच से 13 पी.एस.सी. के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1, एम.बी.-ओ.एस. एन.-97/3, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2, एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1, सी.बी.-ओ.एस./2, हजीरा फील्ड, सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1, सी.बी.-ओ.एन./1, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2, एम.बी.-ओ.एस.एन.-2004/2 और आर.जे.-ओ.एन.एन.-2002/1 के संबंध में कमियों का पता चला। विस्तृत विवरण अनुलग्नक 7.1 में दिया गया है।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने उत्तर में बताया (जुलाई 2011) कि परिचालक भारतीय संसाधनों के उपयोग रिपोर्ट, तिमाही प्रोफिट पेट्रोलियम विवरण, वर्षान्त विवरण, मासिक रिपोर्ट इत्यादि पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के लिए उत्तर स्पष्ट नहीं है।

7.9 वित्तीय मुद्दे

7.9.1 बैंक गारंटी, वित्तीय और निष्पादन गारंटी और कानूनी मत की प्रस्तुती

पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों को (क) एक बैंक गारंटी (ख) मूल कंपनी की निष्पादन गारंटी⁶³ (ग) और एक कानूनी मत कि यह गारंटियाँ कानूनी रूप से वैध, लागू और बाध्यकारी थीं। यदि यह समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, सरकार द्वारा 90 दिन के लिखित नोटिस से पी.एस.सी. को रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक गारंटियों का गारंटी अवधि की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले नवीकरण किया जाना होता था। तथापि, हमने इन गारंटियों के प्रस्तुतीकरण में कमियाँ/विलम्ब पाये, जैसा कि नीचे सारबद्ध है :

⁶³ या जहाँ कोई निष्पादन गारंटी नहीं है, स्वयं कम्पनी से

| ब्लॉक | कमियाँ |
|------------------------------|--|
| एम.बी-ओ.एस.एन-97/3 | <ul style="list-style-type: none"> आर.आई.एल.द्वारा निष्पादन गारंटी और कानूनी मत प्रस्तुत करने में 5 माह का विलम्ब था। नीको रिसोरसेस ने निष्पादन गारंटी और कानूनी मत नहीं दिया। इसने 18 माह के बाद बैंक गारंटी (15 मई 2002 तक 5 माह की वैधता के साथ) प्रस्तुत की, इसके अतिरिक्त उपलब्ध दस्तावेजों से हम यह सत्यापित नहीं कर पाए कि क्या 18 जुलाई 2003 अर्थात् नीको रिसोरसेस के पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट को आर.आई.एल की देने की तारीख तक गारंटी का नवीकरण कर लिया गया था। |
| के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 | <ul style="list-style-type: none"> एच.ई.पी.आई. और आर.आई.एल. ठेकेदारों ने क्रमशः 82 और 17 दिनों के विलम्ब के बाद गारंटियाँ प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, एच.ई.पी.आई. द्वारा प्रस्तुत गारंटी, जोकि 31 मार्च 2004 को समाप्त हो चुकी थी, का समाप्ति तिथि के बाद नवीकरण नहीं करवाया गया था। <p>उत्तर में, (दिसम्बर 2008), डी.जी.एच. ने बताया कि एच.ई.पी.आई. ने 14 जून 2004 को मैसर्स आर.आई.एल. को उसके 10 प्रतिशत पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट (पी.आई.) को देने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर डी.जी.एच. में कार्यवाही की गई और यह एम.ओ.पी.एन.जी. के विचाराधीन था; पी.आई. के समनुदेश का अनुमोदन सरकार द्वारा 15 मार्च 2005 को सूचित किया गया। चूंकि पी.आई. का हस्तांतरण आर.आई.एल. को प्रस्तावित था, एच.ई.पी.आई. ने गारंटी का नवीकरण नहीं किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और किसी भी दशा में, पी.आई. के हस्तांतरण के बाद नवीकृत बैंक गारंटी जारी की जा सकती थी।</p> |
| एन.ई.सी.-2002/1 | <ul style="list-style-type: none"> आर.आई.एल. और एच.ई.पी.एल. ठेकेदारों ने क्रमशः 5 और 2 माह के विलम्ब के बाद निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की। इसके अलावा, एच.ई.पी.आई. ने 3 माह के विलम्ब के बाद बैंक गारंटी प्रस्तुत की और बैंक गारंटी का नवीकरण इसकी समाप्ति के बाद 22 जुलाई 2008 के बजाय 14 जुलाई 2006 तक ही किया। |
| के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 | <ul style="list-style-type: none"> उपलब्ध अभिलेखों से हम यह सत्यापित नहीं कर सके कि क्या अपेक्षित गारंटियाँ नीको रिसोरसेस द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। |
| एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3 | <ul style="list-style-type: none"> आर.आई.एल. द्वारा निष्पादन गारंटी और कानूनी मत की प्रस्तुती में 2 माह का विलम्ब था। |

| ब्लॉक | कमियाँ |
|---------------------------------------|---|
| सी.बी.-ओ.एन.एन-2000/1 | <ul style="list-style-type: none"> जी.एस.पी.सी. और जे.टी.आई. द्वारा निष्पादन गारंटी और कानूनी मत प्रस्तुत करने में क्रमशः 2 और 4 माह का विलम्ब था। |
| पन्ना—मुक्ता और मध्य और दक्षिण ताप्ती | <ul style="list-style-type: none"> आर.आई.एल. ने बैंक गारंटी और निष्पादन गारंटी प्रस्तुत नहीं की। |

उत्तर में (जुलाई 2011)

- एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि वर्तमान में अपेक्षित गारंटी की मानीटरिंग के लिए एक ठोस प्रणाली थी।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के उत्तर दिए बिना एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया कि एम.बी.-ओ.एस.एन-97/3 और के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 ब्लॉकों को छोड़ दिया गया था। एन.ई.सी.-2002/1, एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3 और सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 के संबंध में भी कोई औचित्य नहीं दिया गया था।
- के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, के संबंध में एम.ओ.पी.एन.जी. ने केवल वित्तीय और निष्पादन गारंटी की एक प्रति भेजी, कानूनी मत और बैंक गारंटी की प्रतियाँ नहीं भेजी गईं।
- पन्ना—मुक्ता और मध्य और दक्षिण ताप्ती के संबंध में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया कि चूंकि आर.आई.एल. की कोई मूल कम्पनी नहीं है, उन्हें वित्तीय और निष्पादन गारंटी—प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पी.एस.सी. के अनुच्छेद 29.1 में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध है कि प्रत्येक कम्पनी को वित्तीय और निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना चाहिए।

7.9.2 बीमा कवरेज प्रस्तुत न करना

पी.एस.सी. प्रावधानों में निर्बंधित है कि ठेकेदारों को पी.एस.सी. शर्तों के दौरान पैट्रोलियम आपरेशनों⁶⁴ के संबंध में बीमा कवरेज लेना और उसे बनाए रखना और भारत सरकार को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जिसमें इसका साक्ष्य हो कि ऐसा कवरेज प्रभावित था, अपेक्षित है। इसके अलावा, ऐसी बीमा पालिसियों में भारत सरकार को अतिरिक्त बीमाकृत के रूप में शामिल करना चाहिए और भारत सरकार के विरुद्ध प्रतिरक्षण हटाना चाहिए।

बीमा कवरेज से संबंधित रिकॉर्ड के उपलब्ध न कराए जाने के कारण हम 7 पी.एस.सी. (सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1, सी.बी.-ओ.एस./2, हाजिरा, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1, एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3 एवं एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3) के संबंध में यह सत्यापित नहीं कर पाए कि क्या बीमा कवरेज ठेकेदार द्वारा प्राप्त एवं बनाए रखी गई थी।

⁶⁴ ऐसी राशि के लिए और ऐसे जोखिम के विरुद्ध प्रथानुसार या विवेकानुसार अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम उद्योग में अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम उद्योग व्यवहार के अनुसार बीमा किए जाते हैं।

उत्तर में एम ओ पी एन जी ने कहा (जुलाई 2011) धारा 24 एम ई पी एस सी वृहत रूप से बीमा को आवश्यक रूप से ठेकेदारों द्वारा प्राप्त करने और सभी बीमा नीतियों, भारत सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा सहित और प्रतिस्थापना से भारत सरकार के मुक्ति से संबंधित है। यह सूचित करते हुए कि बीमा पर लेखापरीक्षा अपबाद, जोकि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा चन्हित करने पर अनुसरण किया गया, सुलझाया गया, एम ओ पी एन जी ने किसी अन्य मुद्दे को बीमा खण्ड में शामिल करने की लेखापरीक्षा से सलाह मांगी। एम ओ पी एन जी का उत्तर लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रब्लॉन्डों दस्तावेजों को न पेष करने (बीमा सुरक्षा संबंधित) के संदर्भ में नहीं थे।

आगे, पन्ना—मुक्ता एवं मध्य तथा दक्षिण ताप्ती पी.एस.सी. के मामले में, प्रत्येक ठेकेदार अपने अपतटीय स्थापना के किसी भिन्न सीमा तक जोखिम भिन्न प्रकार के साथ के लिए हिस्सेदारों के हितों को कवर करने के लिए अलग बीमा हासिल था, जिसके परिणामस्वरूप कवरेज एवं प्रीमियम में एकरूपता नहीं थी। जवाब में (सितंबर 2010), एम.ओ.पी.एन.जी. ने कहा कि बीमा कवर अनिवार्य रूप से ठेकेदार का एक बिजनेस निर्णय था, जिसने अपनी पूँजी का अग्रिम निवेश किया था एवं अपने निवेश की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था, और ठेकेदार के जोखिम और जोखिम से बचने की धारणा की डिग्री के आधार पर किया गया था। अगर प्रस्तुत बीमा पॉलिसी पी.एस.सी. की आवश्यकताओं को पूरा करती है, पॉलिसी सरकार को स्वीकार्य होगी।

उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एम ओ पी एन जी ने फरवरी 2007 में, डी.जी.एच. को सरकार द्वारा विचार के लिए एवं मानकीकृत नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया था। तथापि, डी.जी.एच. ने ऐसी कोई नीति निरूपित नहीं की थी।

7.10 रॉयल्टी

- सी.बी.—ओ.एस./2 ब्लॉक के संबंध में, हमने पाया कि प्राकृतिक गैस के लिए मानदंडों की अधिसूचना में देरी की वजह से, ठेकेदार ने उच्च पोस्ट वेलहड लागत लेने के कारण रॉयल्टी भुगतान को 2006–07 में कम किया। रॉयल्टी प्रेषण बयान के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि 2006–07 के दौरान, पोस्ट वेलहड व्यय 22 से 41 प्रतिशत एवं 2007–08 के दौरान, यह सिर्फ 8 और 18 प्रतिशत के बीच लेकर था।
- माह मार्च 2008 के सी.बी.—ओ.एस.–2 ब्लॉक के संबंध में मासिक उत्पादन स्टेटमेंट और रॉयल्टी प्रेषण स्टेटमेंट के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि रूपये 7.63 करोड़ की देय रॉयल्टी के खिलाफ, लाइसेंसी ने माह मार्च 2008 में तेल उत्पादन आंकड़ा गलत अपनाने के कारण सरकार को 6.86 करोड़ रूपये का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 0.77 करोड़ रूपये का कम भुगतान हुआ।

प्रतिउत्तर में (जुलाई 2011) :

- कम हुई रायल्टी भुगतान के मुद्दे को एम ओ पी एन जी ने लेखापरीक्षा के विचार को स्वीकार किया (जुलाई 2011) तथा यह इंगित किया कि डी.जी.एच. ने, संविधानिक वसूली के निगरानी द्वारा, ये मुद्दे उठाये थे जोकि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किये गये थे।
- रु. 0.77 करोड़ के कम भुगतान के विषय में, एम ओ पी एन जी ने सूचित किया कि ओ एन जी सी, लाइसेंसी द्वारा अभी रु. 47 मिलियन और यू.एस.डॉलर 3.8 मिलियन के रायल्टी के कम भुगतान की मांग को पूरा करना है तथा यह सलाह दी गई कि कम

भुगतान की गई रायल्टी की गणना के लिये वर्ष 2004–05 और 2007–06 का विवरण प्रस्तुत करें।

- एम ओ पी एन का उत्तर विषिष्ट मुददों—रायल्टी के कम भुगतान, तेल के उत्पादन आंकड़ों को मार्च 2008 में गलत ढंग से लेना, को स्पष्ट नहीं करता है।

7.11 पेट्रोलियम के माप

पी.एस.सी. प्रावधान पेट्रोलियम की सही मात्रा की माप और गुणवत्ता के निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं, जिससे पेट्रोलियम संचालन से सटीक सरकारी राजस्व सुविधाजनक बन सके, अर्थात्

- उत्पादन प्रारम्भ करने से पहले, भारत सरकार तथा ठेकेदार को पारस्परिक सहमत होना चाहिए (क) पेट्रोलियम उत्पादन की मात्रा की माप के लिए नियोजित किए जाने वाली विधियों पर, (ख) बिन्दुओं पर, जिस पर पेट्रोलियम मापा जाना चाहिए, (ग) निरीक्षणों की आवृत्ति एवं माप उपकरणों के परीक्षण एवं इसकी प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर (घ) माप में त्रुटियों के निर्धारण के परिणामों पर।
- ठेकेदार द्वारा एम.सी./भारत सरकार को मापन ऑपरेशन संचालन अथवा इस तरह के ऑपरेशन के लिए किसी भी सहमत परिवर्तन के लिए समय पर नोटिस देना चाहिए, एवं भारत सरकार को इस तरह के ऑपरेशनों के लिए सीधे या अधिकृत संचालन के माध्यम से उपस्थित होने तथा निगरानी करने का अधिकार है।

तथापि, इस संबंध में पूरे रिकॉर्ड के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण, हम यह सत्यापित नहीं कर सकते कि क्या हजीरा फील्ड तथा सी.बी.—ओ.एस.-2 ब्लॉक के संबंध में एम.ओ.पी.एन.जी./डी.जी.एच. द्वारा पी.एस.सी. प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

7.12 लेखा तथा लेखापरीक्षा

7.12.1 खातों के चार्ट का देरी से/गैर-प्रस्तुतीकरण

पी.एस.सी. के अनुसार, प्रभावी होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा खातों के चार्ट की प्रस्तावित रूपरेखा प्रस्तुत एवं चर्चा करनी चाहिए एवं भारत सरकार को 90 दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए। आगे, ठेकेदार और भारत सरकार को प्रभावी तारीख से 180 दिनों के भीतर खातों के चार्ट पर सहमत होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने, तथापि, इस संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाईः

- लेखा के चार्ट प्रस्तुत करने में सी.बी.-ओ.एस./2 (6 वर्ष), आर.जे.-ओ.एन.एन.-2002/1 (4 वर्ष), एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3 (4 ½ माह) तथा के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 (4 ½ माह)
- डी.जी.एच. द्वारा अधूरे रिकॉर्ड प्रदान करने के कारण, सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में तथा ठेकेदार और सरकार के बीच समझौते के तथ्य सत्यापित नहीं किए जा सकें, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3 एवं एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3 ब्लॉक के संदर्भ में
- उपरोक्त तीनों शर्तों के संदर्भ में समय सीमा की अनुपालना का सत्यापन नहीं किया जा सका, सी.बी.-ओ.एन./1, एम.बी.-ओ.एस.एन.-2004/2, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1, सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 ब्लॉक एवं

हाजिरा फील्ड के संदर्भ में, क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उत्तर में एम ओ पी एन जी ने कहा (जुलाई 2011) इन प्रारम्भिक नेलप खण्डों के ठेकेदारों द्वारा लेखे नियमित रूप से फार्मेट में पेष किये गये जोकि लेखों के निरीक्षण हेतु सही थे जबकि पी एस सी प्रावधानों का पालन इस आवध्यकता के अनुरूप बाद के नेलप राउंड में ठीक से हो पाया।

7.12.2 लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतिकरण / स्वीकरण / अनुमोदन में देरी

पी.एस.सी. प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखें एम.सी. को वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के भीतर जमा कराने थे। आगे, एम.सी. को प्रस्तुतिकरण के 30 दिनों के भीतर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुमोदन करना अनिवार्य था। जबकि लेखा जांच में निम्न पाया गया—

- चार ब्लॉकों में के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1 एवं एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/3 के संदर्भ में, प्रस्तुतिकरण में 20 से 49 दिवस तथा लेखापरीक्षित लेखों के अनुमोदन में 1 से 9½ माह की देरी हुई। यद्यपि, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के पी.एस.सी. में एम.सी. द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् स्वीकरण / अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक के लेखों के अनुमोदन में महत्वपूर्ण देरी (8 से लेकर 20% माह के बीच) थी। इस संदर्भ में विवरण अनुलग्नक-7.2 एवं अनुलग्नक-7.3 में दिया गया है।
- आर.जे.-ओ.एन.-90/1 (2006 एवं 2007) तथा सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 (2001-02 से 2006-07 के लिए) के संदर्भ में वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों के अनुमोदन एवं स्वीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। आगे, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2 के 2007-08 के लेखें प्रस्तुतीकरण (जून 2008) के पाँच माह बाद स्वीकरण के लिए (नवंबर 2008) लंबित थे।
- पन्ना-मुक्ता मध्य तथा दक्षिण ताप्ती अनुबंध क्षेत्र के मामले में, लेखें एम.सी. द्वारा स्थापना अर्थात् 1994–95 से नहीं अपनाएँ गए थे, लंबित लेखापरीक्षा अपवाद के गैर-समाधान के कारण।
- एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1 (2005-06 तथा 2007-08 के लिए) तथा के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2 (2002-03 तथा 2003-04 के लिए) के संदर्भ में लेखापरीक्षित लेखों के समय पर अनुमोदन एवं स्वीकरण को सत्यापित नहीं किया जा सका, क्योंकि लेखापरीक्षित लेखों के इन वर्षों के संबंधित स्वीकरण एवं अनुमोदन के संबंधित सहायक दस्तावेज / एम.सी. संकल्प रिकॉर्ड में नहीं थे।

उत्तर में (जुलाई 2011) एम ओ पी एन जी ने कहा कि:

- खोज गए खंडों के लेखे सामन्यतः नियमित रूप से अपनाए जा रहे थे। जबकि कुछ मामलों में, खर्च में असमानता के कारण, कार्य प्रोग्राम या संबंधित मामलों के कारण अपनाए जाने में देरी हुई। तब भी इसका असर शून्य के बराबर था खोजकाल के दौरान, पैट्रोलियम लागत शामिल नहीं था। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रस्तावित समयबद्धता को न लागू करना, पी एस सी के मकसद के विपरीत है।
- पन्ना-मुक्ता और ताप्ती के संबंध में ठेकेदार तथा सरकार द्वारा इंगित आकड़ों में अत्यधिक अंतर था और ठेकेदार ने मध्यस्थता की मांग की।

7.12.3 भारत सरकार अधिसूचित लेखापरीक्षा अपवाद का गैर-अनुपालन

पी.एस.सी. के अनुसार, भारत सरकार को अपने प्रतिनिधियों द्वारा या सी ए/सलाहकार फर्मों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद 120 दिनों के भीतर लेखापरीक्षा अपवाद अधिसूचित करने चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा 120 दिनों के भीतर अपवाद की सूचना का जवाब देना चाहिए। जहाँ ठेकेदार निर्धारित समय में जवाब देने में विफल रहता है, अपवाद अभिभावी होना चाहिए। हम ने हालांकि पाया कि :

- सी.बी.-ओ.एस./2 के संबंध में, डी.जी.एच. ने लागत पर माल सूची चार्ज करने की नीति, मूल कम्पनी ओवरहेड्स, गैस की बिक्री इत्यादि से संबंधित मुद्दों के लिए वर्ष 1998-99 से 2003-04 के लिए लेखापरीक्षा अपवाद का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।
- पन्ना-मुक्ता और ताप्ती जे.वी. की स्थापना के बाद से इसके लेखा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए, सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए लेखापरीक्षा आपत्तियाँ का निपटान लंबित रहा।

उत्तर में ओ.पी.एन.जी. ने कहा (जुलाई 2011) कि:-

- सी.बी.-ओ.एस./2 के विषय में लेखापरीक्षा के मत से सहमत होते हुए पी एस सी प्रावधानों के अनुसार मामला संभव विपरीतात्मकता हेतु सुलझाया जा रहा है। सी ए जी की सलाह इस मामले में भारत सरकार की मांग को शक्ति प्रदान करेगी।
- पन्ना-मुक्ता आर ताप्ती के संबंध में, यू एस डालर 80 मिलियन की राष्ट्रीय की वसूली पन्ना-मुक्ता पी एस सी के अंतर्गत कम पैट्रोलियम लाभ भुगतान 2002-06 की अवधि के संदर्भ में वसूली गई। एम ओ पी एन जी ने 78 मिलियन यू एस डालर की वसूली पन्ना-मुक्ता पी एस सी से सी ए जी लेखापरीक्षा से सुनिश्चित होने के बाद करने का प्रस्ताव किया। 0.70 मिलियन यू एस डालर की राष्ट्रीय मध्य और दक्षिण ताप्ती पी एस सी से वसूली का प्रस्ताव था जोकि मध्यस्था पर आधारित था।

7.13 कार्य योजना तथा बजट (डब्ल्यू.पी. एण्ड बी)

पी.एस.सी. प्रावधानों में निर्धारित है कि अन्वेषण, विकास और उत्पादन कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (डब्ल्यू.पी. एण्ड बी) ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को वित्तीय वर्ष शुरू होने के कम से कम 90 दिवस पहले प्रस्तुत करना था—अन्वेषण ऑपरेशन के मामले की समीक्षा के लिए, तथा विकास और उत्पादन के संचालन के मामले में अनुमोदन के लिए। हमने जबकि पाया कि:-

- डब्ल्यू.पी. एण्ड बी के प्रस्तुत करने में 12 पी एस सी में 1 से 10 माह की देरी हुई (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2, एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3, एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1, सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1, सी.बी.-ओ.एन.-/1, हाजीरा सी.बी.-ओ.एस.-2, के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2, आर.जे.-ओ.एन.-90/1 पन्ना-मुक्ता और आर.जे.ओ.एम.-2002/1)
- तीन ब्लॉकों में, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 तथा सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 ब्लॉक अन्वेषण/विकास डब्ल्यू.पी. एण्ड बी की समीक्षा/अनुमोदन प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने बाद की गई। वास्तव में, सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1, के मामले में, 2005-06 के लिए अन्वेषण बजट की केवल मार्च 2006 में समीक्षा की गई थी तथा 2006-07 के लिए बजट की जुलाई 2008 तक भी समीक्षा नहीं की गई थी।

इस संबंध में ब्लॉक—वार और वर्ष—वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक 7.4 तथा अनुलग्नक 7.5 में दिए गए हैं।

आर.जे.-ओ.एन.-90/1 ब्लॉक के संबंध में देरी के बारे में लेखापरीक्षा जाँच की प्रतिक्रिया में, डी. जी.एच. ने कहा (अक्टूबर 2010) कि कुछ अवसरों पर देर हो गई, संचालन समिति (ओ.सी.)⁶⁵ द्वारा अनुमोदित डब्ल्यू.पी. एण्ड बी के देरी से प्रस्तुत करने तथा उसके बाद स्पष्टीकरण के कारण। आगे, ऑपरेशन, एम.सी. के अंतिम अनुमोदन के अभाव में नहीं रोका जा सकता, इसलिए, अनुमोदन की प्रत्याशा में, ऑपरेटर ने ओ.सी. सिफारिशों पर आधारित कार्य योजना को जारी रखा। इसके बाद एम ओ पी एन जी ने कहा (जुलाई 2011) कि:-

- पी एस सी प्रतिदिन की निगरानी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा वर्णित नहीं करती।
- ऐसे अवसर भी थे जहां संचालकों को एम सी के समक्ष बजट प्रस्तुत करने में कठिनाई हुई समय सारणी के आधार पर जोकि संचालन कमेटी स्तर पर मतभेदों के कारण हुई। आर जे-ओ एन-90/1 में निरन्तर सहमति की कमी ओ एन जी सी लाइसेंसों और कम्पनियों में रही जोकि रायल्टी उत्तरदायित्व के विवाद से उत्पन्न थी। इन मामलों के शीघ्र उपाय नहीं थे।
- डी जी एच से कूप स्थल को स्वीकृति से पहले संचालकों की कूप में खुदाई की अनुमति नहीं थी। एम सी की स्वीकृति प्राप्त करने की जिम्मेदारी संचालक पर थी और कार्यक्रम और संबंधित मूल्यों की सहमति नहीं हुई थी होना, अनुबंध की लागत में लाभ की गणना हेतु शामिल नहीं किया जाना था। इसीलिए इं और पी संचालन लाइसेंस/लीज क्षेत्र पर समुचित नियंत्रण था।

हमारे विचार से वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट का प्रस्तुत करना तथा अनुमोदन करना आवश्यक है। डी.जी.एच की स्वीकृति कूपस्थल की ड्रीलिंग से पहले बजट पर नियमित नियंत्रण का स्थानापन्न नहीं हो सकता।

⁶⁵ केवल ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना (तथा सरकार नहीं)

अध्याय ४ निष्कर्ष एवं सामान्य सिफारिशें

विश्वस्तरीय ई एण्ड पी नक्शों पर, भारत के विभिन्न बेसिनों में विशाल कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस सहित भारत में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अब दृढ़ता से स्थापित है। उत्पादन सहभागिता अनुबंध (पी.एस.सी)–जी.ओ.आई एवं (निजी) ठेकदारों के बीच अनुबंध के आधार नई अन्वेषण लाइसेंसिंग पोलिसी (एन.ई.एल.पी) के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत प्री.एन.ई.एल.पी अन्वेषण ब्लॉक से ब्लॉक तक खोज किये गये क्षेत्र के सम्बंध में अनेक परिवर्तन हुए। तथापि हमारी लेखापरीक्षा दर्शाती है कि वर्षों से सरकारी अभिकारणों द्वारा अर्जित किये गये अनुभव के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भागेदारी के साथ हाइड्रोकार्बन ई एण्ड पी के प्रबन्धन में सुधार की महत्वपूर्ण गुंजायश है।

8.1 पी.एस.सी. का ढांचा

पी.एस.सी. जैसाकि मौजूदा स्थिति है, भारत सरकार और निजी ठेकदारों के बीच शेयर लाभ के लिये स्केल्ड फार्मूले पर आधारित है। यह एक क्रिटिकल पैरामीटर – निवेश गुणक (आई.एम.) पर आधारित है जो कि अनिवार्यता: ई एण्ड पी परियोजना के कैपिटल इन्सेन्टिव प्रकृति का सूचक है, अर्थात् आय से सम्बन्धित, अन्वेषण एवं विकास गतिविधियों पर 'कैपेक्स' की राशि है। लाभ की हिस्सेदारी के स्लैबों को इस प्रकार परिकल्पित किया गया है कि परियोजना में जितना अधिक कैपिटल इन्सेन्टिव होगा उतना ही कम भारत सरकार का 'पैट्रोलियम लाभ' का शेयर (अर्थात् निम्नतर आई.एम) होगा (जो 5 से 10 प्रतिशत कम हो सकता है)। इसके विपरीत, यदि उच्चतर आई.एम. (अर्थात् आय के साथ-साथ कम पूँजीगत इन्सेन्टिव), हो तो 'पैट्रोलियम लाभ' के लिये भारत सरकार के शेयर होगे (जो 85 प्रतिशत तक उच्च हो सकते हैं)।

तथापि, चलन में, निजी ठेकेदार के पूँजीगत व्यय को कम करने के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन है—और पूँजीगत व्यय या "फ्रन्ट एण्ड" पूँजीगत व्यय बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है, जिससे की निम्नतर स्लैबों में आई.एम. को रोका जा सके या उच्चतर स्लैबों में जाने में देरी की जा सके।

आई.एम. आधारित लाभ शेयरिंग फार्मूले का ढांचा (विशेषतः जब जी.ओ.आई का लाभ हिस्सा आबंटन हिस्सा आई.एम. स्लैब का 2.5 या अधिक पर 28 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो) तो विशेष दृश्यलेखों में, एक बिन्दु तक पूँजीगत व्यय में बढ़त के परिणामस्वरूप ठेकेदारों का पैट्रोलियम लाभ का हिस्सा बढ़ सकता था बावजूद इसके कि कुल पैट्रोलियम के लाभ में कमी के साथ-2 जी.ओ.आई. के पैट्रोलियम लाभ का हिस्सा घट गया। इसके अतिरिक्त पूँजीगत व्यय की पूर्व में लगी लागत (अर्थात् प्राथमिक चरणों की तरफ झुकते हुए) आई.एम. को घटा देती है तथा उच्चतर आय आई.एम. स्लैबों में गति को स्थगित कर देती है, इसके परिणामस्वरूप कैश फ्लो के आधार पर छूट से जी.ओ.आई. के हिस्से में कमी आती है चूंकि वे स्लैब जिन में जी.ओ.आई. का हिस्सा उच्चतर होगा वे पहले आने की बजाय बाद में आते हैं।

ई एण्ड पी संचालन नियंत्रण अधिकांशतः निजी संचालकों के पास है तथा जी.ओ.आई. की दूरदृष्टि ब्लॉक के लिए प्रबन्धन समिति में प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से प्रतिबंधित करता है। (एम.ओ.पी.एन.जी. और/या डी.जी.एच. के माध्यम से) विशेषतः वार्षिक कार्य प्रोग्रामों और बजट एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अनुमोदन में तथा पी.एस.सी. में वर्णित कुछ अनुमोदित कार्यों में।

अशोक चावला कमेटी रिपोर्ट

यह पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन पर अशोक चावला कमेटी की रिपोर्ट का निष्कर्ष भी आई.एम. के आधार पर लाभ आबंटन फार्मूला इस समिति में अन्य बातों के साथ-साथ एम.ओ.पी. एन.जी. एवं वित्त मंत्रालय प्रतिनिधि थे, जिससे यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता था कि इसके निष्कर्षों पर अच्छी तरह से विचार किया गया था तथा रिपोर्ट अभी पब्लिक के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने कहा की व्यवस्था '(एक संचालक के) अपना निवेश बढ़ाने के लिए या अपनी कार्य योजना को पहले पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देती है ताकि वह स्थिति ना आए जहाँ सरकार का लाभांश तेजी से बढ़े।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने कहा है प्रक्रिया 'प्रोत्साहन देता (एक संचालक का)' है ताकि निवेश को बढ़ाने या पहले से अपनी कार्य प्रणाली इस तरह बनाए की निवेश उस सीमा तक ना पहुँचे कि सरकार का लाभ तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाये।

के.जी.-डी डब्लू एन-98/3 का उदाहरण देते हुए कमेटी ने कहा कि 'पूर्व टैक्स आई.एम. और रेकेदार के पैट्रोलियम लाभ हिस्सेदारी के बीच में सम्बन्ध नाटकीय रूप से बदल जाता है जब पूर्व टैक्स आदि एम 2.5 को पार करता है, साथ में सरकार का हिस्सा 28 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो जाता है। इसको याद रखना फायदेमंद होगा कि यह सूची संचालक की बोली है तथा सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।'

इसके अतिरिक्त, कमेटी के अनुसार, "कुछ पूर्व टैक्स आई.एम. का उच्च हिस्सा बिड़ को जीतने में मदद करेगी जोकि वित्तीय समीक्षा के तरीके पर आश्रित होगा। इससे यह चिन्ताएं बढ़ती है कि इस प्रकार का मूल परिवर्तन किसी भी संचालक को सभी निवेश और नीतिगत योजनाएं अपनाने के लिए बहुत मजबूत प्रोत्साहन उपलब्ध करायेगा ताकि कि पूर्व टैक्स आई.एम 2.5 के अन्दर ही रहे।"

रिपोर्ट स्पष्टत: पैट्रोलियम लाभांश की आई.एम फार्मूले के आधार पर भागीदारी से सम्बद्ध जोखिमों की ओर संकेत करती है विशेषतः जब एक लाभांश भागीदारी एक स्लैब से दूसरी स्लैब में तेजी से प्रवेश करती है हमारे विचार से एन.ई.एल.पी-VII के आगे आई.एम. स्लैब के लिए स्लाइडिंग स्केल में अनुरेत्वण करना भी इन जोखिमों को पूरी तरह सम्बोधित नहीं करता।

उच्च मूल्य की अधिप्राप्ति निर्णय पर भारत सरकार के प्रतिनिधियों का निरीक्षण/नियंत्रण स्कोप बहुत सीमित है (पूर्व-अहंता बोलीदाताओं की सूची के पूर्व सूचना के प्रति अत्यधिक प्रतिबंधित)। वास्तव में, बांग्लादेश और भारत में पी.एस.सी. के अंतर्गत अधिप्राप्ति प्रक्रिया की तुलना से पता चला कि क्लॉज समान है सिवाय कि बांग्लादेश पी.एस.सी. को उच्च मूल्य अधिप्राप्ति (यू.एस.डॉलर 500,000 से विशिष्ट रूप से अधिक) के लिए प्रबंधन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है। तथापि, यह क्लॉज लगभग सभी भारतीय पी.एस.सी. संस्करणों से आश्चर्यजनक रूप से विलुप्त है।

हमारी लेखापरीक्षा समीक्षा में मोटे तौर पर यह भी उद्घटित है कि, डी.जी.एच एवं मंत्रालय प्रबंधन कमेटी के माध्यम से ई एण्ड पी के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह अन्वेषण, विकास या उत्पादन हो जी.ओ.आई के वित्तीय हितों के सरक्षण के लिए पर्याप्त ध्यान देने में सक्षम नहीं थे। इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि कैसे प्रत्येक प्रस्ताव/निर्णय पैट्रोलियम लाभ का जी.ओ.आई शेयर की संभाव्यता पर प्रभाव डालेगा। उनकी विफलताओं के अतिरिक्त, सैकड़ों पी एस सी को अनुवीक्षण के लिए एम ओ पी एन जी/डी जी एच सहित पर्याप्त कुशल संसाधनों की बाधाओं को भी

साथ—साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विपरीत रूप से, यह कल्पनातीत है कि निजी ठेकेदार अपने वित्तीय हितों को बचाने और हर निवेश/परिचालनात्मक प्रस्ताव को देखने में कि क्या यह लागत वसूली और पैट्रोलियम लाभ के ठेकेदार के हिस्से में दोनों तरह से राजस्व वृद्धि करेगा, विफल होगा।

दो स्वतंत्र एजेन्सियां जैसे चावला कमिटी एवं लेखापरीक्षा जी.ओ.आई शेयर सरक्षण करने में लाभ शेयरिंग तंत्र पर विपरित प्रभाव के संबंध में सामन निष्कर्ष देते हुए (आई.एम.से लिंक) 1990 के उत्तरवर्ती में, प्रारूप किया गया, फारमुला का पुनः जाँच करने का पर्याप्त आधार है। पी.एस.सी. जो तब बनायी गई थी, उस समय पर जी.ओ.आई. के पास सीमित विशेषज्ञ उपलब्ध थे। इस तथ्य के आधार पर पता चला कि भविष्य के पी.एस.सी के सम्बंध में मामले को अंतिम रूप से सम्बोधित करने की आवश्यकता है।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया (जुलाई 2011) कि वह खुले विचार से वैकल्पिक फार्मूला ढूँढ़ने और सी.ए.जी. और अशोक चावला समिति के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार थे और योग्यताओं पर अन्तिम दृष्टिकोण लेने को तैयार हैं।

8.2 भविष्य में पी.एस.सी. के लिये सिफारिशें

लाभ सहभागिता पद्धति की बताई गई महत्ता ठेकेदार और सरकार के बीच जोखिम की हिस्सेदारी है – यदि लाभ कम या है ही नहीं दोनों पारियों को समान रूप से क्षति उठानी पड़ती है।

भविष्य की पी.एस.सी. हेतु हमने सिफारिश की है कि लाभ आबंतन फार्मूला के साथ आई.एम. का सम्बन्ध (यद्यपि एन.ई.एल.पी-VII से आनवर्ड लाइनर स्लाइडिंग स्केल को इन्ट्रोड्यूशन किया) जी.ओ.आई. द्वारा हटा दिया जाए। इसके बजाय बिड योग्य लाभ आबंतन प्रतिशतता केवल एक प्रतिशत होनी चाहिए। यह पूँजीगत व्यय की स्क्युड वोल्यूम एवं समय हेतु प्रोत्साहन को कम कर देगा परिणामतः पी.पी. में जी.ओ.आई. का हिस्सा बहुत कम होगा। इसके अतिरिक्त नियन्त्रण का थोड़ा सा हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक उच्चमूल्य अधिप्राप्ति निर्णय एक निर्धारित सीमा से ऊपर, एम.सी. द्वारा अनुमोदन विशेष रूप में जी.ओ.आई. प्रतिनिधियों के अनुमोदन की शर्त पर होना चाहिए। बांग्लादेश में पी.एस.सी. संचालन हेतु ऐसी क्रियाविधि पहले ही विद्यमान है।

8.3 बिड मूल्यांकन मानक

बिड मूल्यांकन मानक, (बी.ई.सी.) वर्तमान के तकनीकी/वित्तीय योग्यता को महत्व देता है और दो बोलीयोग्य पैरामीटर्स— अन्वेषणात्मक वचनबद्ध कार्य एवं वित्तीय पैकेज (रायल्टी + पैट्रोलियम लाभ का जी ओ आई शेयर)। वित्तीय पैकेज के विषय में, वर्तमान मूल्यांकन माडल, सामान्यतः तेल सुरक्षा एवं तेल की कीमतों (प्रतीकात्मक रूप से ऊँचा, मध्यम व नीचा) की प्रक्षिप्त प्रोफाइल सहित गुणात्मक रूप में विद्यमान रहता है।

विभिन्न बिडर्स के वित्तीय पैकेजों जिनके आधार पर पूर्वानुमान की गणनायें होती हैं, पूरी तरह परिकल्पित बनायी जाती हैं। ऊँची गुणवत्ता वाले भूकम्पीय ऑकड़े, के अभाव में अकेली वैध एवं अन्वेषणों की उपलब्धि, तेल/गैस भण्डारन एवं उत्पादन प्रोफाइल्स के अनुमान जैसे प्रक्षिप्त पूँजी एवं परिचालन व्यय एवं कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस की कीमतें पूर्णतयः अव्यवहारिक हैं। मूल्यांकन माडल सभी बिडरों को एक रूप में लागू है। तथापि, जब चालू तरीका बहुत सी बोलियों की अनुमति देता है

(जैसे विभिन्न आई एम स्लैबों के लिये पी पी के विभिन्न जी.ओ.आई. शेयर्स), ये काल्पनिक मान्यताएं न केवल जीतने वाले बोलीदाता के महत्वपूर्ण अन्तर को बना सकती हैं, परन्तु बहुत ही अवास्तविक मान्यताओं को भी आगे बढ़ा सकती है कि पी पी के जी औ आई के शेयर क्या होंगे (उदाहरण के लिये, कब पी पी के जी औ आई के शेयर उच्चतम आई एम स्लैब पर पहुँचते हैं?)

परिणाम स्वरूप, हम सिफारिश करते हैं कि बोलीदाताओं को केवल सिंगल पाइन्ट बिड की अनुमति होनी चाहिये, जिसका काल्पनिक मान्यताओं का सहारा लिये बिना सीधे मिलान हो सकता हो।

बोलीयोग्य अन्वेषणात्मक कार्य प्रोग्राम के सम्बन्ध में हम, अच्छी गहनता के लिये प्रदान किये जाने वाले बिन्दुओं के तरीके के अलावा, सामान्यतः अनुबन्ध में बिड की प्रक्रिया से सहमत है। जैसा की अध्याय 4 में दर्शाया गया है (के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 के सम्बन्ध में), यह विशुद्ध एवं विश्वसनीय भूकम्पीय आंकड़े रखे बिना अवास्तविक एवं अव्यवहारिक रूप से बिड को ऊपर ले जाने के लिये कैसे अच्छी कवायद है, और तब सिवाय इसके कि इसमें भौगोलिक उद्देश्य निहित हैं, प्रतिबद्ध गहराई तक कुएं की खुदाई होगी जबकि इसका मतलब पूँजी को खराब करना है।

परिणामस्वरूप, भविष्य में, बिड के मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, हम सिफारिश करते हैं कि या तो कुएं की गहराई को महत्व न दिया जाए, या विकल्प के रूप में, कुएं की वचनबद्धताओं को दो खण्डों में श्रेणीबद्ध किया जाए –कुआँ की उपर एवं नीचे की निर्धारित गहराई हो उदाहरण के लिये 1500 या 2000 मीटर और बिन्दु उनके अनुसार दिये गये हों।

8.4 वर्तमान पी.एस.सी. का प्रबन्धन

हाइड्रोकार्बन खोज के लिये ऊँचे परिदृश्य के साथ ब्लॉकों का विशाल बहुमत विभिन्न प्रि एन ई एल पी/एन ई एल पी चक्रों के माध्यम से पहले ही प्रदान किया जा चुका है, और वर्तमान पी एस सी ढाँचे एवं नियमों के तहत कार्य पूर्ण करने के अतिरिक्त जी औ आई के पास कोई विकल्प नहीं है।

8.4.1 विकास प्लान एवं वार्षिक कार्य कार्यक्रम तथा बजट

यह कल्पनातीत है कि एक निजी संचालक/ठेकेदार पी एस सी के अधीन पेट्रोलियम परिचालन में बिना मूल्यांकन किये वृद्धि की शर्तों के साथ—साथ सम्पूर्ण रूप में इस तरह का निवेश जो उस के लिये राजस्व वृद्धि का परिणाम होगा, पेट्रोलियम लाभ का ठेकेदार का शेयर एवं कीमत की वसूली की शर्तों में निवेश करेगा। यह एम ओ पी एन जी एवं डी जी एस के लिये, जी औ आई के वित्तीय हितों के विषय में, समान रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक है। अतः हम निम्नलिखित सिफारिशों करते हैं:

- संवीक्षा एवं विकास की योजनाओं का अनुमोदन केवल 'तकनीकी दृष्टि' से विचारणीय नहीं होना चाहिए जैसाकि भण्डारों में से तेल या गैस को अच्छी तरह से कैसे निकाला जाये, किन्तु वित्तीय दृष्टि से भी – केवल समग्र रूप से नहीं (अर्थात् परियोजना एन पी वी, रिटर्न की दरें आदि, क्या है) किन्तु विशेषतः जी औ आई के विचार से (रायल्टी के प्रक्षेपण एवं पेट्रोलियम लाभ का जी औ आई शेयर क्या हैं? इन राजस्वों में क्या जोखिम हैं? पूँजीगत व्यय, भण्डार, भण्डारों की उत्पादकता, कीमतें आदि में बढ़ौतरी/कमियाँ जी औ आई की वित्तीय प्राप्ति को कैसे प्रभावित करेंगी?
- विकास योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन करते समय, डी जी एवं एम ओ पी एन जी सहित एम सी पर जी औ आई के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जी.ओ.आई. की

प्राप्ति और ठेकेदार की प्राप्ति को विस्तृत एवं समुचित रूप से प्रामाणिक अनुभानों एवं अनुमोदन स्तर पर इन योजनाओं के हिस्सें में सम्मिलित किया जाये। जी.ओ.आई. प्राप्ति अर्थात् 15, 20 या 25 प्रतिशत जैसा एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा समुचित समझा जाये एक उपयुक्त स्तर अनुबन्धित किया जा सकता था।

- ऐसी विकास योजनाओं का एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा अनुमोदन स्पष्ट अनुबन्ध पर होना चाहिए कि पूँजी एवं परिचालन व्यय, व्यय प्रतिबद्धता, उत्पादन की मात्रायें एवं अन्य घटकों में कोई बदलाव जिसका गुणात्मक निवेश में घाटे का प्रभाव पड़ता है और पेट्रोलियम लाभ के अनुबन्धित स्तर से परे जी ओ आई का शेयर विस्तृत तर्कसंगतता सहित, एम.सी. पर जी ओ आई के प्रतिनिधियों की पूर्ण अनुमति के लिये अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- वार्षिक कार्य प्रोग्राम एवं बजट अनुमोदित विकास योजना पूर्णता के अनुरूप होने चाहिए। किसी विचलन या परिवर्तन की तुलना में विकास प्लान जो आई.एम. को कम करने एवं जी.ओ.आई. के अनुबन्धित स्तर से परे पेट्रोलियम लाभ के हिस्से को प्रभावित करते हों, एम.सी. की पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत करने चाहिए। इसी तरह से अनुमोदित कार्य प्रोग्राम एवं बजट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी अनुबन्धित स्तर से परे समरूप प्रभाव सहित पूर्वानुमति की शर्त पर होने चाहिए।
- कोई व्यय जो विकास योजनाओं तथा वार्षिक कार्य प्रोग्रामों एवं बजट के समग्र आधार से भिन्न हो, इसी तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों की शर्तों जो आई.एम. और अनुबन्धित स्तर से परे जी.ओ.आई. के पेट्रोलियम लाभ के हिस्से पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव डालता हो, एम.सी. पर जी.ओ.आई. के प्रतिनिधियों की पूर्वानुमति के बिना कीमत वसूली के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाते हैं।

जबकि इनमें से कुछ सिफारिशों का ठेकेदार द्वारा गलत अर्थ निकाला जा सकता है जोकि पेट्रोलियम परिचालनों के परिचालनात्मक लचीलपेन में बाधा डाल सकता है, किसी भी परिस्थिति के अन्तर्गत भारत सरकार के राजस्व हितों को बचाने के उद्देश्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

8.4.2 क्रय गतिविधियाँ

पी.एस.सी. में क्रय के तरीकों से सम्बन्धित प्रावधानों में क्रय प्रक्रियाओं पर जी ओ आई प्रतिनिधियों का पर्याप्त निरीक्षण/नियंत्रण नहीं दिया है। तथापि, दिये गए वर्तमान प्रावधानों से हम जी ओ आई के वित्तीय हित के लिये निम्नलिखित मापदण्डों की सिफारिश करते हैं:

- प्रभावशाली क्रय का उद्देश्य प्रभावी प्रतियोगिता के माध्यम से कीमतों को अनुकूलतम, आवश्यक नहीं कि निम्नतम सुनिश्चित करना है। 'प्रतिक्रियात्मक' वित्तीय बोलियों की पर्याप्त संख्या प्रतीकात्मक तीन या अधिक प्रतिष्ठित विक्रेताओं से जो देय प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद पूर्व-अर्हता है प्राप्त की जाती हैं और उन पर विचार किया जाता हैं (अर्थात् जिसको तकनीकी या अन्य कारणों से वापस लिया, विचलन/गैर-उत्तरकारिता या अन्यथा विचार न किया गया हो।), पर्याप्त प्रतिस्पर्धी तनाव, उच्च अनुकूलतम कीमतों पर प्रभावी क्रय की सम्भावना उत्पन्न करता है।

- तथापि, हमारे विचार में, जब एकल 'प्रतिक्रियात्मक' वित्तीय बोलियों के आधार पर ऊँची कीमत के ठेके दिये जाते हैं, ये बिना प्रतियोगिता के दिये जाते हैं, प्रभावी रूप से नामांकन के आधार पर। इस तरह के सभी मामलों में कार्य आदेश हेतु ऐसी सी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आकस्मिक क्रय के लिये कार्योत्तर अनुमति के फैसलों पर समुचित औचित्य सहित विचार किया जाये। उसी प्रकार की व्यवस्था में, पोस्ट-प्राइसेड बोली को बदलाव के क्षेत्र में, मात्रा में, कार्य, कीमतों, शर्तों आदि पर सभी क्रय निर्णय लागू होंगे।
- विस्तारों की पुनरावृति की प्रथा भी, वर्तमान में, उत्तरवर्ती महत्वपूर्ण परिवर्तन, विद्यमान ठेकेदारों के कार्य क्षेत्र में पी एस सी की वर्तमान क्रय व्यवस्थाओं के भी अनुरूप नहीं है, जो संयोग से विस्तारण में नहीं दर्शाया जाता। उच्च मूल्य की निविदाओं के लिये अनुबन्धित विस्तारण से परे विस्तारण या क्षेत्र परिवर्तन, आकस्मिक मामलों में कार्योत्तर अनुमति की व्यवस्थाओं सहित, ऐसी की पूर्व अनुमति भी होनी चाहिये।

8.4.3 क्षेत्र का त्याग, और खोज का वर्णन एवं विकास क्षेत्र

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया है, पी एस सी की सम्पूर्ण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित है कि निजी ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के अन्दर ठेका क्षेत्र का सम्पूर्ण अन्वेषण करें, जहाँ हाइड्रोकार्बन की खोज की संभावना कम लगती है उन क्षेत्रों का त्याग कर और केवल उन क्षेत्रों को रखा जाए जहाँ हाइड्रोकार्बन की खोज की गई हो, पुनः आबंटन के लिये त्यागे गये क्षेत्र को प्रतियोगात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा—अन्य सम्भावित बोलीदाताओं, जो हाइड्रोकार्बन की अग्रदर्शिता के अन्तर (या तो तकनीकी और अन्य योग्यताओं या उनकी जोखिम प्रवृत्ति की शर्तों में) की शर्तों में कन्ट्रैक्ट होल्डरों से आशायें/दृष्टिकोण रखते हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र को त्याग कर दिया हो। इसलिये, हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं:

पी.एस.सी. में अनुबन्ध समय सीमा तथा संविदा क्षेत्र के त्याग के लिए प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में ढील नहीं देनी चाहिए और इन व्यवस्थाओं के साथ अनुपालन निरपवाद रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए।

आगे, भंडारण सीमाओं के उचित चित्रण तथा अन्वेषी तथा मूल्यांकन कुओं की खुदाई द्वारा खोजों के अनुसार, खोज एवं विकास क्षेत्र कड़ाई से चित्रित किये जाने चाहिए। ठेकेदारों द्वारा हाइड्रोकार्बन खोजों को प्रत्यास्थ (और गलत) व्याख्या द्वारा अत्यधिक विस्तृत खोज/विकास क्षेत्रों के चित्रांकन के प्रयासों का पुरजोर खण्डन होना चाहिए।

8.4.4 अन्य पी एस सी प्रावधानों का अनुपालन

पी एस सी एक संविदात्मक प्रलेख है और प्रत्येक संविदात्मक शर्त का अनुपालन अत्यधिक महत्व रखता है। 'मुख्य' और 'गौण' शर्तों के बीच अन्तर, और तथाकथित 'गौण' पी एस सी शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग की उपेक्षा करना अनुपयुक्त होगा।

हम सिफारिश करते हैं कि डी जी एच, और जहाँ आवश्यक है, ऐसे ओ पी एन जी को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिये कि पी एस सी की सभी व्यवस्थाओं की मानीटरिंग, उपयुक्त प्रलेखित और एक समयबद्ध आधार पर पूर्णरूप से अनुपालन की जाए। और पी एस सी व्यवस्थाओं के सहित अनुपालन न करने के लिये संचालकों के विरुद्ध पुनः समयबद्ध एवं एकरूपता

के आधार पर कार्यवाई की जाए। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिये, डी जी एच के आधारित संसाधन को पर्याप्त कुशल संसाधनों की मात्रा की शर्तों में मजबूत बनाना आवश्यक किया जाये।

डी जी एच को एक व्यापक पी एस सी अनुवीक्षण तरीके के विकास के लिये विचार करना चाहिये, जो किसी ब्लाक/एक नज़र में संविदा के लिए पी एस सी प्रावधानों के अनुपालन के विवरणों को न केवल उपलब्ध करायेगा, बल्कि इलेक्ट्रेनिक रूप से संचालकों को वेब और/या ई-मेल के माध्यम से रिटर्नस/प्रलेखों/सूचना, फाइल करने के लिए समर्थ करेगा। एक ऐसी आई.टी. पद्धति को विकसित करने (रखरखाव करने) की लागत जी.ओ.आई. के कुल पैट्रोलियम लाभ राजस्व, के साथ-साथ अधिक प्रभावी एवं सामयिक अनुवीक्षण के अनुपालन से सम्भावित प्राप्तियों (यद्यपि सही रूप से गणना योग्य नहीं हैं) की तुलना में कम होगी।

एम.ओ.पी.एन.जी. ने आश्वासन दिया कि सी.ए.जी. द्वारा दिये गए निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही हेतु विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली

दिनांक : 18-8-2011

मोहन बजाज

(आनंद मोहन बजाज)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली


दिनांक : 24-8-2011

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



लेखा नमूना में सम्मिलित पी.एस.सीज का व्यौरा

| क्रम. सं. | खण्ड/क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 1 | एम.बी—ओ.एस. एन—97/3 | आर.आई. एल | मुम्बई अपतट पर अवस्थित एम.बी.ओ.एस.एन—97/3 एक छिछले पानी का खण्ड था। यह नेल्प—1 के अन्तर्गत दिया किया गया था। पी.एस.सी जोकि 12 अप्रैल, 2000 को आर.आई.एल तथा नीको के बीच क्रमशः 90 और 10 प्रतिशत साझेदारी अंश के साथ हस्ताक्षरित हुआ था, 7 जून 2000 से लागू हुआ। जुलाई 2003 से आर.आई.एल के पास 100 प्रतिशत पी.आई. था। ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल 5740 वर्ग किलो मीटर था। प्रचालक दो कुओं की ड्रिलिंग से सम्बन्धित न्यूनतम कार्य क्रार्यक्रम को 12 महीने के प्रत्येक दो विस्तारण लेने के बाद भी पूरा नहीं कर सके और फेस—I के अन्त में खण्ड को छोड़ दिया। खण्ड में कोई भी खोज नहीं की गई। |
| 2 | एन.ई.सी—डी. डब्ल्यू.एन—2002/1 | आर.आई. एल | उत्तरी पूर्वी समुद्रतट पर अवस्थित तट से दूर गहरे पानी का खण्ड एन.ई.सी.—डी.डब्ल्यू.एन—2002/1, नेल्प—IV के अन्तर्गत आर.आई.एल. और एच.ई.पी.आई के संयुक्त वैन्चर को दिया गया। 6 फरवरी 2004 को आर.आई.एल (90 प्रतिशत पी.आई. के साथ) और एच.ई.पी.आई (10 प्रतिशत पी.आई. के साथ) के सात पी.एस.सी हस्ताक्षरित हुआ। पी.ई.एल की प्रवाभी तिथि 18 मार्च 2004 है। एच.ई.पी.आई ने अपना पी.आई. आर.आई.एल को हस्तांतरित कर दिया जोकि पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जुलाई 2008 में अनुमोदित हुआ। ब्लॉक का कुल वास्तविक क्षेत्रफल 25,565 वर्ग किलो मीटर था। खण्ड अन्वेषण फेस—II के अन्तर्गत है और प्रचालक द्वारा फेस—I के अन्त में 25 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् 6391 वर्ग किलो मीटर खण्ड को छोड़ दिया गया है। खण्ड में कोई भी खोज नहीं की गई। |

| क्रम. सं. | खण्ड/क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| 3 | एम.एन—डी. डब्ल्यू एन—2004 / 3 | आर.आई. एल | महानदी बेसिन पर अवस्थित तट से दूर गहरे पानी के एम.एन—डी. डब्ल्यू.एन 2004 / 3 खण्ड को नेत्य—VI के अन्तर्गत आर.आई.एल को दिया गया। आर.आई.एल के साथ पी.एस.सी 2 मार्च 2007 को हस्ताक्षरित हुआ। पी.ई.एल. की प्रभावी तिथि 15 मई 2007 है। खण्ड का कुल वास्तविक क्षेत्रफल 11,316 वर्ग किलो मीटर था। खण्ड अन्वेषण फेस—I के अन्तर्गत है। इस खण्ड में कोई भी खोज नहीं हुई है। |
| 4 | के.जी.—ओ.एस. एन—2001 / 02 | आर.आई. एल | कृष्णा गोदवरी बेसिन पर अवस्थित के.जी.—ओ.एस.एन—2001—02 छिछले पानी का खण्ड है, जोकि नेत्य—III के अन्तर्गत आर.आई.एल और एच.ई.पी.आई के संकाय को क्रमशः 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पी.आई के साथ दिया गया था। 4 फरवरी 2003 को पी.एस.सी हस्ताक्षरित किया गया था। 3 अप्रैल 2003 पी.ई.एल की प्रभावी तिथि है। इस समय आर.आई.एल के पास 100 प्रतिशत पी.आई है। खण्ड का कुल वास्तविक क्षेत्रफल 210 वर्ग किलो मीटर था। इस खण्ड में दो खोज हुई। प्रचालक ने फेस—I के अन्त में फेस—II में न जाने का विकल्प लिया और 6 और $5\frac{1}{2}$ महीनों के दो विस्तारण लेने के बाद मूल्यांकन क्रार्यक्रम को जारी रखने के लिए सारे क्षेत्र को रखा हुआ था। |
| 5 | के.के.—डी. डब्ल्यू.एन—2003 / 1 | आर.आई. एल | केरल के कोंकण बेसिन पर अवस्थित गहरे पानी का खण्ड—के.के.डी.डब्ल्यू.एन—2003 / 1 नेत्य—V के अन्तर्गत आर.आई.एल को दिया गया। खण्ड के लिए 23 सितम्बर 2005 को पी.एस.सी हस्ताक्षरित किया गया। पी.ई.एल की प्रभावी तिथि 23 जनवरी 2006 है। इस खण्ड का कुल वास्तविक क्षेत्रफल 18,245 वर्ग किलो मीटर है। खण्ड अन्वेषण फेस के अन्तर्गत है। इस खण्ड में कोई खोज नहीं हुई है। |
| 6 | सी.बी—ओ. एन / 1 | आर.आई. एल | कैम्बे बेसिन घाटी पर अवस्थित एक प्री—नेत्य (सातवां दौर) तटवर्ती |

| क्रम. सं. | खण्ड/ क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|-----------|-----------------------------|------------|---|
| | | | <p>खण्ड सी.बी-ओ.एन/1, के लिए पी.एस.सी 16 जुलाई 1998 में मैसर्स ओकलैण्ड अन्तर्राष्ट्रीय के साथ 100 प्रतिशत पी.आई. के साथ हस्ताक्षरित किया गया। मैसर्स ओकलैण्ड ने 31 मार्च 2005 से 50 प्रतिशत पी.आई तुलौ इण्डिया ओ.पी लिमिटेड (टी.आई.ओ.एल) को दे दी, 40 प्रतिशत पी.आई आर.आई.एल को और बाकी 10 प्रतिशत पी.आई ओकलैण्ड ऑफशोर होलडिंग लिमिटेड (ओ.ओ.एच.एल) को बांट दी। ओ.एन.जी.सी अनुज्ञाप्ति धारी है और उसकी वाणिज्यिक खोज के मामले में 30 प्रतिशत का प्रीएंपटीव हक है। इस समय आर.आई.एल प्रचालक है। खण्ड के लिए पी.ई.एल 5 सितम्बर 2003 से प्रभावी है। खण्ड अन्वेषण फेस-III के अन्तर्गत आता है और यहाँ कोई खोज नहीं हुई है। तीसरे फेस में कुल वास्तविक क्षेत्र के 6133 वर्ग किलो मीटर का 1533 वर्ग किलो मीटर अर्थात् 25 प्रतिशत का क्षेत्र प्रचालक ने रखा हुआ है।</p> |
| 7 | के.के.-डी.डब्ल्यू.एन-2002/2 | ओ.एन.जी.सी | <p>केरल कोंकण बेसिन पर अवस्थित तट से दूर गहरे पानी का खण्ड-के.के-डी.डब्ल्यू.एन-2002/2, नेल्प-II के अन्तर्गत ओ.एन.जी.सी और गेल के संकाय को क्रमशः 85 और 15 प्रतिशत पी.आई. के साथ दिया गया। खण्ड का कुल क्षेत्रफल 20,998 वर्ग किलो मीटर है। 17 जुलाई 2001 को पी.एस.सी. हस्ताक्षरित हुई और 16 अगस्त 2001 अर्थात् पी.ई.एल जारी करने की तिथि से प्रभावी हुई। बचनवद्ध एम.डब्ल्यू.पी को पूरा करने के उपरान्त, ओ.एन.जी.सी ने फेस-I के अन्त में सारे खण्ड को छोड़ दिया।</p> |

| क्रम. सं. | खण्ड/क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|-----------|-----------------------|------------|--|
| 8 | आर.जे—ओ.एन. एन—2002/1 | ओ.आई.एल | राजस्थान में अवस्थित आर.जे—ओ.एन.एन—2002/1 एक तटवर्ती खण्ड है, जोकि नेल्प—IV के अन्तर्गत ओ.आई.एल और ओ.एन.जी.सी के संकाय को क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत पी.आई के साथ दिया गया था। पी.एस.सी 6 फरवरी 2004 को हस्ताक्षरित हुआ। 22 जून 2004 अनुबन्ध की प्रभावी तिथि है। खण्ड अन्वेषण फेस-II के अन्तर्गत था। फेस—I के अन्त में ठेकदार को 6 महीने का विस्तारण दिया गया था। अर्थात् 25 प्रतिशत वास्तविक 9900 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में 2475 वर्ग किलो मीटर छोड़ने के बाद संकाय ने फेस II में 7425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखा था। |
| 9 | एम.बी—ओ.एस. एन 2004/2 | पेट्रोगैस | मुम्बई तट से दूर अवस्थित एम.बी—ओ.एस.एन—2004/2 छिछले पानी की खण्ड है जोकि नेल्प—VI दौर के अन्तर्गत पेट्रोगैस, गेल, आई.ओ.सी, जी.एस.पी.सी और एच.पी.सी.एल, के संकाय को प्रत्येक की 20 प्रतिशत पी.आई के साथ दिया गया। पी.एस.सी 2 मार्च 2007 को हस्ताक्षरित किया गया। अनुबन्ध का प्रभावी तिथि 21 मई 2007 है। खण्ड का कुल क्षेत्रफल 741 वर्ग किलो मीटर है। खण्ड अन्वेषण फेस—I के अन्तर्गत आता है और कोई खोज नहीं की गई है। |
| 10 | सी.बी—ओ.एस—2 लक्ष्मी | सी.ई.आई.एल | भारत के पश्चिमी सुमद्रतट पर खंबात की खाड़ी पर अवस्थित सी.बी—ओ.एस—2, एक नेल्प पूर्व अन्वेषण का तट से दूर खण्ड है। |
| 11 | सी.बी—ओ.एस—2 गौरी | सी.ई.आई.एल | जून 1998 में क्रमशः 10,45 और 45 प्रतिशत आरम्भिक पी.आई के साथ ओ.एन.जी.सी (अनुज्ञाप्ति धारी), टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड (टी.पी.एल) और कैर्न इनर्जी इण्डिया प्रा लिमिटेड (सी.ई.आई.एल प्रचालक) के संकाय के साथ खण्ड की पी.एस.सी हस्ताक्षरित की गई थी। अनुबन्ध के खण्ड का कुल क्षेत्रफल 3534 वर्ग किलो मीटर था। यहाँ दो बड़ी खोजें हुईं। अर्थात् लक्ष्मी गैस और गोरी गैस की। दोनों क्षेत्रों में तेल की भी बाद में क्रमशः खोज हुई। नवम्बर 2003 और अप्रैल 2004 से लक्ष्मी और गोरी क्षेत्र गैस का |

| क्रम सं. | खण्ड/क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|----------|-----------------------|---------------|--|
| | | | उत्पादन कर रहे हैं। गोरी क्षेत्र अक्टूबर 2006 से तथा लक्ष्मी जुलाई 2007 से तेल का उत्पादन कर रहे हैं। |
| 12 | सी.बी—ओ.एन.एन—2000/1 | जी.एस.पी.सी | कैम्बे बेसिन पर अवस्थित सी.बी—ओ.एन.एन 2000/1 एक भूमिपर खण्ड है जो नेल्प-II के अन्तर्गत जी.एस.पी.सी, गैल और जे.टी.आई के संकाय, को क्रमशः 40,40 और 20 प्रतिशत पी.आई के साथ दिया गया था। जुलाई 2001 में पी.एस.सी हस्ताक्षरित हुई तथा प्रभावी तिथि 7 जनवरी 2002 थी। इस समय जी.एस.पी.सी. तथा गैल प्रत्येक 50 प्रतिशत पी.आई रखते हैं। खण्ड में दो खोजें हुईं। 1424 वर्ग किलो मीटर के कुल अनुबन्धित क्षेत्र में से प्रचालक ने 14.1 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र विकास क्षेत्र रूप में रखा हुआ है। |
| 13 | हजीरा | नीको रीसोरसिज | कैम्बे बेसिन में अवस्थित हजीरा एक छोटे आकार का उत्पादन क्षेत्र है। क्षेत्र की खोज वर्ष 1969 में हो चुकी थी। 23 सितम्बर 1994 को क्षेत्र के लिए पी.एस.सी.नीको रीसोरसिज (33.33 प्रतिशत पी.आई के साथ) और जी.एस.पी.सी.एल (66.67 प्रतिशत पी.आई के साथ) के साथ हस्ताक्षरित हुई। क्षेत्र के कुल 50 वर्ग किलो मीटर तट में से 22.7102 वर्ग किमी अपतट पर है और 27.0214 वर्ग किलो मीटर अभितट है। क्षेत्र के लिए खनन पट्टा अक्टूबर 2005 में दिया गया था। |
| 14 | पी.जी—ओ.एन.एन—2001/1 | ओ.एन.जी.सी | पी.जी—ओ.एन.एन—2001/1 अन्वेषणात्मक खण्ड नेल्प -III के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पी.आई के साथ ओ.एन.जी.सी को दिया गया था। यह के.जी—पी.जी बेसिन में अवस्थित ऑनलेण्ड खण्ड है। 4 फरवरी 2003 में पी.एस.सी हस्ताक्षरित हुई और पी.ई.एल 4 जुलाई 2003 को दी गई थी। खण्ड अन्वेषण फेस में है (जून 2008) |
| 15 | सी.वाई—ओ.एस.एन—2000/1 | ओ.एन.जी.सी | सी.वाई—ओ.एस.एन—2000/1 अनुसन्धानिक खण्ड नेल्प-II के अन्तर्गत ओ.एन.जी.सी को 100 प्रतिशत पी.आई के साथ दिया गया। कावेरी बेसिन में अवस्थित यह खण्ड तट से दूर है। 17 |

| क्रम सं. | खण्ड/ क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|----------|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | जुलाई 2001 में पी.एस.सी हस्ताक्षरित हुई थी और 16 अगस्त 2001 में पी.ई.एल जारी की गई थी। 15 फरवरी 2007 को वचनबद्ध कुऐं को पूरा किये बिना खण्ड को फेस-॥ में छोड़ दिया गया था। एक कुऐं के अधूरे कार्य की भुगतान सरकार को किया गया था। |
| 16 | एम.बी—डी. डब्ल्यू एन—2000 / 1 | ओ.एन.जी.सी | मुम्बई तट से दूर धाटी में एम.बी—डी.डब्ल्यू.एन—2000 / 1 अन्वेषणात्मक गहरे पानी वाला खण्ड ओ.एन.जी.सी. (85 प्रतिशत) और आई.ओ.सी (15 प्रतिशत) के संकाय को दिया गया था। पी.एस.सी 17 जुलाई 2001 को हस्ताक्षरित हुई थी। वचनबद्ध तीन कुओं को खोदे बिना खण्ड को फेस-। में छोड़ दिया गया। एक कुऐं के अधूरे कार्य की लागत का भुगतान सरकार को कर दिया गया था। |
| 17 | रतना सीरीज | प्रीमियर ऑयल, यू.के. | पश्चिमी तट से दूर अवस्थित रतना आर सीरीज क्षेत्र को दूसरे राउड विकास के अन्तर्गत मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्ज प्रीमेयिर आयल पेसिफिक लिमिटेड यू.के (डिजाइन प्रचालक) के क्रमशः 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत साझेदारी अंश के साथ मार्च 1996 में दिया गया था। ओ.एन.जी.सी का 40 प्रतिशत साझेदारी अंश संयुक्त हित में है। सयुक्त वेंचर और भारत सरकार के बीच में पी.एस.सी अभी भी हस्ताक्षरित होनी है। अभी भी ओ.एन.जी.सी के पास क्षेत्र है और इस समय परित्यक्त स्थिति में है। |

परिचालको के रिकार्ड की अतिरिक्त छानवीन के लिए चुने गये खण्डों का संक्षिप्त विवरण

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|--|
| 1 | के.जी—डी. डब्ल्यू एन—98 / 3 | आर.आई.एल | वर्ष 2000 में के.जी—डी.डब्ल्यू.एन—98 / 3 खण्ड (के.जी—डी 6 से भी जाना जाता है) नेत्य-। के अतंर्गत आर.आई.एल—नीको संकाय को दिया गया था। |
| 2 | पन्ना—मुक्ता | बी.जी.ई. | 1994 तक पन्ना—मुक्ता और ताप्ती नामांकन के आधार पर तेल एवं |

| क्रम. सं. | खण्ड/ क्षेत्र का नाम | प्रचालक | सक्षिप्त वर्णन |
|-----------|------------------------|--------------------------------|---|
| 3 | मध्य एवं दक्षिण ताप्ती | पी.आई.एल (प्राथमिक प्रचालक) | प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रवोज एवं प्रचालित किए जाते थे। जनवरी 1994 में भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को इनरॉन तेल और गैस इंडिया लिमिटेड के संयोजन को (30 प्रतिशत) रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आर.आई.एल) (30 प्रतिशत) और ओ.एन.जी.सी सरकार के नामजद के रूप में (40 प्रतिशत) के संकाय को प्रदान किया। 22 दिसम्बर 1994 को पी.एस.सी हस्ताक्षरित हुआ। 2002 से एनरॉन का पी.आई.ब्रिटिश गैस एक्सप्लीरेशन और प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बी.जी.ई.पी.आई.एल.) ने ले लिया। |
| 4 | आर जे-ओ एन-90/1 | सी.ई.आई.एल | मई 1995 में इस राजस्थान ब्लॉक के लिए पी.एस.सी भारत सरकार, शैल इंडिया प्रॉडक्सन डेवलपमेंट बी बी (एस.ओ.पी.डी) और ओ.एन.जी.सी के बीच हस्ताक्षरित हुआ। बाद में, सितम्बर 1998 से जुन 2003 के बीच में एस.आई.पी.डी ने अपना 100 प्रतिशत पी.आई.कैर्न इनर्जी इंडिया लिमिटेड (सी.ई.आई.एल) को दे दिया। |

अन्वेषणों की स्थिति (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98 / 3)

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. और सरकार को लिखित में दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| | | | | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | | |
| | | | | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | | |
| 1 | डी-1 | - | 29.10.02 | 28.10.03 | - | 28.10.05 | मई 2003 | 02.04.03 | 01.04.04 | 22.12.04 | संचालक ने डी-3 अन्वेषण के साथ एक संयुक्त एफ.डी.पी. प्रस्तुत किया। | |
| | | | | प्रस्तुत किया | नहीं | नवंबर 2002 | 24.03.03 | | 26.5.04 | 05.11.04 | | |
| | | | | | | सही दिनांक उपलब्ध नहीं डी.जी.एच. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रक्रिया | | | | | | |

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. सरकार को लिखित दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | डी -2 | - | 29.10.02 | 28.10.03 | - | 28.10.05 | 17.11.03 | 17.03.04 | 16.03.05 | 09.02.09 | • इस अन्वेषण के एफ.डी.पी. की प्रस्तुति में तीन महीने से अधिक की देरी हुई। • फरवरी 2009 से एफ.डी.पी. का अनुमोदन प्रतिक्षित है। | फाइल नहीं दिया गया। |
| | | | | प्रस्तुत किया नहीं | | 21.05.03 | 07.01.04 | | 14.07.08 | Awaited | | |
| 3 | डी -3 | - | 29.10.02 | 28.10.03 | - | 28.10.05 | 17.11.03 | 17.03.04 | 16.03.05 | 22.12.04 | डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा में 1 ½ महीने की देरी हुई। | डी.ओ.सी. प्रस्ताव के बाद एम.सी. ने आठ उपग्रह गैस अन्वेषण अर्थात् धीरुलभाई 4, 6, 7, 8, 16, 19, 22 एवं 23 से संबंधित प्रस्ताव |
| | | | | प्रस्तुत किया नहीं | | 21.05.03 | 07.01.04 | | 26.05.04 | 05.11.04 | | |
| 4 | डी -4 | - | 24.01.03 | 23.01.04 | - | 23.01.06 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | • डी.ओ.सी. प्रस्ताव के दो वर्षों के बाद एम.सी. ने आठ उपग्रह गैस अन्वेषण अर्थात् धीरुलभाई 4, 6, 7, 8, 16, 19, 22 एवं 23 से संबंधित प्रस्ताव | प्रतिक्षित |
| | | | | प्रस्तुत किया गया नहीं | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | प्रतिक्षित | | |

की समीक्षा की।

आरम्भ में, संचालक ने नौ अन्वेषण के उपग्रह अन्वेषण के रूप में संयुक्त एफ.डी.पी. प्रस्तुत किया (जुलाई 2008) अर्थात् डी-2, डी-4, डी-6, डी-7, डी-8, डी-16, डी-19, डी-22 एवं डी-23 तकनीकी आर्थिक विचार से यह प्रस्ताव संभव नहीं थ, डी.जी.एच. ने संचालक को बैठक बुलाने एवं मामले को संबोधन करने का सूचना दिया (मार्च 2010), तत्पश्चात्, पत्राचार एवं बैठकों के बाद आर.आई.एल. ने चार अन्वेषणों के संबंध में जिसका अनुमोदन नहीं हुआ था सबसे

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. सरकार को लिखित दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी |
|----------|----------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | |
| 5 | डी-5 | - | 10.07.03 | 09.07.04 प्रस्तुत किया नहीं | - | 09.07.06 - | - | - | - | - | अच्छा एफ.डी.पी. प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2009) अर्थात् डी-2, डी-6, डी-19 एवं डी-22 |
| 6 | डी-6 | - | 10.07.03 | 09.07.04 प्रस्तुत किया नहीं | - | 09.07.06 24.12.05 | 22.06.06 04.01.08 | 21.01.08 14.07.08 | 20.01.09 14.07.08 | 09.02.09 | 9.7.04 से मूल्यांकन कार्यक्रम प्रतिक्षित है। वही टिप्पणी जैसाकि ऊपर क्रम सं. 4 में है। |
| 7 | डी-7 | - | 08.05.04 | 07.05.05 प्रस्तुत किया नहीं | - | 07.05.07 24.12.05 | 22.06.06 04.01.08 | 21.01.08 14.07.08 | 20.01.09 14.07.08 | 09.02.09 | |

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. और सरकार को लिखित रूप में दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | डी -8 | - | 10.05.04 | 09.05.05 | - | 09.05.07 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | | | |
| 9 | डी -16 | - | 14.08.04 | 13.08.05 | - | 13.08.07 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | | | |
| 10 | डी -18 | - | 14.04.05 | 13.04.06 | - | 13.04.08 | - | - | - | - | 13.04.06 से मूल्यांकन कार्यक्रम प्रतिक्षित है। | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | - | | | | | | |
| 11 | डी -19 | - | 14.04.05 | 13.04.06 | - | 13.04.08 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | वही टिप्पणी जो ऊपर क्रम सं. | |

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. सरकार लिखित दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|--|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| | | | | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | | |
| | | | | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | | 4 पर है। | |
| 12 | डी -22 | - | 01.08.05 | 31.07.06 | - | 31.07.08 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | | | |
| 13 | डी -23 | - | 24.10.05 | 23.10.06 | - | 23.10.08 | 22.06.06 | 21.01.08 | 20.01.09 | 09.02.09 | | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं किया | | 24.12.05 | 04.01.08 | | 14.07.08 | | | |
| 14 | डी -26 | 24.06.06 | 26.06.06 | 25.10.06 | - | 25.12.08 | 17.02.07 | 09.02.07 | 28.08.07 | फरवरी 2008 | दो महीने की देरी के बाद एफ.ओ.पी. का अनुमोदन किया। | |
| | | | | प्रस्तुत नहीं | | 20.10.06 | 02.02.07 | | 18.08.07 | 17.04.08 | | |

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार एम.सी. और सरकार को लिखित दिये गये विवरण | द्वारा संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | | |
| | | | | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | | |
| 15 | डी -29 | 23.02.07 | 20.04.07 | 19.04.08 09.07.07 | 06.11.07 24.04.08 | 19.04.10 19.02.10 | 18.08.10 अभी तक समीक्षा नहीं की गई। | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> • 5 ½ महीने की देरी के बाद मूल्यांकन कार्यक्रम का समीक्षा किया गया। • डी.ओ.सी. की समीक्षा अगस्त 2010 तक लंबित थी। |
| 16 | डी -30 | 23.02.07 | 20.04.07 | 19.04.08 09.07.07 | 06.11.07 24.04.08 | 19.04.10 19.02.10 | 18.08.10 अभी तक समीक्षा नहीं की गई। | - | - | - | - | |
| 17 | डी -31 | 09.03.07 | 08.05.07 | 07.05.08 09.07.07 | 06.11.07 24.04.08 | 07.05.10 19.02.10 | 18.08.10 अभी तक | - | - | - | - | |

| क्रम सं. | अन्वेषण का नाम | ठेकेदार द्वारा एम.सी. सरकार लिखित दिये गये विवरण | संभावित वाणिज्यिक हित को अन्वेषण के रूप में अधिसूचना एवं टेस्ट डाटा एवं इसके विश्लेषण से युक्त ठेकेदार द्वारा एम.सी. को सौंपा गया रिपोर्ट का दिनांक | मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा | वाणिज्यिक प्रस्ताव की प्रस्तुति का दिनांक | एम.सी. द्वारा डी.ओ.सी. प्रस्ताव की समीक्षा | ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा | एफ.ओ.पी. की प्रस्तुति | एफ.ओ.पी. का अनुमोदन | टिप्पणी | |
|----------|----------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. के अनुसार | पी.एस.सी. | पी.एस.सी. | पी.एस.सी. | पी.एस.सी. | |
| | | | | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | |
| | | | | | | | | समीक्षा नहीं की गई। | | | | |
| 18 | डी -34 | 14.05.07 | 09.07.07 | 08.07.08 | 06.11.07 | 08.07.10 | 06.01.10 | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> • 5 ½ महीने की देरी के बाद मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। • जनवरी 2010 से डी.ओ.सी. की समीक्षा लंबित थी। |
| 19 | डी -42 | 07.07.08 | 11.07.08 | 10.07.09 | 11.11.08 | 10.07.11 | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 ½ महीने की देरी के बाद मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। |

परिशिष्ट 4.2

खोज के अधिसूचना तथा परीक्षण प्रतिवेदन की प्रस्तुति से सम्बंधित पी.एस.सी प्रावधानों के गैर अनुपालन

| क्रमांक | खोज का नाम | खोज के लिखित सूचना की तारीख | संभावि वाणिज्यनीयता के अधिसूचना की तारीख |
|---------|-------------|-----------------------------|--|
| 1 | धीरु भाई 1 | - | 29.10.2002 |
| 2 | धीरु भाई 2 | - | 29.10.2002 |
| 3 | धीरु भाई 3 | - | 29.10.2002 |
| 4 | धीरु भाई 4 | - | 24.01.2003 |
| 5 | धीरु भाई 5 | - | 10.07.2003 |
| 6 | धीरु भाई 6 | - | 10.07.2003 |
| 7 | धीरु भाई 7 | - | 08.05.2004 |
| 8 | धीरु भाई 8 | - | 10.05.2004 |
| 9 | धीरु भाई 16 | - | 14.08.2004 |
| 10 | धीरु भाई 18 | - | 14.04.2005 |
| 11 | धीरु भाई 19 | - | 14.04.2005 |
| 12 | धीरु भाई 22 | - | 01.08.2005 |
| 13 | धीरु भाई 23 | - | 24.10.2005 |
| 14 | धीरु भाई 26 | 24.06.2006 | 26.06.2006 |
| 15 | धीरु भाई 29 | 23.02.2007 | 20.04.2007 |
| 16 | धीरु भाई 30 | 23.02.2007 | 20.04.2007 |
| 17 | धीरु भाई 31 | 09.03.2007 | 08.05.2007 |
| 18 | धीरु भाई 34 | 14.05.2007 | 09.07.2007 |
| 19 | धीरु भाई 42 | 07.07.2008 | 11.07.2008 |

परिशिष्ट 4.3

मूल्यांकन कार्यक्रम/वाणिज्यनीयता की धोषणा/विकास योजना की प्रस्तुति/ समीक्षा या अनुमोदन में विलम्ब

| मुद्दे | लेखापरीक्षा प्रेक्षण | एम.ओ.पी.एन.जी का उत्तर (जुलाइ 2011) | लेखापरीक्षा अभियुक्ति |
|---------------------|---|--|---|
| मूल्यांकन कार्यक्रम | <ul style="list-style-type: none"> धीरू भाई -42 गैस खोज ($1\frac{1}{2}$ माह) तथा धीरू भाई 29,30,31 तथा 34 गैस खोज ($5\frac{1}{2}$ माह) के मूल्यांकन कार्यक्रम तथा कार्य कार्यक्रम तथा बजट के समीक्षा में विलम्ब था। इस मामले मे पी.एस.सी के अनुच्छेद 21.5.3 में निर्दिष्ट समय-रेखा का पालन नहीं किया गया। | <ul style="list-style-type: none"> एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा कि समीक्षा में विलम्ब ठेकेदार द्वारा टुकड़ों में आकड़े प्रस्तुत करने के कारण हुआ। चूँकि ठेकेदार को मूल्यांकन कार्यक्रम पी.एस.सी के समय रेखा के अनुसार करना था समीक्षा में विलम्ब डी.ओ.सी के प्रस्तुति को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँलाकि एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण को भविष्य में कार्यवाही के लिए नोट कर लिया है। | <ul style="list-style-type: none"> उत्तर सतोष जनक नहीं है। डी.ओ.सी को प्रस्तुत करने की समय रेखा खोज के अधिसूचना जारी करने की तारीख से सम्बंधित है न कि समीक्षा की तारीख से। समीक्षा में विलम्ब डी.ओ.सी के प्रस्तुति के समय रेखा को प्रभावित कर सकता है। अतः यह त्वरित अन्वेषण कार्य के उद्देश्य को प्रभावित करता है। |
| वाणिज्यिक खोज | <ul style="list-style-type: none"> प्रबंध समिति ने डी.ओ.सी प्रस्ताव के प्रस्तुति के 2 बर्षों बाद आठ उपग्रहीय खोजों अर्थात् धीरू भाई 4,6,7,8,16,19,22 और 23 के सम्बंध में डी.ओ.सी प्रस्ताव (दिसम्बर 2005) की समीक्षा (जनवरी 2008) में की। धीरू भाई 2 तथा 3 खोजों के संदर्भ में डी.ओ.सी प्रस्तावों की समीक्षा (जनवरी 2004) में $1\frac{1}{2}$ माह के विलम्ब के साथ की गयी थी। धीरू भाई 29,30,31 (अगस्त 2010 से) तथा धीरू भाई-34 (जनवरी 2010 से) के संदर्भ में डी.ओ.सी | <ul style="list-style-type: none"> खोजों के संदर्भ में डी.ओ.सी के समीक्षा में विलम्ब का कारण देते हुए एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा कि डी.ओ.सी के मूल्यांकन में अपूर्ण/आंशिक/टुकड़ों में ठेकदार द्वारा आकड़ों की प्रस्तुति के कारण हुआ। | <ul style="list-style-type: none"> उत्तर सतोष जनक नहीं है जैसा कि निर्धारित समय रेखा का गैर अनुपालन डी.जी.एच तथा ठेकेदार के बीच समन्वय की कमी दिखाते हैं। और इस तथ्य के आलोक मे भी कि ऐसे विलम्ब समय पर देश के पेट्रोलियम संशाधनों के विकास/उत्पादन उद्देश्य को के विफल करती है। |

एफ.डी.पी की प्रस्तुति /अनुमोदन

- का समीक्षा प्रतिक्षित था।
- इन मामलों में पी.एस.सी के अनुच्छेद 21.5.5 में निर्दिष्ट समय रेखा का पालन नहीं किया गया था।
- प्रचालक ने (जुलाई 2008) एक समिलित एफ.डी.पी 9 उपग्रहीय खोजों अर्थात् डी 2 (नियत तिथि मार्च 2005 के तीन वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी) डी-4, डी-6, डी-7, डी-8, डी-16, डी-19, डी-22 तथा डी-23 का प्रस्तुत किया। चूंकि प्रस्ताव आर्थिक-तकनीकी विचार से गैर-व्यवहार्य पाया गया, डी.जी.एच ने प्रचालक को एक बैठक बुलाने तथा मूददों के सम्बोधित करने के लिए सूचित (मार्च 2009) किया। तत्पश्चात् डी.जी.एच तथा आर.आई.एल के बीच बैठक/पत्राचार के बाद आर.आई.एल ने दिसम्बर 2009) चार खोजों अर्थात् डी-2, डी-6, डी-19 और डी-22 के सम्बन्ध में एक सर्वपयुक्त एफ.डी.पी प्रस्तुत किया। जिसका अनुमोदन प्रतिक्षित था।
- धीरू भाई-26 के खोज का एफ.डी.पी नियत तिथि के दो माह बाद ठेकेदार
- एम.ओ.पी.एन की ने कहा (जुलाई 2011) कि उपग्रहीय खोजे विभिन्न जल गहराई पर स्थिति तथा ब्लॉक में चारों तरफ बिखरे छोटे तालाब थे। खोजों के अत्यधिक छोटे आकार तथा अन्तर खोज दूरी के कारण एक विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की आवश्यकता थी। विस्तृत धरेलू मूल्यांकन, तथा विचार के एक क्रम के बाद तथा ठेकेदार के साथ तकनीकी बैठक के अतिरिक्त प्रतिष्ठित परामर्शदाता को नियुक्त करने के बाद एफ.डी.पी अन्ततः डी.जी.एच द्वारा मूल्यांकित किया गया। एफ.डी.पी के मूल्यांकन में अधिक समय ठेकेदार द्वारा अपूर्ण/आंशिक/टुकड़ों में आकड़ों की प्रस्तुति के कारण हुआ।
- धीरू भाई 26 खोज के एफ.डी.पी. के अनुमोदन के सम्बन्ध में एम.ओ.पी.एन.जी ने कहा कि एफ.डी.पी का मूल्यांकन डी.जी.एच. द्वारा 20.12.07 को पूरा किया गया तथा उसी दिन उन्होंने ठेकेदार को एम.सी की बैठक 28.02.2008 को बुलाने के लिए संदेश दिया। मसौदा एम.सी संकल्प को अंतिम
- विलम्ब पी.एस.सी. प्रावधानों से तारतथ्य में नहीं है। आगे डी-2 खोज के संदर्भ में एफ.डी.पी प्रस्तुत करने को विलम्ब एम.ओ पी.एन.की द्वारा समझाया नहीं गया है।

- द्वारा स्पष्टीकरण की प्रस्तुति मे विलम्ब तथा एम.सी द्वारा संकल्प हस्ताक्षरित करने में विलम्ब के कारण अनुमोदित (अप्रैल 2008) हुआ
- इन मामलों मे पी.एस.सी के अनुच्छेद 21.5.6, 21.5.7 तथा 10.8 मे निर्दिष्ट समय रेखा का अनुसरण नहीं किया गया।

रूप देने के लिए स्पष्टीकारण/सदेश के एकक्रम के बाद एम.सी संकल्प 17.04.08 को हस्ताक्षरित किया गया। इससे यह देखा जा सकता है कि डी.जी.एच के पास एफ.डी.पी का मूल्यांकन, एम.सी की बैठक, एफ.डी.पी पर विचार करने/अनुमोदित करने के लिए पी.एस.सी समय रेखा के अन्दर बुलायी गयी लेकिन एम.सी संकल्प 17.04.08 को हस्ताक्षरित किया गया।

डी-1 और डी-3 गैस फील्ड्स के लिए आई.डी.पी. में अनुमोदित समय सीमा के अनुसार, कार्यवाही करने में देरी को दर्शाते हुए, क्रियांकलापों का विवरण–

बड़े विकासों से सम्बन्धित आकार जो कि अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया जाना था निम्नलिखित हैं–

- 14 कूओं का ड्रिलिंग प्रारम्भिक फेज से उत्पादन शुरू करने से आधित्यका उत्पादन 40 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक (एम.एम.एस.सी.एम.डी.)
- सभी सवसी सुविधाओं का लगाना, कूआ फलोलाइन, सवसी मेनीफोल्ड, गहरे पानी का पाइपलाइन ऐन्ड मेनीफोल्ड (डी.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस.), स्वेलो वाटर पाइपलाइन्स ऐन्ड मेनीफोल्ड (एस.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस), (डी.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस से एस.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस) गैस निकासी पाइपलाइन एस.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस से आनसोर टर्मिनल तक गैस निकासी पाइपलाइन, मेनीफोल्ड से गहरे पानी पाइपलाइन ऐन्ड मेनीफोल्ड (डी.डब्लू.पी.एल.ई.एम.एस), एम.ई.जी (मेथेनोल ई ग्लाईकोल्स) लाइन्स सहित।
- अभीतट टर्मिनल (ओ.टी.) और संसाधन रेल
- अक्टूबर 2006 तक अनुमोदित विकास योजना के बाद ठेकेदार द्वारा किये गये बड़े क्रियाकलापों पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वह अनुमोदित योजना के समयावधि के अन्तर्गत नहीं थे, निम्न प्रकार है

परिकल्पना और पोषक

- फरवरी 2004 में परिकल्पना और पोषक का कार्य पूरा कर लिया गया था। फिर भी पोषक के अनुसार कार्य शुरू करने के वजाय और नवम्वर 2004 में अनुमोदित विकास योजना, ठेकेदार ने पोषक अपडेशन जनवरी 2006 में शुरू की।

परियोजना परामर्श कार्य

- आर.एफ.क्यू.एस के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति दिसम्बर 2005 में हो गयी थी, और कार्य जनवरी 2006 में दिया गया।

विकास कुओं का ड्रिलिंग

- कुओं प्रस्ताव, दो विकास कुओं डी6-ए10 और डी6-बी7, के ड्रिलिंग के लिए एम.सी को 2 अप्रैल 2005 को प्रस्तुत किये, जो कि 17 मई 2005 को अनुमोदित किये गये। इन दोनों विकास कुओं/का कार्य डी6 ए-10ए और डी6-बी 7, क्रमशः 25 अक्टूबर 2005 तथा 11 दिसम्बर 2005 को पूरा हो गया।
- कूआ प्रस्ताव चार कुओं डी6-ए9, डी6-ए16, डी6-ए13 और डी6-बी13 के ड्रिलिंग के लिए एम.सी को प्रस्तुत किया और एम.सी ने 16 अगस्त 2006 को अनुमोदित कर दिया।
- विकास ड्रिलिंग के लिए के सिंग और ट्यूबलर का आर्डर अप्रैल 2006 में किया गया।
- कुओं का पूरे होने का डिजायन का कार्य अप्रैल 2006 में दिया गया और कुओं के पूरे होने का डिजायन फ्रीज अक्टूबर 2006 में किया गया।

अभीतट टर्मिनल और सम्बन्धित सुविधायें

- निकासी के लिए निकर्षण का कार्य, अभीतट टर्मिनल साइट पर सामग्री भरने के लिए, 24 अक्टूबर 2005 को दिया गया था और यह कार्य साइट पर 30 मार्च 2006 को शुरू हुआ और अधिकतर कार्य 28 अगस्त 2006 तक पूरा हो गया।
- आर.एफ.क्यू.एस विस्तृत इच्जीनियरिंग ओ.टी के लिए 20 दिसम्बर 2005 को जारी किया गया और अभीतट सुविधाओं का निर्माण कार्य और सम्बन्धित कार्य 29 मई 2006 को दिया गया।
- आर.एफ.क्यू.एस, एम.ई.जी. उत्थान/सुधार और स्लग कैचर मई 2006 में जारी की गयी और कार्य अगस्त 2006 में दिया गया।
- आर.एफ.क्यू.एस गैस डीहाइड्रेशन और टेग उत्थान जून 2006 में जारी किया और कार्य सितम्बर 2006 में दिया गया।
- आर.एफ.क्यू.एस, गैस टारवाइन का जुलाई 2006 में जारी किया।

अभीतट उत्पादन सुविधायें

- आर.एफ.क्यू.एस लोंग लीड पैकेजेज 1 और 2 और पैकेजेज 3 (लाइन पाइप) के लिए जनवरी 2006 में जारी की गयी और कार्य अप्रैल 2006 और मई 2006 में क्रमशः दिया गया था।
- आर.एफ.क्यू.एस. अपतट अधिष्ठापन के लिए मार्च 2006 में जारी की गई और कार्य सितम्बर 2006 में दिया गया था।
- जलासय अनुवीक्षण तंत्र का कार्य सितम्बर 2006 में दिया गया था।
- क्रिसमस पेड़ो का आर्डर जून 2006 में दिया और अनुमानित सुपुर्दगी अक्टूबर 2007 फरवरी 2008 के बीच होनी थी।
- सब सी नियंत्रण तंत्र, अम्बलीकल्स का आर्डर जून 2006 में दिया गया, अनुमानित सुपुर्दगी नवम्बर 2007 में होनी थी।
- अब सी ढांचा और टाई-इन, मेनीफोल्ड के साथ, बाल्वस और संरचना का आर्डर दिया और अनुमानित सुपुर्दगी 2007 के अन्त में या 2008 में जल्दी होनी थी।

डी-1 डी-3 आई.डी.पी. वनाम ए.आई.डी.पी विकास लागत से प्रमुख तत्वों की तुलना

(कुल लागत और खर्च आंकड़े मिलियन यू.एस.डालर में)

| क्रम.सं. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशिष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, निविदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव | | |
|----------|--------------------------|---|----------------|---------|------|----------|--|----------------|---------|------|----------|--------------------|--------------------|------------------|--|---------|---|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 तक | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक | | | |
| 1 | जी और जी अध्ययन | | | | | | 24.5 | | | | | | 34.67 | 19.63 | 24.57 | 25.53 | |
| 2 | जलाशय और पूरा हुआ अध्ययन | | | | | | 10.9 | | | | | | 22.66 | 9.27 | 12.98 | 13.75 | |
| 3 | कूओं का विकास | | | | | | 944.25 | | | | | | 1164.6 | 423.45 | 978.89 | 1022.4 | संशोधित एफ.डी.पी में कूओं की संख्या को कम करके 34 कूओं में से 22 कर दिया गया, परन्तु कूओं पर लागत 27.78 मिलियन यू.एस.डालर से 52.94 मिलियन यू.एस.डालर हो गयी फिर भी, जून 2009 तक 18 कुएं वास्तव में खुद चुके थे, 56.8 मिलियन यू.एस.डालर पर कुएं की औसत दर के हिसाब से जैसे कि—एफ.डी.पी की लागत लेवल से वास्तविक लागत दुगनी हो गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऊँची लागत होने का मुख्य एक ही कारण था कि, निविदा मागाने के बाद अनुबंधों को अनित्तम रूप न देना, गहरे कुएं खोदने के लिए चार्टर कियाये पर लेने के लिए कम दिनों की दर के हिसाब से और दुकड़ों में कियाये के लिए। अन्य मदों की लागत बढ़ने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा मार्गे गये थे परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये। |
| 4 | उत्पादन सुविधायें | | | | | | 1348.79 | | | | | | 3735.5 | 2047.32 | 3664.17 | 3890.03 | असाधारण लागत में ऊपर संशोधन 1.349 बिलियन यू.एस.डालर (एफ.डी.पी. लेवल) से 3.735 बिलियन यू.एस.डालर (संशोधित एफ.डी.पी लेवल) और वास्तविक खर्च जनवरी 2009 तक दुबारा 155 मिलियन यू.एस.डालर बढ़ गया। प्रत्येक लागत की मदें सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ जो कि एफ.डी.पी स्तर पर और संशोधित एफ.डी.पी स्तर पर थे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदाओं से सम्बन्धित जैसे इंजीनियरिंग, अनुबंध, डिजायन, ई.पी.आई.सी., सी.आर.पी., सव-सी नियंत्रण प्रक्रिया, एक्ससमस्य ट्रीज, अब्बेलीकल्ट्स, एम.ई.जी.प्लांट, पाइपलाइन्स, ऑन-शोर टर्मिनल, जेटी आदि से सम्बन्धित मामले। |

| क्रम.सं. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशिष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, निविदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव |
|----------|---|---|----------------|---------|------|----------|--|----------------|---------|-------|----------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक | |
| (४) | सर्वेक्षण एवं पर्यावरण सम्बन्धित अनुमति | | | | | 9.14 | | | | | 13.82 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | <ul style="list-style-type: none"> वास्तविक खर्च 1.46 मिलियन यू.एस.डालर एफ.डी.पी स्तर से छपर बढ़ गये। एफ.डी.पी स्तर से लागत बढ़त का विवरण लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया, प्रस्तुत नहीं किया गया। जी.ओ तकनीकी अन्वेषण अनुमानित लागत, एफ.डी.पी. स्तर से दुगनी हो गयी थी। इस उपर्युक्त के अन्तर्गत वास्तविक खर्च एवं बढ़त लागत के विवरण के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया, प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| (५) | विविध | 10 | | 46.85 | | 6 | 11.8 | | | 70.81 | 37.93 | 78.25 | 78.25 | विविध की संख्या में कमी 10 से 6 हो गयी परन्तु विविध पर लागत 4.7 मिलियन यू.एस.डालर से 11.8 मिलियन यू.एस.डालर बढ़ गयी। वास्तविक खर्च भी दुबारा बढ़ कर 13.04 मिलियन यू.एस.डालर पर विविध बढ़ गया जैसे— एफ.डी.पी. स्तर से लागत करीब तिगुनी हो गयी। बढ़त लागत का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। | |
| (६) | पाइपलाइन और पी.एल.ई.एम.एस | | | 232.5 | | | | | | 906.9 | 386.19 | 703.47 | 819.65 | <ul style="list-style-type: none"> एफ.डी.पी. द्वारा अनुमोदित प्रारम्भिक लागत से संशोधित अनुमानित लागत करीब तिगुनी थी। 24 इंच पाइपलाइन्स-पाइपस की मात्रा में बढ़त में संशोधन, पाइप का टन भार, पाइपलाइन डालने में लगने वाला समय साथ-साथ, खरीद की दर व डालने की लागत शामिल थे। सब मिलाकर लागत बढ़कर तिगुनी हो गयी तीसरी 24 इंच पाइपलाइन को छोड़ कर। 6 इंच एम.ई.जी पाइपलाइन-1.2, और 3 एफ.डी.पी स्तर से लागत छ: गुना से अधिक बढ़ गयी। बढ़त लागत का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। 12 इंच बहि: प्रवाही पाइपलाइन एफ.डी.पी स्तर से लागत पांच गुना बढ़ गयी। लागत बढ़त का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। पी.एल.ई.एम. गहरा पानी—एफ.डी.पी. स्तर से लागत दो गुना से अधिक हो गयी। लागत बढ़त का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। | |

| क्रम.सं. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशिष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, निविदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव |
|----------|---|---|----------------|---------|--------|----------|--|----------------|---------|--------|----------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 तक | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक | |
| (छि) | उप समुद्र नियंत्रण प्रक्रिया और केन्द्र | | | | 358.01 | | | | | 722.9 | 353.51 | 642.05 | 667.64 | <ul style="list-style-type: none"> एफ.डी.पी. स्तर से अनुमानित लागत दो गुना से अधिक हो गयी। एफ.डी.पी.स्तर से लागत बढ़त का विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी लेखापरीका के पाया कि अधिक खर्च का एक ही कारण निविदा संसोधन और अनुबंध बाद में देने से लागत का बढ़ना था। कुन्डी/कनेक्सन—एफ.डी.पी. स्तर से लागत आठ गुना से अधिक बढ़ गयी। लागत बढ़त का विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। ट्रॉलिंग—एफ.डी.पी. स्तर से लागत दो गुना से अधिक बढ़ गयी। लागत बढ़त का विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। | |
| (झि) | गहरे पानी की पाइपलाइन | | | | 142.14 | | | | | 323.82 | 85.67 | 298.535 | 310.691 | एफ.डी.पी.स्तर से लागत दो गुना से अधिक बढ़ गयी, मात्रा, दर/समय और गहरे पानी की पाइपलाइन में कुल खर्च का विस्तृत विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी लेखापरीका ने जाँच में पाया कि लागत बढ़ने का कारण निविदा मागने के बाद पाइपलाइन की आपूर्ति आदेश देने से देही, पाइप की खरीद अधिक मूल्य पर किया जाना था। | |
| (एफ) | सही स्थल चयन के साथ आनशोर टर्मिनल | | | | 192.08 | | | | | 550.87 | 437.75 | 713.308 | 773.035 | <ul style="list-style-type: none"> नवम्बर 2004 में अनुमोदित एफ.डी.पी. की तुलना में संसोधित एफ.डी.पी में लागत तिगुनी हो गयी। फिर भी, प्रारम्भिक अनुमोदित एफ.डी.पी. से जून 2009 तक वास्तविक खर्च चार गुना से अधिक था। लेखापरीका ने पाया कि लागत बढ़ने का मुख्य कारण आनशोर टर्मिनल का अनुबंध—देने में एक मूल्य निविदा और लागत प्लस आधार पर प्रतियोगी मूल्य पर न होना था। लेखापरीका ने यह भी पाया कि अनुबंध देने के बाद संसोधन/बदलाव आदेश से लागत के साथ—साथ समय का भी प्रभाव था। ओ.टी. उपकरण—एफ.डी.पी. स्तर से लागत तिगुनी से अधिक हो गयी। लागत बढ़त का विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। स्लग केचर—एफ.डी.पी. स्तर से लागत तिगुनी हो गयी लेखापरीका ने पाया कि लागत बढ़ने का एक कारण स्लब केचर का दुवारा आपूर्ति आदेश न देना था। अन्य लागत—(पाइपिंग, उपकरण, कलपुर्जे, लगाने की लागत, ओ.टी. कम्प्रेशन सुविधायें आदि) लागत ढाईगुना से अधिक बढ़ गयी। मात्रा, दर/समय और उप शीर्ष के अन्तर्गत अलग—अलग लागत मदों के लिए कुल खर्च का विवरण लेखापरीका को प्रस्तुत नहीं किया गया। | |

| क्रम सं. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशेष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, निविदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव | |
|----------|----------------------|---|----------------|---------|--------|--|---------|----------------|---------|--------------------|--------------------|------------------|--|--|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक |
| (जी) | कम्प्रेशन्स | | | | 196.46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | संसोधित एफ.डी.पी. स्तर पर दुवारा डिजायन की गयी। |
| (एव) | नियंत्रण सह उदान मंच | | | | 0 | | | | | 446.83 | 392.14 | 539.211 | 539.872 | <ul style="list-style-type: none"> नयी सुविधायें जोड़ी गयी। नवम्बर 2004 में एफ.डी.पी. ने अनुमोदन किया था कि सी.आर.पी. सुजन करने की कोई योजना नहीं थी और उत्पादन बिना सी.आर.पी. सुविधा के सृजित किया गया था। इसके बाद भी जून 2009 तक वास्तविक खर्च संसोधित एफ.डी.पी. में अनुमोदित लागत से 20 प्रतिशत अधिक बढ़ गया। इन्जीनियरिंग-लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंधों के बाद संसोधन/आदेश को बदलने से लागत वृद्धि का प्रभाव हुआ। अनुबंध में दर्शाया गया मूल्य 23.92 मिलियन यू.एस.डालर के विरुद्ध वास्तविक बिल एक मार्च 2008 तक राशि रु. 36.72 मिलियन यू.एस.डालर था जो कि 53.51 प्रतिशत बढ़त दिखाता है। योजना प्रबंधन—लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध देने के बाद संसोधन/आदेश बदलने से लागत वृद्धि का प्रभाव हुआ। अलग-अलग योजना प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए फरवरी 2008 तक मैनआवर में प्रतिशत बढ़त हुई के सन्दर्भ में मैनआवर बढ़त अनुबंध के विरुद्ध 15 प्रतिशत से 108 प्रतिशत की क्षेणी में था। स्टील और जेकेट अधिक मात्राओं में/डेरसारा साजसामान/डेक्स और उपकरण और टेंड मदों की आपूर्ति – लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध देने के बाद संसोधन बदलने से लागत वृद्धि का प्रभाव हुआ। अलग-अलग योजना प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए 1 मार्च 2008 तक प्रतिशत बढ़त हुई इसके साथ साथ यह अनुबंध के विरुद्ध 14 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक की श्रेणी में थी। फेब्री केरेन लोड आवर और सी.फास्टनिंग-लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध देने के बाद संसोधन/आदेश बदलने से लागत वृद्धि का प्रभाव हुआ। अनुबंध में दर्शाया गया 46.70 मिलियन यू.एस.डालर की दर के विरुद्ध वास्तविक बिल 1 मार्च 2008 तक 94.02 मिलियन यू.एस.डालर था जो कि 101 प्रतिशत बढ़त दिखाता है। |
| | | | | | | | | | | | | | | संचालक से अलग-अलग लागत मदों के लिए मात्रा, दर, समय और कुल खर्च का विवरण मांगा गया था फिर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। |

| क्रम.सं. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशिष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की संवर्धनात्मक लागत | | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, नियिदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव | |
|----------|----------------------|---|----------------|---------|------|----------|--|----------------|---------|------|----------|--------------------|--------------------|------------------|--|---|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक | | |
| (आई) | वेन्ट सिस्टम | | | | | 0 | | | | | | 12.85 | 4.19 | 42.213 | 42.213 | नये तत्व जोड़े गये, जो कि एफ.डी.पी. के नवम्बर 2004 के अनुमोदन के अनुसार आवश्यक नहीं थे। |
| (जे) | वेसल एम.ओ.बी -डी भोव | | | | | 91.18 | | | | | | 366.89 | 134.08 | 297.17 | 293.81 | लागत चार गुना से अधिक बढ़ गयीं लागत तत्वों के अन्तर्गत मात्रा, दर, समय, और कुल खर्च का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| (के) | इंजीनियरिंग लागत | | | | | 40.04 | | | | | | 59.53 | 45.03 | 49.36 | 49.7 | एफ.डी.पी. के नवम्बर 2004 में अनुमोदित लागत के सन्दर्भ में जून 2009 तक वास्तविक खर्च 9 मिलियन यू.एस.डॉलर बढ़ गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि लागत में बढ़त का प्रभाव अनुबंध देन के बाद संसोधन करने से हुआ। |
| (एल) | सी.वी.ए. लागत | | | | | 17.16 | | | | | | 47.63 | 4.77 | 7.02 | 8.99 | लागत तत्व के अन्तर्गत कम खर्च के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। |
| (एम) | योजना प्रबंधन लागत | | | | | 114.4 | | | | | | 212.62 | 155.46 | 282.97 | 295.57 | नवम्बर 2004 में अनुमोदित एफ.डी.पी लागत के सन्दर्भ में दिसम्बर 2006 में अनुमोदित लागत में 85 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई। इसके बाद एफ.डी.पी लागत से वास्तविक खर्च 39 प्रतिशत अधिक था। |
| 5 | ईको सुरक्षा | | | | | 1.58 | | | | | | 4.3 | 0.96 | 2.63 | 2.73 | |
| 6 | जी.ओ.ए | | | | | 13.5 | | | | | | 20.5 | 19.71 | 79.06 | 80.07 | एफ.डी.पी. स्तर से लागत पौँच गुना से अधिक और संसोधित एफ.डी.पी स्तर से तीन गुने से अधिक बढ़ गयी। एफ.डी.पी. और संसोधित एफ.डी.पी. स्तर का आधार और असाधारण अधिक खर्च का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| 7 | परिस्थिति | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | सूचना तकनीकी | | | | | 0 | | | | | | 9.46 | 0.61 | 3.11 | 3.45 | |
| 9 | काकीनाडा केटिव वर्थ | | | | | 0 | | | | | | 54.96 | 18.67 | 19.86 | 20.71 | संसोधित एफ.डी.पी. में अनुमोदित लागत का विवरण और कम खर्च का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। |

| क्रमांक. | विवरण | संचालक द्वारा मई 2004 में प्रस्तुत की गयी आई.डी.पी के अनुसार बड़े तत्वों की सर्वधनात्मक लागत | | | | | संचालक द्वारा अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत की गई आई.डी.पी परिशिष्ट के अनुसार बड़े तत्वों की सर्वधनात्मक लागत | | | | | मार्च 2008 तक खर्च | मार्च 2009 तक खर्च | जून 2009 तक खर्च | मात्रा संशोधन, दर संशोधन, समय का अधिक होना, निविदा प्रक्रिया की कमियां, बाद में अनुबंध प्रदान में संशोधन के अनुसार लागत प्रभाव |
|----------|--|--|----------------|---------|------|----------|---|----------------|---------|------|----------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| | | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | मद लागत | मदों की संख्या | यू.ओ.एम | लागत | कुल लागत | 2007-08 | मार्च 2009 तक | जून 2009 तक | |
| 10 | स्वामित्व समर्थन हस्तक्षेप पोत एवं हेलीकाउटर | | | | 0 | | | | | | 150 | 20.31 | 9.58 | 9.58 | संसोधित एफ.डी.पी. में अनुमोदित लागत का विवरण और मार्च 2008 तक खर्च किये गये 20.31 मिलियन यू.एस.डालर का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था |
| 11 | अतिरिक्त प्रभार 2 प्रतिशत | | | 46.87 | | | | | | | 0 | | | | अनुमोदित एफ.डी.पी. और संसोधित अनुमानित लागत का विवरण और उपशीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक खर्च का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था |
| 12 | विनियमय छानि/लाभ | | | | | | | | | | | -2.17 | -6.57 | -2.79 | |
| 13 | एम.एल/लाइसेन्स फीस/डेढ रेट | | | | | | | | | | | 0.14 | 0.14 | | |
| कुल योग | | | | 2390.38 | | | | | | | 5196.6 | 2557.9 | 4788.42 | 5056.46 | |

खोजों का विवरण

| क्रम संख्या | खोज का नाम | खोज की तारीख | सूचना की तिथि (पी.एस.सी के अनुच्छेद 9.1 बी) | | क्या खोज संभावित वाणिज्यिक रूचि की थी को निर्धारित करने के लिए परीक्षा पूर्ण होने की तिथि (पी.एस.सी का अनुच्छेद 9.1 सी) | अंतिम मूल्यांकन कुए की खुदाई की तिथि (पी.एस.सी का अनुच्छेद 9.3) | अंतिम मूल्यांकन कुए के बाद, प्रचालक द्वारा एम.सी को खोज की वाणिज्यिनीयता के वारे में अधिसूचना द्वारा लिखित रूप से सुझाव की तिथि (पी.एस.सी.का अनुच्छेद 9.4) | डी.ओ.सी की तारीख | एफ.डी.पी की प्रस्तुति | एफ.डी.पी का अनुमोदन |
|-------------|-----------------------------|--------------|---|------------|---|---|--|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | नियत | वास्तविक | | | | | | |
| 1 | गुडा | 23.07.1999 | 22.08.1999 | 01.08.1999 | 10.09.1999 | 28.09.2005 | उपलब्ध नहीं है | | | |
| 2 | सरस्वती | 29.10.2001 | 28.11.2001 | 16.11.2001 | 21.11.2001 | 28.03.2004 | 11.01.2002 | 15.10.2004 | 30.12.2005 | 27.05.2006 |
| 3 | रागेस्वरी आयल | 25.12.2002 | 24.01.2003 | 04.02.2003 | 07.02.2003 | 02.04.2005 | 28.03.2003 | 15.10.2004 | 30.12.2005 | 27.05.2006 |
| | जी.आर.एफ—1 (गुडा का भाग) | | | 01.11.2003 | 15.01.2004 | | 06.02.2004 | | | |
| 4 | कामेश्वरी | 21.09.2003 | 21.10.2003 | 13.10.2003 | 14.11.2003 | कोई अप्रैस्ल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 05.12.2003 | | | |
| 5 | मंगला | 20.01.2004 | 19.02.2004 | 23.01.2004 | 31.01.2004 | 06.01.2006 | 10.03.2004 | 15.10.2004 | 30.12.2005 | 27.05.2006 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|
| 6 | ऐश्वर्या | 05.03.2004 | 04.04.2004 | 09.03.2004 | 13.03.2004 | 15.04.2005 | 30.04.2004 | 15.10.2004 | 30.12.2005 | 27.05.2006 |
| 7 | विजया | 28.08.2004 | 27.09.2004 | 07.09.2004 | 23.09.2004 | 08.10.2005 | 17.10.2005 | | | |
| 8 | भाग्यम | 07.08.2004 | 06.09.2004 | 10.08.2004 | 25.08.2004 | 14.02.2006 | 21.10.2004 | 14.11.2006 | 11.10.2007 | 18.03.2008 |
| 9 | शक्ति | 18.04.2004 | 18.05.2004 | 21.04.2004 | 22.04.2004 | 17.11.2004 | 04.06.2004 | 14.11.2006 | प्रस्तुत नहीं | - |
| 10 | राग दीप गैस | 25.12.2002 | 24.01.2003 | 11.01.2005 | 07.02.2003 | 15.03.2006 | 28.03.2003 | 15.10.2004 | 30.12.2005 | 27.05.2006 |
| 11 | वदना | 07.08.2004 | 06.09.2004 | 19.05.2005 | 24.11.2004 | 03.09.2005 | 21.06.2005 | | | |
| 12 | एन-1 | 18.05.2005 | 17.06.2005 | 16.06.2005 | 09.06.2005 | 21.08.2005 | 24.01.2006 | | | |
| 13 | जी.एस.वी | 04.07.2005 | 03.8.2005 | 08.11.2005 | 20.10.2005 | 06.08.2006 | 24.01.2006 | | | |
| 14 | एन.सी पश्चिम | 04.07.2005 | 03.08.2005 | 08.11.2005 | 11.08.2005 | कोई अप्सैस्ल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 24.01.2006 | | | |
| 15 | भाग्यम दक्षिण | 03.12.2005 | 02.01.2006 | 27.12.2005 | 12.12.2006 | कोई अप्सैस्ल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 22.02.2007 | | | |
| 16 | एन.ई | 09.01.2006 | 08.02.2006 | 19.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 16.06.2006 | | | |
| 17 | एन.पी | 06.04.2006 | 06.05.2006 | 20.04.2006 | 22.04.2006 | 26.06.2006 | 06.02.2007 | | | |
| 18 | मंगला बाड़मेर पहाड़ी | 20.01.2004 | 19.02.2004 | 20.04.2006 | 15.07.2006 | 20.01.2009 | प्रस्तुत नहीं | | | |
| 19 | शक्ति एन.ई-1 | 21.10.2006 | 20.11.2006 | 13.11.2006 | 19.11.2006 | कोई अप्सैस्ल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 22.01.2007 | | | |
| 20 | के.डब्ल्यू-2 | 21.11.2006 | 21.12.2006 | 16.12.2006 | 27.11.2006 | 26.06.2007 | 06.07.2007 | 24.12.2008 | 08.07.2009 | स्वीकृत नहीं |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 21 | एन.आई.उत्तर | 21.11.2005 | 21.12.2005 | 14.02.2007 | 04.12.2006 | कोई अप्रैसल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 09.03.2007 | | | |
| 22 | के.डब्ल्यू-3 | 13.12.2006 | 12.01.2007 | 09.05.2007 | 24.12.2006 | 14.08.2007 | 06.07.2007 | 24.12.2008 | 08.07.2009 | स्वीकृत नहीं |
| 23 | सरस्वती—शिखा—1 | 05.05.2007 | 04.06.2007 | 17.05.2007 | 12.05.2007 | कोई अप्रैसल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 13.07.2007 | | | |
| 24 | के.डब्ल्यू-6 | 20.07.2007 | 19.08.2007 | 10.08.2007 | 22.07.2007 | कोई अप्रैसल वैल की बोरिंग नहीं हुई | 13.09.2007 | 24.12.2008 | 08.07.2009 | स्वीकृत नहीं |
| 25 | रागेश्वरी—पूर्व—1जेड / तुकाराम | 24.11.2008 | 24.12.2008 | 16.12.2008 | 29.11.2008 | 19.03.2010 | प्रस्तुत नहीं | | | |

परिशिष्ट 5.2

मूल एंव संशोधित एफ.डी.पी का लागत अनुमान वास्तविक

(यू.एस. मिलियन डालर)

| मद संख्या | विवरण | अनुमोदित मूल एफ.डी.पी | अनुमोदित संशोधित एफ.डी.पी | मिन्ता |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| डी.ओ-1 | भूकंपीय | 26.70 | 32.75 | 6.5 |
| डी.ओ-3 | विकास अध्ययन | 27.37 | 43.57 | 16.20 |
| डी.ओ-4 | कुआं निर्माण | 433.08 | 698.80 | 265.72 |
| डी.ओ-5 | परियोजना प्रबंधन | 67.25 | 167.52 | 100.27 |
| डी.ओ-7 | इंजीनियरिंग | 59.93 | 91.37 | 31.44 |
| डी.ओ-8 | सरफेस सुविधाएं | 513.40 | 1038.03 | 524.63 |
| डी-10 | कमीशनिंग | 15.80 | 13.51 | -2.29 |
| डी-12 | पुनः आपरेशन | 18.53 | 76.30 | 57.77 |
| डी-21 | भूमि | 4.81 | 5.47 | 0.66 |
| डी-94 | बीमा | 3.67 | 5.28 | 1.61 |
| डी-95 | बुनियादी कार्यालय लागत | 14.11 | 18.41 | 4.30 |
| डी-98 | जी एण्ड ए | 34.76 | 42.31 | 7.55 |
| उप कुल | | 1219.41 | 2233.31 | 1013.90 |
| यू.ए.पी | कंटेन्जैयंसी | 22.20 | 111.67 | 89.47 |
| उप कुल | | 1241.61 | 2344.98 | 1103.37 |
| डी-99 | पी.सी.ओ | - | 22.33 | 22.33 |
| | मंगला क्षेत्र विकास लागत | - | 2367.31 | 2367.31 |
| | मंगला पाइपलाइन लागत | - | 941.05 | 941.05 |
| | मंगला ई.ओ.आर पायलट लागत | - | 35.61 | 35.61 |
| कुल योग | | 1241.61 | 3343.97 | 2102.36 |

**ठेके दिये जाने पर प्रेक्षण
नामांकन/एक स्त्रोत के आधार पर दिये गये ठेके**

| क्रम. संख्या | अवलोकन का संक्षिप्त | 31.3.2008 तक भुगतान की गई राशि (यू.एस. \$ मिलियन) |
|-----------------|--|---|
| 1 | <p>परिचालक ने भाप प्रणाली संकुल (दुकान गढ़, स्किड पर जड़े, पैकेज बांयलर) आपूर्ति, स्थापना और शुरू करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर जिसमें दस दलों का जवाब प्राप्त हुआ। सात छाटे गये लोगों को निविदा (मई 2007) जारी किया। सात बोलीदाताओं में से चार, ने जबकि मना कर दिया जिससे प्रतिस्पर्धा में केवल तीन रह गये। बोलियों का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया। थर्मेक्स (Thermax) कार्य के लिए एकल तकनीकी रूप से बोलीदाता पाया गया और रु. 683,531,100 की लागत पर आपूर्ति के लिए और रु. 101,348,720 की लागत पर चालू करते समय स्थापना और पर्यवेक्षण सेवाओं के लिए, भाप-प्रणाली संकुल के आपूर्ति, स्थापना और चालू करने के लिए प्रचालक ने ठेका, थर्मेक्स को (अक्टूबर 2007) दे दिया गया। 31 मार्च 2008 तक भुगतान राशि 6,039,993 डॉलर था।</p> | 6.04 |
| 2 | <p>बरमेर सालाया पाईपलाईन (बी.एस.पी.एल) परियोजना के लिए तेल निर्यात पाईपलाईन संकल्पनात्मक डिजाइन अध्ययन के प्रावधान के लिए, 8 बोलीदाताओं को जारी किये गये निविदा में से केवल एक बोलीदाता, जे.पी. केनी से बोली प्राप्त हुई, जे.पी. केनी के बोली की स्वीकार कर लिया गया और प्री-फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन (प्री-फीड) / बी.एस.पी.एल परियोजना के लिए संकल्प-चयन कार्य के लिए ठेका दिया गया। प्री-फीड पर किया गया खर्च यू.एस. \$ 1.30 मिलियन रहा।</p> <p>इसके बाद, अन्यवस्तुषु यह कर कर कि ठेकेदार पहले की संकल्प चरणों में शामिल था जे.पी.केनी को यू.एस. \$ 15.18 मिलियन और यू.एस. \$ 10 मिलियन पर दो और ठेके, अर्थात् (i) फीड+ (मूल रूप से दीर्घ लीड आई. एम खरीद पैकेज को तैयार करने हतु विस्तृत डिजाइन विकास यथेष्ट) और (ii) प्रस्तावित पाईपलाईन स्कीकृत परियोजना प्रबंधन टीम को परियोजना कर्मियों की आपूर्ति क्रमशः सौंपे गये। खरीद प्रक्रिया के अनुसार, यू.एस. \$ 0.50 मिलियन से अधिक के अनुबंधों के संबंध में एकल स्रोत/नामांकन आधारित ठेको के लिए ओ.सी.और एम.सी का अनुमोदन/समीक्षा जरूरी थी। जो प्राप्त नहीं किया गया आगे, कार्य को विभाजित करके, बड़े पैमाने से उत्पन्न आर्थिक लाभ भी प्राप्त नहीं किया जा सका।</p> | 14.50 |

| क्रम. संख्या | अवलोकन का संक्षिप्त | 31.3.2008 तक भुगतान की गई राशि (यू.एस. \$ मिलियन) |
|--|--|---|
| 3 | मंगला तेल और रागेश्वरी गैस विकास परियोजना के लिए विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग (डी.डी.ई) के लिए, मुस्तंग इंजीनियरिंग (मुस्तंग) के यू.एस. \$ 62.6 मिलियन के लिए एक तीन वर्ष की अवधि के लिए ठेका दिया गया। मुस्तंग अकेला बोलीदाता था। परिचालक ने, मुस्तंग की क्षमता आंकने के लिए अमेरिका में उनके स्थान पर एक टीम भेजी। और टीम ने आंका कि मुस्तंग, जिसके पास बहुत ही अनुभवी परियोजना प्रबंधन टीम थी, के साथ परियोजना को तीव्र गति से पूर्ण करने के लिए, परियोजना संगठित करने का, बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण था। बाद में, हॉलाकि कार्य की धीमी प्रगति (60 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक) के कारण ठेके को समाप्त कर दिया गया | 68.91 |
| कुल | | 89.45 |
| दरों की तर्कसंगति आंके बिना दिये गये ठेके | | |
| 1. | परिचालक ने उच्च क्षमता पम्प पैकेज की आपूर्ति के लिए छ: बोलीदाताओं को निविदा जारी की। चार बोलीदाताओं ने मना कर दिया, एक ने जवाब नहीं दिया और बचे हुये एक (डी.एम.डब्ल्यू) ने बोली प्रस्तुतीकरण की तिथि बढ़ाने का आवेदन किया जोकि 23 मार्च 2007 तक बढ़ा दी गई। पर उनसे भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। परिचालक ने जी ई ऑचल एण्ड गैस किलोस्कर (जी.ई.) और डी.एम.डब्ल्यू से उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के रूचि के विषय में सम्पर्क किया। जी.ई.ने बोली प्रस्तुत की (मई 2007) और उन्हें यू.एस. \$ 19.45 मिलियन(संशोधित बजट लागत अनुमान यू.एस. \$ 9.00 मिलियन) की लागत पर ठेका (सितम्बर 2007) दिया गया। संशोधित लागत अनुमान और ठेके की लागत के बीच इतने अधिक अन्तर का कारण किसी भी दस्तावेज़/रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। | 1.94 |
| कुल | | 1.94 |
| बड़े पैमाने से उत्पन्न आर्थिक लाभ को न उठाना/ अनुबंधात्मक प्रावधानों के बाहर विस्तार | | |
| 1 | वर्क ओवर/सर्विस रिंग के लिए एक ठेका जान एनर्जी को 2.20 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर 12 महानों के प्राथमिक काल के लिए दिया गया (मई 2004), ठेका पाँच बार 14 अप्रैल 2007 तक, ठेके के प्रावधानो के विरुद्ध विस्तारित किया गया जिसमें सिर्फ प्रत्येक छ: माह के दो विस्तारों का प्रावधान उपलब्धता | 7.12 |

| क्रम संख्या | अवलोकन का संक्षिप्त | 31.3.2008 तक भुगतान की गई राशि (यू.एस. \$ मिलियन) |
|-------------|--|---|
| 2 | <p>डिलिंग तथा कम्पलीसन फ्लूड तथा कन्ट्रोल उपकरणों तथा सेवाओं के प्रावधान के लिए निविदा के विरुद्ध चार बोलियाँ प्राप्त हुईं तथा तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी। मूल्य बोलियों खोली गयी जिसके साथ बेकर हग्स सबसे निम्नतम बोलीदार बनकर उभरा तथा ठेका 5.72 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर 26 जुलाई 2004 को छः माह के लिए, प्रत्येक छःमाह में तीन विस्तार के विकल्पों के साथ दिया गया।</p> <p>यह प्रेक्षित किया गया कि 25 जनवरी 2008 तक 11 परिवर्तनों के अतिरिक्त ठेका आठ बार विस्तारित किया गया। बेकर को कुल 13.51 मिलियन डालर का भुगतान हुआ, इस प्रकार पैमाने की मितव्ययता जो कि ठेके के लम्बे काल के विस्तार से प्राप्त होने की सम्भावना थी, प्राप्त होना बाकी है। ठेके की कुल लागत विस्तारों एवं परिवर्तनों को शामिल करते हुए 20.22 मिलियन अमरीकी डालर थी।</p> | 13.51 |
| कुल | | 20.63 |
| समेकित योग | | 112.02 |

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटियाँ

| क्र.सं | ब्लॉक का नाम | प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटियाँ |
|--------|---------------------------|---|
| 1 | केके—डीडब्ल्यूएन – 2003/1 | <ul style="list-style-type: none"> नौ त्रैमासिक प्रतिवेदनों में से जोकि अप्रैल 2006 से अप्रैल 2008 के दौरान प्रस्तुत करनी थी, केवल दो प्रतिवेदन रिकार्ड में पाये गये। वर्ष 2006–07 के लिए वार्षिक स्थानीय आपूर्ति विवरण, रिकार्ड में नहीं पाये गये। |
| 2 | एमबी—ओएसएन – 97/3 | <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2002–03 के लिए केवल एक स्थानीय आपूर्ति विवरण रिकार्ड में पाया गया जोकि एक साल की देरी के बाद प्रस्तुत किया गया था। केवल एक साल के अन्त का विवरण रिकार्ड में पाया गया जोकि 23 दिनों की देरी से प्रस्तुत किया गया था। केवल ब्लॉक से सम्बन्धित कुछ त्रैमासिक रिपोर्ट रिकार्ड में पाये गये उनमें से कुछ रिपोर्ट $1\frac{1}{2}$ से 5 महीनों की देरी से प्रस्तुत की गयी थी। |
| 3 | केजी—डीडब्ल्यूएन—98/3 | <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संसाधनों के उपभोग में ठेकेदारों की रूपरेखा के निष्कर्षों को दिखाने वाली वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देरी हुई (वर्ष 2004–05 और 2006–07 में, क्रमशः 3 और 4 महीने) |
| 4 | केजी—ओएसएन—2001/2 | <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संसाधनों के उपयोग में ठेकेदारों की रूपरेखा के निष्कर्षों को दिखाने वाली वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देरी हुई (वर्ष 2006–07 और 2007–08 क्रमशः 4 और $1\frac{1}{2}$ महीने) |
| 5 | एमएन—डीडब्ल्यूएन—2004/3 | <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संसाधनों के उपयोग में ठेकेदारों की रूपरेखा के निष्कर्षों को दिखाने वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। (वर्ष 2007–08 में $1\frac{1}{2}$ माह) |
| 6 | एनईसी—डीडब्ल्यूएन—2002/1 | <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संसाधनों के उपयोग में ठेकेदारों की रूपरेखा के निष्कर्षों को दिखाने वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में $1\frac{1}{2}$ से चार महीने की देरी हुई। लेखा परीक्षा को लागत वसूली विवरण, लागत खर्च विवरण/प्राप्तियाँ आदि प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका समय पर प्रस्तुतीकरण सत्यापित नहीं कर सकें। |

| क्र.सं | ब्लॉक का नाम | प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटियाँ |
|--------|-------------------------|--|
| 7 | सीबी—ओएस—/2 | <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2004–05 के दौरान भारतीय विक्रेताओं को केवल 2 से 15 प्रतिशत अनुबंध दिये गये। (वर्ष 2003–04 का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया) अगस्त 2005 में, ठेकेदार ने कहा था कि वह उपलब्धि में सुधार के लिए कुछ आवश्यक कदम उठायेगा। फिर भी इसके अनुपालनों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं कर सकें क्योंकि वर्ष 2005–06 और 2006–07, अप्रैल 2008 में उसके बाद की कोई रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी थी। |
| 8 | हजीरा | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वार्षिक आपूर्ति विवरण का अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित रिकार्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। |
| 9 | सीबी—ओएनएन—2000/1 | |
| 10 | सीबी—ओएन—/1 | <ul style="list-style-type: none"> समय पर प्रस्तुत की गयी इन ब्लाकों की त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्टों का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा को सम्बन्धित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। |
| 11 | केके—डीडब्ल्यूएन—2000/2 | |
| 12 | एमबी—ओएसएन—2004/2 | |
| 13 | आरजे—ओएनएन—2002/1 | |

परिशिष्ट 7.2

वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने में देरी दिखाने वाला विवरण

| ब्लॉक का नाम | वर्ष | प्रस्तुत तारीख | करने की | प्रस्तुत करने में देरी |
|--------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|
| केजी—ओएसएन—2001/2 | 2004-05 | 12.07.05 | | 42 दिन |
| | 2006-07 | 16.07.07 | | 45 दिन |
| | 2007-08 | 23.06.08 | | 23 दिन |
| केके—डीडब्ल्यूएन—2003-1 | 2006-07 | 26.6.07 | | 25 दिन |
| | 2007-08 | 23.6.08 | | 22 दिन |
| एनईसी—डीडब्ल्यूएन—2002/1 | 2004-05 | 12.7.05 | | 42 दिन |
| | 2005-06 | 23.6.06 | | 23 दिन |
| | 2006-07 | 19.7.07 | | 49 दिन |
| | 2007-08 | 23.6.08 | | 23 दिन |
| एमएन—डीडब्ल्यूएन—2004/3 | 2007-08 | 20.6.08 | | 20 दिन |

परिशिष्ट 7.3

लेखापरीक्षित खातों के अनुमोदन में देरी दर्शाने वाला विवरण

| ब्लाक का नाम | वर्ष | प्रस्तुत करने की तारीख | अनुमोदन तारीख की | अनुमोदन में देरी |
|--------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------------|
| केजी-ओएसएन-2001/2 | 2003-04 | 25.05.04 | 6.08.05 | 1 $\frac{1}{2}$ माह |
| | 2004-05 | 12.07.05 | 8.12.05 | 4 माह |
| | 2006-07 | 16.07.07 | 3.06.08 | 9 $\frac{1}{2}$ माह |
| केके-डीडब्ल्यूएन-2003-1 | 2005-06 | 30.5.06 | 7.9.06 | 2 माह |
| | 2006-07 | 26.6.07 | 24.9.07 | 2 माह |
| एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2002/1 | 2004-05 | 12.7.05 | 18.11.05 | 3 माह |
| | 2006-07 | 19.7.07 | 15.10.07 | 2 माह |
| एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/3 | 2007-08 | 20.6.08 | 20.8.08 | 1 माह |
| केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 | 2000-01 | 21.9.02 | 29.12.03 | 14 माह |
| | 2001-02 | 21.9.02 | 29.12.03 | 14 माह |
| | 2002-03 | 28.5.03 | 17.3.05 | 20 $\frac{1}{2}$ माह |
| | 2003-04 | 25.5.04 | 7.1.06 | 18 माह |
| | 2004-05 | 12.7.05 | 10.4.06 | 8 माह |
| | 2006-07 | 16.7.07 | 14.11.08 | 15 माह |

परिशिष्ट 74.

वार्षिक कार्य नीति और बजट प्रस्तुत करने में देरी

| ब्लाक का नाम बजट | खोज/मूल्यांकन/ विकास/उत्पादन | वर्ष | प्रस्तुत करने की तारीख | प्रस्तुत करने में देरी |
|------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| केजी-डीडब्ल्यूएन - 98/3 | खोज | 2004-05 | 5.2.04 | 1 माह |
| | | 2005-06 | 14.2.05 | 1 ½ माह |
| | | 2006-07 | 31.3.06 | 3 माह |
| | विकास | 2005-06 | 27.10.05 | 10 माह |
| | | 2007-08 | 23.2.07 | 2 माह |
| हजीरा | विकास/उत्पादन | 2003-04 | 6.5.03 | 4 माह |
| | | 2004-05 | 27.7.04 | 7 माह |
| | | 2005-06 | 17.2.05 | 1 ½ माह |
| | | 2006-07 | 31.3.06 | 3 माह |
| सीबी-ओएस-2 | विकास/उत्पादन | 2004-05 | 4.3.04 | 2 माह |
| | | 2005-06 | 8.4.05 | 3 माह |
| | | 2006-07 | 9.3.06 | 2 माह |
| | | 2007-08 | 9.3.07 | 2 माह |
| केजी-ओएसएन- 2001/2 | खोज | 2004-05 | 26.2.04 | 2 माह |
| | | 2005-06 | 1.3.05 | 2 माह |
| | | 2006-07 | 18.2.06 | 1 ½ माह |
| एमबी-ओएसएन -97/3 | खोज | 2005-06 | 14.2.05 | 1 ½ माह |
| एनईसी-डीडब्ल्यू एन-2002/1 | खोज | 2005-06 | 31.1.05 | 1 माह |
| | | 2006-07 | 17.5.06 | 4 ½ माह |
| सीबी-ओएनएन- 2000/1 | खोज | 2003-04 | 15.04.03 | 3 ½ माह |
| | | 2004-05 | 21.06.04 | 5 ½ माह |
| | | 2005-06 | 01.04.05 | 3 माह |
| | | 2006-07 | 24.07.06 | 6 ½ माह |
| सीबी-ओएन-1 | खोज | 2004-05 | 4.03.04 | 2 माह |
| | | 2005-06 | 8.06.05 | 5 माह |
| | | 2006-07 | 14.06.06 | 5 ½ माह |

| ब्लाक का नाम | खोज/मूल्यांकन/ विकास/उत्पादन बजट | वर्ष | प्रस्तुत करने की तारीख | प्रस्तुत करने में देरी |
|------------------------------|--|--------------|---------------------------|---|
| | | 2007-08 | 13.03.07 | 2 ½ माह |
| केके—डीडब्ल्यूएन — 2000/2 | खोज | 2002-03 | 11.02.02 | 1 ½ माह |
| आरजे—ओएन— 90/1 | विकास | 2006 2007 | 5.4.06 8.12.06 | 6 माह 2 माह (इन मामलों में प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख 30 सितम्बर थी)। |
| पन्ना मुक्ता | उत्पादन प्रचालन | 2006-07 | 21.02.06 | 2 माह |
| आरजे—ओएनएन —2002/1 | खोज | 2007-08 | 28.2.07 | 2 माह |

वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट के समीक्षा/अनुमोदन में देरी

| ब्लाक का नाम | डब्ल्यू पी और बी की प्रकृति | वर्ष | समीक्षा/अनुमोदन में देरी |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| केजी—ओएसएन—2001/2 | खोज | 2004-05 (आर.ई.) | 6.8.05 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| | | 2005-06 (आर.ई.) | 5.5.06 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| केजी—डीडब्ल्यूएन—98/3 | खोज | 2004-05 (आर.ई.) | 25.5.05 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| | | 2006-07 (आर.ई.) | 23.7.07 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| | विकास | 2006-07 (आर.ई.) | 23.7.07 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद अनुमोदन किया गया) |
| सीबी—ओएनएन—2000/1 | खोज | 2003-04 (बी.ई.) | 21.06.04 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| | | 2004-05 (बी.ई.) | 02.06.05 (वित्तीय वर्ष बन्द होने के बाद समीक्षा की गई) |
| | | 2005-06 (बी.ई.) | 22.3.06 (वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में समीक्षा की गई) |
| | | 2006-07 (बी.ई.) | जुलाई 2008 तक समीक्षा नहीं हुई। |

शब्दावली

3 डी भूकम्प संबंधी

एक पैट्रोलियम खोजने का तरीका जो तीन लम्बाईयों में भूकम्प संबंधी परावर्तक दर्शाता है। इसे प्रायः कम्प्यूटर मॉनीटर पर दर्शाया जाता है। रिकॉर्ड को घुमाया जा सकता है और विभिन्न स्तरों पर टुकड़े (समय या आकाशवृत्त के समानांतर टुकड़े) निकाले जा सकते हैं।

4 सी भूकम्प संबंधी

एक भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण जो न केवल सामान्य दबाव वाली लहरों को रिकॉर्ड करता है (पी लहरें) बल्कि शीघ्र लहरों को भी (एस लहरें)। इसे बेहतर रॉक प्रकार का निर्धारण और फ्रैकचर का पता लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है।

4 डी भूकम्प

तेल क्षेत्र से उत्पादन के दौरान एक ही जलाशय पर अलग—अलग समय पर कई 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण के बीच भूकंपीय अंतर चलते रहते हैं। जलाशय से भूकम्प संबंधी रिस्पॉस में बदलाव, ऐसे आयाम जलाशय के जरिये द्रवों के बहाव को दर्शा सकता है।

मूल्यांकन कुँआ

एक नये फील्ड के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए एक खोजे गये कुँए के पास एक कुएँ को भेदना।

सम्बन्धित गैस

प्राकृतिक गैस जोकि जमाशय में कच्चे तेल के संपर्क में है।

बैरल

एक मात्र या यूनिट, जो एक वातावरण दाब में साठ डिग्री फॉरेनहाईट के तापमान पर 158.9074 लिटर (42 यूनाईटेट स्टेट गैलन) तरल माप बराबर

तेल बैरल के बराबर

प्राकृतिक गैस की मात्रा जिसका ताप तत्व उतना है, जितना कि एक औसत बैरल तेल का। यह गैस का लगभग 6000 सी.एफ. है।

बेसमेंट रॉक

अनुत्पादक चट्टाने जो सेडी-मैंट्री चट्टानों के नीचे हैं। यह प्रायः एक आग्नेय या मेटामोर्फिक चट्टान हैं।

क्रिसमस ट्री

एक उपसमुद्री उत्पादन प्रणाली, जोकि एक पारंपरिक जमीन पर पेड़ के समान है, सिवाय इसके कि इसे पूरी तरह गोताखोर की सहायता से या सहायता के बिना समुद्री फर्श पर दूर स्थापित किया जाता है। समुद्री पेड़ को भेदन फ्लेटफार्म से स्थापित किया है; इसे समुद्र के फर्श में लगाई गई फांडेशन लैगों पर लगी गाईड केबलों पर नीचे की ओर स्थित किया जाता है। फिर पेड़ को रिमोट कंट्रोल के द्वारा उद्गम तक यांत्रिकी या हाईड्रोलिक तरीके से जोड़ दिया जाता है।

संघनन

एक हाईड्रोकार्बन मिश्रण में प्राथमिक तौर पर 5,6 और 7 कार्बन एटमों के मौलिक्यूलस के साथ जोड़ा जाता है। यह धरातल अवस्था में तरल होता है, परन्तु अवधरातल जलाशय अवस्था में प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित गैस है। संघनन घनत्व में बहुत हल्का है और रंग में हल्के पीलेपन के साथ पारदर्शी होता है। यह कम्पोजीशन में लगभग शुद्ध गैसोलीन है।

| | |
|----------------|--|
| कच्चा तेल | एक तरल में एक सौ से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के हाईड्रोकार्बन मौलिक्यूलस हैं। मौलिक्यूल्स लम्बाई में 5 से लेकर 60 से भी ज्यादा कार्बन एटम हैं। कच्चे तेल का रंग काले से हरेपन से लेकर पीलेपन वाला पारदर्शी होता है। |
| गहरा पानी | 400 मीटर से परे बैथीमीटरी |
| डीलिनयेशन कुँआ | एक खोजे हुए कुँए के पास में एक कुँए में नया क्षेत्र निर्धारित करने के लिये भेदन करना। |
| विकास कुँआ | एक जाने हुये क्षेत्र में एक कुँए का भेदन करना। |
| खोजा हुआ कुँआ | एक खोजा हुआ कुँआ, जो एक नये और पहले वाले अनटैपड हाईड्रोकार्बन डिपोजिट के साथ काऊंटर करें; एक सफल वाईल्डकैट कुँआ। |
| विद्युत लॉग | एक वायरलाइन रिजीजटीवीटी लॉग। इसे प्रायः सहज ही संभाव्य या प्राकृतिक गामा किरण लॉग के साथ चलाया जाता है। |
| खोज | एक खण्ड, जिसमें एक संभावित हाईड्रोकार्बन क्षेत्र की खोज की जा रही है, चाहे भौगोलिक या भू-भौतिकी सर्वेक्षणों या भेदन की खोज के द्वारा। सफल खोज अपरेजल और विकास से होती है। |
| खोज प्रचालन | अनुबंध के अन्तर्गत पैट्रोलियम की खोज करते हुये और एक एपरेजल कार्यक्रम के दौरान अनुबंध क्षेत्र में किये गये प्रचालन शामिल होंगे, परन्तु एरियल, भौगोलिक, भू-भौतिकी, भू रसायनिक, पैलिओनटोलीजिकल, पैलीनोलीजिकल, टोपोग्राफिकल और भूकम्प संबंधी सर्वेक्षणों, विश्लेषण, अध्ययनों और उनकी इनटरप्रैटेशन तक सीमित नहीं, उपधरातल भूविज्ञान से संबंधित खोजें, जिसमें ढाँचागत नमूना भेदन, स्ट्रेटीग्राफिक टैस्ट भेदन, खोज कुँओं का भेदन और एपरेजल कुँएं और अन्य संबंधित क्रियायें जैसे कि सर्वेक्षण, भेदन करने की जगह पर तैयारी और उससे जुड़े हुए सभी आवश्यक कार्य, जोकि पैट्रोलियम की खोज करने से जुड़े हों। |
| खोज कुँआ | एक कुँआ जिसका भेदन न खोजे गये पैट्रोलियम जमाव की खोज के उद्देश्य से किसी भी भौगोलिक अस्तित्व पर, जिसका कार्य प्रोग्राम में कम से कम गहराई या स्ट्रेटीग्राफिक स्तर का उल्लेख हो (चाहे यह ढाँचागत, स्ट्रेटीग्राफिक, फेसिस या दबाव प्राकृतिक का हो)। |
| संलक्षणी | एक चट्टान की परत का एक पृथक भाग जैसे कि एक सैंडस्टोन संलक्षण। |
| दोष | चट्टानों में एक दरार जिसके साथ एक तरफ से दूसरी तरफ चलने में संबंध हो। दोष या तो डिप-स्लिप हैं या स्ट्राईक स्लिप। |
| क्षेत्र | एक समान ट्रैप पर एक या एक से ज्यादा जलाशय पैदा करने से संबंधित प्रत्यक्ष धरातल क्षेत्र जैसे कि एक अपनति। |

| | |
|------------------------|---|
| एफ पी एस ओ वैसल | एक जहाज जोकि एक समुद्र तट से दूर तेल क्षेत्र के पास या ऊपर स्थित हो। उपसमुद्री कम्प्लीशन कुओं से पैदा किये गये द्रव्य वैसल तक फ्लोलाइनों द्वारा लाये जाते हैं, जहाँ उन्हें अलग किया जाता है और उनका निरूपण किया जाता है। |
| गैस इन प्लेस | एक जलाशय के छिद्रों में गैस की मात्रा। |
| भू विज्ञानी | एक वैज्ञानिक जो चट्टानों के बारे में जानता हो और उनका अध्ययन करता हो। एक पैट्रोलियम भू वैज्ञानिक तेल और गैस के जमावों की खोज करता है और उनका उपयोग करता है। |
| भू विज्ञान | विज्ञान जो धरती और उसके जीवन के इतिहास के बारे में डील करता है जैसाकि चट्टानों में अभिलेखित है। |
| भू भौतिकी खोज | भौगोलिक ढाँचों की भू भौतिकी संसाधनों के द्वारा हाईड्रोकार्बनों के जमाव खोज जैसे कि ग्रेवीमीटर, मैग्नीटोमीटर और सीसमोमीटर। |
| भू भौतिकी | कुछ समान भौतिकी नियमों को लागू करना : भू विज्ञान में मैग्नेटिक आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पुल, सांऊंड लहरों की गति, विद्युत तरंगों का व्यवहार। |
| हाईड्रेट | एक बर्फ जैसा पदार्थ जो कि एक फ्लोलाइन में पानी से बना सकता हो, जैसे ही प्राकृतिक गैस का तापमान गिरे। यह आईस क्रिस्टलों में मीथेन के साथ बर्फ से मिश्रित होता है। |
| हाईड्रोकार्बन | हाईड्रोजन और कार्बन एटमों का जैविक रसायनिक मिश्रण ये मिश्रण बड़ी संख्या में होते हैं और ये सभी पैट्रोलियम उत्पादों का आधार बनाते हैं। ये गैसों, तरलों या ठोस रूप में हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का उदाहरण मीथेन, हैक्जेन और एसफॉल्ट है। |
| संशोधित तेल को निकालना | पानी की बाढ़ और ज्यादा तेल को निकालने का तरीका जो कि एक घटते हुये जलाशय से ज्यादा तेल निकालने में प्रयोग किया जाता है। |
| इनफिल भेदन | एक विकसित क्षेत्र में तेज दर से पैट्रोलियम पैदा करने के लिये, पैदा करने वाले कुँओं के बीच भेदन। |
| संयुक्त उपक्रम | एक व्यापार या उपक्रम जिसमें दो या ज्यादा भागीदार शामिल हों। संयुक्त उपक्रम पट्टे पर देना एक सामान्य चलन है। प्रायः उपक्रम में ज्यादा हिस्से वाला भागीदार संचालक होता है। |
| मैसोज़ोइक | 248 से 65 मिलियन वर्षों पहले भौगोलिक समय का एक युग। |
| मीथेन | एक हाईड्रोकार्बन जो CH_4 से बना हो। यह धरातल अवस्थाओं में एक गैस है और प्राकृतिक गैस (C_1) का एक मुख्य घटक है। |
| मीओसीन | 24 से 5.3 मिलियन वर्षों पहले समय का युग। यह तीसरी अवधि का |

भाग है।

प्राकृतिक गैस

हाईड्रोकार्बन गैसों और भापों के मिश्रण वाला पैट्रोलियम का गैसीय रूप, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मीथेन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पैनटेन और हैक्सेन हैं; एक गैस कुँएं से उत्पन्न गैस।

ओलीगोसीन

34 से 24 मिलियन वर्षों पहले समय का एक युग। यह तृतीय अवधि का भाग है।

संचालक

कम्पनी जो कि (ए) एक पैदा करने वाली लीज़ के रख रखाव और (बी) कार्य क्षेत्र में प्रचालनों के प्रभार के लिये उत्तरदायी हो।

पेलोओसीन

65 से 55 मिलियन वर्षों पहले भौगोलिक समय का एक युग। यह तृतीय अवधि का एक भाग है।

प्लीस्टोसीन

1.8 मिलियन वर्षों से 10000 पहले समय का एक युग, जिसमें कि ग्लेशियरों ने धरती का ज्यादा क्षेत्र ले रखा था। यह चौथी अवधि का भाग है।

प्लीओसीन

5.3 से 1.8 मिलियन वर्षों पहले भौगोलिक समय का एक युग। यह तृतीय अवधि का एक भाग है।

उत्पादन अनुबन्ध

बाँटने

वाले

सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ई एंड पी कंपनी के बीच अनुबन्ध। ई एंड पी कंपनी खोज, भेदन और उत्पादन की सारी लागत वहन करती है। ई एंड पी कंपनी को पैदा किए गए तेल/गैस के व्यय भुगतान किये जाते हैं। भुगतान के बाद, पैदा किए गए तेल/गैस प्राप्ति को एक समझौता किए गए फार्मूले से बांट लिया जाता है।

प्रोफिट ऑयल

बहुराष्ट्रीय कम्पनी को व्यय के भुगतान के बाद एक सहमत फार्मूले द्वारा मेजबान कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच पैदा किए तेल को बांटना।

प्रत्याशा

एक जगह जहाँ भौगोलिक और आर्थिक दोनों अवस्थायें एक कुएं के भेदन के अनुकूल हो।

रिकवरएबल तेल

तेल की मात्रा, जो कि वर्तमान आर्थिक अवस्थाओं के अन्तर्गत जलाशय से उत्पन्न किया जा सकता है। यह तेल का एक अंश है।

रिकवरी घटक

स्थान से तेल और/ या गैस का प्रतिशत जो कि एक जलाशय से उत्पन्न होगा।

रिज़र्व

गैस और/या तेल की गणित मात्रा जिसकी के एक कुँएं/कुँओं या एक क्षेत्र से पैदा होने की आशा है। परीक्षित रिज़र्वों की गणना उचित संभावना के साथ ही जाती है। वर्तमान कुँओं से विकसित रिज़र्व उत्पन्न किये जा सकते हैं; जबकि अविकसित रिज़र्व नहीं उत्पन्न किये जा सकते। अपरीक्षित रिज़र्व परीक्षित रिज़र्वों की अपेक्षा तकनीकी और आर्थिक कारणों के कारक निश्चित नहीं होते। यहां तक कि संभाव्य और संभावित रिज़र्व कम निश्चित होते हैं।

| | |
|-----------|---|
| जलाशय | एक छिद्र वाली और व्याप्त सेडिमेंट्री चट्टान (सैंडस्टोन, लाईमस्टोन, डोलोमाईट इत्यादि) जिसमें तेल और/या गैस हो या कम व्याप्त या इंपरवीयस चट्टान की परतों से घिरी हुई मात्रा हो; एक ढांचागत जाल; एक स्ट्रैटीग्राफिक जाल। |
| रॉयल्टी | प्रायः एक विशिष्ट उत्पन्न लिये कच्चे तेल या गैस की प्रति यूनिट स्थिर प्रतिशत, जिसे कि मेजबान सरकार को देता है। यह लाभ या हानि से मुक्त एक स्थिरप्रभार है। |
| शेल | कले साईंज कणों से बनी एक बहुत सामान्य सैट्रीमैट्री चट्टान। काले शेल पैट्रोलियम के लिये साधन चट्टानें हैं। |
| शैलो पानी | 400 मीटर तक बैथमीटरी। |
| टरटियरी | 65 से 1.8 मिलियन वर्षों पहले भौगोलिक समय की अवधि। यह सेनजोइक युग का भाग है। |
| कुँआ | धरती में भेद किया गया एक छेद गैस या तेल उत्पादन के लिये धातु की पाईप से प्रायः कवर किया गया। एक उपधरातल चट्टान बनाने में पानी या गैस के दबाव के अन्तर्गत इंजेक्शन के लिये एक छेद। |
| कुँआ लॉग | एक कुँए में नापी गई चट्टान की विशेषताओं का एक लगातार अभिलेख। कुछ प्रकार हैं सैम्प्ल, मड़ और वायरलाईन। |
| उदगम कुँआ | एक कुँए के सबसे ऊपर फोर्जड या कास्ट स्टील फिटिंग। इसमें सबसे नीचे केसिंग हैड और ऊपर ट्यूबिंग हैड शामिल हैं। इसे सर्फेस केसिंग के सबसे ऊपर बोल्ट किया जाता है या वैल्ड किया जाता है। |
| वर्कओवर | एक सेवा कंपनी जो काम (एक वर्कओवर) करे जैसे कि एक उत्पन्न करने वाले कुँएं पर पुलरॉड या रेत साफ करना। एक उत्पादन रिंग, या एक वर्कओवर रिंग या एक छोटी सेवा या पुलिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। |

संक्षिताक्षरों की सूची

| | |
|-------------------|---|
| 2 डी | दो डाईमेन्शनल |
| 3 डी | तीन डाईमेन्शनल |
| 4 सी | चार चैनल |
| 4 डी | चार डाईमेन्शनल |
| ए.बी.ओ. | एकर बोरगेस्टेड संचालन |
| ए.एफ.पी. | एकर फ्लोटिंग प्रोडक्शन |
| ए.आई.डी.पी. | प्रारंभिक विकास योजना के अडेंडम |
| ए.के.ए.पी. | एकर वर्नर आस्ट्रेलिया प्रा. लि. |
| ए.एम. | आडिट मेमोरेंडा |
| ए.एन.जी. | एसोसिएटेड प्राकृतिक गैस |
| ए.पी.आई. | भूकंप संबंधी आंकड़ों का अधिग्रहण, प्रोसेसिंग और इन्टरप्रेटेशन |
| ए.पी.एम. | एडमिनिस्टर्ड मूल्य प्रणाली |
| बी.ई.सी. | निविदा मूल्यांकन मानदंड |
| बी.जी.ई.पी.आई.एल. | ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन (इंडिया) लिमिटेड |
| बी.एल.पी.डी. | द्रव के प्रतिदिन बैरल |
| बी.ओ.पी.डी. | तेल के प्रतिदिन बैरल |
| बी.पी.सी.एल. | भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| बी.डब्ल्यू.पी.डी. | पानी के प्रतिदिन बैरल |
| सी.ए. | चार्टर्ड एकांऊटेंट |
| सी.ए.पी.ई.एक्स | पूंजीगत व्यय |
| सी.सी.ई.ए. | आर्थिक मामलों पर केबिनेट कमेटी |
| सी.ई.एच.एल. | केन एनर्जी हाईड्रोकार्बन लिमिटेड |
| सी.ई.आई.एल. | कैरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड |


| | |
|----------------|--|
| सी.ओ.ए. | चार्ट ऑफ एकांक्यूट्स |
| सी.ओ.एस.ए. | कच्चे तेल की बिक्री का अनुबंध |
| सी.आर.एफ. | लागत वसूली घटक |
| सी.आर.एल. | लागत वसूली सीमा |
| सी.आर.पी. | कंट्रोल—कम—राईज़र प्लेटफार्म |
| डी.ए. | विकास क्षेत्र |
| डी.जी.सी.ए. | नागर विमानन महानिदेशालय |
| डी.जी.एच. | हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय |
| डी.ओ.सी. | वाणिज्यकता की घोषणा |
| ई एंड पी | खोज एवं उत्पादन |
| ई.सी. | आवश्यकता प्रमाण—पत्र |
| ई.ओ.आई. | एक्सप्रैशन ऑफ इन्फ्रेस्ट |
| ई.पी. | खोज चरण |
| ई.पी.आई.सी. | इंजीनियरिंग, क्रय, स्थापना और लगाना |
| ई.पी.ओ.डी. | विकास की विस्तारित योजना |
| एफ.डी.पी. | क्षेत्र विकास योजना |
| एफ.डी.पी.एस.ओ. | फ्लोटिंग, भेदन, उत्पादन, भंडारीकरण और वैसल को ऑफ लोड करना। |
| एफ.ई.ई.डी. | फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन |
| एफ.आई. | वित्तीय |
| एफ.आई.एफ.ओ. | फर्स्ट इन फर्स्ट आउट |
| एफ.पी.एस.ओ. | फ्लोटिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज एवं वैसल को ऑफ लोड करना |
| जी एंड जी | भौगोलिक एवं भू भौतिकी |
| गेल | गेल (इंडिया) लिमिटेड |

| | |
|-----------------|--|
| जी.आई.आई.पी. | गैस इनीशियल इन प्लेस |
| जी.आई.पी.आई.पी. | गुड इन्टरनेशनल पैट्रोलियम इन्डस्ट्री प्रैक्टिस |
| जी.ओ.आई. | भारत सरकार |
| जी.डब्ल्यू.सी. | गैस पानी संबंध |
| एच.सी. | हाईड्रोकार्बन |
| एच.पी.सी.एल. | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| एच.एस.ई. | स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण |
| आई.डी.पी. | प्रारंभिक विकास योजना |
| आई.एम. | निवेश गुणक |
| आई.एन.आर. | भारतीय रूपये |
| आई.ओ.सी. | भारतीय तेल कॉरपोरेशन |
| आई.ओ.जी.पी.टी. | तेल और गैस पैट्रोलियम टैक्नोलॉजी संस्थान |
| आई.पी.ओ.डी. | विकास की प्रारंभिक योजना |
| जे.ओ.ए. | संयुक्त प्रचालन अनुबंध |
| जे.एस. | संयुक्त सचिव |
| एल एंड टी | लारसन एंड टूबरों |
| एल डी | लिकिवेडिड नुकसान |
| एल.के.एम. | लाईन किलोमीटर |
| एल.एन.जी. | लिकिफाईड प्राकृतिक गैस |
| एल.ओ.ए. | स्वीकृति पत्र |
| एल.ओ.आई. | सहमति पत्र |
| एल.एस.टी.के. | एकमुश्त टर्न की |
| एल.डब्ल्यू.डी. | भेदन करते समय लॉगिंग |
| एम.ए.टी. | न्यूनतम वैकल्पिक कर |

| | |
|--------------------|---|
| एम.सी. | प्रबन्ध समिति |
| एम.सी.एम. | प्रबन्ध समिति बैठक |
| एम.ई.जी. | मोनो इथलीन ग्लाइकोल रीजनरेशन एवं रीक्लेमेशन |
| एम.एल. | माईनिंग लीज़ |
| एम.एम.बी.बी.एल. | मिलियन बैरल |
| एम.एम.बी.ओ.ई. | तेल के मिलियन बैरल के बराबर |
| एम.एम.बी.टी.यू. | मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट |
| एम.एम.एस.सी.एफ. | मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट |
| एम.एम.एस.सी.एम.डी. | मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन |
| एम.ओ.डी. | रक्षा मंत्रालय |
| एम.ओ.पी.एन.जी. | पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| एम.पी.एफ. | चलती फिरती उत्पादन सुविधा |
| एम.पी.एस.सी. | मॉडल प्रोडक्शन शेयरिंग अनुबंध |
| एम.टी. | मीटरिक टन |
| एम.डब्ल्यू.डी. | भेदन के वक्त माप |
| एम.डब्ल्यू.पी. | न्यूनतम कार्य प्रोग्राम |
| एन.ए.ए. | नार्थन मूल्यांकन क्षेत्र |
| एन.ए.एन.जी. | असंबंधित प्राकृतिक गैस |
| एन.ई.एल.पी. | नवीन खोज एवं लाईसेंसिंग पॉलिसी |
| एन.आई.ओ. | नोटिस आमंत्रण सूचना |
| एन.ओ.सी. | राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ |
| एन.पी.पी. | शुद्ध वर्तमान मूल्य |
| एन.आर.पी.ओ.डी. | विकास की नवीन संशोधित योजना |
| एन.डब्ल्यू. | उत्तर पश्चिम |

| | |
|-----------------|--|
| ओ एंड एम | प्रचालन एवं रख रखाव |
| ओ.बी. | संचालक बोर्ड |
| ओ.सी. | संचालन समिति |
| ओ.डी.आर. | ऑपरेटिंग डे रेट |
| ओ.एफ. (आर.डी.) | तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) |
| ओ.जी.आई.पी. | ऑरिजनल गैस इन प्लेस |
| ऑयल | ऑयल इंडिया लिमिटेड |
| ओ.एन.जी.सी. | तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन |
| ओपक्स | प्रचालन व्यय |
| ओ.टी. | ऑनशोर टर्मिनल |
| पी.ई.एल. | पैट्रोलियम खोजने का लाईसेंस |
| पी.आई. | भागीदारी हित |
| पी.एम.टी.जे.वी. | पन्ना—मुक्ता ताप्ती संयुक्त उपक्रम |
| पी.एन.जी.नियम | पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम |
| पी.ओ. | क्रय आदेश |
| पी.ओ.एम. | प्रारंभिक जाँच मेमोरेंडा |
| पी.पी. | प्रोफिट पैट्रोलियम |
| पी.एस.सी. | उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध |
| पी.टी.आर.आर. | पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न |
| आर.एफ.पी. | प्रस्ताव के लिये निवेदन |
| आर.आई.एल. | रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड |
| एस \$ | सिंगापुर डॉलर |
| एस.सी.ए.डी.ए. | पर्यवेक्षीय नियंत्रण और ऑकड़े अधिग्रहण |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| एस.ई. | दक्षिण पूर्व |
| एस.आई.पी.डी. | शेल इंडिया प्रोडक्शन एवं विकास |
| टी.सी.एफ. | ट्रिलियन क्यूबिक फीट |
| यू.एस. | अवर सचिव |
| यू.एस. \$ | यूनाईटेड स्टेट डॉलर |
| वी.एल.सी.सी. | बहुत बड़ा कच्चा तेल वाहक |
| वी.क्यू.सी. | विक्रेता अर्हता प्राप्त मानदंड |
| डब्ल्यू.आई.पी. | कार्य प्रगति पर |
| डब्ल्यू.पी. एंड बी | कार्य प्रोग्राम एवं बजट |
| एक्स.एम.टी. | क्रिसमस पेड़ |



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2011-12
www.saiindia.gov.in